वार्षिक रिपोर्ट

2000-2001

UGC
HIGHER
EDUCATION

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विंदति ॥

इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है । निष्काम कर्मयोग की साधना करने वाले साधक को यह ज्ञान कुछ समय बाद, अपने आप, अपने भीतर ही प्राप्त होता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट

2000–2001

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली - 110002
भारत

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

2000–2001

अध्यक्ष

1. डॉ॰ हरि गौतम

उपाध्यक्ष

2. डॉ॰ अरुण निगवेकर*

सदस्य

3. श्री एम॰ के॰ काउ
4. श्री सी॰ एम॰ वासुदेव
5. प्रोफेसर एम॰ कुन्हामन
6. प्रोफेसर सुदेश नांगिया
7. डॉ॰ आर॰ सी॰ त्रिपाठी
8. प्रोफेसर कुमुदनाथ शर्मा
9. डॉ॰ एस॰ के॰ जोशी
10. प्रोफेसर सिप्रा गुहा मुखर्जी
11. डॉ॰ ओम नागपाल @
12. श्री कमलेश्वर बोरा @
13. प्रोफेसर सुरेश्वर शर्मा #
14. प्रोफेसर बी॰ एच॰ ब्रिज-किशोर #

सचिव

16. डॉ॰ आर॰ पी॰ गंगुर्डे**
15. डॉ॰ जी॰ जी॰ दंडापत***

---

* 28.09.2000 से
@ 15.06.2000 तक
\# 16.06.2000 से
** 18.05.2000 तक
*** 19.05.2000 से

विषय-सूची

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट : 2000-2001
मुख्य विशेषताएँ

1 प्रस्तावना

1.1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका तथा संगठन	1
1.2	क्षेत्रीय कार्यालय	2
1.3	विशेष सेलों का कार्यकरण	2
	(क) अनाचार सेल	2
	(ख) विधिक सेल	3
	(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल (अ०जा०/अ०ज०जा० सेल)	4
	(घ) सतर्कता सेल	4
	(ङ) वेतनमान सेल	4
	(च) राजभाषा सेल	6
	(छ) सेवा-निवृत्ति हितलाभ सेल	6
	(ज) कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न सेल	6
1.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कंप्यूटरीकरण	6
1.5	प्रकाशन	6
1.6	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए नया भवन तथा परिसर	7
1.7	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त	7
1.8	वर्ष के उल्लेखनीय कार्य	10

2 उच्च शिक्षा प्रणाली : संस्थाओं, नामांकनों, संकाय तथा अनुसंधान डिग्रियों की संख्या में वृद्धि

2.1	संस्थाएँ	17
2.2	छात्र नामांकन	18
2.3	संकाय संख्या	19
2.4	अनुसंधान डिग्रियाँ	19

3 विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण (योजनेतर) तथा विकास (योजनागत) अनुदान

3.1	वि०अ०आ० द्वारा सहायताप्रदत्त विश्वविद्यालय	29
	(क) केंद्रीय विश्वविद्यालय	30
	(ख) राज्य विश्वविद्यालय	32
	(ग) समविश्वविद्यालय	39

3.2	समविश्वविद्यालयों की मुख्य विशेषताएं : 2000-2001	42
3.2.1	केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान (सी आई ई एफ एल), हैदराबाद	42
3.2.2	दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा	44
3.2.3	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	46
3.2.4	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	47
3.2.5	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	48
3.2.6	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	51
3.2.7	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	53
3.2.8	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई	55

4 कालेजों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (योजनेतर) अनुदान

4.1	9वीं योजना के दौरान कालेज विकास की प्रगति	59
4.2	वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कालेज	59
4.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कालेजों को अनुदान	60
4.4	कालेज विकास योजना के अधीन कालेजों को आबंटित 9वीं योजना विकास अनुदान (राज्यवार)	60
4.5	कालेजों को योजनागत अनुदान	62
4.6	वि०अ०आ० के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए अनुदानों की योजनावार स्थिति	63
4.7	दिल्ली कालेजों तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के घटक कालेजों को अनुरक्षण अनुदान	66
4.8	दिल्ली कालेजों को योजनागत अनुदान	66
4.9	स्वायत्त कालेज	67

5 उच्च शिक्षा में स्तरों का अनुरक्षण और समन्वय

5.1	अकादमिक स्टाफ कालेज	69
5.2	शिक्षा का वृत्तिक अभिविन्यास (शिक्षा का व्यवसायीकरण)	70
5.3	विषय नामिकाएँ	72
5.4	विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप)	73
5.5	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की आधार-संरचना को सुदृढ़ करना (कोसिस्ट)	74
5.6	विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केंद्र (यूसिक्स)	75
5.7	परीक्षा सुधार	76
5.8	कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम (कोसिप) तथा कालेज मानविकी और सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रम (कोहस्सिप)	77

6 शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास

6.1	अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा	79
6.2	शिक्षकों के लिए विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में बृहत् एवं लघु अनुसंधान योजनाएँ	82
6.3	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान	83
6.4	संगोष्ठियाँ और सम्मेलन	84
6.5	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां	84
6.6	विदेशी राष्ट्रिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (जे आर एफ) तथा अनुसंधान एसोशिएटशिप (आर ए)	84
6.7	विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करना	85
6.8	स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, हरि ओम् आश्रम न्यास अवार्ड तथा वि॰ अ॰ आ॰ वेदव्यास संस्कृत अवार्ड	86
6.9	अनुसंधान वैज्ञानिक	88
6.10	अनुसंधान अवार्ड	90
6.11	अभ्यागत एसोशिएटशिप	90
6.12	इमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ	90
6.13	अभ्यागत प्रोफेसर/अध्येता	91
6.14	अनियत अनुदान	91
6.15	हिंदी भाषा (राजभाषा) का संवर्धन	92
6.16	भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का निर्माण	93

7 उदीयमान तथा अंत:शास्त्रीय क्षेत्रों में अध्ययन

7.1	नवाचारी कार्यक्रम	94
7.2	क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम	96

8 गुणवत्ता संवर्धन के लिए अंतर्विश्वविद्यालय संसाधन

8.1	अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र	97
8.2	राष्ट्रीय सूचना केंद्र	113
8.3	राष्ट्रीय सुविधा केंद्र	119

9 भारतीय संस्कृति, विरासत और मूल्यों का संवर्धन तथा परिरक्षण

9.1	समाजचिंतकों पर विशेष अध्ययन	123
	(क) गांधी अध्ययन	123
	(ख) बौद्ध अध्ययन	123
	(ग) नेहरू अध्ययन	123
	(घ) अम्बेडकर अध्ययन	124
	(ङ) स्थापित किए गए नए केंद्र	124
9.2	मूल्यपरक शिक्षा	125
9.3	मानवाधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा	125

10 इंजीनियरी तथा तकनीकी, प्रबंध तथा कंप्यूटर शिक्षा का विकास

10.1	इंजीनियरी तथा तकनीकी शिक्षा का विकास	127
	(क) विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान	127
	(ख) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के अधीन नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम०ई०/एम० टेक० शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता	127
	(ग) इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के अधीन अनुसंधान अध्येतावृत्तियां/स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना	128
	(घ) विशिष्ट प्रयोजन के लिए राज्य/समविश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	128
10.2	प्रबंध अध्ययनों का विकास (एम बी ए कार्यक्रम)	128
10.3	कंप्यूटर शिक्षा का विकास तथा कंप्यूटर सुविधाओं का उन्नयन/वृद्धि	128
	(क) विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर केंद्रों की स्थापना	129
	(ख) कंप्यूटर जनशक्ति विकास पाठ्यक्रम	129
	(ग) स्नातकोत्तर स्तर पर कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रश्न-पत्र(पेपर)	130
	(घ) कंप्यूटर विज्ञान विभागों के लिए कंप्यूटर प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान	131
	(ङ) कंप्यूटर जानकारी के लिए कालेज शिक्षकों का प्रशिक्षण	131
	(च) कालेज विकास परिषदों के कार्यालयों को सहायता	132
	(छ) कंप्यूटर सुविधाओं के लिए अकादमिक स्टाफ कालेजों को सहायता	132
10.4	कालेजों में कंप्यूटर सुविधाएँ	132

11 शिक्षा प्रसार (आउटरीच) गतिविधियाँ

11.1	प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार (फील्ड आउटरीच)	134
11.2	उच्च शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या तथा विकास शिक्षा पर यू०जी०सी० - यू०एन०एफ०पी०ए० परियोजना	134

12 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों तथा समाज के सुविधावंचित वर्गों तथा भिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ

12.1	विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सेल स्थापित करना	136
12.2	अ० जा०/अ० ज० जा० के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण	136
12.3	अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए केंद्रीय पूल डाटाबेस	136
12.4	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएँ	137
12.5	केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालयों में अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए परिवीक्षण समिति	137
12.6	विशेष शिक्षा में शिक्षक तैयार करना (टी ई पी एस ई) तथा विशेष जरूरतमंद व्यक्तियों (अपंग व्यक्ति) के लिए उच्च शिक्षा (एच ई पी एस एन)	138
12.7	चाक्षुष रूप से विकलांग (अंध) शिक्षकों को वित्तीय सहायता	139
12.8	शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ (अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए)	139
12.9	कश्मीर विश्वविद्यालय तथा उसके संबद्ध कालेजों के प्रवासी शिक्षकों के लिए अभ्यागत संकाय पद (विशेष योजना)	140

13 उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए सुविधाएँ और उनकी स्थिति

13.1	महिला विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकीय पाठ्यक्रम शुरू करना	141
13.2	महिला होस्टलों के निर्माण हेतु विशेष योजना	142
13.3	विश्वविद्यालयों और कालेजों में महिला अध्ययनों का संवर्धन	142
13.4	उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि	143
13.5	महिलाओं के नामांकन का राज्यवार, स्तरवार तथा संकायवार वितरण	144
13.6	महिला कालेज	145

14 शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूदों का संवर्धन

14.1	विश्वविद्यालयों और कालेजों में साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करना	147
14.2	विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा एवं अभ्यास का संवर्धन	149
14.3	शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेल-कूदों में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	151
14.4	विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल-कूद की आधार-संरचना का विकास	151

15 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

15.1	द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम	152
15.2	विदेशी भाषा शिक्षक	152
15.3	अध्येतावृत्तियाँ तथा छात्रवृत्तियाँ	152
	(क) जर्मन अकादमिक विनियम सेवा (डी ए ए डी)	152
	(ख) भारत-फ्रांस सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के अधीन फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्तियाँ	153
15.4	भारत-फ्रांस सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के अधीन सामाजिक वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम	153
15.5	उच्च शिक्षा संपर्क कार्यक्रम	153
15.6	सार्क पीठें/अध्येतावृत्तियाँ/छात्रवृत्तियाँ	153
15.7	सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई सी टी पी)	154
15.8	राष्ट्रमंडलीय अकादमिक स्टाफ अध्येतावृत्तियाँ	154
15.9	साल्ज़बर्ग संगोष्ठी	154
15.10	कनाडियन अध्ययनों का विकास	154
15.11	शास्त्री भारत-कनाडा दो व्यक्ति मास कार्यक्रम	154
15.12	शिक्षकों को विदेश में दौरा करने के लिए यात्रा अनुदान	154
15.13	यूनेस्को कार्यक्रम	154

16 उच्च शिक्षा-प्रबंध

16.1	विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन जुटाना	155
16.2	अकादमिक प्रशासकों का प्रशिक्षण	155
16.3	राज्य उच्च शिक्षा परिषदों का गठन	155

परिशिष्टों की सूची 156

० ० ०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट : 2000-2001 : मुख्य विशेषताएँ

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका तथा संगठन

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि० अ० आ०) 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया एक सांविधिक संगठन है । इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तरों का समन्वय, निर्धारण तथा अनुरक्षण करना है । नई चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत सरकार वि० अ० आ० अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है ।
- आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अन्य दस सदस्य हैं । इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डॉ० अरुण निगवेकर ने 28.09.2000 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है तथा अन्य दो सदस्यों की नियुक्ति की गई ।
- हैदराबाद, पुणे, भोपाल, गाजियाबाद, कोलकता, गोवाहाटी तथा बंगलौर में आयोग के सात क्षेत्रीय कार्यालय हैं ।
- अनाचार सेल ने 18 जाली विश्वविद्यालयों का पता लगाया है ।
- वि० अ० आ० के वेबसाइट http://www.ugc.ac. in में 9वीं योजना की सभी स्कीमें/कार्यक्रम, नेट परीक्षा के परिणाम तथा वि० अ० आ० द्वारा समय-समय पर तैयार किए गए महत्वपूर्ण विनियम समाविष्ट हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

- वर्ष 2000-2001 का बजट तथा प्राप्त अनुदानों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

वर्ष 2000-2001 का बजट और प्राप्त किए गए अनुदान

(रु० करोड़ में)

क्र० सं०	बजट शीर्ष	योजनागत आबंटन	योजनेतर आबंटन	प्राप्त योजनेतर अनुदान	प्राप्त योजनागत अनुदान
1.	सामान्य	407.00	1000.00	1000.00	407.20
2.	एस ए सी सी	28.00	-	-	28.00
3.	इंजी० तथा प्रौद्यो०	28.00	-	-	28.00
4.	पुस्तकालयों और प्रयोग-शालाओं के सुधार के लिए विशेष अनुदान	0.20	-	-	0.57
	जोड़	**435.20**	**1000.00**	**1000.00**	**463.77**

प्राप्त योजनागत अनुदान
2000-2001

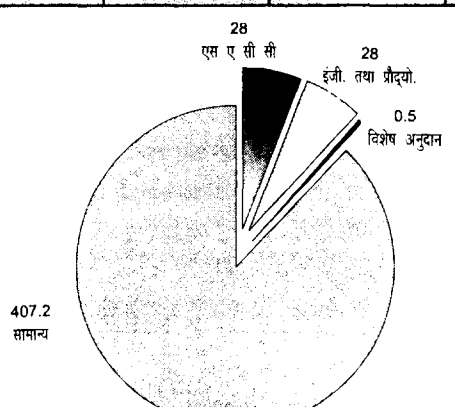

- जारी किए गए कुल योजनेतर अनुदान से 86 प्रतिशत अनुदान केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालयों को जारी किए गया । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का व्यय रु०17.20 करोड़ (कुल योजनेतर अनुदान का 1.7 प्रतिशत) था ।

वर्ष के मुख्य कार्य (देखिए अध्याय 1 का 1.8)

2. संस्थाओं, नामांकनों, संकाय तथा अनुसंधान डिग्रियों की संख्या में वृद्धि

- 31.03.2001 को 17 केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा 47 समविश्वविद्यालय सहित 245 विश्वविद्यालय थे और 1525 महिला कालेजों सहित 12,342 कालेज थे । 176 राज्य विश्वविद्यालयों में से 34 विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है ।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों की सूची में वि० अ० आ० अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों और धारा 3 के अधीन छह नए समविश्वविद्यालयों को शामिल किया गया ।
- वर्ष 2000-2001 के दौरान 477 नए कालेज स्थापित किए गए ।
- वर्ष 2000-2001 के अंत में वि० अ० आ० अधिनियम 1956 की धारा 2(च) के अधीन मान्यताप्राप्त कालेजों की कुल संख्या 5189 थी इनमें से वि० अ० आ० अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन बनाए गए नियमों की शर्तों के अनुसार 216 कालेज केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं ।
- शैक्षिक सत्र 2000-2001 के दौरान सभी पाठ्यक्रमों तथा स्तरों पर कुल नामांकन 80 लाख रहा इसमें 30.12 लाख महिला छात्र शामिल हैं जिनकी संख्या 37.65 प्रतिशत थी ।
- स्तरवार छात्र नामांकन इस प्रकार रहा :-

स्तर	पूर्वस्नातक	स्नातकोत्तर	डिप्लोमा/प्रमाणपत्र	अनुसंधान
कुल नामांकन का प्रतिशत	88.8	9.5	0.9	0.7

- सभी पूर्व-स्नातक छात्रों के लगभग 90 प्रतिशत छात्र तथा सभी स्नातकोत्तर छात्रों के लगभग 63 प्रतिशत छात्र संबद्ध कालेजों में थे और शेष छात्र विश्वविद्यालय विभागों तथा उनके घटक कालेजों में थे । कुल अनुसंधान छात्रों के 90 प्रतिशत छात्र विश्वविद्यालयों में थे ।
- गत वर्ष की तुलना में नामांकन की प्रतिशतता में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान रहा जिसमें नामांकित छात्रों की संख्या 11.6 लाख थी ।
- विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षण संकाय की संख्या 3.95 लाख तक पहुँच गई (इनमें संबद्ध कालेजों में 3.16 लाख 80 प्रतिशत शिक्षण संकाय शामिल हैं ।)
- वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रदत्त अनुसंधान डिग्रियों की संख्या 11067 थी । इनमें कला संकाय की संख्या सर्वाधिक थी जिसमें 4231 डिग्रियाँ प्रदान की गईं । विज्ञान संकाय का स्थान दूसरा रहा जिसमें 3832 डिग्रियाँ प्रदान की गईं ।
- प्रति सौ पुरुष छात्र नामांकित महिला छात्र की संख्या 60 रही ।

3. विश्वविद्यालयों (केंद्रीय, राज्य तथा समविश्वविद्यालय) को अनुरक्षण तथा विकास अनुदान

- केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 17 है । इनमें से 15 विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान मिल रहा है जबकि 13 विश्वविद्यालयों को, अनुरक्षण तथा विकास अनुदान प्राप्त हो रहा है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को सीधे निधियाँ उपलब्ध करा रहा है ।

- 13 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण व्यय को पूरा करने के लिए रु० 637.40 करोड़ का योजनेतर अनुदान जारी किया गया और पंद्रह केंद्रीय विश्वविद्यालयों को रु० 83.00 करोड़ का योजनागत अनुदान जारी किया गया ।

- विभिन्न राज्यों को विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित विधियों के अधीन स्थापित किए गए राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 176 है । कृषि/आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालयों को छोड़कर 116 राज्य विश्वविद्यालय, यू० जी० सी० से अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं । वर्ष 2000-2001 के दौरान 116 पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को रु० 164.06 करोड़ का विकास अनुदान उपलब्ध कराया गया ।

- 1966 से 1970 के बीच स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के उन्नयन के लिए विशेष योजना के अधीन 10 विश्वविद्यालयों को रु० 250.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई । पुनर्वास तथा क्षति मरम्मत कार्यक्रम के लिए गुजरात राज्य के 7 विश्वविद्यालयों और 2 कालेजों को भूकंप राहत के रूप में रु० 5060.49 लाख का विशेष अनुदान उपलब्ध कराया गया । इसके अतिरिक्त, उड़ीसा राज्य के 25 कालेजों को भी चक्रवात राहत के रूप में रु० 172.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई । विश्वविद्यालयों में दिवस देखभाल केंद्रों की विशेष योजना के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 11 विश्वविद्यालयों को रु० 22.00 लाख की राशि जारी की ।

- 26 समविश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं को रु० 62.82 करोड़ का योजनेतर अनुदान तथा 27 समविश्वविद्यालयों को रु० 17.58 करोड़ का योजनागत अनुदान उपलब्ध कराया गया ।

4. कालेजों को विकास तथा अनुरक्षण अनुदान

- देश में 12,342 कालेज हैं । इनमें से केवल वे ही कालेज जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अनुसार वि० अ० आ० द्वारा मान्यताप्राप्त हैं, यू जी सी से अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं । 31.03.2001 को ऐसे कालेजों की संख्या 4,973 थी ।

- कालेज विकास योजना के अधीन 3965 कालेजों को रु० 409.12 करोड़ का 9वीं योजना अनुदान (1997-2002) आबंटित किया गया ।

- केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कालेजों को योजनेतर सहायता अनुरक्षण अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष 2000-2001 के लिए अनुरक्षण अनुदान के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 कालेजों को रु० 234.50 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई । इसके अतिरिक्त, होस्टल मेस के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कालेजों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में रु० 2.16 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई । वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चार घटक कालेजों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में रु०4.05 करोड़ की राशि प्रदान की गई ।

- 2000-2001 के दौरान विभिन्न योजनागत स्कीमों के अंतर्गत दिल्ली कालेजों को 9वीं योजना के लिए आबंटित राशि से रु० 215.07 लाख उपलब्ध कराए गए । इसके अतिरिक्त, दिल्ली के 2 कालेजों को भी एकबारगी विशेष अनुदान के रूप में रु० 14.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई ।

5. स्तरो के अनुरक्षण तथा समन्वय के लिए कार्यक्रम

- विभिन्न शास्त्रों में 51 अकादमिक स्टाफ कालेजों और 71 विश्वविद्यालयों तथा विशेषीकृत संस्थाओं के माध्यम से शिक्षकों के व्यावसायिक विकास का एक व्यापक कार्यक्रम संचालित किया गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान, अकादमिक स्टाफ कालेजों तथा अन्य प्रत्यायित संस्थाओं ने 216 अभिविन्यास पाठ्यक्रम तथा 793 पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लिया। इस कार्यक्रम के शुरू किए जाने के समय से लगभग 1900 अभिविन्यास कार्यक्रम संचालित किए गए जिनमें 60,000 शिक्षकों ने भाग लिया। अकादमिक स्टाफ कालेजों ने लगभग 4500 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी संचालित किए जिनमें लगभग 1.40 लाख शिक्षकों ने भाग लिया। रु० 1624.21 लाख का अनुदान जारी किया गया।

- प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षकों के व्यवसायीकरण पर वि० अ० आ० कोर समिति ने 5 शास्त्र-क्षेत्रों में विस्तृत पाठ्यविवरण सहित 38 व्यावसायिक विषयों का पता लगाया है। 1994-95 में इस योजना के चालू किए जाने के समय से विभिन्न व्यावसायिक विषय शुरू करने के लिए सहायतार्थ 1642 कालेजों तथा 32 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया था। वर्ष 2000-2001 के दौरान 109 कालेजों को रु० 1189 लाख की राशि प्रदान की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कैरियर अभिविन्यास कार्यक्रम में अंतर्गत 25 प्रतिशत पूर्व-स्नातक छात्रों को नामांकित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम के वास्ते विश्व बैंक की सहायता का अनुरोध करने के लिए एक परियोजना-प्रस्ताव तैयार किया।

- 32 विषयों में पाठ्यचर्या विकास समितियाँ गठित की गईं। इनका उद्देश्य बहु-शास्त्रीय कौशल, सामान्य अध्ययनों को व्यवसायियों से जोड़ना, माड्यूलर प्रणाली, अकादमिक गतिशीलता आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए इन विषयों में मॉडल पाठ्यचर्या विकसित करना था। इन रिपोर्टों को तैयार करने के लिए नोडल व्यक्तियों के वास्ते आकस्मिकता एवं सचिवालयीन सहायता उपलब्ध कराने के लिए रु० 4.20 लाख का अनुदान जारी किया गया।

- विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप) की योजना 1963 में शुरू की गई था इसका उद्देश्य विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में संभावित विश्वविद्यालय विभागों का विकास अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों के स्तर तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर तक करना था। विभिन्न स्तरों पर सहायताप्रदत्त विभागों की कुल संख्या इस प्रकार थी : मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में 136 विभाग और विज्ञान तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 211 विभाग। वर्ष 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभागों को क्रमश: रु० 1267.28 लाख, रु० 299.98 लाख तथा रु० 379.58 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधार-संरचना को सुदृढ़ करने की योजना (कोसिस्ट) अत्यधिक परिष्कृत एवं कीमती उपस्कर प्राप्त करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि वे स्नातकोत्तर और अनुसंधान के मुख्य क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बन सकें। इस कार्यक्रम के अधीन 14 नए विभागों का पता लगाया गया। इस प्रकार, चुने गए ऐसे विभागों की संख्या बढ़कर 209 हो गई।

- शिक्षण और अनुसंधान में अत्याधुनिक उपकरणों के इष्टतम उपयोग के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केंद्र (यूसिक्स) स्थापित कर सामान्य पूल की संकल्पना प्रारंभ की। विभिन्न विश्वविद्यालयों में ऐसे 74 केंद्र काम कर रहे थे। इन केंद्रों को रु० 8.25 की राशि जारी की गई।

6. शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास का कार्यक्रम

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षण व्यवसाय में नए प्रवेशार्थियों के हेतु न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए लेक्चरारशिप पात्रता एवं कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा संचालित करता है । दिसंबर, 2000 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति की परीक्षा में बैठे कुल उम्मीदवारों में से केवल 0.8 प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और लेक्चरारशिप की परीक्षा में बैठे कुल उम्मीदवारों में से केवल 9 प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए । वर्ष 2000-2001 के दौरान वि० अ० आ० द्वारा इन परीक्षाओं के संचालन के लिए रु० 242.22 लाख व्यय किए गए ।

- अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है ताकि वे निर्दिष्ट विषय-क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाएँ शुरू कर सकें । अंत:शास्त्रीय तथा संस्थागत सहयोग अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 886 बृहत् अनुसंधान परियोजनाओं और लगभग 1300 लघु अनुसंधान परियोजनाओं का अनुमोदन किया । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके क्षेत्रीय कार्यालय ने नई तथा पुरानी बृहत् अनुसंधान परियोजनाओं तथा लघु अनुसंधान परियोजनाओं के लिए क्रमश: रु० 22.13 करोड़ और रु० 3.28 करोड़ की राशि जारी की ।

- आयोग शिक्षकों को एम० फिल० या पीएच० डी० करने के लिए शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । 9वीं योजना अवधि के दौरान अर्थात् 31.3.2001 को स्थिति के अनुसार 1973 कालेजों को 8111 शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ आबंटित की गईं ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियाँ और सम्मेलन आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों और स्नातकोत्तर कालेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित 386 प्रस्तावों का अनुमोदन किया और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विश्वविद्यालयों को रु० 4.76 लाख और विश्वविद्यालय के कालेजों को रु० 142.25 लाख की राशि प्रदान की गई ।

- अभ्यागत एसोशिएटशिप योजना के अंतर्गत रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 55 अवार्डियों का चयन किया गया ।

- विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में 62 इमेरिटस अध्येता काम कर रहे थे ।

- "अनुसंधान अवार्ड" योजना के अधीन 102 उम्मीदवारों का चयन किया गया और रु० 197.85 लाख का अनुदान जारी किया गया । वर्ष 2000-2001 के लिए चयनार्थ आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है ।

- हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा सेल ने हिंदी टंकण में वि० अ० आ० के 47 कर्मचारियों और हिंदी आशुलिपि में 24 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया । राजभाषा सेल त्रैमासिक जर्नल 'सेतु' और 'उच्च शिक्षा पत्रिका' का भी नियमित प्रकाशन कर रहा है ।

7. क्षेत्र अध्ययन तथा नवाचारी कार्यक्रम

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी निर्धारित क्षेत्र की समस्याओं और संस्कृति से संबंधित अध्ययन शुरू करने और अंत:शास्त्रीय अनुसंधान तथा शिक्षण का विकास करने के लिए 17 विश्वविद्यालयों में स्थापित किए गए 19 क्षेत्र अध्ययन केंद्रों को सहायता उपलब्ध करा रहा है । उन देशों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिनका भारत के साथ घनिष्ठ एवं सीधा संपर्क है । इन केंद्रों को रु० 22.72 लाख का अनुदान जारी किया गया । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नवाचारी कार्यक्रम के अधीन स्नातकोत्तर स्तर पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा विशेष

प्रश्न-पत्र (उदीयमान क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों सहित) शुरू करने के लिए चुनिंदा विश्वविद्यालयों को रु०300.00 लाख की राशि जारी की गई ।

8. अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र राष्ट्रीय सूचना केंद्र तथा राष्ट्रीय सुविधा केंद्र

- वि० अ० आ० अधिनियम के खंड 12 (गगग) के अधीन विश्वविद्यालयों में स्वायत्त केंद्रों के रूप में स्थापित किए 7 अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र, 3 राष्ट्रीय सूचना केंद्र तथा 7 राष्ट्रीय सुविधा केंद्र भारत में काम कर रहे हैं । ये केंद्र विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं आदि को सामान्य सुविधाएँ, सेवाएँ तथा कार्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं और इसके लिए वे प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञ और अधुनातन उपस्कर का प्रयोग एवं पुस्तकालय की उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं । प्रधानमंत्री ने जनवरी, 2001 में वियतनाम के अपने दौरे के अवसर पर दुग्ध क्रांति, सुरमित पादप कला मूरल तथा भारत की झलक जैसे विषयों पर शैक्षिक फिल्में भेंट कीं । इन फिल्मों का निर्माण वियतनाम दूरदर्शन के प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मीडिया केंद्र — शैक्षिक संचार के लिए कन्सार्टियम (यू जी सी - सी ई सी) द्वारा किया गया था । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईयूसीज को रु० 2876.49 लाख की राशि प्रदान की और तीन राष्ट्रीय सुविधा केंद्रों को रु० 122.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई ।

9. भारतीय संस्कृति, विरासत तथा मूल्यों के परिरक्षण के लिए कार्यक्रम

- विभिन्न विश्वविद्यालयों में 14 गांधी अध्ययन केंद्र, 2 बौद्ध अध्ययन केंद्र, 4 अम्बेडकर अध्ययन केंद्र और 3 नेहरू अध्ययन केंद्र हैं । ये केंद्र शिक्षकों और छात्रों को इन सामाजिक चिंतकों के विचारों से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम संचालित करते हैं । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान स्वामी विवेकानंद, रबींद्रनाथ टैगोर, डॉ० ज़ाकिर हुसैन, पंडित मदनमोहन मालवीय तथा डॉ० एस० राधाकृष्णन् के नाम पर केंद्र स्थापित करने के लिए 9 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया ।

- मानव अधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा योजना के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के एक विश्वविद्यालय और डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों के लिए चार विश्वविद्यालय तथा संगोष्ठी और परिसंवाद आयोजित करने के 4 कालेजों का चयन किया । इस योजना के अधीन विश्वविद्यालयों और कालेजों को रु० 5.73 लाख की राशि प्रदान की गई । मानव अधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यचर्या विकसित करने के लिए पाठ्यचर्या विकास समिति का गठन किया गया ।

10. इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, प्रबंध तथा कंप्यूटर शिक्षा के लिए कार्यक्रम

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन 11 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों तथा 25 राज्य/केंद्रीय/समविश्वविद्यालयों को, जिनमें इंजीनियरी विभाग हैं, इंजीनियरी तथा तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए विकास सहायता उपलब्ध कराता है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन विश्वविद्यालयों को रु० 986.44 का अनुदान जारी किया गया ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के उदीयमान क्षेत्रों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । आयोग ने 7 विश्वविद्यालयों के लिए 11 पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया ।

- आयोग एम० ई०, एम० टेक० के छात्रों को अन्य क्षेत्रों में 800 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराता है ताकि वे उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

- आयोग सरकार द्वारा अनुमोदित व्यय हेतु विशिष्ट मदों के लिए 4 राज्य/समविश्वविद्यालयों को योजनेतर नुदान उपलब्ध कराता है । आयोग ने इन विश्वविद्यालयों को रु० 359.24 लाख की राशि जारी की गई ।

- आयोग विश्वविद्यालयों को एमबीए कार्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । आयोग 67 अनुमोदित विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । वर्ष के दौरान एम बीए कार्यक्रम चलाने के लिए इन विश्वविद्यालयों को रु० 198.70 लाख का अनुदान जारी किया गया ।
- आयोग ने 130 विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर केंद्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों को और कंप्यूटर विज्ञान में पूर्वस्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए तथा कंप्यूटर के प्रयोग के लिए कालेज शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु 135 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 84 विश्वविद्यालयों को, तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कंप्यूटर प्रश्न-पत्र शुरू करने के लिए 28 विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई । 31 मार्च, 2001 तक कंप्यूटर प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए 39 विश्वविद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराया गया । वर्ष 2000-2001 के दौरान आयोग ने कंप्यूटर शिक्षा के विकास के लिए कुल रु० 271.23 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया ।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने रु० 700.16 लाख का अनुदान जारी करके कंप्यूटर प्रणाली तथा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर सहित वैयक्तिक कंप्यूटर मुहैया करने के लिए 3569 कालेजों को सहायता उपलब्ध कराई ताकि छात्रों और शिक्षकों में विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटरों के प्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके ।

11. शिक्षा प्रसार (आउटरीच) गतिविधियां

- 9वीं योजना अवधि के दौरान प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा, विस्तार तथा क्षेत्र प्रसार (आउटरीच) के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम से 85 विश्वविद्यालय संबद्ध थे । ये विश्वविद्यालय साक्षरता, पश्च-साक्षरता, अनुवर्ती शिक्षा, विधिक साक्षरता, पर्यावरण शिक्षा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं जिनमें छात्र और शिक्षक शामिल होते हैं । इस प्रयोजन के लिए कुल रु० 212.68 लाख का अनुदान जारी किया गया ।
- उच्च शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या तथा विकास शिक्षा पर यू०जी०सी० - यू०एन०एफ०पी०ए० परियोजना का तीसरा चरण 1999 में शुरू हुआ था । इसमें राष्ट्रीय क्षमता निर्माण, किशोर शिक्षा तथा सुधरी प्रबंध प्रणाली पर जोर दिया गया था । इस परियोजना का कार्यान्वयन विश्वविद्यालयों के प्रौढ़ एवं अनुवर्ती शिक्षा विभाग में स्थापित किए गए 17 जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों (पी ई आर सी) के माध्यम से किया गया है । वर्ष 2000-2001 के दौरान पी ई आर सी के अधीन काम करने वाले स्टाफ के वेतन के लिए रु० 7.00 लाख और इस कार्यक्रम के अधीन परियोजना की विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करने के लिए रु० 39.26 लाख की राशि जारी की गई ।

12. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, विकलांगों तथा समाज के सुविधावंचित तथा भिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

- आयोग अ०जा०/अ०ज०जा० सेल स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है ताकि दाखिले, शिक्षण तथा शिक्षणेतर पदों आदि पर भर्ती में आरक्षण नीति का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके । 31.03.2001 को अ०जा०/अ०ज०जा० के सेल 107 थे जिनमें स्थापित किए गए 3 नए सेल शामिल थे । इन सेलों को रु० 42.56 लाख का अनुदान जारी किया गया ।
- अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए 'उपचारी अनुशिक्षण' की योजना के अधीन वर्ष 2000-2001 के अधीन वित्तीय सहायता के लिए 48 नई संस्थाओं को चुना गया और उनको रु० 3.57 करोड़ का अनुदान जारी किया गया ।
- विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षण पदों में अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आयोग ने पात्र अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों के लिए एक केंद्रीय पूल डाटाबेस

बनाया । अब तक 1475 आवेदनों को सूचीबद्ध किया गया है और सूचना देने के लिए तीन कालेजों के निवेदनों को स्वीकार किया गया ।

- आयोग केंद्रीय तथा समविश्वविद्यालयों में अ० जा०/अ० ज० जा० से संबंधित आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रतिवर्ष परिवीक्षण समिति की बैठकों का आयोजन करता रहा है । उक्त समिति की पिछली बैठक 6 सितंबर, 2000 को हुई थी और 19 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने उक्त बैठक में भाग लिया ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1984 में "अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएँ" की योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को तैयार करना था ताकि वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकें, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर सकें, आत्म-निर्भर बन सकें आदि । 31.03.2001 को 17 विश्वविद्यालयों और 41 कालेजों में 6 महिला अनुशिक्षण केंद्रों सहित 58 अनुशिक्षण केंद्र काम कर रहे थे ।

- स्थायी समिति की उप-समिति ने 40 अनुशिक्षण केंद्रों के कार्य की समीक्षा की और 12 केंद्रों को जारी रखने और 28 केंद्रों को बंद करने की सिफारिश की । वर्ष 2000-2001 के दौरान इन अनुशिक्षण केंद्रों को रु० 107.85 लाख की राशि जारी की गई ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2000-2001 के दौरान टीईपीएसई तथा एचईपीएसएन नामक विशेष योजनाएँ शुरू की जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा तंत्र में अपंग व्यक्तियों की उपेक्षा नहीं करना था और विशेष शिक्षकों तथा उपबोधकों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना तथा भिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराना था । वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने टीईपीएसई के अधीन 5 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से और एचईपीएसएन के अधीन 8 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रस्तावों का अनुमोदन किया और मार्च, 2000 में रु० 47.69 लाख की राशि प्रदान की । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन विश्वविद्यालयों को आगे और कोई अनुदान जारी नहीं किया गया ।

- वर्ष 2000-2001 के दौरान चाक्षुष रूप से विकलांग (अंध) शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता की योजना के अधीन 59 अंध शिक्षकों (4 शिक्षक विश्वविद्यालयों में और 55 शिक्षक कालेजों में) के हित-लाभ के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को रु० 3.54 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई ।

- कश्मीरी प्रवासी शिक्षकों के हितलाभ के लिए 4 विश्वविद्यालयों और 1 कालेज को भी रु० 9.78 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

13. महिलाओं के लिए कार्यक्रम

- इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन को कम करने के लिए आयोग ने पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों सहित प्रौद्योगिकी विभाग स्थापित करने के लिए एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और उसे अब तक रु० 3.00 करोड़ जारी किए गए । वर्ष 2000-2001 के दौरान इस विश्वविद्यालय को कोई अनुदान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

- आयोग ने 'महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण' — विशेष योजना के अधीन विश्वविद्यालयों को रु० 42.42 लाख (वि० अ० आ० मुख्यालय द्वारा) तथा कालेजों को रु० 542.02 लाख (क्षे० का० द्वारा) की सहायता उपलब्ध कराई गई ।

- 'विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययनों का संवर्धन' से संबंधित वि०अ०आ० के कार्यक्रम में महिला अध्ययनों के लिए केंद्र और सेल स्थापित करने के वास्ते विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है । फिलहाल, विश्वविद्यालयों में एक नए केंद्र समेत 34 महिला अध्ययन केंद्र और 4 कालेज और 2 विश्वविद्यालयों में छह महिला अध्ययन सेल हैं । इन केंद्रों को कुल रु० 68.84 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

14. शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूल के संवर्धन के लिए कार्यक्रम

- विश्वविद्यालयों में साहसिक खेल-कूद कार्यक्रम के अधीन वि० अ० आ० द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने 5 विश्वविद्यालयों का पता लगाया और उन्हें कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम आबंटित किए । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन विश्वविद्यालयों को रु० 14.20 लाख का अनुदान जारी किया गया ।
- विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा तथा अभ्यास कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योग केंद्र स्थापित करने के लिए 39 विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया और इन विश्वविद्यालयों को रु० 87.15 लाख का अनुदान जारी किया गया । विशेषज्ञ समिति ने मानव चेतना तथा योग विज्ञान के स्वतंत्र विभाग स्थापित करने के लिए 10 विश्वविद्यालयों का पता लगाया और आयोग ने 2000-2001 के दौरान इन विश्वविद्यालयों (प्रत्येक) को रु० 10.00 लाख की राशि जारी की ।

15. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- 45 देशों के साथ विश्वविद्यालय सेक्टर से संबंधित द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम चल रहे थे । वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न देशों के 47 विदेशी स्कॉलरों की मेजबानी की और 48 भारतीय स्कॉलर बाहर भेजे ।
- 31.03.2001 को भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 38 विदेशी भाषा शिक्षक काम कर रहे थे ।
- जर्मन अकादमिक विनिमय सेवाओं (डीएएडी) के अधीन 10 अध्येतावृत्तियों के लिए उच्च अनुसंधान हेतु 18 स्कॉलरों को नामित किया गया ।
- फ्रेंच भाषा सीखने, साहित्य, संस्कृति एवं सभ्यता के क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए फ्रांस की सरकार ने दो स्कॉलरों को फ्रांस की सरकार की छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं ।
- आयोग ने फ्रांस का दौरा करने के लिए 9 स्कॉलरों को नामित किया और भारत-फ्रांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन फ्रांस के एक स्कॉलर ने भारत का दौरा किया ।
- भारत और यू० के० में उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच संपर्क विकास के लिए उच्च शिक्षा संपर्क कार्यक्रम के अधीन दो भारतीय स्कॉलरों ने यू० के० का दौरा किया ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, जो सार्क पीठों/अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों की कार्यान्वयन एजेंसी है, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सार्क देशों के लिए कोई नामांकन नहीं किया ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यू०के० के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अनुसंधान कार्य करने के लिए 'राष्ट्रमंडल अकादमिक स्टाफ अध्येतावृत्तियाँ' के अधीन अध्येतावृत्तियों के लिए 80 शिक्षकों की सिफारिशें की । राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ ने अध्येतावृत्तियों के लिए 80 शिक्षकों में से 30 शिक्षकों का चयन अंतिम रूप से किया ।

16. उच्च शिक्षा के प्रबंध के लिए कार्यक्रम

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के विकास हेतु संसाधन जुटाने के लिए उनकी सहायता करने के वास्ते 1995 में 'विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन जुटाना' की योजना शुरू की थी । विश्वविद्यालयों द्वारा सृजित संसाधनों का 25 प्रतिशत वि० अ० आ० के शेयर के रूप में दिया जाता है । इसकी अधिकतम सीमा एक वित्तीय वर्ष में रु० 25 लाख होती है । 11 राज्य विश्वविद्यालयों और 8 समविश्वविद्यालयों को रु० 326.89 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई ।

1 प्रस्तावना

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका तथा संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू॰ जी॰ सी॰) की स्थापना 1953 में हुई थी और 1956 में संसद् के एक अधिनियम द्वारा यह एक सांविधिक संगठन बन गया । यह विश्वविद्यालयी शिक्षा के स्तरों के समन्वय, निर्धारणं एवं अनुरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय निकाय है । वि॰ अ॰ आ॰ केंद्रीय और राज्य सरकारों एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच एक समन्वयकारी निकाय का काम करता है । यह उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर इन सरकारों और संस्थाओं के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में भी काम करता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 में यह व्यवस्था की गई है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन और समन्वय के लिए तथा शिक्षण, परीक्षा एवं अनुसंधान के स्तरों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले सभी कदम उठाएगा । आयोग द्वारा लिए गए नीति निर्णय के अनुसार शिक्षण और अनुसंधान में शिक्षा के तीसरे आयाम के रूप में विस्तार को सम्मिलित किया गया । अपने कार्य निष्पादन के प्रयोजन से वि॰ अ॰ आ॰ –

- आयोग की निधि से अनुरक्षण एवं विकास के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान आबंटित और संवितरित करता है ।
- विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा संस्थाओं को सलाह देता है ।
- वि॰ अ॰ आ॰ अधिनियम के संगत नियम और विनियम बनाता है, आदि ।

संगठनात्मक ढाँचा

आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है । अध्यक्ष का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं हैं । अन्य दस सदस्यों में दो का चयन सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से किया जाता हैं । कम से कम चार सदस्यों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो चयन के समय विश्वविद्यालय के शिक्षक होते हैं । शेष व्यक्तियों का चयन निम्नलिखित उन व्यक्तियों में से किया जाता है जिन्हें (1) कृषि, वाणिज्य, वानिकी या उद्योग का ज्ञान अथवा अनुभव प्राप्त है; (2) जो इंजीनियरी, विधिक, चिकित्सा अथवा किसी अन्य विद्वत् व्यवसाय के सदस्य हैं; (3) जो विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं या जो विश्वविद्यालयों के शिक्षक न होते हुए भी केंद्रीय सरकार की राय में विख्यात शिक्षाविद् माने जाते हैं या जो उच्च अकादमिक विशेष योग्यताप्राप्त हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अधिशासी प्रमुख सचिव होता है । वह आयोग के सचिवालय का प्रधान होता है जिसके कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ग	संस्वीकृत पदों की संख्या	कार्यकारी संख्या			
		जोड़	महिलाएँ %	अ० जा० %	अ०ज०जा० %
वर्ग 'क'	130	89	11 (12.4)	17 (19.1)	6 (6.7)
वर्ग 'ख'	124	113	25 (22.1)	14 (12.4)	3 (2.7)
वर्ग 'ग'	486	367	149 (40.6)	83 (22.6)	17 (4.6)
वर्ग 'घ'	120	79	10 (12.7)	37 (46.8)	7 (8.9)
कैंटीन	19	16	2 (12.5)	2 (12.5)	0 (0.0)
जोड़	**879**	**664**	**197 (29.7)**	**153 (23.0)**	**33 (5.0)**

आयोग के कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या 879 हैं जिसमें से 75.5 प्रतिशत अर्थात् 664 कर्मचारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में काम कर रहे हैं । 664 कार्यकारी संख्या में से, 197 (29.7 प्रतिशत) महिलाएँ हैं, 153 (23 प्रतिशत) अनुसूचित जाति तथा 33, (5.0 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं ।

1.2 क्षेत्रीय कार्यालय

आयोग ने हैदराबाद, पुणे, भोपाल, गाजियाबाद, कलकत्ता, गोवाहाटी और बंगलौर में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं ।

1.3 विशेष सेलों का कार्यकरण

(क) अनाचार सेल

देश में जाली विश्वविद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या और खतरे से निपटने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 30 मई, 1998 को एक 'अनाचार सेल' (पहले - जाली विश्वविद्यालय) की स्थापना की थी जिसके निम्नलिखित कार्य हैं :-

- प्रिंट मीडिया तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से सूचना एकत्र करना और जाली विश्वविद्यालयों के सभी मामलों/घटनाओं की जानकारी सरकार को देना ।
- भारत सरकार/राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करना तथा ऐसे उपाय करना जो जाली विश्वविद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए आवश्यक हों ।
- विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा निधियों के दुरुपयोग तथा विश्वविद्यालयों/कालेजों को दी गई वित्तीय सहायता में वि०अ०आ० द्वारा की गई अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों पर विचार करना ।

इसके अतिरिक्त आयोग प्रत्येक शैक्षिक सत्र के शुरू में राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करता रहा है जिसमें प्रत्याशी छात्रों, अभिभावकों तथा सर्वसाधारण को यह सलाह दी जाती हैं कि वे ऐसे स्वयंभू यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम ग्रहण न करें जो देश के विभिन्न भागों में अप्राधिकृत रूप से काम कर रहे हैं ।

31.03.2001 को 18 जाली विश्वविद्यालयों की सूची नीचे दी गई है :-

31.03.2001 को जाली विश्वविद्यालयों की सूची

1. मैथली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार
2. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहाबाद, (उ० प्र०)
3. वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ० प्र०) जगतपुरी, दिल्ली
4. कामर्शिलय यूनिवर्सिटी लिमि०, दरियागंज, नई दिल्ली
5. इंडियन एजूकेशन काउंसिल ऑफ यू० पी०, लखनऊ (उ० प्र०)
6. गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद (उ० प्र०)
7. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो काम्प्लैक्स होमियोपेथी, कानपुर
8. नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल, अलीगढ़ (उ० प्र०)
9. डी० डी० बी० संस्कृत विश्वविद्यालय पुतूर, त्रिची, तमिलनाडु
10. सेंट जोन्स यूनिवर्सिटी, किशनाट्टम, केरल
11. यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, दिल्ली
12. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली
13. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरा (उ० प्र०)
14. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उ० प्र०)
15. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर
16. केसरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (म० प्र०)
17. दिल्ली विश्व विद्यापीठ, 233, टेगौर पार्क, मॉडल टाउन, दिल्ली - 110 009
18. बडागंवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजूकेशन सोसाइटी, गोकाक, बेलगांव (कर्नाटक)

(ख) विधिक सेल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1989 में एक विधिक डेस्क की स्थापना की थी जिसका एकमात्र कार्य उन मुकदमों में हाज़िर होना और उनका परिवीक्षण करना था जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक पक्षकार है । जब भी मुकदमे का नोटिस प्राप्त होता है, विषय से संबंधित ब्यूरो/प्रभाग की टिप्पणी/निर्देश प्राप्त किए जाते हैं । यदि मुकदमा लड़ने का निर्णय लिया जाता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वकील किए जाते है । आमतौर पर केंद्रीय सरकार के स्थायी वकील किए जाते हैं और जब नितांत आवश्यक होता है तो प्राइवेट वकील भी कर लिए जाते हैं । गत वर्षों के दौरान मुकदमों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । ये मामले मुख्यतः शिक्षकों की नियुक्ति, उसकी सेवा-शर्तों, वेतन-मानों तथा वि० अ० आ० की योजनाओं के कार्यान्वयन तथा विश्वविद्यालय कालेज शिक्षकों की अधिवर्षिता आयु बढ़ाने से संबंधित होते हैं । वि० अ० आ० के कर्मचारियों ने सेवा संबंधी मामलों की निपटाने के लिए भी कुछ विभागीय मामले दायर किए हैं । विभिन्न पक्षकारों ने देश के भिन्न-भिन्न न्यायालयों में 1989 से 2001 तक (मार्च, 2001 तक) लगभग 1920 मामले दायर किए हैं । वर्ष के दौरान माननीय न्यायालय ने अनुसंधान एसोशियटों/अनुसंधान वैज्ञानिकों के विनियमन संबंधी मामलों में वि०अ०आ० के पक्ष में फैसला दिया है ।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल (अ०जा०/अ०ज०जा० सेल)

अनूसचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुक्रियास्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जनवरी, 1979 में एक अ०जा०/अ०ज०जा० सेल स्थापित किया जिसका उद्देश्य निम्नलिखित से संबंधित विभिन्न आरक्षण आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन का परिवीक्षण करना था :- विश्वविद्यालयों और कालेजों में दाखिला, नौकरी, अध्येतावृत्तियाँ, होस्टल सुविधाएँ आदि, अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों की उच्च शिक्षा में पहुँच से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम और अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों से उनके दाखिले, भर्ती, पदोन्नति तथा अन्य ऐसे ही मामलों में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करना ।

(घ) सतर्कता सेल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की रोकथाम प्रभावी ढंग से करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता सेल स्थापित किया है । सतर्कता सेल में एक सतर्कता अधिकारी के रूप में एक अपर सचिव काम करता है जिसकी नियुक्ति वि०अ०आ० के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की जाती है और वह वि० अ० आ० के मुख्य सतर्कता अधिकारी का काम देख रहा है । मुख्य सतर्कता अधिकारी की मुख्य जिम्मेदारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भ्रष्टाचार की रोकथाम करना तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाना है । इसके अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी निम्नलिखित कार्य भी सुनिश्चित करता है :-

- संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी रखना ।
- निम्नलिखित से संबंधित निष्ठा विषयक आचरण नियमों का तुरंत पालन (i) परिसंपत्तियों और अर्जनों का विवरण (ii) उपहार, (iii) प्राइवेट फर्मों में नौकरी कर रहे या प्राइवेट व्यवसाय कर रहे संबंधी लोग, (iv) बेनामी संव्यवहार ।
- संवेदनशील स्थानों का पता लगाना, ऐसे स्थानों का नियमित एवं सहसा निरीक्षण और संवेदनशील पदों पर नियुक्त किए गए कार्मिकों की उचित छानबीन ।
- विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान आबंटन तथा संवितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता लाने के लिए रोकथाम के उपाय शुरू करना ।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार वि०अ०आ० ने आलोच्य अवधि के दौरान 31.10.2000 से 4.11.2000 तक सतर्कता जानकारी सप्ताह मनाया जिसमें बैनर और इश्तहार प्रदर्शित किए गए और पत्र-पत्रिकाएँ आदि वितरित की गईं ।

(ङ) वेतन-मान सेल

- **लेक्चरारों, रीडरों तथा प्रोफेसरों की नियुक्ति और वृत्तिक (कैरियर) उन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ**

वेतन-मान सेल की स्थापना 1984 में की गई थी । इस अनुभाग को समय-समय पर समीक्षा समितियाँ गठित करने और उनके कार्य का समन्वय करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है । यह अनुभाग विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों तथा वर्ग 'क' के अन्य शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन-मानों तथा सेवा-शर्तों से संबंधित महत्वपूर्ण परिपत्र और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करता है । यह अनुभाग शिक्षकों की समस्याओं और संदेहों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए महत्वपूर्ण शिक्षक संघों के साथ भी अन्योन्यक्रिया करता है । यह अनुभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त महत्वपूर्ण निर्णयों को भी परिचालित करता है ताकि शिक्षक लोग उन निर्णयों से अवगत हो सकें जो उनके व्यवसाय से सीधे संबंधित हैं । 4 अप्रैल, 2000 को वेतन-मान सेल ने 'वि० अ० आ० विनियम 2000' जारी किए जिनमें विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएँ और सभी शिक्षक पदों के लिए केरियर उन्नति योजना तथा चयन

समितियों के गठन के मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं । इन विनियमों का पालन किया जाना सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य है । विश्वविद्यालयों के लिए अपनी संविधियों एवं अध्यादेशों में इन विनियमों के उपबंधों को शामिल करना अपेक्षित है । इन विनियमों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं :-

- नेट परीक्षा लेक्चरार के रूप में नियुक्ति के लिए उन उम्मीदवारों के लिए भी अनिवार्य अपेक्षा बनी रहेगी जिनके पास पीएच०डी० की डिग्री है । बहरहाल, जिन उम्मीदवारों ने 31.12.1993 तक संबंधित विषय में एम०फिल० की डिग्री पूरी कर ली है या पीएच०डी० का शोधप्रबंध प्रस्तुत कर दिया था, उनको नेट परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट दी जाती है ।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मास्टर स्तर पर अंकों में 55 के स्थान पर 50 प्रतिशत अर्थात 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है ।

- उन पीएच०डी० डिग्रिधारियों को भी, जिन्होंने 19 सितंबर, 1991 से पहले मास्टर डिग्री उत्तीर्ण कर ली है, मास्टर स्तर पर 55 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत अंक अर्थात् 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है ।

- प्रिंसिपलों, प्रोफेसरों, रीडरों, रजिस्ट्रारों, उप-रजिस्ट्रारों, पुस्तकालयाध्यक्षों , उप-पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों अर्थात् उन वर्तमान पदाधिकारियों के लिए जो पहले से ही विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे है, 55 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अपेक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा । बहरहाल, विश्वविद्यालयों में बाहर से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों तथा लेक्चरारों, सहायक रजिस्ट्रारों, सहायक पुस्तकालयध्यक्षों, सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशकों की भर्ती के समय इन अंकों पर जोर दिया जाए ।

- उन उम्मीदवारों को भी जिन्होंने वि०अ०आ०/सी एस आई आर द्वारा 1989 से पहले संचालित जे आर एफ परीक्षा उस समय उत्तीर्ण कर ली थी जब जे आर एफ परीक्षा में बैठने के लिए अपेक्षित अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता 50 प्रतिशत थी, लेक्चरार के रूप में नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत की न्यूनतम छूट दी जा सकती है ।

• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रेक्षकों की नियुक्ति

प्रोफेसरों के पद के लिए रीडरों के वास्ते वृत्तिक (कैरियर) उन्नति योजना लागू किए जाने के साथ-साथ वि०अ०आ० ने प्रेक्षकों की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के प्रक्रिया संबंधी नियमों और विनियमों का पालन सख्ती से किया जाता है और उक्त योजना के अधीन किए गए चयनों की गुणवत्ता एवं खूबियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है ।

31.3.2001 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 37 विश्वविद्यालयों में 32 वि०अ०आ० प्रेक्षकों की नियुक्ति की । वि०अ०आ० को भेजे गए 805 मामलों में से 752 को अनुमोदित किया गया और 53 को अस्वीकार किया गया ।

• व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षक अध्येतावृत्ति की एक योजना तैयार की है । इस योजना के अधीन आयोग शिक्षकों को एम०फिल० या पीएच०डी० करने के लिए सहायता उपलब्ध कराता है । अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान शिक्षक अध्येता अपनी मूलसंस्था/ कालेज से पूरा वेतन आहरित करता रहेगा । इसके अतिरिक्त शिक्षक अध्येता निर्वाह खर्च भत्ता (एल ई ए), आकस्मिक तथा यात्रा भत्ता (या०भा०) जहाँ लागू होता है, प्राप्त करने का पात्र है । वर्तमान स्थिति के अनुसार एम०फिल करने या पीएच०डी० पूरी करने के लिए अध्येतावृत्ति का कार्यकाल योजना अवधि के अंतर्गत होना चाहिए और उसे किसी भी स्थिति में योजना अवधि अर्थात् 31.3.2002 के बाद नहीं बढ़ाया जाना चाहिए ।

(च) राजभाषा सेल

1963 में केंद्रीय सरकार ने राजभाषा अधिनियम के माध्यम से हिंदी भाषा को भारत के संघ की सरकारी/कामकाज की भाषा के रूप में घोषित किया था और केंद्रीय सरकार के सभी विभागों को यह निर्देश दिया था कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी के संवर्धन के लिए 'राजभाषा सेल' स्थापित करें ।

राजभाषा अधिनियम का पालन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक राजभाषा सेल स्थापित किया था जो 1992 में एक पूर्ण विकसित राजभाषा अनुभाग बन गया । सेल के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :-

- विश्वविद्यालयों/कालेजों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच एक समन्वयक के रूप में काम करना ।
- राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा नीति के प्रगामी अनुपालन में तेजी लाना ।
- हिंदी में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यक्रमों के लिए अवसर प्राप्त करने के लिए वि० अ० आ० के अधिकारियों को नामित करना या उन्हें सुविधाएँ उपलब्ध कराना ।
- सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ आयोजित करना ।
- वि० अ० आ० के अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिताएँ, वाद-विवाद, श्रुतलेख आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित करना ।
- हिंदी पखवाड़ा (प्रत्येक वर्ष 1 से 14 सितंबर) के दौरान हिंदी दिवस मनाना ।
- विश्वविद्यालयों में हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करना यथा - प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, हिंदी अनुवाद, पत्रकारिता, आदि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(छ) सेवानिवृत्ति हितलाभ सेल

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "सेवानिवृत्ति हित-लाभ सेल" की स्थापना की । अब तक कोई भी शिकायत का मामला इस सेल को सूचित नहीं किया गया है ।

(ज) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न सेल

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक महिला संयुक्त सचिव के नेतृत्व में "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न सेल" नामक एक सेल की भी स्थापना की है ।

1.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कंप्यूटरीकरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अर्थात् http://www.ugc.ac.in में वि०अ०आ० की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के मार्गदर्शी सिद्धांत, नेट परीक्षा के परिणाम तथा महत्वपूर्ण विनियम अंतर्विष्ट हैं । नई दिल्ली के सभी तीनों कार्यालयों में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एल ए एन) की स्थापना की जा रही है । वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने व्यक्तिगत कंप्यूटर प्रणाली खरीदने के लिए रु० 22.41 लाख की राशि खर्च की ।

1.5 प्रकाशन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकाशन ब्यूरो ने आलोच्य वर्ष के दौरान 44 प्रकाशन निकाले जिनमें वर्ष 1999-2000 के लिए वि० अ० आ० की वार्षिक रिपोर्ट, सांख्यिकीय प्रकाशन यथा प्रोफेसरों की डाइरेक्टरी, भारत में विश्वविद्यालय विकास, 9वीं योजना के विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांतों के रिप्रिंट तथा विभिन्न विनियमावलियां, अधिसूचनाएँ आदि शामिल हैं ।

1.6 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए नया भवन तथा परिसर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपना परिसर 'यूजीसी-2001 काम्प्लैक्स' विकसित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैम्पस, नई दिल्ली के दक्षिण-पश्चिमी कोने का 25 एकड़ का भूखंड आबंटित किया गया था । परिसर दीवार के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है । फिलहाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वास्तुकला परिषद् के परामर्श से प्रस्तावित परिसर का डिजाइन तैयार करने तथा विकास करने के लिए एक वास्तुविद् का चयन करने हेतु 'राष्ट्रीय वास्तुकलात्मक डिज़ाइन प्रतियोगिता' आयोजित करने की सोच रहा है ।

1.7 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

आयोग का मुख्य कार्य यह है कि वह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करता है जिसमें अनुमानित प्राप्तियाँ तथा व्यय दर्शाया जाता है और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करता है । आयोग के पास 'आयोग की निधि' नामक अपनी एक निधि है । केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग को प्रदान की जानेवाली समस्त राशि तथा आयोग की समस्त प्राप्तियाँ इस निधि में अंतरित की जाएंगी और आयोग द्वारा की जानेवाली सभी अदायगियाँ इसी निधि से की जाएँगी ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी निधि से विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं को आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अनुरक्षण (योजनेतर) तथा विकास (योजनागत) अनुदानों के रूप में निधियाँ आबंटित एवं संवितरित कर सकता है ताकि उच्च शिक्षा के स्तरों को बनाए रखा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके ।

वर्ष 2000-2001 के लिए बजट का विवरण सारणी 1.1 में दिया गया है ।

सारणी 1.1

वर्ष 2000-2001 के लिए बजट

(रु० करोड़ में)

क्र०सं०	बजट शीर्ष	योजनागत आबंटन	योजनेतर आबंटन (ब० प्रा०)	योजनेतर आबंटन (सं० प्रा०)
1.	सामान्य	407.00	1000.00	1000.00
2.	एस ए सी सी	28.00	-	-
3.	इंजी० तथा प्रौद्यो०	28.00	-	-
4.	पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं के सुधार के लिए विशेष अनुदान	0.20	-	-
	जोड़	**463.20**	**1000.00**	**1000.00**

वर्ष 2000-2001 के दौरान केंद्रीय सरकार से प्राप्त योजनागत तथा योजनेतर अनुदानों और विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा आगे सारणी 1.2, 1.3 और 1.4 में दिया गया है ।

सारणी 1.2

2000-2001 के दौरान प्राप्त किया गया अनुदान

(रु० करोड़ में)

क्र०सं०	बजट शीर्ष	योजनागत आबंटन	योजनेतर आबंटन
1.	सामान्य	407.20	1000.00
2.	एस ए सी सी	28.00	-
3.	इंजी० तथा प्रौद्यो०	28.00	-
4.	खेल-कूद	0.57	-
	जोड़	**463.77**	**1000.00**

सारणी 1.3

वर्ष 2000-2001 के दौरान जारी किए गए योजनागत अनुदान

(रु० करोड़ में)

क्र०सं०	संस्थाओं के प्रकार	योजनागत अनुदान	कुल योजनागत अनुदान का प्रतिशत
1.	राज्य विश्वविद्यालय*	164.06	36.64
2.	राज्य विश्वविद्यालयों के कालेज	148.07	33.07
3.	केंद्रीय विश्वविद्यालय	83.00	18.54
4.	अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र	24.94	5.56
5.	समविश्वविद्यालय संस्थाएँ	17.85	3.92
6.	विविध	3.78	0.84
7.	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कालेज	6.43	1.43
	जोड़ (योजनागत)	**447.86**	**100.00**

* इसमें अन्य योजनाओं यथा - खेल-कूद और इंजी०/प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदान किए गए अनुदान शामिल नहीं हैं ।

सारणी 1.4

2000-2001 के दौरान जारी किया गया योजनेतर अनुदान

(रु० करोड़ में)

क्र०सं०	संस्थाओं का प्रकार	योजनेतर अनुदान	कुल योजनेतर अनुदान का प्रतिशत
1.	निम्नलिखित को अनुरक्षण:		
	क) केंद्रीय विश्वविद्यालय	621.69	61.93
	ख) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा बी एच यू के कालेज	243.21	24.22
	समविश्वविद्यालय संस्थाएँ	59.41	5.91
2.	शिक्षक अवार्ड, अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ आदि	31.29	3.12
3.	अंतर्विश्वविद्यालय संस्थाएँ	0.75	0.08
4.	राज्य विश्वविद्यालय	5.83	0.58
5.	राज्य विश्वविद्यालयों के लिए विशिष्ट अनुदान	22.74	2.26
6.	विश्वविद्यालयेतर संस्थाएँ	1.84	0.18
7.	वि०अ०आ० का स्थापना व्यय	17.20	1.72
	जोड़ (योजनेतर)	**1003.96**	**100.00**

गत दो दशकों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा वि० अ० आ० को उपलब्ध कराए गए योजनागत तथा योजनेतर संसाधनों का विवरण सारणी 1.5 में दिया गया है :

सारणी 1.5

पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान वि० अ० आ० को उपलब्ध कराए गए संसाधन

(रु० करोड़ में)

	छठी योजना	सातवीं योजना	आठवीं योजना	9वीं योजना (31.03.2001 तक)
योजनागत	233	575	1030.96	1677.74*
योजनेतर	388	845	1906.45	3518.97*
जोड़	**621**	**1420**	**2937.41**	**5196.71***

* वर्ष 1997-98 से 2000-2001 तक ।

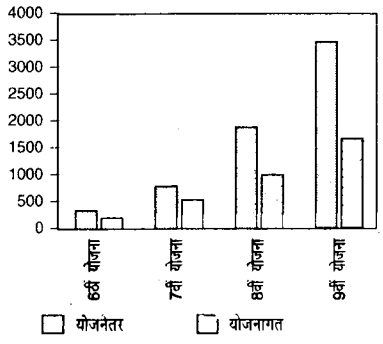

1.8 वर्ष के उल्लेखनीय कार्य

• उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों की पहचान

आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने पाँच विश्वविद्यालयों यथा - मद्रास विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय तथा जादवपुर विश्वविद्यालय का पता लगाया है और उन्हें उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान किया । वर्ष 2000-2001 के दौरान कुल 25 अभिज्ञात विश्वविद्यालयों (प्रत्येक) को उनके निष्पादन के आधार पर रु० 5.00 करोड़ बीज राशि के रूप में जारी किए गए ।

• राष्ट्रीय व्याख्यानवृत्ति तथा सहायक प्रोफेसरशिप का सृजन

भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान शिक्षा तथा विज्ञान अनुसंधान के नवीकरण के लिए यू जी सी - आई एन एस ए उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग ने निम्नलिखित का अनुमोदन किया :-

- राष्ट्रीय व्याख्यानवृत्ति

आयोग ने विज्ञान विषयों में राष्ट्रीय व्याख्यानवृत्ति सृजित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया और यह निर्णय भी लिया कि वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रोत्साहन के रूप में यह व्याख्यानवृत्ति उन मेधावी छात्रों को प्रदान की जाए जो, विज्ञान विषयों में एम० एस० सी० में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे और जो अपने पाठ्यक्रमों के रूप में विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वचनबद्ध एवं समर्पित हैं । चुने गए उम्मीदवारों को राष्ट्रीय लेक्चरार के रूप में नियुक्त किया जाएगा । बहरहाल, उनसे प्रतीक्षा अवधि के दौरान 'नेट' परीक्षा उत्तीर्ण करने की आशा की जाएगी ।

- सहायक प्रोफेसरशिप

आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसंधान सहित विज्ञान पाठ्यक्रमों के संगत उद्योग/अनुसंधान प्रतिष्ठानों तथा अन्य संस्थाओं में किसी भी उपयुक्त व्यक्ति के लिए सहायक प्रोफेसरशिप सृजित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते का निर्णय लिया है ताकि विश्वविद्यालयों, उद्योगों/अनुसंधान तथा अन्य विख्यात केंद्रों के बीच विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्रों में अन्योन्यक्रिया को अधिक बढ़ावा एवं प्रोत्साहन दिया जा सके । आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि प्रोफेसरशिप प्रदान करने हेतु विचारित किसी भी व्यक्ति के लिए पात्रता के रूप में कोई औपचारिक अर्हता या अनुभव मानदंड निर्धारित नहीं किया जाएगा ।

• ज्योतिर्विज्ञान विभाग की स्थापना करना

भारत में वैदिक फलित ज्योतिष विज्ञान के नवीकरण और इस वैज्ञानिक ज्ञान को संपूर्ण सर्वसाधारण तक पहुँचाने तथा इस महत्वपूर्ण विज्ञान को विश्व को प्रदान करने की परम आवश्यकता पर विचार करते हुए आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में ज्योतिर्विज्ञान के कुछ विभाग स्थापित करने के लिए सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान

करने का निर्णय लिया । वर्ष 2000-2001 के दौरान पूर्वस्नातक, स्नातकोत्तर तथा पीएच०डी० डिग्रियों के विषयों में एकमात्र शिक्षण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए उपर्युक्त योजना के अंतर्गत 19 विश्वविद्यालयों को निधियाँ उपलब्ध कराई गई हैं ।

- **अखिल भारतीय वार्षिक कुलपति सम्मेलन**

अखिल भारतीय वार्षिक कुलपति सम्मेलन का आयोजन गोवाहाटी, असम में दिसंबर, 5-6, 2000 को किया गया । 5 दिसंबर, 2000 को सायं कुलपतियों के साथ वि०अ०आ० का विशेष सत्र आयोजित किया गया । आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित लगभग एक सौ कुलपतियों तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष ने सम्मेलन में भाग लिया । उक्त सम्मेलन की कार्यसूची तथा संकल्प इस प्रकार थे :-

- शिक्षकों का पुनर्नियोजन

यह संकल्प लिया गया कि शिक्षकों का पुनर्नियोजन तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए ।

- विश्वविद्यालय विभाग की आवर्ती अध्यक्षता

यह संकल्प लिया गया कि इस मुद्दे को संबंधित विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया जाना चाहिए ।

- प्रति वर्ष शिक्षण-दिवस (180)

यह संकल्प लिया गया कि इसे बारे में चूक करने वाले विश्वविद्यालय के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए और चूक के अनुपात में वित्तीय कटौती की जानी चाहिए ।

- छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन

यह संकल्प लिया गया कि छात्रों द्वारा किए गए मूल्यांकन को शिक्षक के समूचे निर्धारण मूल्यांकन का अंग बनाया जाना चाहिए ।

- डिग्रियों के नाम तथा स्वरूप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया गया ।

- भारत में विदेशी विश्वविद्यालय

यह संकल्प लिया गया कि विदेशी विश्वविद्यालयों के माध्यम से लाई गई गुणवत्ता को नियंत्रित, अनुसरण एवं परिवेक्षण करने के लिए तत्काल उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए । यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस संबंध में विनियम बना सकता है ।

- वि०अ०आ० प्रेक्षण योजना

इस योजना का समर्थन करने का संकल्प लिया गया ।

- **कालेजों और विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के उन्नयन के लिए एकबारगी अनुदान**

वर्ष 2000-2001 के दौरान 333 कालेजों (प्रत्येक) को जिन्होंने 31.12.2000 को 50 या अधिक परंतु 75 से कम वर्ष पूरे कर लिए थे, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के उन्नयन के लिए रु०7.00 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई और 1966 तथा 1970 के बीच स्थापित किए गए 12 विश्वविद्यालयों (प्रत्येक) को उनकी प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के उन्नयन के लिए रु०25.00 लाख की सहायता प्रदान की गई ।

• मानव चेतना तथा योगिक विज्ञान विभाग की स्थापना

आयोग ने कुछ योग्य विश्वविद्यालयों में एक पूर्ण विकसित मानव चेतना तथा योगिक विज्ञान विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है । ये विभाग केवल स्नातकरोत्तर और पूर्वस्नातक डिग्रियाँ प्रदान करने के लिए ही जिम्मेदार नहीं होंगे बल्कि उस विषय में सार्थक अनुसंधान भी कराएँगे जिसमें एम०फिल०/पीएच०डी० की डिग्री भी प्रदान की जा सकती है । इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विश्वविद्यालयों का चयन किया गया :

- आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर
- भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली
- डॉ० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर
- गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
- जे०एन०यू०, नई दिल्ली
- कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़
- महात्मागांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
- मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर
- मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
- इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

• भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रकारताएँ

आयोग ने विश्वविद्यालय विभाग के सभी विषय पाठ्यक्रमों में चाहे वे तकनीकी/व्यावसायिक हों या अन्यथा, 15 प्रतिशत अधिसंख्य सीटें सृजित करने का निर्णय लिया बशर्ते कि संबंधित विभागों में पर्याप्त आधार-संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं । इसके अतिरिक्त, यह निर्णय भी लिया गया कि ये सीटें पूर्वस्नातक तथा स्नातकरोत्तर पाठ्यक्रमों में इस संशोधन सहित केवल विदेशी छात्रों के लिए ही होंगी कि किसी भी परिस्थिति में खाली सीट को विदेशी छात्र को छोड़कर किसी अन्य छात्र को आबंटित नहीं किया जाएगा । इस संदर्भ में विदेशी छात्र उसको कहा जाएगा जिसके पास विदेशी पारपत्र होगा । बहरहाल, भारतीय मूल के उन व्यक्तियों को तरज़ीह दी जाएगी जिनके पास विदेशी पारपत्र होगा ।

• वार्षिक योजनागत बजट 2000-2001

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट वि०अ०आ० के लिए 9वीं योजना का परिव्यय सामान्य योजना के अंतर्गत रु०2000 करोड़ है । वर्ष 2000-2001 के दौरान आबंटित एवं प्राप्त किया गया बजट इस प्रकार है :-

(रु० करोड़ में)

योजना	आबंटित राशि	प्राप्त राशि
सामान्य योजना	407.00	407.20*
एस ए सी सी	28.00	28.00
इंजी० और प्रौद्यो०	28.00	28.00
जोड़	**463.00**	**463.00**

* संस्कृत वर्ष मनाने के लिए रु०20.00 लाख की राशि सहित ।

• वि०अ०आ० संस्कृत पुरस्कार

संस्कृत के उच्चकोटि के शिक्षण/अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और उत्कृष्ट शिक्षकों की पहचान करने और उनका सम्मान करने के लिए तथा संस्कृत भाषा के शिक्षण/अनुसंधान/नवीकरण/नए कार्यक्रमों में उत्कृष्ट योगदानों के लिए पुरस्कृत करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "वि०अ०आ० वेद व्यास राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार" प्रायोजित किया । पुरसकर में रु०1.00 लाख नकद तथा एक प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है । विश्वविद्यालयों/कालेजों से उक्त पुरस्कार के लिए नाम भेजने का निवेदन किया गया । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नामनों का सुझाव देने के लिए एक तलाशी समिति गठित की । तलाशी समिति से नाम प्राप्त किए गए और वि०अ०आ० के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई एक निर्णय समिति ने विश्वविद्यालयों पर विचार किया । निर्णय समिति ने इस पुरस्कार के लिए संस्कृत विभाग, पुणे विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सरोजा भाटे की सिफारिश की । चयन समिति की सिफारिशों का अनुमोदन आयोग ने 30.10.2000 को हुई अपनी बैठक में किया । प्रोफेसर भाटे को उक्त पुरसकार 14.2.2001 को विज्ञान भवन में वि०अ०आ० द्वारा आयोजित किए गए एक समारोह में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ० मुरली मनोहर जोशी ने प्रदान किया ।

• विश्वविद्यालयों/कालेजों में सरल संस्कृत बोलचाल केंद्र की स्थापना

आयोग ने 16.6.2000 को हुई अपनी बैठक में भारतीय विश्वविद्यालयों में संस्कृत की उन्नति और विभिन्न विश्वविद्यालयों में सरल संस्कृत बोलचाल केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा पहले से स्थापित किए गए योग केंद्रों के आधार पर चुनिंदा विश्वविद्यालयों में सरल संस्कृत बोलचाल केंद्र स्थापित करने का सिद्धांतत: निर्णय लिया । इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह निर्णय भी लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष इस योजना के ब्यौरे की जाँच करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करें । आयोग के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने चुनिंदा विश्वविद्यालयों में "सरल संस्कृत बोलचाल केंद्रों" की स्थापना करने के लिए उक्त योजना की जाँच करने तथा उसको अंतिम रूप देने के वास्ते एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया । विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जिन्हें 25.1.2001 को हुई आयोग की बैठक में रखा गया । आयोग ने उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों को अनुमोदित किया । सरल संस्कृत बोलचाल केंद्रों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए ।

• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय, अनुमोदन तथा संकल्प

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में लेक्चरारों, रीडरों तथा प्रोफेसरों की नियुक्ति एवं उनकी वृत्तिक उन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताओं से संबंधित वि०अ०आ०, विनियम, 2000 का अनुमोदन किया ।

- यह निर्णय लिया कि महिलाओं के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिप की योजना को तुरंत बंद कर दिया जाए । इस योजना के अधीन पहले से चुने गए व्यक्तियों को उनके अवार्ड-पत्र में निर्दिष्ट समय-सीमा तक बने रहने की अनुमति दी जाए ।

- वर्तमान नियमों में कुछ संशोधन परिवर्धन से संबंधित सिफारिशों का अनुमोदन करने का निर्णय लिया ताकि विश्वविद्यालयों को वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 12 (ख) के अधीन केंद्रीय सहायता के लिए पात्र घोषित किया जा सके ।

- यह निर्णय लिया कि निवृत्ति हित-लाभों के लिए एक विश्वविद्यालय से दूसरे में कार्मिकों की संचलकता के संबंध में समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन किया जाए । इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी लिया कि समिति की रिपोर्टों/सिफारिशों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदनार्थ अग्रेषित किया जाए ।

- "सिद्धांत:" यह निर्णय लिया कि भारतीय विश्वविद्यालयों में संस्कृत के संवर्धन के लिए पहले से स्थापित योग केंद्रों के आधार पर चुनिंदा विश्वविद्यालयों में "सरल संस्कृत बोलचाल केंद्र" स्थापित किए जाएँ ।

- यह संकल्प लिया कि जिन विश्वविद्यालयों ने निष्पादन निर्धारण के लिए विहित फार्मेट में वांछित यथेष्ट सूचना भेज दी थी उन विश्वविद्यालयों को 9वीं योजना विकास अनुदान के लिए उनको आबंटित 1/3 राशि की शत प्रतिशत अदायगी की जाए और जिन विश्वविद्यालयों ने पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी और/या कोई अनुक्रिया नहीं दिखाई थी उनको 9वीं योजना विकास अनुदान की केवल 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाए ।

- यह संकल्प लिया गया कि सहायक रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार, सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक, उप-शारीरिक शिक्षा निदेशक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उप-पुस्तकालयाध्यक्ष की अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष होगी ।

- यह सकंल्प लिया कि डायस्पोरिक अध्ययनों के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय में स्वतंत्र मारिशस के भारतीय मूल के प्रथम प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम के नाम पर एक पीठ (चेयर) स्थापित की जाए ।

- आयोग इस बात से सहमत हो गया कि कश्मीर विश्वविद्यालय तथा उसके कालेजों के विस्थापित प्रवासी शिक्षकों को उन्हीं विश्वविद्यालयों और कालेजों में जहाँ वे वर्तमान में काम कर रहे हैं, आमेलित करने के लिए अधिसंख्य पद सृजित किए जाएँ । यह भी निर्णय लिया कि प्रत्येक अधिसंख्य पद को उस स्थिति में समाप्त कर दिया जाए जब उस पद पर काम कर रहा शिक्षक अधिवर्षिता प्राप्त कर ले और अध्यक्ष को इसका विवरण तैयार करने हेतु एक समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया गया ।

- यह संकल्प लिया कि एन ए ए सी द्वारा विश्वविद्यालयों के अनिवार्य प्रत्यायन करने का समय 31 दिसंबर 2001 तक बढ़ाया जाए ।

- यह संकल्प लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया गया कि वे भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कार्यकरण को विनियमित एवं तर्कसंगत बनाने के हेतु मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करें ।

- भारतीय विश्वविद्यालयों में वैदिक फलित-ज्योतिष विभाग स्थापित करने के लिए योजना से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों को अनुमोदित किया और यह संकल्प लिया कि विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएँ तथा ज्योतिर्विज्ञान का अध्ययन करने और इस विषय में बी० एससी०/एम एससी०/पीएच०डी० की डिग्रियाँ प्रदान करने के लिए चुनिंदा विश्वविद्यालयों में ज्योतिर्विज्ञान विभाग स्थापित किए जाएँ ।

- भारतीय विश्वविद्यालयों में पौरोहित्य विभाग खोलने के लिए योजना से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुमोदन किया । यह संकल्प किया कि विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएँ और पौरोहित्य का अध्ययन करने तथा इस विषय में बी०ए०/एम०ए०/पीएच०डी० की डिग्रियाँ प्रदान करने में लिए चुनिंदा विश्वविद्यालयों में पौरोहित्य विभाग खोले जाएँ ।

- भारतीय विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्किंग तंत्र की स्थापना पर अनेक समितियों की सिफारिशों के आधार पर आयोग ने निर्णय लिया कि भारतीय विश्वविद्यालयों में नेटवर्क तंत्र स्थापित करने के लिए सूचना एवं प्रौदयोगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के 'इरनेट इंडिया' को ठेका दिया जाए ।

- सर्वसम्मति से यह अनुमोदन किया कि नेट परीक्षा विदेशों में भी आयोजित की जाए और यह निर्णय लिया कि इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए भारतीय मिशन और दूतावासों को संबद्ध किया जाए ।

- निर्णय लिया कि समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए मौजूदा वि०अ०आ० के मार्गदर्शी सिद्धांतों में निम्नलिखित को एक अतिरिक्त उपबंध के रूप में जोड़ा जाए :

"केंद्रीय सरकार को छोड़कर अन्य के द्वारा स्थापित की गई किसी भी शिक्षा संस्था को अपने नामों के पहले "भारतीय/राष्ट्रीय संस्थान" शब्द जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी । बहरहाल, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा संस्थाएँ अपने नामों से पहले "राजकीय संस्थान" शब्द जोड़ सकती हैं लेकिन "भारतीय" या "राष्ट्रीय" संस्थान नहीं । केंद्रीय/राज्य सरकारों को छोड़कर अन्य के द्वारा स्थापित की गई किसी शिक्षा संस्था को अपने नाम से पहले "भारतीय/राष्ट्रीय या राजकीय संस्थान" शब्द जोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।

- आयोग इस बात से सिद्धांतत: सहमत था और उसने यह अनुमोदित किया कि उन विश्वविद्यालयों में जिनमें यू जी सी मीडिया केंद्र पहले से ही विद्यमान हैं, इलैट्रॉनिक मीडिया शिक्षा के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में लागत आधारित अकादमिक प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएँ ।
- यह संकल्प लिया गया कि गुजरात में भूकंप से प्रभावित सात विश्वविद्यालयों और 165 कालेजों को रु॰50.60 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की जाए । यह संकल्प भी लिया कि गुजरात विद्यापीठ के भूकंप से प्रभावित भवनों की मरम्मत के लिए रु॰0.50 करोड़ की विशेष सहायता जारी की जाए । यह संकल्प भी लिया कि उड़ीसा में महाचक्रवात से प्रभावित चार विश्वविद्यालयों और 21 कालेजों को कुल रु॰1.72 करोड़ की वित्तीय राशि जारी की जाए ।

समविश्वविद्यालय (जामिया हमदर्द) में यू॰ जी॰ सी॰ द्वारा निधिप्रदत्त आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला

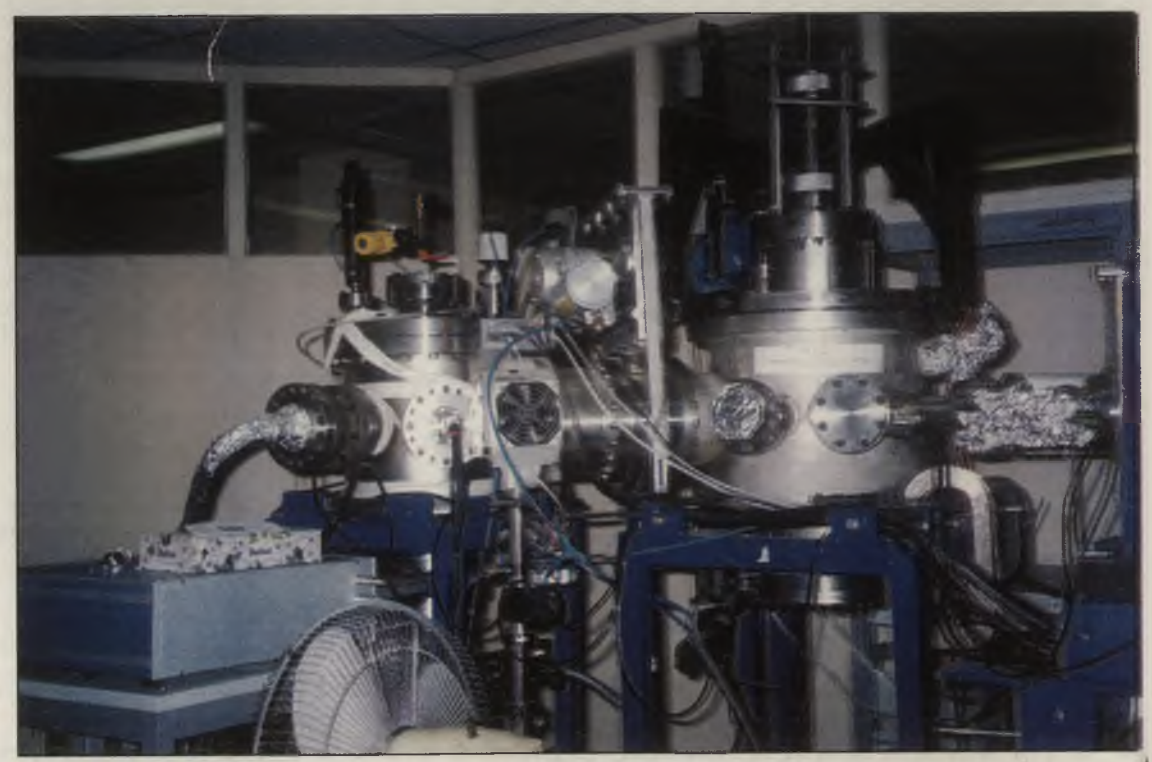

न्यूक्लीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली में जोकि यू॰ जी॰ सी॰ द्वारा स्थापित किए गए सात अंतर्विश्वविद्यालय केंद्रों में से एक है, निम्न ऊर्जा आयन बीम सुविधा सहित पृष्ठीय अध्ययनों तथा परमाणु-भौतिकी के लिए प्रायोगिक सुविधाएँ

2 उच्च शिक्षा प्रणाली : संस्थाओं, नामांकनों, संकाय तथा अनुसंधान डिग्रियों की संख्या में वृद्धि

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अर्थात् 1947 में देश में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 कालेज थे । उच्च शिक्षा प्रणाली में छात्रों और शिक्षकों की संख्या भी बहुत कम थी । परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनकी संख्याओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । विश्वविद्यालयों की संख्या में तेरह गुना और कालेजों की संख्या में पैंतीस गुना वृद्धि हुई है जबकि छात्र नामांकन में लगभग तीस गुना वृद्धि हुई है ।

2.1 संस्थाएँ

नामांकन में इतनी भारी वृद्धि उच्च शिक्षा संस्थाओं - विश्वविद्यालय और विशेषत: कालेजों की संख्या में वृद्धि के बिना संभव नहीं थी (परिशिष्ट - VIII) । इसमें 1996-97 से 2000-2001 के दौरान 2,402 की वृद्धि हुई । लेकिन, कालेजों की संख्या में यह वृद्धि दर सभी राज्यों में समान नहीं थी जैसाकि परिशिष्ट VIII में दिखाया गया है । सापेक्ष रूप से कहा जाए तो 1996-97 से 2000-2001 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान कालेजों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि 305 कर्नाटक में दर्ज की गई । कालेजों की संख्या में वृद्धि की गति आंध्र प्रदेश (276), महाराष्ट्र (225), तमिलनाडु (216) आदि में भी तेज रही । कुछ अन्य राज्यों में इस अवधि के दौरान कालेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई जबकि चार राज्यों यथा - अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में केवल एक डिजिट की वृद्धि हुई । उसी प्रकार, अंडमान और निकोबार, पांडिचेरी, दमन और दीव और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों में भी इस अवधि के दौरान कालेजों की संख्या में केवल एक डिजिट की ही वृद्धि हुई और दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों में कोई कालेज नहीं था ।

2000-2001 के दौरान 477 नए कालेज स्थापित किए गए । इस प्रकार, 2000-2001 के दौरान कालेजों की संख्या बढ़कर 12,342 हो गई जबकि 1999-2000 में यह संख्या 11,865 थी ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के अंत में वि० अ० आ० अधिनियम 1956 की धारा 2(च) के अधीन मान्यताप्राप्त कालेजों की संख्या 5189 थी । इनमें से वि० अ० आ० अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अधीन केवल 216 कालेज केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के अंत में विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालयों की संख्या 245 थी । आलोच्य वर्ष के दौरान धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालयों की यू जी सी सूची में निम्नलिखित तीन नए राज्य विश्वविद्यालय जोड़े गए :-

1. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
2. महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक
3. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल

केंद्रीय सरकार ने वि० अ० आ० अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन निम्नलिखित संस्थाओं को भी समविश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया :-

1. बिहार योग भारती, मुंगेर (बिहार)
2. धर्मसिंह देसाई, प्रौद्योगिकी संस्थान, नांदेड (गुजरात)
3. इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद (उ० प्र०)
4. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (उ० प्र०)
5. भटखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान, लखनऊ (उ० प्र०)
6. विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान, सालेम (तमिलनाडु)

सारणी 2.1 उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रकार : 2000-2001

क्र०सं०	संस्थाएँ	संख्या
1.	केंद्रीय विश्वविद्यालय	17*
2.	राज्य विश्वविद्यालय	176**
3.	समविश्वविद्यालय संस्थाएँ	47
4.	राज्य विधान मंडल अधिनियम के अधीन स्थापित की गई संस्थाएँ	5
5.	राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ	11
6.	कालेज	12342

* इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं ।

** अनंतिम

टिप्पणी:- (क) 193 विश्वविद्यालयों (केंद्रीय तथा राज्य) में से 28 कृषि, 2 पशुचिकित्सा, 6 आयुर्विज्ञान तथा 4 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ।

(ख) 176 राज्य विश्वविद्यालयों में से 34 विश्वविद्यालयों को वि० अ० आ० अधिनियम 1956 की धारा 12 (ख) के अधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त करने का पात्र घोषित नहीं किया गया है । (परिशिष्ट - II)

2.2 छात्र नामांकन

शैक्षिक वर्ष 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के सभी स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में 80 लाख (अनंतिम संख्या) छात्र नामांकित थे जबकि गत वर्ष 76.83 लाख (अनंतिम संख्या) छात्र नामांकित थे । इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में छात्र नामांकन में 4.1 प्रतिशत वृद्धि हुई । गत दो दशकों के दौरान समष्टि स्तर पर छात्रों के नामांकन की प्रवृत्ति परिशिष्ट - III में दर्शायी गई है और राज्यों में 1999-2000 से 2000-2001 तक की छात्र नामांकन की तुलनात्मक प्रवृत्ति परिशिष्ट - IV में दी गई है । आलोच्य वर्ष के दौरान गत वर्ष की तुलना में छात्र नामांकन में वृद्धि की प्रतिशतता में प्राय: 1 से 10 प्रतिशत का अंतर रहा है । गत पाँच वर्षों (1996-97 से 2000-2001 तक) के दौरान नामांकन की प्रतिशत वृद्धि 18 प्रतिशत तक रही है ।

- **स्तरवार नामांकन**

उच्च शिक्षा प्रणाली में पूर्व-स्नातक स्तर पर विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए भारी संख्या में छात्रों का नामांकन होता है । कालेजों तथा विश्वविद्यालयों - दोनों में मिलाकर इस स्तर पर लगभग

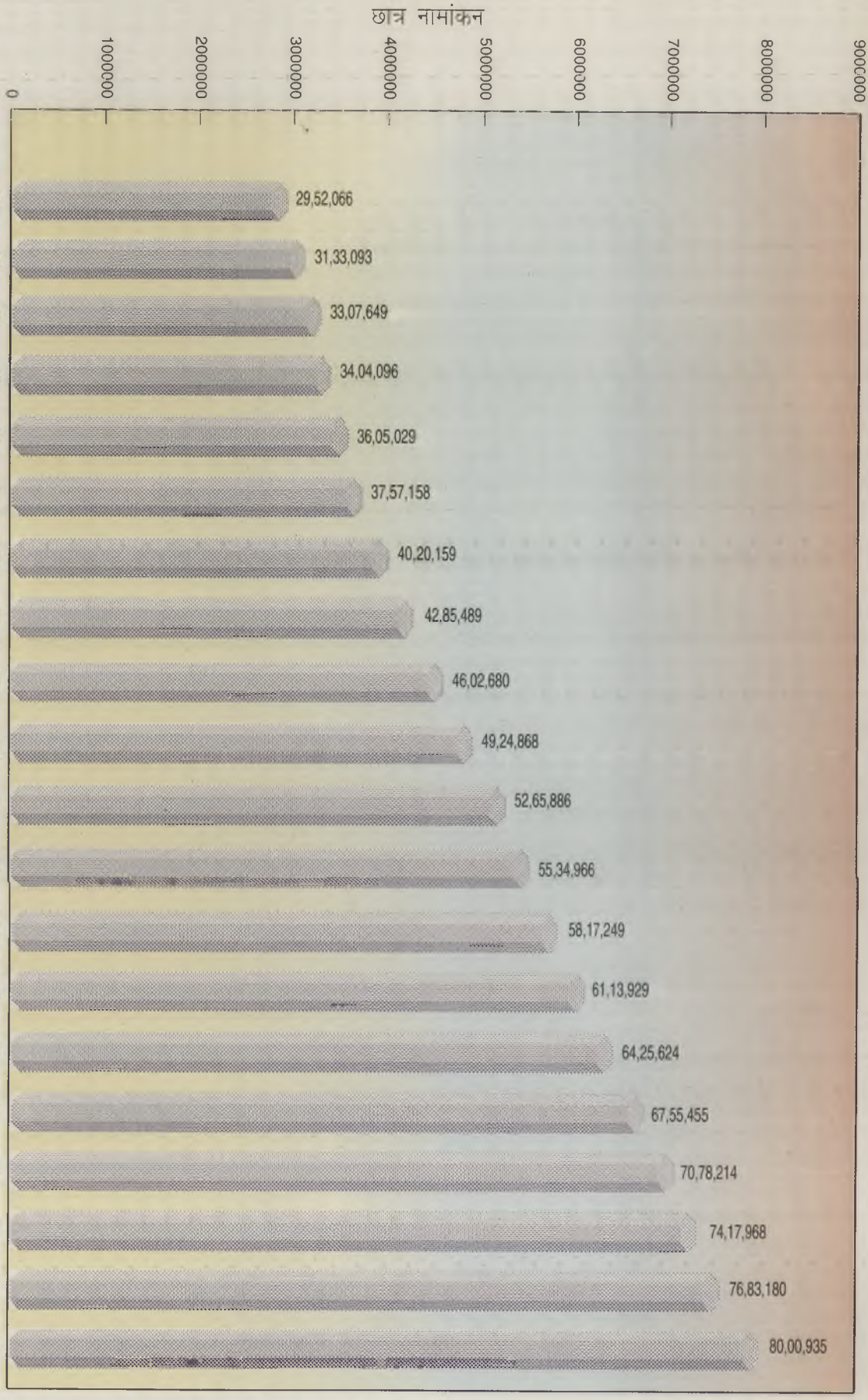

चित्र 1. वर्ष 1981-82 से 2000-2001 तक छात्र नामांकन की अखिल भारतीय वृद्धि (अस्थाई)

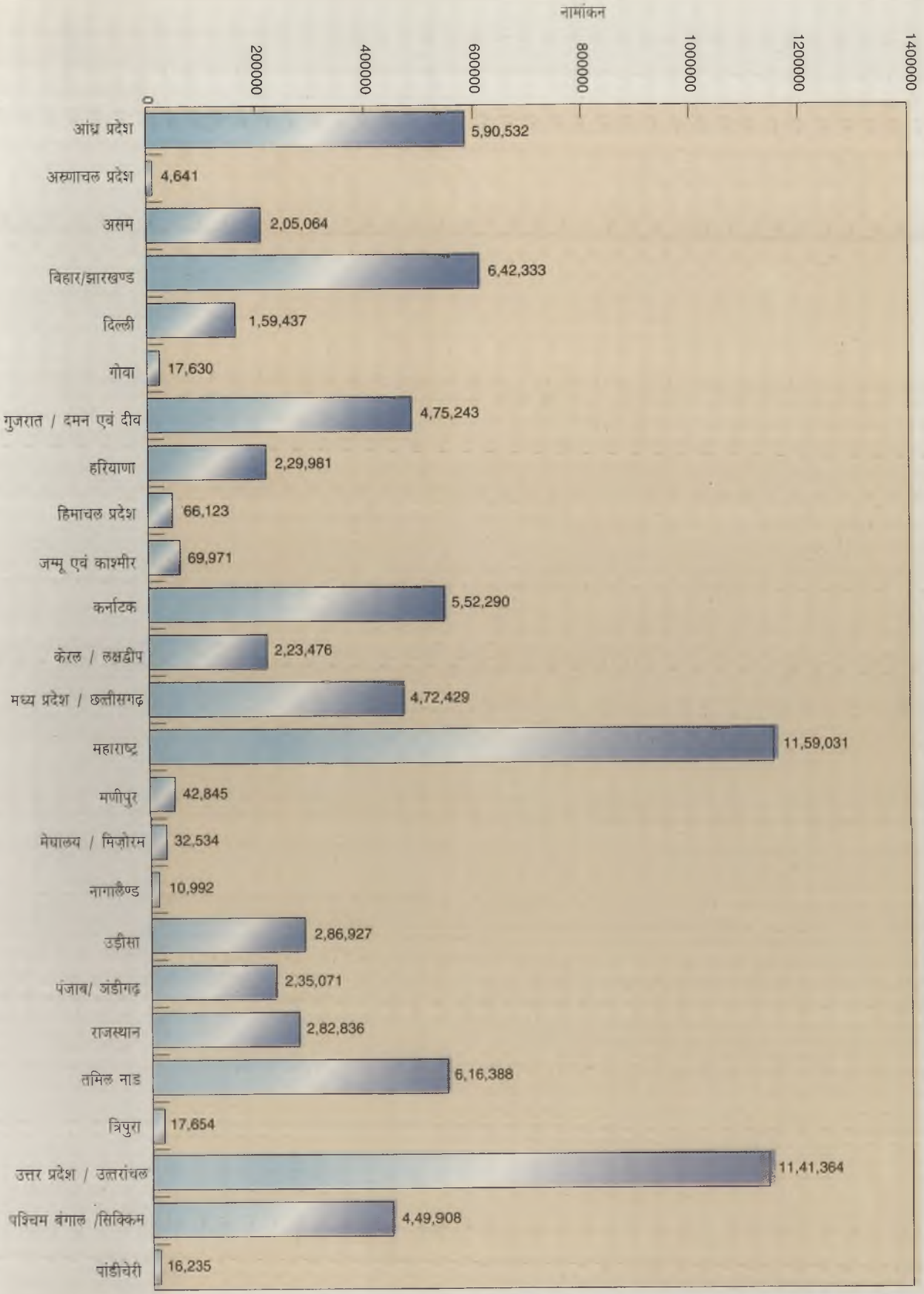

चित्र 2. राज्यवार नामांकन : 2000-2001 (अस्थाई)

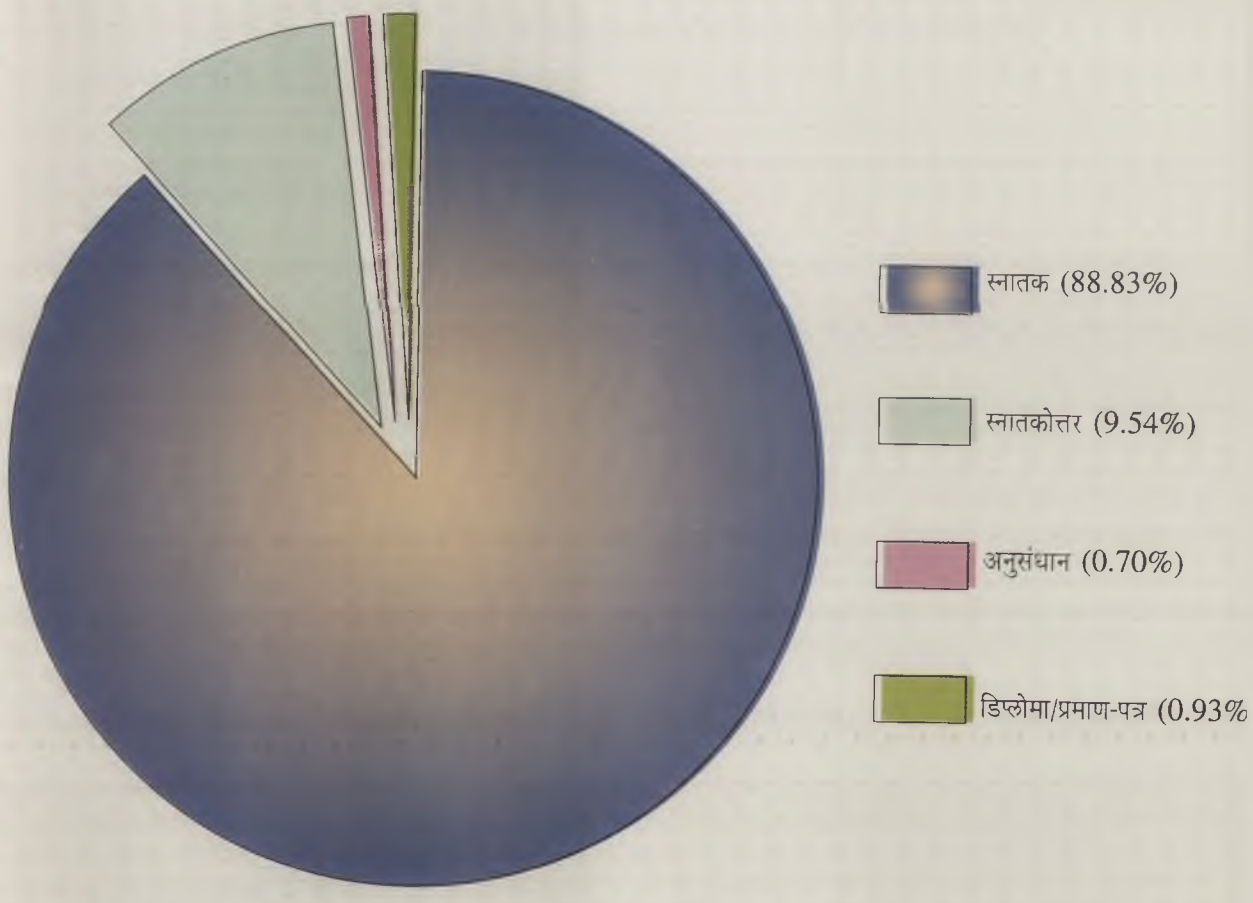

चित्र 3. स्तरवार छात्र नामांकन : विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग/ विश्वविद्यालय कालेज तथा संबद्ध कालेज : 2000-2001 (अस्थाई)

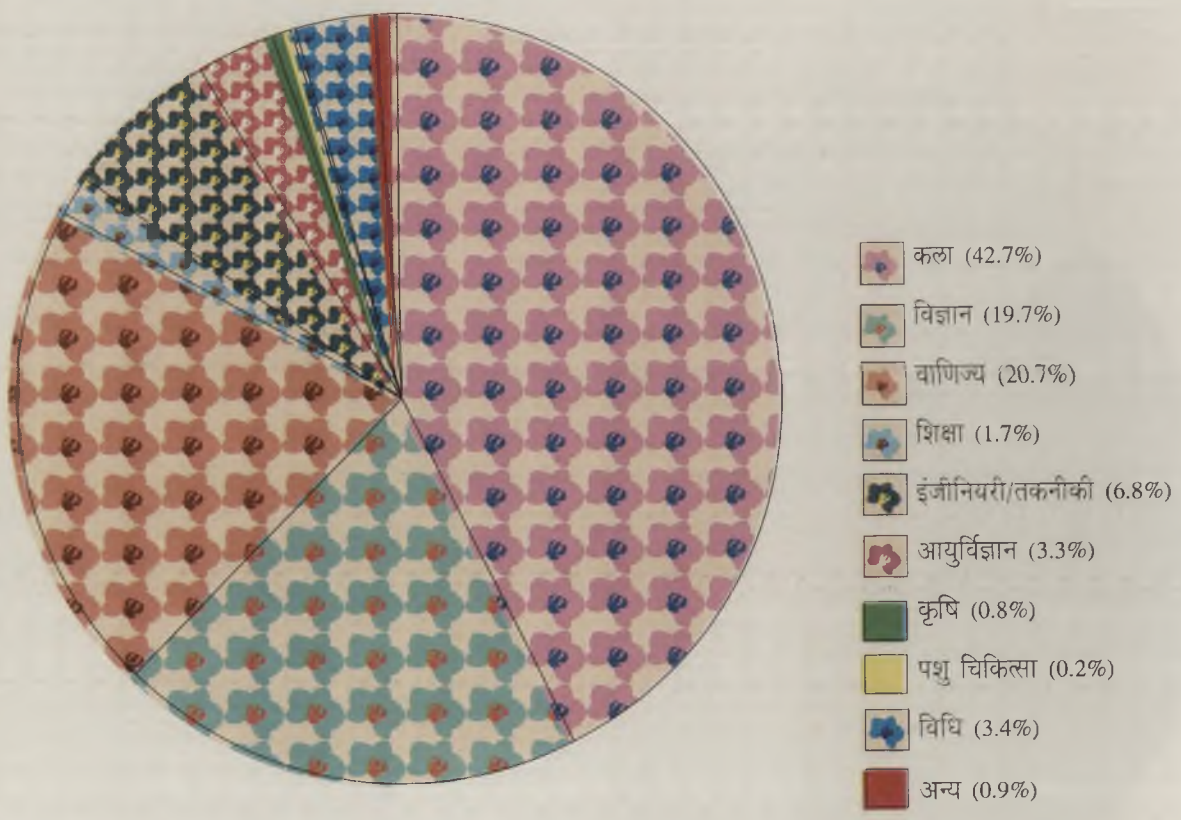

चित्र 4. संकायवार छात्र नामांकन : 2000-2001 (अस्थाई)

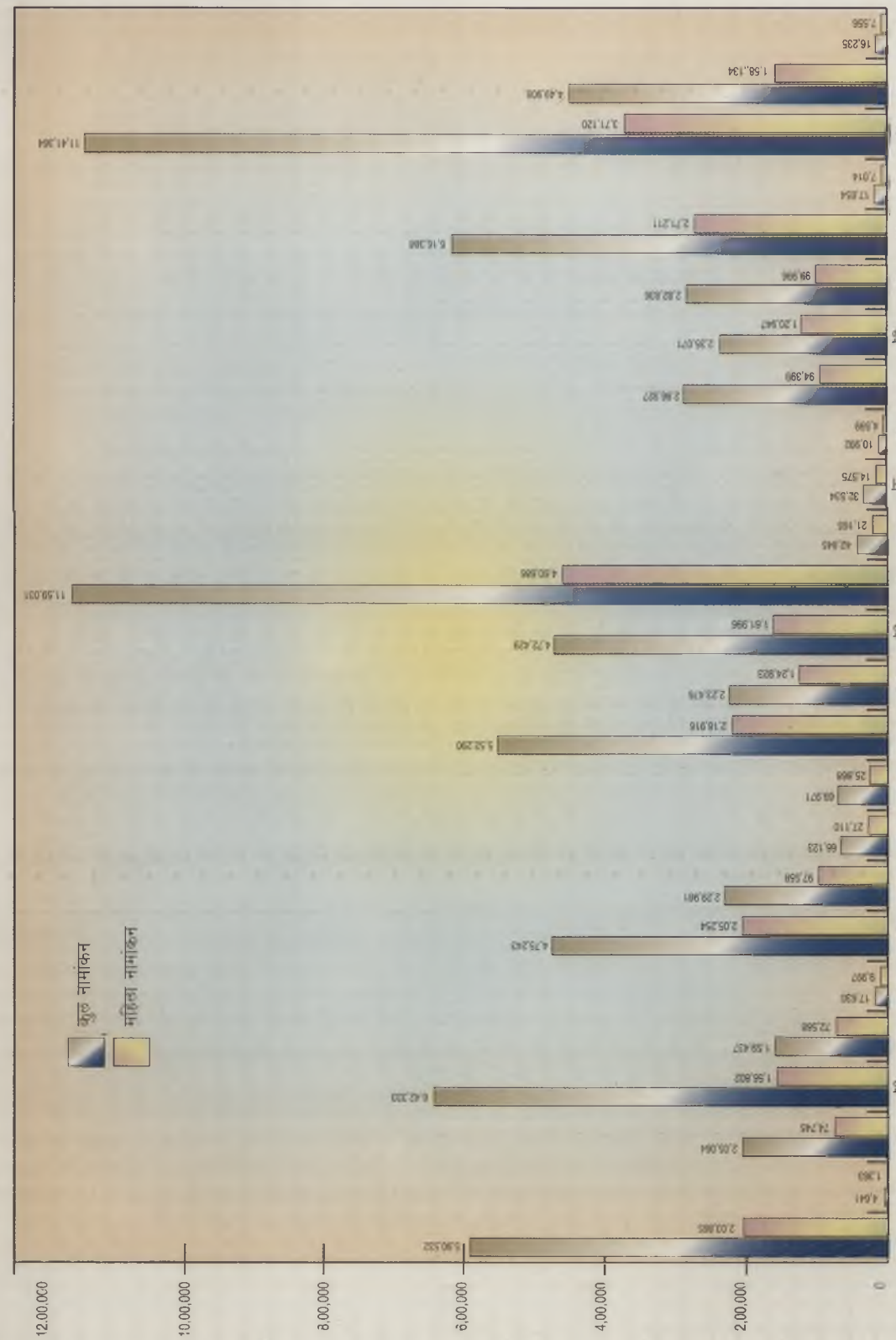

चित्र 5. महिला नामांकन एवं कुल नामांकन : राज्यवार 2000-2001 (अस्थाई)

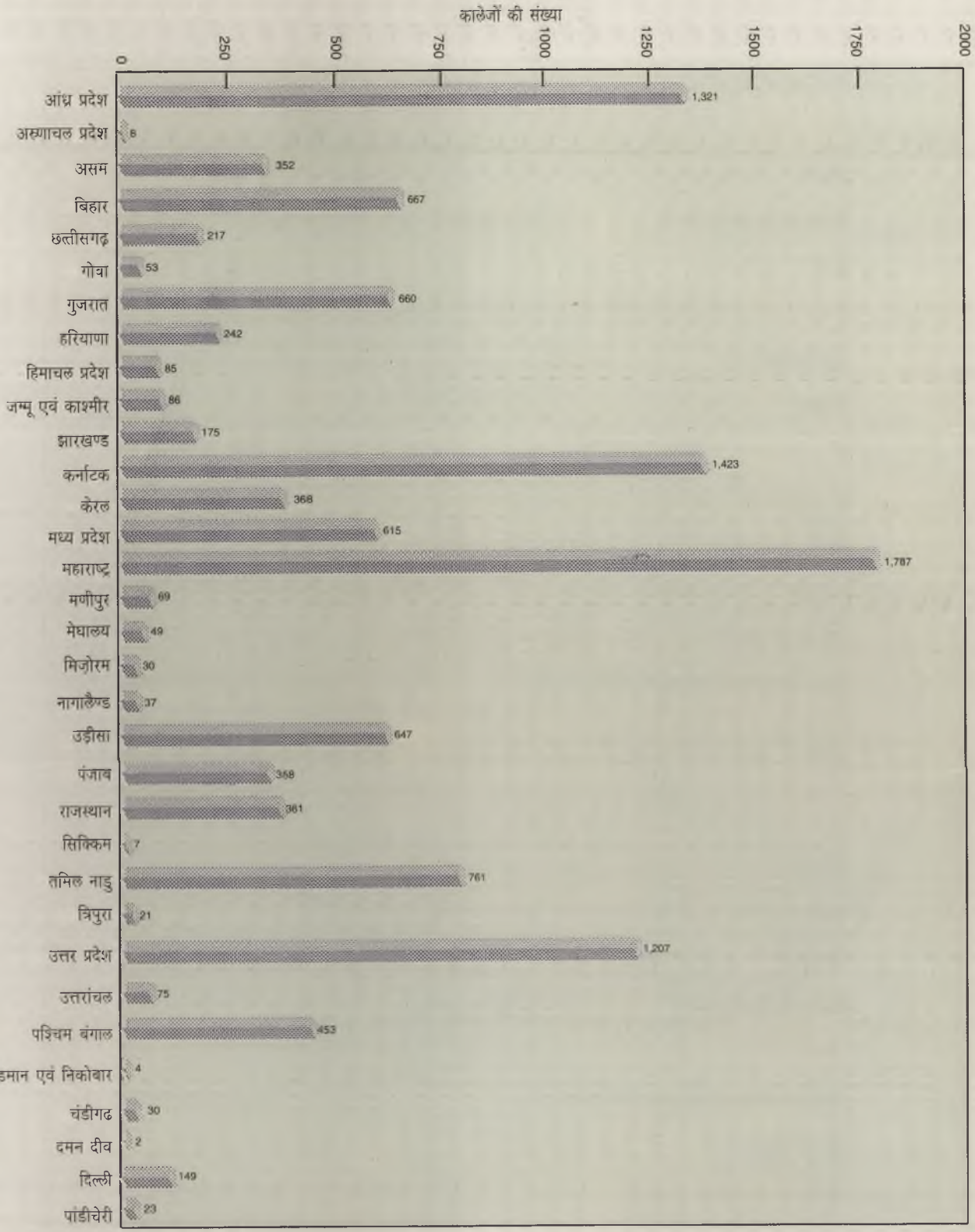

चित्र 6. राज्यवार कालेजों की संख्या 2000-2001 (अस्थाई)

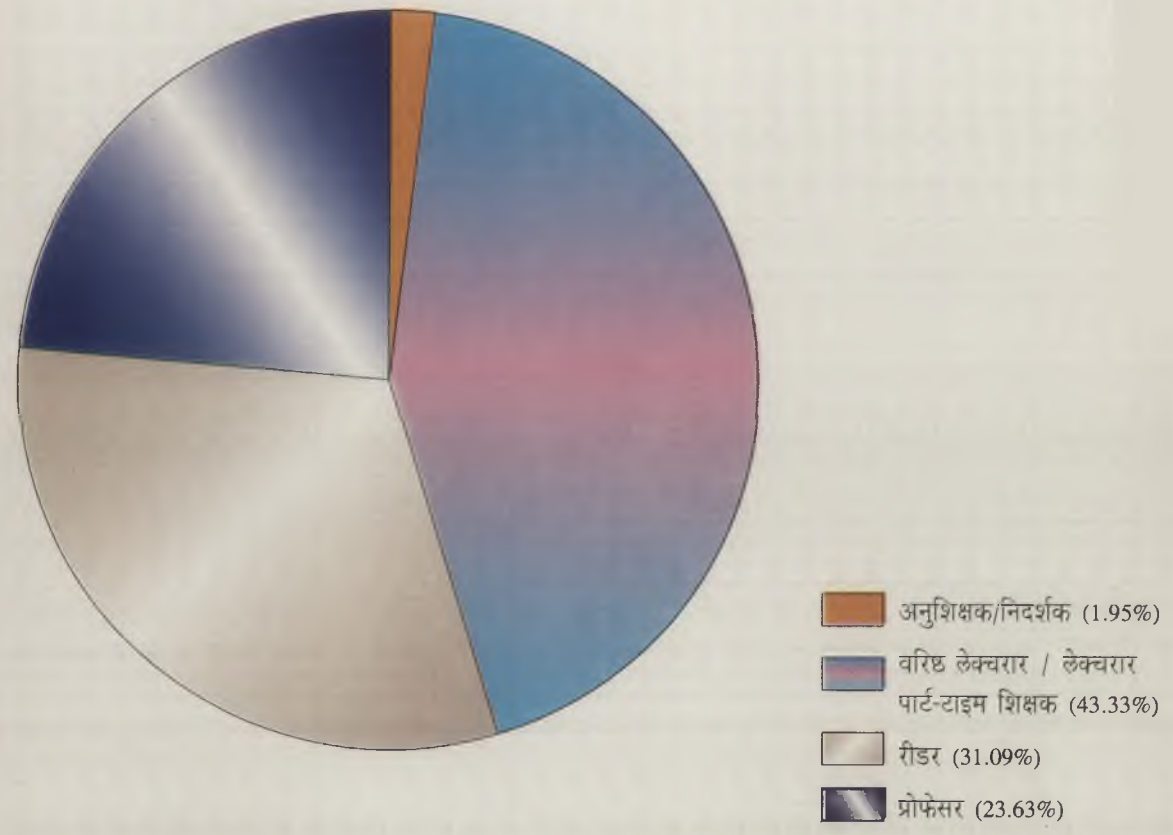

चित्र 7. पद के अनुसार विश्वविद्यालय विभाग तथा विश्वविद्यालय कालेज में शिक्षण स्टाफ का वितरण : 2000-2001 (अस्थाई)

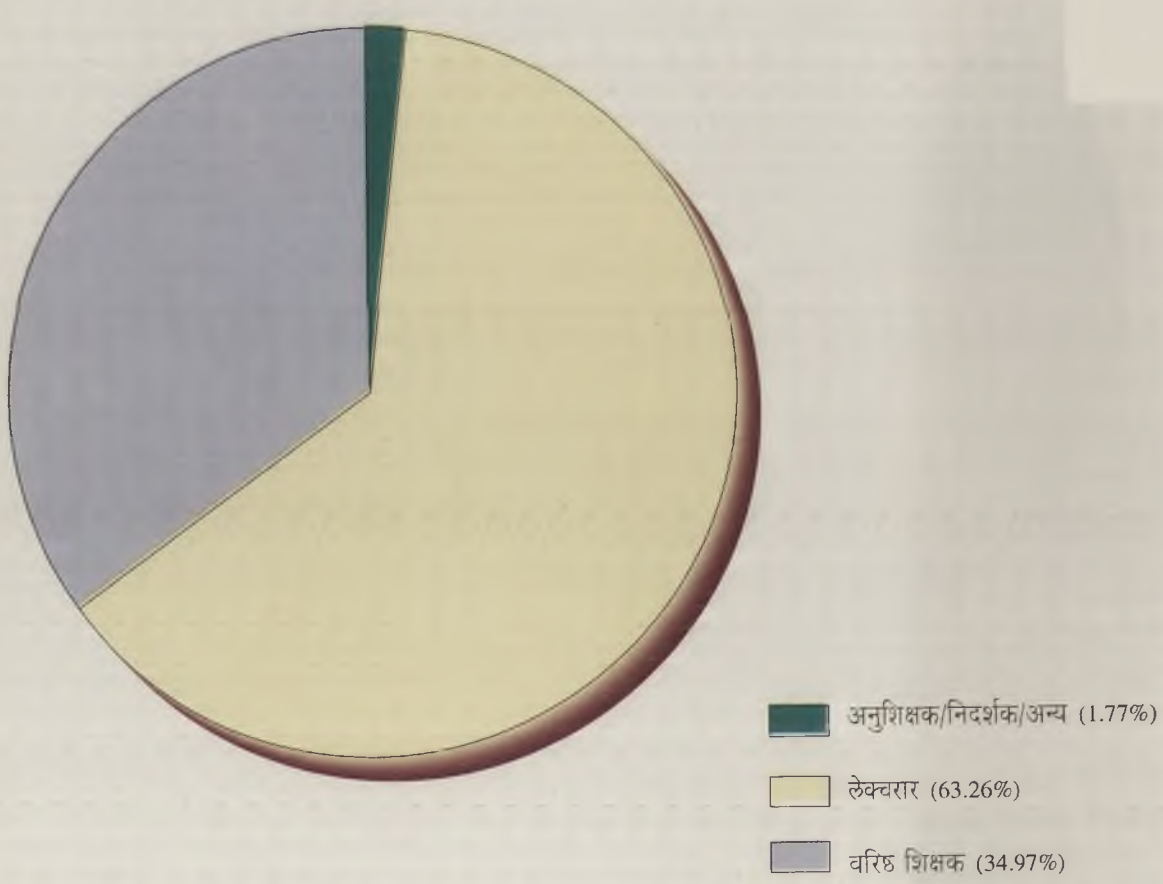

चित्र 8. संबद्ध कालेज में पद के अनुसार
शिक्षण स्टाफ का वितरण : 2000-2001 (अस्थाई)

चित्र 9. डाक्टरेट डिग्री की संख्या : संकायवार (1999-2000)

88.8 प्रतिशत छात्र नामांकित होते हैं । मास्टर स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या 9.5 प्रतिशत थी जबकि बहुत कम छात्र (0.7 प्रतिशत) उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुसंधान कार्य कर रहे थे । उसी प्रकार, केवल 0.9 प्रतिशत छात्र डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में नामांकित थे (परिशिष्ट-V) ।

उच्च शिक्षा प्रणाली में अधिसंख्य छात्र संबद्ध कालेजों में नामांकित थे । कुल पूर्व-स्नातक छात्रों में से लगभग 89.7 प्रतिशत और स्नातकोत्तर छात्रों में से 63.4 प्रतिशत छात्र इन संबद्ध कालेजों में थे जबकि शेष छात्र विश्वविद्यालयों और उनके संघटक कालेजों में थे । इसके विपरीत, एम०फिल० या पीएच०डी० करने वाले 90 प्रतिशत शोध छात्र विश्वविद्यालयों में थे । डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में विश्वविद्यालय विभागों तथा कालेजों की संख्या संबद्ध कालेजों से अधिक थी । लेकिन पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर अधिसंख्य छात्र संबद्ध कालेजों में थे जहाँ उच्च शिक्षा की नींव रखी जाती है । विशेषत: संगतता और गुणवत्ता के संदर्भ में इस क्षेत्रक को अधिक वित्त उपलब्ध कराने के संबंध में दूरगामी नीति-निहितार्थ होंगे ।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि गत दो दशकों के दौरान स्तरवार छात्र वितरण वस्तुत: अपरिवर्तित रहा है ।

- **संकायवार नामांकन**

2000-2001 के दौरान छात्रों का संकायवार वितरण इस प्रकार था (परिशिष्ट-VI) ।

उच्च शिक्षा में दस छात्रों में से चार छात्र कला संकाय में थे जो सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी के पाठ्यक्रमों में नामांकित थे जिनमें भाषाएँ भी शामिल हैं । दस छात्रों में से दो छात्र विज्ञान पाठ्यक्रमों में थे । वाणिज्य का अनुपात भी विज्ञान जैसा ही था । इस प्रकार, कुल नामांकन का 83 प्रतिशत नामांकन कला, विज्ञान तथा वाणिज्य संकायों में था और शेष 17 प्रतिशत व्यावसायिक संकायों में था ।

- **व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन**

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों का नामांकन केवल 17 प्रतिशत है । ऐसे देश में जो कृषि तथा सहायक व्यवसायों पर निर्भर करता है, कृषि में मात्र 0.8 प्रतिशत नामांकन है और पशुचिकित्सा विज्ञान में बहुत कम, केवल 0.2 प्रतिशत है । (परिशिष्ट-VI)

2.3 संकाय संख्या

वर्ष 2000-2001 में विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेजों में शिक्षण स्टाफ की कुल संख्या 3.95 लाख थी जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 3.51 लाख थी । संबद्ध कालेजों में शिक्षण स्टाफ की संख्या विश्वविद्यालय विभागों और संबद्ध कालेजों में सभी शिक्षकों के लगभग 80 प्रतिशत थी ।

परिशिष्ट IX और X में दी गई स्टाफ संख्या से पता चलता है कि लेक्चरारों की संख्या संबद्ध कालेजों में शिक्षकों की कुल संख्या का 63 प्रतिशत थी और विश्वविद्यालय विभागों में लेक्चरारों/वरिष्ठ लेक्चरारों की संख्या 43 प्रतिशत थी जबकि रीडरों की संख्या कुल शिक्षकों में लगभग 31 प्रतिशत और प्रोफेसरों की संख्या लगभग 24 प्रतिशत थी । वर्ष 2000-2001 में वरिष्ठ शिक्षकों (अर्थात् प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर तथा वरिष्ठ लेक्चरार) की संख्या संबद्ध कालेजों के सभी शिक्षकों के 35 प्रतिशत थी ।

2.4 अनुसंधान डिग्रियाँ

अनुसंधान की जो डिग्रियाँ प्रदान की गईं उनसे पता चलता है कि उनकी संख्या 1998-99 में 11,107 से घटकर वर्ष 2000-2001 में 11,067 रह गई । वर्ष 1998-99 में प्रदत्त डिग्रियों की कुल संख्या में कला संकाय में प्रदत्त डिग्रियों की संख्या सबसे अधिक 4,231 थी । दूसरा स्थान विज्ञान संकाय का रहा जिसमें 3,832 डिग्रियाँ प्रदान की गईं । इन दोनों संकायों में कुल प्रदत्त डाक्टरेट डिग्रियों की संख्या के लगभग 73 प्रतिशत डिग्रियाँ प्रदान की गईं । पहले भी यही प्रवृत्ति रही थी । (परिशिष्ट-XI)

3 विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण (योजनेतर) तथा विकास (योजनागत) अनुदान

3.1 वि०अ०आ० द्वारा सहायताप्रदत्त विश्वविद्यालय

9वीं योजना के लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वि०अ०आ० समस्त पात्र केंद्रीय तथा समविश्वविद्यालयों को योजनागत तथा योजनेतर स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है, किंतु राज्य विश्वविद्यालयों को यह सहायता केवल योजनागत स्कीमों/कार्यक्रमों को ही दी जाती है ।

वि०अ०आ० विश्वविद्यालयों को योजनेतर (अनुरक्षण) अनुदान प्रदान कर रहा है ताकि वे शिक्षणेतर तथा शिक्षण स्टाफ के वेतनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों के लिए आवर्ती व्यय यथा कर, टेलीफोन बिल, डाकव्यय तथा बिजली आदि जैसी अनिवार्य अदायगियों के खर्च को पूरा कर सकें । इन संस्थाओं को अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भी योजनेतर सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

विकास (योजनागत) अनुदान का उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालयों में आधारिक संरचना तथा बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा सके ताकि वे कम से कम शुरूआती स्तर प्राप्त कर सकें तथा जो पहले से ही उन्नत हैं उनमें उत्कृष्टता का विकास किया जा सके ।

अलग-अलग विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता निर्धारित तथा विश्वविद्यालयों को सूचित परिव्ययों के आधार पर 9वीं योजना के दौरान उपलब्ध है । परिव्यय का दो तिहाई भाग 9वीं योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में दी गई प्रक्रिया में निर्दिष्ट आधार पर जारी किया जा चुका है । तथापि, परिव्यय के एक तिहाई भाग के बारे में अंतिम निर्णय अलग-अलग कार्य-निष्पादन के आधार पर किया जाएगा जिसका मूल्यांकन विश्वविद्यालयों द्वारा भरे गए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रोफार्मा के अनुसार किया जाएगा । निर्धारित किया गया तथा विश्वविद्यालयों को सूचित किया गया परिव्यय 1.4.97 से 31.3.2002 तक चलेगा । आयोग ने निश्चय किया है कि जिन विश्वविद्यालयों ने अपेक्षित पर्याप्त सूचना कार्य-निष्पादन से निर्धारण के लिए मुहैया कर दी है उन्हें आबंटित 9वीं योजना विकास अनुदान शत-प्रतिशत अदा कर दिया जाए तथा जिन विश्वविद्यालयों ने पूरी सूचना प्रदान नहीं की है/अथवा उत्तर ही नहीं दिया है उन्हें 9वीं योजना विकास अनुदान का 50 प्रतिशत ही प्रदान किया जाए ।

विकास सहायता का उपयोग विद्यमान आधारित संरचना को मजबूत बनाने तथा शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासन का आधुनिकीकरण करने और विश्वविद्यालयों की बदलती हुई आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार (आउटरीच) के वास्ते भी किया जाएगा ताकि समाज की माँगों को पूरा किया जा सके ।

सहायता निम्नलिखित के लिए उपलब्ध कराई जाती है :

- **स्टाफ :-** शिक्षण तथा तकनीकी स्टाफ (केवल रुपए 2200-4000 असंशोधित वेतनमान से अधिक नियुक्तियों के लिए ही)
- **उपस्कर :-** प्रयोगशालाओं के लिए, विशेष कार्यालय उपस्कर (फर्नीचर, जुड़नार तथा टाइपराइटरों को छोड़कर) और आधुनिक शिक्षण साधनों तथा प्रमुख उपस्करों की मरम्मत के लिए ।

- पुस्तकें तथा जर्नल
- **भवन :-** नए भवनों का निर्माण तथा पुराने भवनों की बड़ी मरम्मत/नवीकरण । शैक्षिक भवन, प्रशासनिक ब्लॉक, स्टाफ क्वार्टर, छात्रावास, अतिथि घर आदि के भवन शामिल हैं ।
- **परिसर विकास :-** सड़कें, बिजली, पानी और सीवर लाइनें बनाने, वृक्षारोपण तथा भूमि का विकास आदि करने के लिए ।
- **स्वास्थ्य केंद्र :-** यह एक डिस्पेंसरी के रूप में होने चाहिए । इनमें बुनियादी सुविधाएँ ही होनी चाहिए लेकिन विशेषज्ञता की सुविधा का प्रयास केंद्र में नहीं किया जाना चाहिए ।
- **छात्र सुविधाएँ :-** इनमें कैंटीन, मनोरंजन केंद्र, छात्रों के लिए परामर्श केंद्र आदि शामिल हैं ।

इसके अलावा 9वीं विकास सहायता योजना के साथ-साथ निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदान राज्य विश्वविद्यालयों को दिए जा रहे हैं :

- **जुबली अनुदान :-** (25, 50, 75, 100 तथा 150 वर्ष पूरे कर लेने के लिए) ।
- वर्ष 1966-70 के बीच स्थापित विश्वविद्यालयों की विद्यमान प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों का स्तर बढ़ाने के लिए विशेष रूप से एक-बारगी प्रदान किया जाने वाला अनुदान ।
- गुजरात राज्य में भूकंप के सहायतार्थ पुनर्वास के लिए तथा अन्य क्षति के मरम्मत-कार्य के लिए विशेष अनुदान ।
- चाक्षुष रूप से विकलांग (अंधे) शिक्षकों को वित्तीय सहायता ।
- उड़ीसा राज्य के कतिपय विश्वविद्यालयों/कालेजों को पुनर्वास तथा अन्य क्षति-मरममत-कार्य के वास्ते 'तूफान राहत' के रूप में विशेष एक-बारगी अनुदान ।
- 9वीं योजना अवधि के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर केंद्रों को विकास-सहायता ।

- **विशेष योजनाएँ**

विश्वविद्यालयों में दिवस-देखभाल केंद्र, महिला छात्रावास निर्माण, कश्मीर विश्वविद्यालय तथा इसके संबद्ध कालेजों आदि के प्रवासी शिक्षकों को अभ्यागत-शिक्षण की हैसियत प्रदान करना ।

(क) केंद्रीय विश्वविद्यालय

17 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 15 विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान आबंटित किए गए हैं जबकि इनमें से 13 विश्वविद्यालयों को विकास अनुदानों के साथ-साथ अनुरक्षण अनुदान भी आबंटित किया गया है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को सीधे ही निधीयन करता है । 15 में से जिन दो विश्वविद्यालयों को केवल विकास अनुदान प्राप्त हुए वे हैं - महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय तथा मौलना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय क्योंकि इनकी स्थापना 9वीं योजना अवधि के दौरान हुई थी ।

- **योजनेतर अनुदान**

  वर्ष 2000-2001 के दौरान जैसा कि सारणी 3.1 में दर्शाया गया है 13 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण व्यय की पूर्ति के लिए रु०637.40 करोड़ के योजनेतर अनुदान जारी किए गए ।

सारणी 3.1 : केंद्रीय विश्वविद्यालयों को योजनेतर अनुदान : 2000-2001

(रु० करोड़ में)

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	योजनेतर अनुदान
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	150.71
2.	असम विश्वविद्यालय	5.44
3.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	0.40
4.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	153.62
5.	जामिया मिलिया विश्वविद्यालय	36.57
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	51.21
7.	नागालैंड विश्वविद्यालय	12.71
8.	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	32.90
9.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	5.89
10.	तेज़पुर विश्वविद्यालय	3.10
11.	दिल्ली विश्वविद्यालय	110.45
12.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	31.47
13.	विश्वभारती	42.93
	जोड़	**637.40**

- **योजना अनुदान**

  जैसाकि सारणी 3.2 में दिखाया गया है रु०83.00 करोड़ के योजना अनुदान भी निम्नलिखित 15 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रदान किए गए ।

सारणी 3.2 : केंद्रीय विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदान : 2000-2001

(रु० करोड़ में)

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	योजनेतर अनुदान
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	6.85
2.	असम विश्वविद्यालय	3.72
3.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	0.11
4.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	7.18
5.	जामिया मिलिया विश्वविद्यालय	4.74
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	14.72
7.	महात्मा गांधी अतंर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	3.00
8.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	4.07
9.	नागालैंड विश्वविद्यालय	3.98
10.	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	5.51
11.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	4.54
12.	तेज़पुर विश्वविद्यालय	3.74
13.	दिल्ली विश्वविद्यालय	6.07
14.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	10.59
15.	विश्वभारती	4.20
	जोड़	**83.00**

(ख) राज्य विश्वविद्यालय

विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित नियमों के अधीन स्थापित किए गए 176 विश्वविद्यालय हैं । वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 12(ख) के अनुसार 17 जून, 1972 के बाद स्थापित नवीन राज्य-विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार, वि०अ०आ० अथवा केंद्रीय सरकार से निधि प्राप्त कर रहे किसी संगठन से कोई अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे बशर्ते कि विहित मानदंडों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार आयोग स्वयं को संतुष्ट न कर ले कि ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने योग्य है ।

फिलहाल मेडिकल और कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर जिनमें कि इंजीनियरिंग विभाग नहीं हैं, 116 राज्य विश्वविद्यालय वि०अ०आ० से अनुदान प्राप्त करने के पात्र है । विशिष्ट स्कीमों के लिए अनुदान सहित विकास अनुदान पात्र विश्वविद्यालयों को प्रदान किए जाते हैं ताकि ऐसी आधार संरचनात्मक सुविधाओं की प्राप्ति एवं वृद्धि को सुकर बनाया जा सके जो उन्हें सामान्यत: राज्य सरकार अथवा अन्य सहायता देने वाले निकायों से उपलब्ध नहीं होती हैं ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान 116 पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को रु०164.06 करोड़ का विकास अनुदान प्रदान किया गया ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रदत्त अनुदानों का राज्यवार विवरण सारणी 3.3 में दिया गया है ।

सारणी 3.3 : राज्य विश्वविद्यालयों को प्रदत्त योजनागत अनुदान : 2000-2001
(मेडिकल/कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर)

(रु० करोड़ में)

क्र०सं०	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या	राज्य विश्वविद्यालयों को प्रदत्त योजना अनुदान
1.	आंध्र प्रदेश	09	11.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	01	1.30
3.	असम	02	2.34
4.	बिहार	07	4.40
5.	गोवा	01	0.86
6.	गुजरात	07	34.54
7.	हरयाणा	04	2.92
8.	हिमाचल प्रदेश	01	1.65
9.	जम्मू और कश्मीर	02	2.67
10.	कर्नाटक	09	7.81
11.	केरल	05	4.98
12.	मध्य प्रदेश	12	10.14
13.	महाराष्ट्र	09	18.45
14.	मणिपुर	01	0.94
15.	उड़ीसा	03	4.41
16.	पंजाब	04	6.01
17.	राजस्थान	05	4.28
18.	तमिलनाडु	11	17.28
19.	त्रिपुरा	01	0.57
20.	उत्तर प्रदेश	15	12.53
21.	पश्चिम बंगाल	07	14.31
	जोड़	**116**	**164.06**

- **जयंती अनुदान (25, 50, 75, 100 तथा 150 वर्ष पूरे करने के लिए)**

9वीं योजना मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत उन राज्य विश्वविद्यालयों को विकासार्थ सहायता के लिए जयंती अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था है जो कि 25, 50, 75, 100 तथा 150 वर्ष पूरे कर चुके हैं । यह अनुदान 9वीं योजना के दौरान किसी विश्वविद्यालय को दिए गए विकास अनुदान के अलावा एक अतिरिक्त अनुदान होगा । यह सहायता पुराने भवनों के जीर्णोद्धार तथा नवीन भवनों के निर्माण जैसे पूंजीगत व्यय की अपेक्षा रखने वाले कार्यों के लिए उपलब्ध होगी ।

सहायता की मात्रा

(रु० लाख में)

क्र०सं०	उत्सव का स्वरूप	सहायता की मात्रा
1.	150 वर्ष	100.00
2.	शताब्दी वर्ष (100 वर्ष)	75.00
3.	प्लैटिनम जयंती (75 वर्ष)	50.00
4.	स्वर्ण जयंती (50 वर्ष)	25.00
5.	रजत जयंती (25 वर्ष)	10.00

वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना के अंतर्गत सहायता और अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची सारणी 3.4 में दी गई है ।

सारणी 3.4 : राज्य विश्वविद्यालयों को जयंती अनुदान : 2000-2001

(रु० लाख में)

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	आबंटित कुल अनुदान	प्रदत्त अनुदान
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय (स्वर्ण जयंती)	25.00	20.00
2.	एच० एस० गौड़ विश्वविद्यालय (स्वर्ण जयंती)	25.00	23.00
3.	कर्नाटक विश्वविद्यालय (स्वर्ण जयंती)	25.00	20.00
	जोड़	**75.00**	**63.00**

- ## 1966-1970 के बीच स्थापित विश्वविद्यालयों की विद्यमान प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों के उन्नयन के लिए विशेष एकबारगी अनुदान

वर्ष 2000-2001 के दौरान वर्ष 1966-70 के बीच स्थापित विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों के उन्नयन के लिए विशेष स्कीम के अंतर्गत इन विश्वविद्यालयों को रु०250.00 लाख के अनुदान प्रदान किए गए जैसाकि सारणी 3.5 में दिखाया गया है ।

सारणी 3.5 : 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त एक बारगी अनुदान

(रु० लाख में)

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	प्रदत्त अनुदान
1.	जम्मू विश्वविद्यालय	25.00
2.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	25.00
3.	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय	25.00
4.	बरहामपुर विश्वविद्यालय	25.00
5.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	25.00
6.	कालीकट विश्वविद्यालय	25.00
7.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	25.00
8.	ए०पी० सिंह विश्वविद्यालय	25.00
9.	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय	25.00
10.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	25.00
	जोड़	250.00

- ## गुजरात राज्य को पुनर्वास तथा अन्य क्षति-मरम्मत कार्यों के वास्ते भूकंप राहत हेतु विशेष अनुदान

मानव संसाधन विकास के माननीय मंत्री डॉ० मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में मंत्रालय के कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों, वि०अ०आ० के उपाध्यक्ष एवं सचिव के एक दल ने 18 फरवरी, 2001 को गुजरात राज्य का दौरा किया ताकि 26 जनवरी, 2001 को आए भयंकर भूकंप से राज्य में शैक्षिक संस्थानों को हुई क्षति का जायज़ा लिया जा सके । माननीय मंत्री जी ने गुजरात राज्य के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 18 फरवरी, 2001 को राज्य में शैक्षिक संस्थानों को पहुँची क्षति की बाबत चर्चा की । गुजरात राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई सुविस्तृत रिपोर्ट देखने के बाद माननीय मंत्री ने गुजरात राज्य की सरकार को शिक्षा संस्थानों को मुहैया किए जाने के लिए रु०150 करोड़ की सहायता की घोषणा की । इसमें वि०अ०आ० के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थाओं को दिए गए रु० 50 करोड़ शामिल हैं । माननीय मंत्री जी ने 2 मार्च, 2001 इस बात की घोषणा राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान की ।

आयोग ने गुजरात राज्य के विश्वविद्यालयों/कालेजों को निम्नलिखित अनुदान दिए :

(क)	विश्वविद्यालय	अनुदान
1.	गुजरात विश्वविद्यालय	1449.00
2.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	90.55
3.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	350.00
4.	भावनगर विश्वविद्यालय	373.00
5.	उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय	25.00
6.	एम०एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय	175.00
7.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	15.00
	उप जोड़ (क)	**2477.55**
(ख)	**कालेज**	
1.	सरकारी कालेज (16)	2196.13
2.	गैर-सरकारी कालेज (150)	386.81
	उप-जोड़ (ख)	**2582.94**
	कुल जोड़ (क + ख)	**5060.49**

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों, सरकारी तथा गैर-सरकारी कालेजों को दी गई कुल सहायता रु०5060.49 करोड़ की थी ।

- ## उड़ीसा राज्य में पुनर्वास तथा अन्य क्षति मरम्मत कार्यक्रम हेतु कतिपय कालेजों को चक्रवात राहत के तौर पर एकबारगी अनुदान

आयोग ने 28 मार्च, 2000 को हुई एक बैठक में उड़ीसा राज्य में तीन विश्वविद्यालयों तथा अठारह कालेजों को चक्रवात राहत के तौर पर वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान रु० 458.00 लाख का अनुदान देना मंजूर किया ताकि वे पुनर्वास तथा अन्य क्षति नियंत्रण कार्यक्रम पूरा कर सकें । तथापि, संसाधनों की कमी एवं निधियों की विलंब से प्राप्ति के कारण अनेक तूफान पीड़ित कालेजों के प्रस्तावों पर पहले विचार नहीं किया जा सका । इन प्रस्तावों की छानबीन की गई तथा कालेजों को अभिज्ञात किया गया । इसमें वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रत्येक कालेज को प्रदान की जाने वाली सहायता की मात्रा शामिल है जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथन मिश्र के साथ हुए विचार-विमर्श पर आधारित थी तथा 29.3.2001 को आयोग द्वारा आयोजित बैठक में अनुमोदित की गई । कालेजानुसार प्रदत्त अनुदान सारणी 3.6 में दर्शाए गए हैं ।

सारणी 3.6 : उड़ीसा के कोलजों को चक्रवात राहत के तौर पर एकबारगी अनुदान : 2000-2001

(रु० लाख में)

क्र०सं०	कालेज	प्रदत्त अनुदान
1.	आदि कवि सरला दास कालेज, टिरटोल	3.00
2.	अलका महाविद्यालय, पटाकूरा	5.00
3.	ऑल कालेज, ऑल	3.00
4.	बालिकुडा कालेज, जगतसिंगपुर	5.00
5.	बाँकी कालेज, बाँकी	10.00
6.	बारहमानी कॉलेज, विद्यानगर	5.00
7.	चाँदाबाली कालेज, चाँदाबाली	5.00
8.	क्राइस्ट कालेज, कटक	10.00
9.	धेनकनाल लॉ कालेज, धेनकनाल	10.00
10.	गंजम कालेज, गंजम	10.00
11.	गोदावरीश महाविद्यालय, बानपुर	5.00
12.	एच० एन० एस० महाविद्यालय, लेमद्रानादा	5.00
13.	इंदिरा गांधी महिला विद्यालय, जयपुर रोड	5.00
14.	जगन्नाथ महाविद्यालय, जगतसिंहपुर	5.00
15.	कस्तूरबा गांधी मेमोरियल कालेज, पुरी	3.00
16.	केंद्रपाड़ा कालेज, केंद्रपाड़ा	5.00
17.	खल्लीकोट कालेज, बरहामपुर	20.00
18.	लोकनाथ महाविद्यालय, पटाकूरा	5.00
19.	एम० एस० कालेज, बारम्बा	5.00
20.	मरसाघई कालेज, मरसाघई	10.00
21.	पारादीप कालेज, पारादीप	20.00
22.	पटामुंडई कालेज, पटामुंडई	5.00
23.	प्राणकृष्ण महाविद्यालय, वैतरणी रोड	5.00
24.	एस० एस० बी० कालेज, महाकलपाड़ा	5.00
25.	तुलसी महिला कालेज, केंद्रपाड़ा	3.00
	जोड़	**172.00**

9वीं योजना अवधि के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर केंद्रों को विकास सहायता

वर्ष 2000-2001 के दौरान वि०अ०आ० द्वारा विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर केंद्रों को प्रदत्त विकास सहायता सारणी 3.7 में दर्शायी गई है ।

सारणी 3.7 : राज्य विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर केंद्रों को विकास अनुदान : 2000-2001

(रु० लाख में)

क्र०सं०	विश्वविद्यालय/स्नातकोत्तर केंद्र का नाम	9वीं योजना अवधि (1999-2002) के लिए आबंटन	प्रदत्त अनुदान
1.	आंध्र विश्वविद्यालय (काकीनाडा)	15.00	3.00
2.	आंध्र विश्वविद्यालय (श्रीकाकुलम)	22.50	4.50
3.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय (संडूर)	25.00	5.00
4.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (सिरसा)	37.50	7.50
5.	मद्रास विश्वविद्यालय (बेल्लौर)	11.00	2.20
6.	मंगलौर विश्वविद्यालय (मेडिकेरी)	20.00	4.00
7.	नागार्जुन विश्वविद्यालय (नुज्विड)	22.50	4.50
8.	शिवाजी विश्वविद्यालय (शोलापुर)	37.50	7.50
9.	श्रीकृष्णा देवराय विश्वविद्यालय (कुर्नूल)	40.00	8.00
10.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय (कुड्डापाह)	45.00	9.00
11.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय (कवाली)	45.00	9.00
	जोड़	**321.00**	**64.20**

- ## विश्वविद्यालयों में दिवस-देखभाल केंद्र (विशेष स्कीम)

वि० अ० आ० ने विश्वविद्यालय में तीन मास से छह वर्ष के बच्चों के लिए जबकि उनके माता-पिता (विश्वविद्यालय कर्मचारी/छात्र) कार्य हेतु घर से बाहर होते हैं - एक दिवस चर्या सुविधा स्कीम चालू की है । इसमें पुरुष कर्मचारी/स्कॉलर/छात्र शामिल हैं जिनकी पत्नियाँ अन्यत्र कार्यरत हों ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान ग्यारह राज्य विश्वविद्यालयों को रु०22.00 लाख के अनुदान दिए जैसाकि सारणी 3.8 में दिखाया गया है ।

सारणी 3.8 : विश्वविद्यालयों में दिवस-देखभाल केंद्रों को दिए गए अनुदान : 2000-2001

(रु० लाख में)

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	प्रदत्त अनुदान
1.	आंध्र विश्वविद्यालय	2.00
2.	अन्ना विश्वविद्यालय	2.00
3.	कालीकट विश्वविद्यालय	2.00
4.	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2.00
5.	जम्मू विश्वविद्यालय	2.00
6.	ककातिया विश्वविद्यालय	2.00
7.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	2.00
8.	एम० जे० पी० रुहेलखंड विश्वविद्यालय	2.00
9.	नागपुर विश्वविद्यालय	2.00
10.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	2.00
11.	उत्कल विश्वविद्यालय	2.00
	जोड़	**22.00**

(ग) समविश्वविद्यालय

वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 3 में यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय से भिन्न कोई भी उच्चशिक्षा संस्था जो कि विशेष क्षेत्र में बहुत ऊँचे दर्जे का कार्य कर रही हो उसे समविश्वविद्यालय घोषित किया जा सकता है । ऐसी संस्थाओं को विश्वविद्यालय का शैक्षिक दर्जा तथा विशेषाधिकारों का लाभ होगा और सामान्य बहु-संकाय वाले विश्वविद्यालय बनने की अपेक्षा अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में अपनी गतिविधियाँ मजबूत करने के लिए समर्थ हो सकेंगे ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान वि०अ०आ० अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन निम्नलिखित संस्थाओं को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया :

1. बिहार योग भारती, मुंगेर (बिहार)
2. धर्मसिंह देसाई प्रौद्योगिकी संस्थान, नांदियाड (गुजरात)
3. इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद (उ०प्र०)
4. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, इलाहाबाद (उ०प्र०)
5. भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान, लखनऊ (उ०प्र०)
6. विनायक मिशन अनुसधान फाउंडेशन (तामिलनाडु)

रिपोर्टाधीन वर्ष में छब्बीस समविश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थाओं को अनुरक्षा व्यय हेतु रु० 62.82 करोड़ के योजनेतर अनुदान तथा 27 समविश्वविद्यालयों को रु० 17.58 करोड़ के योजनागत अनुदान प्रदान किए गए। विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण सारणी 3.9 तथा 3.10 में दिया गया है ।

सारणी 3.9 : समविश्वविद्यालय संस्थाओं को योजनेतर अनुदान : 2000-2001

(रु० करोड़ में)

क्र०सं०	संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम	योजनेतर अनुदान
1.	श्री अविनाशीलिंगम् महिला गृहविज्ञान और उच्च शिक्षा संस्थान, चेन्नई	6.07
2.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	3.02
3.	बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी	0.44
4.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची	0.65
5.	केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	9.86
6.	दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा	3.93
7.	वन विज्ञान संस्थान, देहरादून	0.02
8.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	7.06
9.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	6.42
10.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	4.94
11.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	0.10
12.	भारतीय खान स्कूल, धनबाद	0.01
13.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	0.48
14.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, मुंबई	0.03
15.	जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूँ	0.01
16.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	5.07
17.	एल०एन०शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	0.05
18.	राष्ट्रीय संग्रहालय इतिहास एवं कला संरक्षण संस्थान, दिल्ली	0.07
19.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	0.01
20.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	2.56
21.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व-महाविद्यालय, कांचीपुरम	0.07
22.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	4.54
23.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	0.01
24.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई	6.94
25.	थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	0.44
26.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	0.02
	जोड़	62.82

सारणी 3.10 : समविश्वविद्यालय संस्थाओं को योजनागत अनुदान : 2000-2001

(रु० करोड़ में)

क्र०सं०	संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	योजनागत अनुदान
1.	श्री अविनाशलिंगम् महिला गृहविज्ञान और उच्च शिक्षा संस्थान, चेन्नई	1.20
2.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	0.68
3.	बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, हावड़ा	0.11
4.	भारती विद्यापीठ, पुणे	0.10
5.	बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी	0.13
6.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची	0.23
7.	केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	1.22
8.	केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ	0.34
9.	दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा	0.68
10.	दकन कालेज पी०जी० तथा अनुसंधान संस्थान, पुणे	0.04
11.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	1.04
12.	गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे	0.31
13.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1.79
14.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1.08
15.	भारतीय खान स्कूल, धनबाद	0.07
16.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	0.73
17.	जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूँ	0.65
18.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	1.83
19.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	0.42
20.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	1.55
21.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	0.25
22.	श्री सी०एस० विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम्	0.60
23.	श्री सत्य साई उच्च अधिगम संस्थान, अनंतपुर	0.56
24.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई	1.65
25.	थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	0.09
26.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	0.21
27.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	0.02
	जोड़	17.58

3.2 समविश्वविद्यालयों की मुख्य विशेषताएं : 2000-2001

3.2.1 केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान (सी आई ई एफ एल) हैदराबाद

अपने तैतालीस वर्षों के अस्तित्व के दौरान सी आई ई एफ एल ने 50,000 से अधिक अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है और इसने भाषा तथा साहित्य अध्ययनों के क्षेत्र में विशेषज्ञता एवं ज्ञान प्रसारित करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में अपने को प्रतिष्ठित किया है। इसने एक ऐसी विशेषज्ञता विकसित की है जो अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, भाषा पाठ्यचर्या डिज़ाइन, अनुदेशात्मक सामग्री के विकास, भाषा प्रवीणता जाँच, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, शैक्षिक मीडिया अनुसंधान तथा उप-निवेशोत्तर संदर्भों में साहित्य तथा संस्कृति अध्ययन की आवश्यकताओं के लिए विशेषकर उपयोगी है। इसकी इन उपलब्धियों तथा उल्लेखनीय विशेषज्ञता एवं अनुभव को मान्यता प्रदान करते हुए संस्थान को 1973 में समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। इसके प्रमुख अकादमिक कार्य हैं - शिक्षक शिक्षा, अनुसंधान, सामग्री विकास तथा परामर्शसेवा। संस्थान के शिलांग तथा लखनऊ स्थित क्षेत्रीय केंद्र भारत के उत्तर-पूर्वी तथा उत्तरी भागों की आवश्यकता पूरी करते हैं।

सी आई ई एफ एल को एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने की दृष्टि से संस्थान के अकादमिक प्रशासन को पाँच स्कूलों में पुनर्गठित किया गया। इसे प्रदान किए गए अध्ययनों के लिए प्रत्येक स्कूल के अनेक केंद्र हैं। प्रत्येक स्कूल प्रतिमुखी तथा दूरस्थ रीति के कार्यक्रम प्रदान करता है। वर्ष के दौरान संस्थान ने विभिन्न शाखाओं में अंग्रेजी में एम॰ ए॰ कार्यक्रम शुरू किए हैं और एम॰ ए॰ के छात्रों का प्रथम बैच वर्ष 2001-2002 के अंत में संस्थान से निकलेगा। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों को सारे भारत में से चुना जाता है। वर्ष 2000-2001 में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रत्यायन समिति द्वारा इसे पाँच तारे प्रदान किए जाने के बाद संस्थान का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्तर के वास्ते दावा और भी मजबूत हो गया।

संस्थान एम॰ ए॰, एम॰फिल तथा पीएच॰डी॰ (दोनों अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं में) के पाठ्यक्रम चलाता है। इन आवासीय पाठ्यक्रमों के अलावा संस्थान दूरस्थ विधि के माध्यम से भी दो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम - पी जी सी टी ई तथा पी जी डी टी ई और अंग्रेजी में एम॰फिल की डिग्री वाला अनुसंधान कार्यक्रम चलाता है। संस्थान परिचय-स्तर से अरबी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, स्पेनिश और जापानी में अंशकालिक पाठ्यक्रम भी चलाता है। पूर्णकालिक एम॰ए॰ पाठ्यक्रमों के अलावा फ्रेंच, जर्मन, रूसी तथा स्पेनी भाषाओं में दूरस्थ विधि से भी एम॰ए॰ का पाठ्यक्रम चलाया जाता है।

मीडिया तथा संचार केंद्र ने शिक्षण के अलावा आकाशवाणी के सभी केंद्रों के माध्यम से प्रसारार्थ कार्यक्रम भी तैयार किए हैं। संस्थान ने अपने शिक्षा मीडिया अनुसंधान केंद्र के जरिए भी वीडियो कार्यक्रम तैयार किए। ये कार्यक्रम दूरदर्शन के देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित किए जाते हैं।

संस्थान ने वर्ष 2000-2001 के दौरान जिला केंद्र योजना तथा ई एल टी आई सहायता स्कीम का कार्यान्वयन तथा परिवीक्षण जारी रखा। इसका निधीयन भारत सरकार करती है।

वर्ष 1999-2001 के दौरान शुरू की गई 'नेल्ट्स' (राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षा सेवा) परियोजना ने देश में दक्षता स्तरों के प्रत्यायन के लिए अंग्रेजी भाषा परीक्षा विकसित और शुरू की। पहली परीक्षा 19.11.2000 को आयोजित की गई। इसका भारी स्वागत होने के कारण संस्थान ऐसी परीक्षाएँ प्रतिवर्ष चलाने के लिए योजना बना रहा है।

भारत सरकार के अनुमोदन से संस्थान ने विश्व के विभिन्न भागों के छात्रों एवं पेशेवरों के लिए अंग्रेजी में अपेक्षानुसारी पाठ्यक्रम प्रदान करना शुरू किया है। संस्थान ने छात्रों एवं पेशेवरों के सात बेचों को प्रशिक्षित किया है और फिलहाल आठवें बैच का प्रशिक्षण चल रहा है। वर्ष 2000-2001 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 129 छात्रों को तीन बैचों में प्रशिक्षित किया गया। इन पाठ्यक्रमों के छात्र 2[illegible] भिन्न-भिन्न देशों के थे।

अपने देशों में इन केंद्रों को खोलने के लिए संस्थान के पास अन्य देशों से भी पूछताछ आ रही है । वियतनाम में अंग्रेजी के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में सहायता देने के लिए संस्थान ने पहले ही संकाय के एक सदस्य को प्रतिनियुक्त कर दिया है । संस्थान जल्दी ही श्रीलंका में अपना केंद्र खोलने पर विचार कर रहा है ।

संस्थान के शिलांग स्थिति क्षेत्रीय केंद्र को मेघालय सरकार ने चालीस एकड़ भूमि प्रदान की है । यहाँ अपना परिसर विकसित करने के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

संस्थान के पुस्तकालय का, जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालयों में से एक है, पूर्ण कंप्यूटीकरण कर दिया गया है । इसमें भाषा, भाषा विज्ञान तथा साहित्य विषयक सामग्री का अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं में उत्तम संग्रह है । पुस्तकालय में डिजिटल प्रयोगशाला भी है ।

संस्थान अंग्रेजी में दक्षता सुधारने के लिए घरेलू महिलाओं, प्रबंधकों आदि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अंग्रेजी में अंशकालिक पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत करता है ।

संस्थान उन केंद्रों में से एक है जिन्होंने वर्ष के दौरान अंग्रेजी, भाषा विज्ञान तथा विदेशी भाषाओं में वि०अ०आ० पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए । वर्ष 2000-2001 के दौरान कुल 7 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए । सी आई ई एफ एल ने वर्ष के दौरान अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ तथा सम्मेलन भी आयोजित किए ।

वर्ष के दौरान संस्थान के संकाय ने निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित कीं :-

1.	फंक्शनल ग्रामर	–	प्रो० के० ए० जयसीलन
2.	कम्यूनिकेशन एंड ग्रामर	–	प्रो० प्रिया होसाली
3.	ट्रांसलेशन इनिशियेटिव	–	प्रो० एन० रस्तोगी
4.	मल्टी-लिंगुअल ग्लौसरी		
5.	इंग्लिश थ्रू रशियन	–	डॉ० जेड० एन० पाटिल तथा डॉ० रामदास अकेल्ला
6.	लेंगुएज एंड कल्चर	–	प्रो० जे० पी० डिमरी और प्रो० एन० रस्तोगी

सी आई ई एफ एल अंग्रेजी में दो अर्धवार्षिक जर्नल – सी आई ई एफ एल बुलेटिन तथा अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा का जर्नल भी प्रकाशित करता है ।

वर्ष के दौरान संस्थान ने निम्नलिखित डिग्रियाँ तथा डिप्लोमा प्रदान किए –

अंग्रेजी डिवीजन	–	एम० फिल०	13
		पीएच०डी०	9
दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम	–	पी०जी०सी०टी०ई०	125
		पी०जी०डी०टी०ई०	56
विदेशी भाषा डिवीजन	–	अंशकालिक पाठ्यक्रम	552
	–	एम०ए० (पूर्णकालिक)	20
		एम० ए० (दूरस्थ)	27
		एम० फिल० (नियमित)	4
		पी०जी०डी०टी०	3
		पीएच० डी०	2
		एम० फिल० (डीएम)	2

3.2.2 दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा

क निष्पादन-सूचक

नामांकन (विश्वविद्यालय स्तर) 2322, अनुसंधान/पीएच० डी० 119 (संचयी पीएच०डी० निर्गत 156), स्नातकोत्तर 414 (उत्तीर्ण प्रतिशतता 100 प्रतिशत), पूर्व-स्नातक 1789 (उत्तीर्ण प्रतिशतता 99 प्रतिशत), महिला नामांकन 1540 (66 प्रतिशत)।

8007 छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया था जिनमें से वर्ष के दौरान 1157 छात्रों का चयन किया गया।

शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में कार्यदिवस	233
अंतिम सेमस्टर परीक्षाओं को छोड़कर कार्यदिवस	213
शोध के लिए कार्यदिवस	285
31.3.2001 को शिक्षकों की कुल संख्या	180 (पु० 104, म० 76)
शिक्षक/छात्र अनुपात	1:12.7
शिक्षणेतर स्टाफ की संख्या	273
शिक्षण/शिक्षणेतर स्टाफ का अनुपात	1:1.5

ख अखिल भारतीय प्रतियोगिताएं

गेट

2000	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या सफलता अनुपात 21(36 में से)	संस्थागत रैंक या उच्चतम प्रतिशत 99.95
2001	21 (35 में से)	99.71

इंजीनियरी सेवा परीक्षा

2000-2001	संस्थान के विद्यार्थी माणिक पांडे ने दूसरा रैंक प्राप्त किया

वि॰ अ॰ आ॰ - राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा (नेट)

परीक्षा	सामान्य उम्मीदवार			अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰		
	परीक्षा में बैठे छात्रों की सं॰	उत्तीर्ण छात्रों की सं॰	% उत्तीर्ण	परीक्षा में बैठे छात्रों की सं॰	उत्तीर्ण छात्रों की सं॰	% उत्तीर्ण
जुलाई, 2000	51	10	19.6	8	1	12.50
दिसंबर, 2000	8	3	3.61	12	2	16.67
जून, 2001	91	1	1.10	13	1	7.69

ग विश्वविद्यालय की उपलब्धि तथा उत्कृष्टता के लिए संभाव्यता

2000-2001 अनुकरणीय समुदायसेवा के हेतु देश में सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय के वास्ते 1997-1998 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कार (चित्र संलग्न है)

2000-2001 भारत सरकार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग से 5 वर्ष के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधार-संरचना (एफ आई एस टी) के सुधार हेतु निधीयन भौतिकी तथा कंप्यूटर विज्ञान रू॰ 67.55 लाख; रसायन विभाग रू॰ 31.0 लाख ।

घ नेटवर्किंग स्थिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कैम्पस - स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लान) के तंतु प्रकाशिक बैकबोन सहित रू॰ 50 लाख लागत से कंप्यूटर केंद्र के उन्नयन के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें इंजीनियरी संकाय, टेकनीकल कालेज, कंप्यूटर केंद्र, विज्ञान संकाय, केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालय और केंद्रीय पुस्तकालय को जोड़ा जाएगा और यू टी पी केबिल से कला, वाणिज्य तथा सामाजिक विज्ञानों को जोड़ा जाएगा ।

ङ सत्र 2000-2001 की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

संस्थान का 19वां दीक्षांत समारोह 20.1.2001 को आयोजित किया गया । प्रोफेसर अरुण निगवेकर, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने दीक्षांत भाषण दिया ।

डॉ॰ विक्रम कुमार, निदेशक, घन अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा मंत्रालय ने 'भविष्य की अर्ध-चालक युक्तियाँ' विषय पर 03.03.2001 को 'हीरक जयंती स्मारक व्याख्यान' दिया ।

3.2.3 गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

गुजरात विद्यापीठ एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान है । इसकी स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1920 में अहमदाबाद में की थी । इस विद्यापीठ को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है जिसमें 2300 से भी अधिक पूर्णकालिक छात्र हैं । विद्यापीठ के प्रथम कुलपति और उनके उत्तराधिकारी सरदार बल्लभभाई पटेल, डॉ० राजेंद्र प्रसाद, श्री मोरारजी देसाई, प्रोफेसर रामलाल पारिख तथा डॉ० सुशीला नैयर के समय विद्यापीठ के कार्यक्रम समाज की चुनौतीपूर्ण जरूरतों के प्रतिअनुक्रियाशील रहे हैं ।

- पत्रकारिता तथा संचार विभाग ने नियमित छात्रों के लिए एक वर्षीय एम० फिल कार्यक्रम शुरू कर दिया है । कुछ विभागों ने अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संशोधन/पुनर्गठन कर दिया है ।

- सभी स्नातकोत्तर छात्रों ने गुजरात विद्यापीठ के हिंदी भवन द्वारा प्रस्तावित 'हिंदी विनीत' में पाठ्यक्रम ग्रहण किए । किसी विशेष पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे छात्रों को संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करने वाले अन्य विभागों में भेजा गया ताकि वे शोध निबंध/शोध प्रबंध (थीसिस) प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें जो प्रत्येक पाठ्यक्रम के सभी स्नातकोत्तर और पूर्व-स्नातक छात्रों के लिए अनिवार्य है ।

- विभिन्न विभागों के 32 संकाय सदस्यों ने पुनश्चर्या तथा अभिविन्यास पाठ्यक्रमों तथा विंटर स्कूलों में भाग लिया । दस संकाय सदस्यों ने विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में 31 वार्ताएँ दी और 'एडिनेट' बैठक में भी भाग लिया ।

- विभिन्न विभागों के 14 संकाय सदस्यों ने 70 लेख और 9 पुस्तकें प्रकाशित कीं जबकि 5 पांडुलिपियाँ प्रेस को भेजी गईं ।

- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के छात्रों को शोधकार्य के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करने में अभिविन्यास/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए गए । इसके अतिरिक्त, देश और विदेश के विद्वान विशेषज्ञों द्वारा विशेष वार्ताएँ प्रदान की गईं । इनमें डॉ० क्लाउडे वेल्च, स्टाफ स्टेट विश्वविद्यालय, न्यूयार्क, डॉ० कुमार पाल देसाई, डॉ० थामसभाई परमार और डॉ० सतीश कुमार जैन (यू० के०) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

- समस्त परीक्षा कार्य के लिए कंप्यूटरीकरण की परियोजना तैयार कर ली गई है ।

- सामाजिक कार्य विभाग को 'चाइल्ड हैल्प लाइन सर्विस' को प्रचालित करने का कार्य सौंपा गया और परिवार उपबोधन केंद्रों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करने के वास्ते उनका चयन किया गया।

  गुजरात विद्यापीठ के सभी विस्तार केंद्रों ने अनेक प्रशिक्षण शिविरों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया और अनेक पुस्तिकाएँ, फोल्डर्स, ब्रोशर तथा पठन सामग्री तैयार कीं । छात्रों ने एड्स और मादक द्रव्यों तथा जानलेवा भूकंप के बाद पुनर्वास के संबंध में जागरूकता पैदा करने का काम किया । उन्होंने ग्रामीण शिविरों में भी भाग लिया ।

- 20 परिसंवाद, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ, प्रशिक्षण शिविर (प्रौढ़ एवं अनुवर्ती शिक्षा) तथा तीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (गांधी अध्ययन, पुस्तकालय विज्ञान, शिक्षा) आयोजित किए गए । छात्रों में प्रतियोगिता, उपयुक्तता, आमोद-प्रमोद, मनोरंजन तथा खिलाड़ी भावना को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरा-भित्ति-चित्र (इन्ट्रामूरल) तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए । भारतीय भाषा संस्थान के नए भवन में जिसका नाम 'प्रोफसेर रामलाल पारिख भवन' है, आजकल भारत की मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अल्पकालिक कक्षाएँ लगाई जा रही हैं ।

- 'सर्वधर्म सम्भाव' पर एक व्याख्यान-माला का आयोजन किया गया । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान चार व्याख्यानों का आयोजन किया गया ।

- विभिन्न संकायों के छात्रों ने 26 जनवरी, 2001 को आए भंयकर भूंकप के बाद कच्छ क्षेत्र में बचाव कार्य, उपबोधन कार्य, डाटा एकत्रण कार्य तथा अन्य राहत कार्य में भाग लिया ।

- नामांकित छात्रों में 61.9 प्रतिशत छात्र पिछड़े वर्गों के थे (23.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 18.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 19.9 अन्य) । उन्हें रहने का ऐसा पर्यावरण उपलब्ध कराया गया जो अकांदमिक एवं वैयक्तिक विकास के लिए आरामदायक, सुरक्षित और सहायक था । उनके लिए भाषा दक्षता बढ़ाने हेतु विशेष उपचारी कक्षाएँ भी लगाई गईं ।

- गतवर्ष सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में महिलाओं का नामांकन 30 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया । जेंडर मुद्दों तथा महिला सशक्तीकरण के संबंध में महिलाओं के अधिकार और विशेष जागरूकता कार्यक्रमों पर संगोष्ठी आयोजित की गई ।

- इस वर्ष कुल 2246 छात्रों का नामांकन किया गया - महात्मा गांधी कैम्पस, अहमदाबाद में 1059, रंधेजा कैम्पस में 185 और साद्रा कैम्पस में 1002 ।

गुजरात विद्यापीठ उच्च शिक्षा में गांधी परंपरा एवं मूल्यों पर और सभी प्रकार से समाज का सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर भूतकाल में विशेष जोर देती रही है और भविष्य में भी देती रहेगी ।

3.2.4 गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वैदिक शिक्षा पद्धति के साथ-साथ आधुनिकतम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के प्रतिकार के रूप में स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज द्वारा 4 मार्च 1902 को स्थापित किया गया था । यहाँ देश के सभी श्रेष्ठतम नेता, विचारक यथा महात्मा गाँधी, दीनबन्धु सी०एफ० एन्ड्रूज, डॉ० राजेंद्र प्रसाद, पं० जवाहरलाल नेहरू, महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्दिरा गांधी समय-समय पर पधारते रहे हैं ।

इस सत्र में विश्वविद्यालय में उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें उत्तरांचल के मुख्य मंत्री श्री नित्यानन्द स्वामी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे । मार्च, 2001 में विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह का शुभारंभ हुआ । 25 मई, 2001 को विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें उत्तरांचल के राज्यपाल महामहिम श्री सुरजीत सिंह बरनाला मुख्य अतिथि के रूप में पधारे ।

इसी सत्र में विश्वविद्यालय में आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में एक कदम और बढ़ाते हुए बी०टैक० का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया ।

विश्वविद्यालय में प्राच्यविद्या, मानविकी, जीवविज्ञान, प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रबंधन आदि छह संकाय हैं । कन्याओं की उच्चशिक्षा के लिए समीप ही कन्या गुरुकुल महाविद्यालय का द्वितीय परिसर कन्याओं के लिए है, जिसमें ज्ञान-विज्ञान की उच्च शिक्षा दी जाती है ।

सम्प्रति, विश्वविद्यालय के सभी संकायों में वेद, संस्कृत, दर्शन, योग आदि, की व्यवस्था है । वेद विभाग के एक शिक्षक को यू० जी० सी० की एक बृहत् शोध योजना दी गई । डा० रूपकिशोर शास्त्री की तीन पुस्तकें प्रकाशित हुईं । संस्कृत विभाग के एक शिक्षक को संपूर्णानंद संस्कृत वि० वि० तथा राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा सम्मानित किया गया । प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री ने विश्व संस्कृत सम्मेलन में विशिष्ट सत्रों का संयोजन किया ।

दर्शन विभाग के प्रो० जयदेव वेदालंकार को उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी, लखनऊ, स्वामी गंगेश्वरानन्द वेद-प्रतिष्ठान, नासिक द्वारा पुरस्कृत किया गया तथा उनका एक ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ । विभाग में त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 'सांख्य सिद्धांत पर युक्ति दीपिका' ग्रंथ पर आयोजित की गई ।

श्रद्धानंद वैदिक शोध संस्थान द्वारा गुरुकुल पत्रिका का प्रकाशन हुआ । योग विभाग के अंतर्गत 'जन-चेतना की अवस्थाएँ एवं योग' पर एक त्रिदिवसीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

प्राचीन भारतीय-संस्कृति, इतिहास एवं पुरात्तव विभाग के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर शोध कार्य तथा पुरातात्विक खनन कार्य किए गए ।

वर्ष के दौरान, हिंदी विभाग के प्रो० विष्णुदत्त राकेश की इस वर्ष तीन पुस्तकें, डॉ० संतराम वैश्य की दो पुस्तकें, डा० ज्ञानचन्द रावल, डॉ० भगवान देव पांडे एवं श्री कमल कांत बुधकर की एक-एक पुस्तक प्रकाशित हुई ।

अंग्रेजी विभाग में एक त्रिदिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ । मनोविज्ञान विभाग के अंतर्गत एक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ । डॉ० एस० के० श्रीवास्तव की एक पुस्तक प्रकाशित हुई ।

प्रबंधन संकाय के डीन एवं प्राचार्य प्रो० सतीश चन्द्र धामीजा ने एक पुस्तक का संपादन किया । विभाग में कार्यरत डॉ० अनिल धीमान की एक पुस्तक प्रकाशित हुई । डॉ० धीमान को मुजफ्फरनगर में यंग सांइटिस्ट चुना गया, इनका नाम मिलिनियम अंक व इंटरनेशनल डायरेक्ट्री ऑफ इंटलेक्चुअल्स यू०एस०ए० में सम्मिलित किया गया ।

जंतु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के द्वारा दो पुस्तकें प्रकाशित कराई गईं । प्रो० बी० डी० जोशी को राष्ट्रीय हिंदी संस्थान तथा भारतीय प्राणी विज्ञान परिषद् द्वारा सम्मानित किया गया । डॉ० प्रकाश जोशी को उनके शोध कार्यों के लिए ज़ूलोजिकल सोसाइटी आफ इंडिया द्वारा स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया ।

वर्ष के दौरान वनस्पति एवं सूक्ष्म जीव विभाग के प्रो० डी० के० माहेश्वरी की वर्ष में तीन पुस्तकें प्रकाशित हुईं । डॉ० आर० सी० दुबे की दो पुस्तकें, डॉ० गंगा प्रसाद गुप्ता की एक पुस्तक, डॉ० नवनीत की एक पुस्तक प्रकाशित हुई । विज्ञान संकाय के गणित विभाग के प्रो० एस०एल० सिंह की दो पुस्तकें प्रकाशित हुईं डॉ० विजयेन्द्र शर्मा की एक पुस्तक प्रकाशित हुई ।

रसायन विभाग के अंतर्गत भारतवर्ष में सर्वाधिक पुरानी 1924 में स्थापित इंडियन कैमिकल सोसाइटी की 37वीं वार्षिक कांफ्रेन्स आयोजित की गई जिसमें देश-विदेश के प्रतिष्ठित रसायन वैज्ञानिकों ने भाग लिया ।

प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार विभाग ने मेक-अप, सिलाई आदि में छह-छह महीने के तीन पाठ्यक्रम संचालित किए । ये पाठ्यक्रम महिलाओं के लिए थे । इसके अतिरिक्त, विभाग ने निकट के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया ।

पुस्तकालय

विश्वविद्यालय का पुस्तकालय विश्व प्रसिद्ध हैं जिसमें विभिन्न विषयों, भाषाओं और साहित्य की दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है । यहाँ प्राचीन एवं अर्वाचीन विषय की एक लाख से अधिक पुस्तकें हैं । पांडुलिपियों के संग्रह के अतिरिक्त यह 'इंटरनेट' सेवा से भी युक्त हो गया है ।

3.2.5 जामिया हमदर्द, नई दिल्ली

- **लागू किए गए नए पाठ्यक्रम**
  - ➢ एम० ओथ (मास्टर ऑफ ओकूपेशनल थिरेपी) - दो विद्याशाखाओं में
    बाल चिकित्सा विज्ञान तथा विकलांग विद्या (2 वर्षीय)
  - ➢ एम०डी० (यू) सामाजिक तथा निरोधक औषध (3 वर्षीय)
  - ➢ पी०जी०डी०सी०ए० (कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1½वर्षीय)

- **शिक्षण तथा अनुसंधान के अंत:शास्त्रीय कार्यक्रम**

  शिक्षण के अंत:शास्त्रीय कार्यक्रम अन्य संकायों, संस्थाओं तथा अस्पतालों यथा - यूनानी फार्मेसी, मेडीकल प्रयोगशाला, प्रौद्योगिकी, परिचर्या, फार्मास्यूटिकल्स मेडीसिन के सहयोग से चलाए जा रहे हैं ।

  संस्थागत सहयोग के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय के कुछ पीएच०डी० छात्र विभिन्न संस्थाओं यथा - सी०डी०आर०आई०, लखनऊ, आई०टी०आर०सी०, लखनऊ, मौलाना आज़ाद मेडीकल कालेज, नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली आदि में अनुसंधान परियोजनाओं का कार्य कर रहे हैं ।

- **संकाय सदस्यों द्वारा शैक्षिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं आदि में भाग लेना**

  वर्ष के दौरान संकाय सदस्यों ने 91 राष्ट्रीय तथा 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या संगोष्ठियों में भाग लिया । अनेक संकाय सदस्यों ने इन राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में लेख प्रस्तुत किए ।

- **शिक्षकों द्वारा प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशित लेख/निबंध तथा मोनोग्राफ/प्रकाशित पुस्तकें**

  वर्ष के दौरान प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में शिक्षकों के लगभग 300 शोध लेख/निबंध प्रकाशित किए गए । इसके अतिरिक्त, लगभग 14 पुस्तकें संकाय सदस्यों द्वारा प्रकाशित की गई हैं ।

- **स्तर सुधारने के उपाय**

  विभिन्न पाठ्यक्रमों का स्तर सुधारने के लिए सामूहिक चर्चा तथा संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं तथा उप-नियमों जिनमें विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्य-विवरण शामिल हैं, की समीक्षा की गई तथा जहाँ आवश्यक था उन्हें अद्यतन बनाया गया ।

  नए नियुक्त किए गए लेक्चरारों को शिक्षण विधियों से अवगत कराने के लिए व्यवस्था की गई है ताकि उनका कक्षा निष्पादन बेहतर बन सके ।

  प्रवेश एवं परीक्षा उपनियमों तथा अधिकांश पाठ्यक्रमों के पाठ्य-विवरणों को संशोधित कर दिया गया है और वे नए भर्ती किए गए छात्रों को उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि वे यह समझ सकें कि उनसे क्या आशा की जाती हैं । उसी प्रकार, छात्रों के अनुशासन एवं आचरण उपनियम तैयार किए गए तथा छात्रों में वितरित किए गए ।

  शिक्षकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे छात्रों को वितरित किए जाने के लिए अपने द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों के 'हैंडआउट' तैयार करें ।

  राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं यथा - 'नेट' और 'गेट' को उत्तीर्ण करने के लिए छात्रों को तैयार करने हेतु अनुशिक्षण की व्यवस्था की गई । यह प्रयास अत्यधिक संतोषजनक रहा है क्योंकि इन परीक्षाओं में अनेक छात्र सफल हुए हैं ।

  जामिया भ्रातृत्व को बनाए रखने तथा जामिया के कार्यक्रमों से जनसाधारण को अवगत रखने के लिए इस वर्ष से एक न्यूजलैटर - 'स्प्रैडशीट' शुरू किया गया है । इस न्यूज़लैटर का भारत तथा विदेश में काफी स्वागत किया गया है ।

  मूल्यपरक शिक्षा पर एक व्याख्यानमाला शुरू की गई है । ये व्याख्यान महीने में एक बार समाज के सभी वर्गों द्वारा सम्मानप्राप्त उत्कृष्ट विद्वानों द्वारा दिए जाते हैं ।

- **परीक्षा सुधार के उपाय**

  विश्वविद्यालय की परीक्षा-प्रक्रिया को सरल बनाया गया । सभी परीक्षाएँ हुईं और उनके परिणाम समय पर घोषित किए गए ।

- **समुदाय सेवाएं और विस्तार कार्यक्रम**

  परिचर्या (नर्सिंग) संकाय के छात्रों ने पल्स पोलियो अभियान तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में भाग लिया । छात्र स्लम बस्तियों में गए और और वहाँ के निवासियों को रोगों की रोकथाम, स्वच्छता के महत्व एवं स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से प्रतिरक्षीकरण के बारे में शिक्षित किया ।

- **उपलब्धियाँ और समस्याएँ**

  मए पाठ्यक्रम यथा - पी०जी०डी०सी०ए० मास्टर आफ आकूपेशनल थिरेपी, एम०डी० हिफज़ान-ए-सेहत, एम०ए० इस्लामिक अध्ययन शुरू किए मए । पुनर्वास विज्ञान का एक नया विभाग खोला गया ।

  इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने 'मेट'और 'नेट' परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है । 'गेट' (फार्मेसी) में जामिया हमदर्द के छात्र ने 'टॉप' किया और चार छात्रों ने 99 प्रतिशत से भी अधिक अंक प्राप्त किए । विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् (एन ए ए सी) को प्रत्यायन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है ।

- **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराई गई सुविधाएँ**

  विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले में तरज़ीह देने के अतिरिक्त, जहाँ उपलब्ध थीं, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं ।

- **महिलाओं आदि के लिए कार्यक्रम**

  विश्वविद्यालय परिसर में महिलाओं को तंग करने के मामलों की देखभाल करने के लिए एक समिति गठित कर दी गई है और वह परिसर में अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायता कर रही है । परिचर्या (नर्सिंग) संकाय केवल महिलाओं के लिए ही है ताकि देश में नर्सों की कमी पूरी की जा सके और समाज के पिछड़े तथा कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सके । अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए एक नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किया गया ।

- **1.4.2000 से 31.3.2001 तक के हिताधिकारियों का विशिष्ट डाटा**

  वर्ष के दौरान 30 जेआर एफ (पुरुष 13, महिलाएँ 17), 29 एस आर एफ (पुरुष 15, महिलाएँ 14), तथा सात अनुसंधान एसोशिएट (पुरुष 3, महिलाएँ 4) वि० अ० आ०, सी एस आई आर, सी सी आर यू एम, आई सी ए आर, आई एस एम, एम ई एफ आदि के अंतर्गत थे । इसके अलावा 20 गेट छात्र एम० फार्मा के थे (पुरुष 13, महिलाएँ 7), 52 बी यू एम एस इंटर्नी (पुरुष 38, महिलाएँ 14), 14 हकीम अब्दुल मजीद छात्रवृत्तिधारी (पुरुष 1, महिलाएँ 13), 11 एन एच एफ अनुसंधान अध्येतावृत्तिधारी (पुरुष 9, महिलाएँ 2), 61 डी जी एन एम वृत्तिकाधारी (महिलाएँ 61) तथा 21 एम डी (यूनानी) वृत्तिकाधारी (पुरुष 16, महिलाएँ 5) ।

3.2.6 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

प्रस्तावना

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 1961 में एक केंद्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना की थी । इसका उद्देश्य अनुसंधान की आधुनिक विधियों द्वारा परंपरागत संस्कृत अधिगम का परिरक्षण एवं प्रसार करना तथा संस्कृत का संपूर्ण विकास करना था। कालांतर में इस संस्थान का नाम केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ रख दिया गया और इसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के नियंत्रणाधीन कर दिया गया । सन 1987 में इस विद्यापीठ को समविश्वविद्यालय घोषित किया गया ।

- **विश्वविद्यालय विभाग तथा सुविधाएँ**

इस विद्यापीठ में 11 विभाग हैं जिनमें 400 छात्र आधुनिक तथा परंपरागत विद्याशाखाओं में विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं ।

- **उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान**

इस संस्थान ने सितंबर, 1997 में काम करना शुरू कर दिया था । यह संस्थान माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए संस्कृत में सेवा-पूर्व तथा सेवागत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है ।

विद्यापीठ ने इस संस्थान के लिए एक नए भवन का निर्माण करा दिया है । इसका उद्घाटन 14.10.2000 को न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र, भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति तथा अध्यक्ष, केंद्रीय संस्कृत बोर्ड ने किया था ।

- **नए पाठ्यक्रम**

विश्वविद्यालय ने ज्योतिर्विज्ञान विभाग एवं पौरोहित्य विभाग स्थापित करने के लिए वि० अ० आ० को प्रस्ताव भेजे हैं ।

- **संस्कृत में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**

विद्यापीठ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का एक केंद्र हैं । वि० अ० आ० की वित्तीय सहायता से एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किया गया ।

- **पुस्तकालय**

पुस्तकालय में लगभग 60,000 पुस्तकें हैं । यह पुस्तकालय विभिन्न भाषाओं और लिपियों में लगभग 5000 दुर्लभ पुस्तकों के परिरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । पुस्तकालय ने इन्फ्लिब्नेट की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है ।

- **उड़ीसा पीठ**

उड़ीसा सरकार ने विद्यापीठ में उड़ीसा पीठ स्थापित करने के लिए रु० 50 लाख की राशि मंजूर और जारी की है । 14 अक्तूबर, 2000 को पीठ का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया ।

- **दीक्षांत समारोह**

पाँचवाँ तथा छठा दीक्षांत समारोह क्रमश: 29.04.2000 और 17.03.2001 को आयोजित किया गया । पाँचवें दीक्षांत समारोह में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ० मुरली मनोहर जोशी को संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए उनके द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 'महामहोपाध्याय' की पदवी प्रदान की गई । माननीय मंत्री ने दीक्षांत भाषण दिया । छठे दीक्षांत समारोह में वि० अ० आ० के अध्यक्ष डॉ० हरि गौतम ने दीक्षांत भाषण दिया ।

- **चालू परियोजनाएँ**
- **योगध्यान केंद्र**

विद्यापीठ ने संस्कृत पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक अभिविन्यास सहित एक वैकल्पिक योग पेपर शुरू किया है। अगले शैक्षिक वर्ष में योग और चिंतन में एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

- **संस्क-नेट**

परंपरागत पांडित्य तथा आधुनिक वैज्ञानिक विशेषज्ञता के बीच खाई को पाटने के लिए देश में सभी विश्वविद्यालयों और विद्यापीठों के नेटवर्किंग की एक नवाचारी परियोजना (संस्क-नेट) तैयार की गई है। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण रु० 41.00 लाख की लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है। उक्त राशि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

- **संस्कृत विज्ञान प्रदर्शनी**

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ प्राचीन संस्कृत-विज्ञान के विशाल साहित्य की खोज करने के लिए निश्चित योजना बनाती रही है और काम करती रही है। प्रारंभ में विद्यापीठ ने प्राचीन भारत की विचारधारा तथा संदेश का प्रचार करने के लिए 100 से भी अधिक विषयों पर एक प्रदर्शनी आयोजित की है। संस्कृत विज्ञान प्रदर्शनी के प्रचार के लिए वि० अ० आ० ने रु० 25 लाख की राशि मंजूर की है।

- **रामायण परियोजना**

विद्यापीठ इंटरनेट पर वाल्मिकि रामायण का प्रसारण पहले से ही शुरू कर दिया है और अंग्रेजी पाठ सहित वाल्मिकि रामायण की आठ दुर्लभ टीकाओं यथा - भूषण, अमृतकटक, धर्माकुता, तिलक, महेशतीर्थ, भावदीपा, तानिश्लोकी तथा शिरोमणि को इंटरनेट पर प्रसारित करने से संबंधित विद्यापीठ के प्रस्ताव को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।

- **संस्कृत वर्ष (5101 कलियुगाब्द) मनाने के लिए अकादमिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम**

➢ 25 और 26 अगस्त, 2000 को संस्कृत दिवस मनाया गया।

➢ भारतीय दर्शन के अन्य स्कूलों पर न्याय वैशेषिक पद्धति के प्रभाव पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन 14 अक्तूबर, 2000 को किया गया और संपूर्ण भारत के उत्कृष्ठ विद्वानों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया।

➢ विद्यापीठ ने प्रशिक्षण शिविर की कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रु० 5.83 लाख की वित्तीय सहायता से 7.12.2000 से 27.12.2000 तक अखिल भारत शास्त्रार्थ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक किया।

➢ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तथा महेंद्र संस्कृत विश्वविद्यालय, नेपाल ने 14 से 16 दिसंबर, 2000 तक समकालिक विश्व में संस्कृत की संगतता पर भारत-नेपाल सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से किया। नेपाल और भारत - प्रत्येक के 12 विद्वानों ने संस्कृत वाङ्मय से संबंधित अनेक विषयों पर व्याख्यान दिया। विद्यापीठ ने प्रसिद्ध विद्वानों एवं वैज्ञानिकों द्वारा सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए लेखों से एक 'सोवनीर' निकाला।

बजट

वर्ष के दौरान, विद्यापीठ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से रु० 376.26 लाख (योजनागत रु० 61.20 लाख, योजनेतर रु० 238.50 लाख तथा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए रु० 87.18 लाख) का सहायता अनुदान प्राप्त किया । विद्यापीठ ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारतीय दर्शन - अनुसंधान परिषद्, बी० बी० कोयराला प्रतिष्ठान, सामाजिक कल्याण बोर्ड आदि से भी रु० 87.18 लाख का अनुदान प्राप्त किया ।

3.2.7 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ने सन् 1989 से समविश्वविद्यालय के रूप में काम करना शुरू किया था । सम्प्रति, विद्यापीठ में डिप्लोमा/स्नातक (शास्त्री) तथा स्नातकोत्तर (आचार्य) स्तर पर संस्कृत की अनेक विद्याशाखाओं में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और पीएच०डी० (विद्या वारिधि) तथा डी० लिट (विद्या वाचस्पति) के स्तर पर अनुसंधान कराया जाता है । गत वर्षों के दौरान, विद्यापीठ ने शिक्षकों के लिए अनेक आयोजन किए यथा अनुसंधान संगोष्ठियाँ, व्याख्यानमाला तथा सम्मेलन, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना, संयुक्त संस्कृत परियोजनाएँ आयोजित एवं संचालित करना, दुर्लभ पांडुलिपियों और पुस्तकों का संग्रह, परिरक्षण, संपादन तथा प्रकाशन करना तथा सामान्य रुचि एवं संगत क्षेत्रों यथा - ज्योतिष, वास्तु, संस्कृत भाषा तथा साहित्य आदि के क्षेत्रों में अंशकालिक प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करना । छात्रों की संलग्नता में सुधार करने के लिए विद्यापीठ ने कंप्यूटर अनुप्रयोग, व्यावसायिक हिंदी आदि में अल्पकालीन, आवश्यकता आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं ।

विद्यापीठ के उद्देश्य इस प्रकार हैं :- शास्त्रीय परंपरा का परिरक्षण करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, आधुनिक संदर्भ में समस्याओं की शास्त्र संगतता सिद्ध करना, शिक्षकों के लिए आधुनिक तथा शास्त्रीय विद्या में गहन प्रशिक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना तथा इन विद्याशाखाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करना ताकि विद्यापीठ की एक अलग विशिष्टता (पहचान) बनी रहे ।

- **विद्यापीठ के प्राधिकारी**

शिष्ट परिषद् विद्यापीठ का नीति निर्माता निकाय है और कार्यपरिषद् प्रधान कार्यकारी निकाय है जो विद्यापीठ के पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा कार्य नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है । कार्यपरिषद् की सहायता के लिए दो मुख्य प्राधिकारी यथा - शिक्षापरिषद् तथा वित्त समिति होती हैं ।

- **अध्ययन पाठ्यक्रम, छात्रों की संख्या तथा प्रवेश**

विद्यापीठ निम्नलिखित के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम संचालित करती है :- शास्त्री (बी० ए०) (3 वर्षीय पाठ्यक्रम), आचार्य (एम० ए०) (2 वर्षीय पाठ्यक्रम), शिक्षा शास्त्री (बी०एड०) (1 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम), शिक्षा चार्य (एम० एड०) (1 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम), विद्या वारिधि (पीएच० डी०) (2 वर्षीय अनुसंधान कार्य) । विद्यापीठ अंशकालिक प्रमाण पत्र तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी संचालित करती है यथा - प्राकृत भाषा (प्रमाण-पत्र), प्राकृत भाषा (डिप्लोमा), ज्योतिष (प्रमाण पत्र), ज्योतिष (डिप्लोमा), पौरोहित्य में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम । गत वर्ष के दौरान पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में 800 छात्र और अंशकालिक पाठ्यक्रमों में 70 छात्र दाखिल किए गए थे । शिक्षा शास्त्री, शास्त्री तथा विद्यावारिधि का दाखिला लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जा रहा है ताकि प्रतिभाशाली छात्रों का चयन किया जा सके । यह प्रस्ताव किया गया है कि अगले शैक्षिक सत्र से आचार्य पाठ्यक्रमों में भी लिखित परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाए ।

- **स्टाफ की संख्या**

  31.3.2001 को विद्यापीठ में 57 शिक्षक (प्रोफेसर -3, रीडर-9 तथा लेक्चरार -45) थी और शिक्षणेतर स्टाफ की संख्या 85 थी ।

- **प्रकाशन**

  विद्यापीठ अपनी स्थापना के समय से ही संस्कृत भाषा तथा साहित्य के सृजन एवं परिरक्षण का सतत प्रयास करती रही है । अब तक यह 68 पुस्तकों का प्रकाशन पहले ही कर चुकी है । यह गत 13 वर्षों से अपना पंचांग प्रकाशित कर रही है । शोध प्रभा - एक त्रैमासिक अनुसंधान जर्नल गत 23 वर्षों से प्रकाशित किया जा रहा है ।

- **भवन**

  विद्यापीठ का परिसर दक्षिण दिल्ली में शहीद जीत सिंह मार्ग पर 10.5 करोड़ एकड़ क्षेत्र में स्थित है । विद्यापीठ में शिक्षण और शिक्षणेतर स्टाफ के लिए 46 स्टाफ क्वार्टर हैं । लड़कों के लिए एक छात्रावास भवन भी है जिसमें 96 छात्रों के लिए स्थान है और 48 कमरे हैं । कुलपति निवास तथा अतिथि गृह का निर्माण कार्य जारी है और नए अकादमिक ब्लाक का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा ।

- **पुस्तकालय**

  विद्यापीठ पुस्तकालय का एक विशाल भवन है जिसके भूतल और प्रथम तल का कुल फर्शी क्षेत्र 586 वर्गमीटर है और भंडारण स्थान 290 वर्गमीटर हैं । पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की लगभग 63,504 पुस्तकें हैं । वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए 35 पीरियोडिकल्स/पत्रिकाएँ नियमित रूप से मँगवाई जा रही हैं । जरूरतमंद छात्रों को 4,550 पुस्तकों की बुक-बैंक सुविधा भी हर समय उपलब्ध है ।

- **वेधशाला**

  पंचांग तैयार करने और विभिन्न तारों एवं ग्रहों का अध्ययन करने के लिए वेधशाला का विशेष महत्व होता है । अत: उक्त परंपरागत वेधशाला का निर्माण वेधशाला परिसर में किया गया है ताकि ज्योतिष विभाग के छात्र इसका उपयोग कर सकें । वेधशाला में संम्राट यंत्र, धटी यंत्र, शंकु यंत्र, मेसादि यंत्र, तुलादि वलय, करकादि वलय, मकरादि वलय हैं । वेधशाला का मुख्य आकर्षण तारामंडल यंत्र है ।

- **विश्व संस्कृत सम्मेलन**

  मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने विज्ञान भवन में विश्व संस्कृत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया जिसमें संपूर्ण विश्व के 1,000 संस्कृत विद्वान भाग लें । उक्त सम्मेलन 4 से 9 अप्रैल, 2001 तक आयोजित किया गया । इस सम्मेलन को आयोजित करने की जिम्मेदारी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को सौंपी गई जिसके मुख्य प्रबंधाधिकारी कुलपति प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय थे ।

- **10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रणोद क्षेत्र**

  गत वर्षों के दौरान संस्कृत के विभिन्न शास्त्रों यथा वेद, दर्शन, ज्योतिष तथा वास्तु आदि की आवश्यकता और संगतता महसूस की जाती रही है और विद्यापीठ शैक्षिक समुदाय तथा समाज की बदलती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास करती रही है । अपेक्षित क्षेत्रों में शिक्षण एवं अनुसंधान को मजबूत करने तथा नए क्षेत्रों की माँगों को पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि शिक्षा शास्त्र, ज्योतिष, पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र, सांख्य योग, योग तंत्र, वेद आदि विषयों में प्रोफेसरों (10), रीडर (10) तथा लेक्चरारों (24) की नियुक्ति करके शिक्षण स्टाफ की संख्या में वृद्धि की जाए । विद्यापीठ ने महाकाव्य तथा पुराणों के अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ।

10वीं योजना के विवरण में विशेषरूप से यह कहा गया है कि विदेशों में भारतीय शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के निर्यात को प्रोत्साहित एवं संवर्धित किया जाए। इस संबंध में, विद्यापीठ ने त्रिलक्ष्यी नीतियाँ तैयार की हैं जिनमें विदेशों में परिसर खोलना तथा भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों का सहयोग शामिल है। प्रारंभ में, उच्च शिक्षा के निर्यात तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने से संबंधित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए तीन क्षेत्रों का पता लगाया गया है ये क्षेत्र हैं - पौरोहित्य, ज्योतिष तथा प्राचीन भारतीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी हैं। उन देशों में पौरोहित्य के स्कॉलरों की भारी माँग है जहाँ अनिवासी भारतीयों की जनसंख्या बहुत अधिक है। जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मौरिशस, यू० एस० ए०, कनाडा, यू० के० और आस्ट्रेलिया में विद्यापीठ के परिसर स्थापित किए जाने चाहिए।

3.2.8 टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई

व्यावसायिक शिक्षा के सामान्य कार्यक्रमों तथा अन्य अकादमिक गतिविधियों के अतिरिक्त, आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए :-

- राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद् से निर्धारण करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई।
- संकट स्थितियों में हस्तक्षेप करने की उच्च परंपरा को ध्यान में रखते हुए टाटा सामजिक विज्ञान संस्थान ने जनवरी 26, 2001 को गुजरात में आए भूकंप के बाद राहत कार्यों में भाग लिया।
- सबसे पहली अकादमिक एवं प्रशासनिक लेखापरीक्षा पूरी की गई और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत की गई।
- 9वीं योजना की मध्यावधिक समीक्षा तथा 10वीं योजना के प्रक्षेपण विश्वविद्यालय अनुदान को प्रस्तुत किए गए।
- एम० ए० सामाजिक कार्य तथा एम० ए० कार्मिक प्रबंध तथा औद्योगिक संबंधों के सभी पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरणों को संशोधित किया गया और वि० अ० आ० को प्रस्तुत किया गया और पठन सूचियों को अद्यतन किया गया।

भूकंप राहत कार्य

मास्टर डिग्री के 109 छात्रों तथा स्कॉलरों और 14 संकाय स्टाफ को फरवरी 2 से मार्च 9, 2001 तक कच्छ और राजकोट जिलों में नियुक्त किया गया। प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय संगठनों के सहयोग से राहत कार्य किया गया। एम० ए० सामाजिक कार्य के द्वितीय वर्ष के लिए अनेक छात्रों ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में अप्रैल के दौरान अपने ब्लाक क्षेत्र कार्य का एक महीना व्यतीत करना पसंद किया।

शिक्षण

छात्र नामांकन

शैक्षिक वर्ष 2000-2001 में 404 छात्रों में से मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिए 291 छात्र थे, एम० फिल० स्कॉलर 12, पीएच० डी० स्कॉलर 43, डिप्लोमा कार्यक्रम छात्र 40 और प्रमाण-पत्र कार्यक्रम छात्र 18 थे। उनमें 23 भारतीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा 5 विदेशों से आए हैं।

पाठ्यविवरण

सामाजिक कार्य तथा कार्मिक प्रबंध एवं औद्योगिक संबंधों में सभी मास्टर कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों का संशोधन किया गया और पठन-सूची को अद्यतन बनाया गया। संस्थान के प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों की भी समीक्षा की जा रही है। संशोधित पाठ्यक्रमों को आगामी शैक्षिक वर्ष से पढ़ाया जाएगा।

क्षेत्र-कार्य/ग्रामीण शिविर/अध्ययन दौरा

भिन्न-भिन्न मास्टर कार्यक्रमों के छात्रों को 196 एजेंसियों में रखा गया और डिप्लोमा कार्यक्रम के छात्रों को 27 एजेंसियों में रखा गया ।

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में ग्रामीण शिविर लगाए गए । द्वितीय वर्ष के छात्र अपनी विशेषज्ञता के आधार पर राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश के अध्ययन दौरे पर गए ।

अनुसंधान/क्षेत्र कार्य परियोजनाएँ

संस्थान में 107 अनुसंधान परियोजनाएँ चल रही थीं । इनमें पिछले वर्ष की अग्रानीत तथा वर्ष के दौरान शुरू की गई नई परियोजनाएँ शामिल थीं । इनमें 91 विभागीय/यूनिट परियोजनाएं थीं और 16 अंतर्विभागीय/यूनिट परियोजनाएं थीं । 49 नई परियोजनाएँ शुरू की गईं 13 परियोजनाएँ वर्ष के दौरान पूरी की गईं । 19 क्षेत्र कार्य परियोजनाएँ चल रही थीं जिनमें इस वर्ष की विभागीय/यूनिट परियोजना शामिल थीं । अप्रैल, 2000 में एक-क्षेत्र कार्य परियोजना - महाराष्ट्र फोर्सेस नेट वर्किंग सहित शुरू की गई । प्रारंभिक शैशवावस्था देखभाल तथा विकास इसका मुख्य उद्देश्य था ।

ज्ञान का प्रसार

वर्ष 2000-2001 में 43 संकाय सदस्यों ने दो खंडों का लेखन/संपादन किया, जर्नलों और पुस्तकों में 38 लेख प्रकाशित किए और पुस्तक समीक्षा, न्यूज़लैटर, समाचार-पत्र, लेखों और रिपोर्टों के रूप में अन्य 26 प्रकाशन निकाले ।

मीडिया और संचार एकक ने मुंबई शहर पर चालू प्रस्तुति शृंखला के भाग के रूप में अंग्रेजी और मराठी में एक 49-मिनट की वीडियो संपादित (द लूम) का निर्माण किया । इस वीडियो को फरवरी, 2001 में नई दिल्ली वीडियो फोरम में द्वितीय पुरस्कार मिला । इस प्रकार इस एकक को मिलने वाले पुरस्कारों की संख्या 10 हो गई ।

इस वर्ष 56 संकाय सदस्यों ने 87 सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए । इनमें से 10 कार्यक्रम दो या अधिक विभागों/एककों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए ।

राष्ट्रीय सेवा योजना एकक ने 'तम्बाकू नियंत्रण हस्तक्षेप के लिए कौशल विकास' पर एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और 'महाविपत्ति प्रबंध' पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम संचालित किया । पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए यू॰ जी॰ सी॰ स्कीम के अंतर्गत 'भूमंडलीकरण के संदर्भ में सामुदायिक संगठन : सामाजिक कार्य के लिए चुनौतियाँ' पर एक अन्य पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किया गया ।

अन्य अकादमिक गतिविधियाँ

इस वर्ष 28 संकाय सदस्यों ने 40 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और 13 लेख प्रस्तुत किए । 70 (सत्तर) संकाय सदस्यों ने 175 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/स्थानीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और 44 लेख प्रस्तुत किए ।

52 संकाय सदस्यों को अपनी विशेषज्ञता के विषयों में वार्ता/व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया ।

संकाय के 38 सदस्यों ने व्यावसायिक निकायों तथा सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की 158 कार्यकारिणी समितियों में हिस्सा लिया ।

संसाधन सहायता

पुस्तकालय में लगभग 97,000 ग्रंथों का संग्रह है । पुस्तकालय सामान्य रुचि की कुछ पत्रिकाओं के अतिरिक्त 430 से भी अधिक व्यावसायिक जर्नलों के लिए अभिदान करता है और 1600 दृश्य-श्रव्य सामग्री मुहैया की है ।

महिला अध्ययन पुस्तकालय में 3000 पुस्तकों और मोनोग्राफ का सामान्य संग्रह है ।

कंप्यूटर केंद्र आई बी एम स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क से पूरी तरह लैस है जिसमें एक फाइल सर्वर, इंटरनेट/इंटरनेट सर्विसेस को समर्पित दो प्राक्सी सर्वर, एम एम एक्स प्रौद्योगिकी सहित 35 पेंटिनम पी सी वर्क स्टेशन, कलर परिवीक्षण प्रणाली, 12 डाट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक स्कैनर और प्रशिक्षण के लिए एक कलर पी सी प्रोजेक्शन प्रणाली और अद्यतन सॉफ्टवेयर है ।

छात्र तथा भूतपूर्व छात्र

सामाजिक कार्य छात्र मंच ने नए प्रतिमान, मंथन 2000 की संकल्पना के अपनी वार्षिक संगोष्ठी 'समीक्षा' पुनर्विचार विकास', कार्मिक प्रबंध तथा औद्योगिकी संबंध के छात्रों की वार्षिक संगोष्ठी को पुनरुज्जीवित किया, पारगमन की दोषपूर्ण लाइनों पर ध्यान केंद्रित किया । व्यवसाय की उभरती हुई स्थलाकृति, 21वीं शताब्दी में स्वास्थ्य देखभाल प्रबंध; उत्कृष्टता की खोज सूक्ष्मदृष्टि की विषय-वस्तु थी । यह स्वास्थ्य/अस्पताल प्रशासन के वरिष्ठ छात्रों की संगोष्ठी थी ।

अ० जा०/अ० ज० जा० सेल

संस्थान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल की स्थापना की जिसका उद्देश्य आरक्षित वर्ग में छात्रों की रुचि पैदा करना था । आरक्षित वर्ग के 68 मास्टर छात्रों में से 33 छात्रों ने भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त की ।

भूतपूर्व छात्र

संस्थान ने भूतपूर्व छात्र संघ की स्वास्थ्य प्रशासक शाखा को अमेरिकन कालेज आफ हैल्थ केयर एग्ज़ीक्यूटिव्स से संबद्ध किया गया । अमेरिकन कालेज आफ हेल्थकेयर एग्ज़ीक्यूटिव्स एक मुख्य अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक निकाय है जो अस्पताल तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रशासकों का प्रतिनिधित्व करती है ।

प्रशासन तथा कार्मिक

संस्थान में अकादमिक पदों की संख्या 108 है जिनमें से 83 पद भरे हुए हैं; प्रशासन पद (तकनीकी सहित) 162 हैं जिनमें से 116 भरे हुए हैं तथा सर्विस स्टाफ के पदों की संख्या 109 है जिनमें से 95 पद भरे हुए हैं ।

विशिष्ट अभ्यागत

संस्थान में अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति पधारे । कुछ के नाम इस प्रकार है - श्री मणिशंकर अय्यर, संसद सदस्य, प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद भाई, कुलपति मौरिशस विश्वविद्यालय, प्रोफेसर शांति खिंड्का, संकाय अध्यक्ष, जार्ज वारेन ब्राउन स्कूल आफ सोशल वर्क; प्रोफेसर योगेश अटल, पूर्व निदेशक, भारतीय शिक्षा संस्थान, महामहिम श्री एम० एम० राजेन्द्रन, उड़ीसा के राज्यपाल; तथा माननीय ए०एम० चम्बासी, मंत्री, विज्ञान मंत्रालय, प्रौद्योगिकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, जाम्बिया गणराज्य ।

दिवस देखभाल केंद्र

वर्ष 2000-2001 की गतिविधियों में ग्रीष्मकालीन शिविर; विभिन्न राष्ट्रीय तथा धार्मिक उत्सवों का समारोह; फिल्मों की स्क्रीनिंग; स्लाइड तथा कठपुतली शो; पिकनिक तथा क्षेत्र यात्राएँ; दिया मैकिंग आदि शामिल थे। बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर अतिथि वाताएँ भी आयोजित की गईं। डी सी सी ने विवेकानंद जूनियर कालेज के कुछ छात्रों को शिशुसदन तथा स्कूलपूवं प्रबंध पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया और एस०वी० डिग्री कालेज, मुंबई की एक छात्रा को अपनी इनटर्नशिप पूरा करने के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराईं।

ग्रामीण परिसर (कैम्पस)

ग्रामीण परिसर स्टाफ ने सात (7) अनुसंधान परियोजनाओं पर काम शुरू किया जिनमें से तीन (3) परियोजनाएँ संस्थान के संकाय के सहयोग से चल रही थीं। आठ (8) क्षेत्र कार्य परियोजनाएँ उस मूल क्षेत्रक में जारी थीं जिसकी पहचान कार्यक्रम विकास, भूमि तथा जल, कृषि, क्रेडिट हैल्थ, शिक्षा स्थानीय स्व-शासन के लिए की गई थी। ग्रामीण परिसर स्टाफ ने दो लेख प्रकाशित किए, 9 कार्यक्रम आयोजित किए, छह कार्यक्रमों में भाग लिया तथा दो वार्ताएँ दीं।

डिग्रियाँ प्रदान करना

दीक्षांत समारोह में 135 स्नातकों ने मास्टर डिग्रियाँ प्राप्त कीं जिनमें से सामाजिक कार्य में 77, कार्मिक प्रबंध और औद्योगिक संबंधों में 29, स्वास्थ्य प्रशासन में 13 और अस्पताल प्रशासन में 16 (व्यावसायिक शिक्षा में दो वर्ष का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद) स्कालर थे। इसके अतिरिक्त, तीन स्कॉलरों को दर्शन में मास्टर डिग्री प्रदान की गई और 6 स्कॉलरों को डाक्टर आफ फिलासफी की डिग्री प्रदान की गई।

4 कालेजों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (योजनेतर) अनुदान

4.1 9वीं योजना के दौरान कालेज विकास की प्रगति

चूँकि मुख्यत: पूर्व-स्नातक शिक्षा के लिए और काफी हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए कालेज ही जिम्मेदार हैं अत: स्तरों के अनुरक्षण, नवाचार और परिवर्तन को बढ़ावा देने, व्यवसाय पैटर्न से शिक्षा को जोड़ने तथा समाज के सुविधावंचित वर्गों विशेषत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए शिक्षा के समान अवसरों की दृष्टि से कालेजों का विकास एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ।

9वीं योजना के दौरान कालेजों में पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए आयोग की नीति के निम्नलिखित चार लक्ष्य हैं, यथा -

- स्तरों तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ।
- उच्च शिक्षा सुविधाओं में सामाजिक असमानताओं तथा क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना ।
- पाठ्यक्रमों में विकासशील व्यवसाय पर बल देते हुए पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन ।
- अर्हक कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना ।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, आयोग उन कालेजों को अनुदान उपलब्ध कराता है जो पात्रता की न्यूनतम शर्तें पूरी करते हैं और जिनके पास आवश्यक सक्षमता एवं संभाव्यता हैं तथा जो बेहतर स्तर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे पुस्तक बैंकों, बुनियादी वैज्ञानिक उपस्कर तथा उन शिक्षण साधनों के सुदृढ़ीकरण समेत अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें जो पूर्व-स्नातक स्तर पर उच्च शिक्षा तथा भवन निर्माण/ विस्तार/नवीकरण के लिए आवश्यक होते हैं । असमानताओं तथा क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के उद्देश्य से उन कालेजों को भी विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों की जरूरतें पूरी करते हैं । ऐसा अनुदान पिछड़े/ग्रामीण/सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित कालेजों के तीव्र विकास के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है ।

4.2 वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कालेज

देश में लगभग 12,342 कालेज हैं । इनमें से केवल 5189 कालेज ही वि॰ अ॰ आ॰ अधिनियम की धारा 2(च) और 12 ख के अधीन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त हैं । 5189 में से केवल 4973 कालेज ही वि॰ अ॰ आ॰ अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं । अनुदान की मात्रा विभिन्न पैरामीटरों यथा - संकाय संख्या, छात्र नामांकन आदि के आधार पर परिकलित की जाती हैं ।

असमानताओं और क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए वि॰ अ॰ आ॰ ने शैक्षिक रूप से पिछड़े, ग्रामीण अथवा सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित कालेजों तथा अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के कालेजों को विकास अनुदान देने के मानकों में ढील दी है । अनुदान सामान्यत: भवनों, जिनमें छात्रावास शामिल हैं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने तथा शिक्षकों के संकाय सुधार कार्यक्रमों आदि के लिए प्रदान किए जाते हैं ।

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कालेजों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 से एक चरणबद्ध ढंग से देश में अपने सात क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेंद्रीकरण कर दिया है ताकि अनुदान आसानी से शीघ्र प्राप्त किए जा सकें और उन्हें शीघ्र जारी किया जा सके तथा कालेजों से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा सके ।

नाम, स्थान, स्थापना की तारीख तथा संबंधित राज्यों के विवरण सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची परिशिष्ट-XII में दी गई है ।

ये क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित योजनाओं के लिए संपूर्ण देश के सभी पात्र कालेजों को अनुदान संवितरित करते हैं :

- कालेज विकास (पूर्व स्नातक/स्नातकोत्तर)
- एम० फिल०/पीएच० डी० करने के लिए कालेज शिक्षकों को शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करना
- कालेज शिक्षकों के लिए लघु अनुसंधान परियोजनाएँ (मानविकी/सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान)
- स्वायत्त कालेज (केवल अनुदान जारी करना)
- सम्मेलन, संगोष्ठियाँ/परिसंवाद
- महिला होस्टलों का निर्माण (विशेष योजना)
- सुविधावंचित वर्गों के लिए सुविधाएँ (चाक्षुष रूप से विकलांग शिक्षक)
- कालेजों को पुस्तकों, उपस्कर, नवीकरण आदि के लिए एकबारगी अनुदान

4.4 कालेज विकास योजना के अधीन कालेजों को आबंटित 9वीं योजना विकास अनुदान (राज्यवार)

कालेज विकास योजना के अधीन कालेजों को आबंटित किए गए 9वीं योजना अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा सारणी 4.1 में दिया गया है ।

सारणी 4.1 : कालेजों को आबंटित 9वीं योजना के अनुदान (राज्यवार)

(रु० लाख में)

क्र.सं.	राज्य/सं० रा० क्षे०	9वीं योजना की कालेज विकास योजना के अंतर्गत अनुमोदित कालेजों की संख्या	कुल अनुमोदित अनुदान (9वीं योजना की कालेज विकास योजना (1997-2002) के अधीन कालेजों के लिए वि०अ०आ० का शेयर	2000-2001 (1.4.2000 से 31.3.2001 तक) के दौरान प्रदत्त राशि	1.4.1997 से 31.3.2001 तक प्रदत्त राशि
1.	आंध्र प्रदेश	304	2611.30	183.74	884.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	37.00	5.22	16.01
3.	असम	144	1410.80	275.12	984.08
4.	बिहार और झारखंड	314	3670.00	538.88	1808.94
5.	गोवा	13	99.56	20.72	81.13
6.	गुजरात	229	1875.05	310.42	1250.68
7.	हरयाणा	128	1138.00	7.25	455.70
8.	हिमाचल प्रदेश	33	327.20	-	140.13
9.	जम्मू और कश्मीर	27	288.57	-	132.66
10.	कर्नाटक	188	2455.60	308.28	1385.57
11.	केरल	100	1860.45	248.94	1042.86
12.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	439	4170.80	838.14	3042.42
13.	महाराष्ट्र	477	4553.29	861.36	336.14
14.	मणिपुर	38	370.00	53.16	227.25
15.	मेघालय	13	146.20	19.25	100.39
16.	मिज़ोरम	9	80.40	19.08	58.70
17.	नागालैंड	6	56.20	11.57	44.35
18.	उड़ीसा	233	2097.60	334.64	1085.88
19.	पांडिचेरी(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित)	9	95.20	-	28.70
20.	पंजाब	200	1809.65	15.03	870.61
21.	राजस्थान	155	1797.20	375.20	1460.77
22.	सिक्किम	2	18.00	1.10	8.30
23.	तमिलनाडु	210	2625.40	185.08	1075.86
24.	त्रिपुरा	10	105.00	14.43	50.63
25.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	351	4171.75	14.22	1778.35
26.	पश्चिम बंगाल	326	3042.10	559.71	1767.12
	जोड़	**3965**	**40912.32**	**5200.36**	**23141.67**

4.5 कालेजों को योजनागत अनुदान

वर्ष 2000-2001 के दौरान सभी पात्र कालेजों को रु०148.07 करोड़ का अनुदान दिया गया ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान कालेजों को प्रदत्त अनुदानों (विकास अनुदान सहित) का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित सारणी 4.2 में दिया गया है ।

सारणी 4.2 : कालेजों को प्रदत्त योजनागत अनुदान : 2000-2001

(रु० करोड़ में)

क्र०सं०	राज्य	प्रदत्त अनुदान
1.	आंध्र प्रदेश	7.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.08
3.	असम	5.51
4.	बिहार	8.17
5.	गोवा	0.33
6.	गुजरात	29.70
7.	हरयाणा	1.66
8.	हिमाचल प्रदेश	0.28
9.	जम्मू और कश्मीर	0.49
10.	कर्नाटक	7.94
11.	केरल	5.77
12.	मध्य प्रदेश	12.56
13.	महाराष्ट्र	18.38
14.	मणिपुर	1.08
15.	नागालैंड	0.12
16.	उड़ीसा	8.43
17.	पंजाब	3.33
18.	राजस्थान	6.28
19.	तमिलनाडु	12.35
20.	त्रिपुरा	0.31
21.	उत्तर प्रदेश	4.45
22.	पश्चिम बंगाल	12.65
	जोड़	148.07

4.6 वि० अ० आ० के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए अनुदानों की योजनावार स्थिति

क) शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ

9वीं योजना अवधि के दौरान कालेज शिक्षकों द्वारा एम०फिल०/पीएच०डी० करने के लिए शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करने का ब्यौरा नीचे सारणी 4.4 में दिया गया है ।

सारणी 4.4 : 9वीं योजना अवधि के दौरान कालेज शिक्षकों द्वारा एम०फिल०/पीएच०डी० करने के लिए उनको प्रदान की गई शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ

(रु० लाख में)

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	उन शिक्षकों की संख्या जिन्हें शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ आवंटित की गई (1.4.1997 से 31.03.2001 तक)	आवंटित शिक्षक अध्येतावृत्तियों की संख्या (1997-2001)	प्रदत्त शिक्षक अध्येतावृत्तियों की संख्या (1997-2001)	प्रदत्त राशि (1.4.2000 से 31.3.2001)
प०क्षे०का० (भोपाल)	190	413	413	52.52
पू०क्षे०का० (कोलकाता)	139	336	336	132.95
उ०पू०क्षे०का० (गौहाटी)	71	184	184	60.81
उ०क्षे०का० (भोपाल)	723	3109	469	9.65
द०मध्य०क्षे०का० (हैदराबाद)	294	1352	768	198.04
द०प०क्षे०का० (बंगलौर)	306	2007	1058	147.67
प०क्षे०का० (पुणे)	251	710	448	213.65
जोड़	1973	8111	3676	812.29

ख) महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण

वर्ष 2000-2001 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण की विशेष योजना के अधीन अनुमोदित एवं प्रदत्त अनुदानों की स्थिति नीचे सारणी 4.5 में दी गई है ।

सारणी 4.5 : वर्ष 2000-2001 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महिला होस्टलों का निर्माण

(रु० लाख में)

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	सहायताप्रदत्त कालेजों की संख्या (9वीं योजना)	9वीं योजना के दौरान अनुमोदित राशि (31.3.2001 तक)	2000-2001 के दौरान प्रदत्त राशि
म०क्षे०का०(भोपाल)	43	577.64	51.25
पू०क्षे०का० (कोलकता)	86	1052.67	122.59
उ०पू०क्षे०का० (गोवाहाटी)	46	558.83	48.85
उ०क्षे०का० (गाजियाबाद)	96	1050.48	1.50
द०पू०क्षे०का० (हैदराबाद)	83	917.50	निरंक
द०प०क्षे०का० (बंगलौर)	37	573.67	121.38
प०क्षे०का० (पुणे)	103	1177.83	196.46
जोड़	**494**	**5908.62**	**542.03**

ग) लघु अनुसंधान परियोजनाएँ

वर्ष 2000-2001 के दौरान अनुमोदित लघु अनुसंधान परियोजनाओं तथा वि० अ० आ० के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदत्त अनुदानों की स्थिति सारणी 4.6 में दी गई है ।

सारणी 4.6 : लघु अनुसंधान परियोजनाएँ : वर्ष 2000-2001 के दौरान वि० अ० आ० के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदत्त अनुदान

(रु० लाख में)

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	1.4.2000 से 31.3.2001 तक प्रदत्त राशि
म०क्षे०का०(भोपाल)	259	205	52.13
पू०क्षे०का० (कोलकता)	560	202	115.92
उ०पू०क्षे०का० (गोवाहाटी)	75	42	54.85
उ०क्षे०का० (गाजियाबाद)	485	399	2.94
द०पू०क्षे०का० (हैदराबाद)	192	148	18.42
द०प०क्षे०का० (बंगलौर)	360	-	4.06*
प०क्षे०का० (पुणे)	157	121	70.70
जोड़	**2088**	**1117**	**319.02**

* यह राशि द०पू०क्षे०का०, हैदराबाद द्वारा पहले अनुमोदित की गई राशि के लिए द०प०क्षे०का० द्वारा अनुमोदित अनुवर्ती किस्त से संबंधित है ।

घ) संगोष्ठियाँ/परिसंवाद/सम्मेलन

अनुमोदित संगोष्ठियों/परिसंवादों/सम्मेलनों तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदत्त अनुदानों की स्थिति सारणी 4.7 में दी गई है ।

सारणी 4.7 : संगोष्ठियाँ/परिसंवाद/सम्मेलन : वि० अ० आ० के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदत्त अनुदान

(रु० लाख में)

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	1.4.2000 से 31.3.2001 तक प्रदत्त राशि
म०क्षे०का०(भोपाल)	131	88	41.33
पू०क्षे०का० (कोलकता)	206	111	44.83
उ०पू०क्षे०का० (गोवाहाटी)	09	09	8.53
उ०क्षे०का० (गाजियाबाद)	171	93	0.56
द०पू०क्षे०का० (हैदराबाद)	52	44	16.07
द०प०क्षे०का० (बंगलौर)	25	-	2.79 *
प०क्षे०का० (पुणे)	53	41	28.08
जोड़	**647**	**386**	**142.19**

* यह राशि द०पू०क्षे०का०, हैदराबाद द्वारा पहले अनुमोदित की गई राशि के लिए द०प०क्षे०का० बंगलौर द्वारा जारी की गई अनुवर्ती किस्त से संबंधित है ।

ङ) स्वायत्त कालेज

सारणी 4.8 : वर्ष 2000-2001 के दौरान वि० अ० आ० के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वायत्त कालेजों को प्रदत्त अनुदान

(रु० लाख में)

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	अनुमोदित स्वायत्त कालेजों की संख्या	सहायताप्रदत्त स्वायत्त कालेजों की संख्या (1.4.2000 से 31.3.2001 तक)	1.4.2000 से 31.3.2001 तक प्रदत्त राशि
म०क्षे०का०(भोपाल)	38	3	13.81
पू०क्षे०का० (कोलकता)	6	6	8.00
द०पू०क्षे०का० (हैदराबाद)	65	65	817.85
प०क्षे०का० (पुणे)	4	2	6.00
जोड़	**113**	**76**	**845.66**

च) पुराने ख्यातिप्राप्त कालेज (पुस्तकें तथा उपस्कर)

पुराने ख्यातिप्राप्त कालेजों (पुस्तकें तथा उपस्कर) की योजना के तहत वि० अ० आ० के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कालेजों को प्रदत्त एकबारगी अनुदान का ब्यौरा सारणी 4.9 में दिया गया है ।

सारणी 4.9 : पुराने ख्यातिप्राप्त कालेज (पुस्तकें तथा उपस्कर) : वि० अ० आ० के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदत्त अनुदान

(रु० लाख में)

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	सहायता प्रदत्त कालेजों की संख्या	2000-2001 के दौरान प्रदत्त राशि
प०क्षे०का० (भोपाल)	33	238.00
पू०क्षे०का० (कोलकता)	81	567.00
उ०पू०क्षे०का० (गोवाहाटी)	19	133.00
उ०क्षे०का० (गाजियाबाद)	68	476.00
द०पू०क्षे०का० (हैदराबाद)	32	224.00
द०प०क्षे०का० (बंगलौर)	43	301.00
प०क्षे०का० (पुणे)	59	277.00
जोड़	335	2216.00

4.7 दिल्ली कालेजों तथा बनारस हिंदू विश्व-विद्यालय के घटक कालेजों को अनुरक्षण अनुदान

केंद्रीय विश्वविद्यालय के कालेजों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में योजनेतर सहायता उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष के दौरान योजनेतर योजना के अधीन वर्ष 2000-2001 के लिए अनुरक्षण अनुदान के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 कालेजों को रु० 234.50 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई । इसके अतिरिक्त, होस्टल मेस के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कालेजों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में कुल रु० 2.16 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई । वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए अनुरक्षण अनुदान के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चार घटक कालेजों को रु०4.05 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई ।

4.8 दिल्ली कालेजों को योजनागत अनुदान

9वीं योजना के लिए उपर्युक्त आबंटित की गई राशि से वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न योजनागत स्कीमों के अधीन दिल्ली कालेजों को रु० 215.07 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई । दिल्ली के दो कालेजों को एकबारगी विशेष अनुदान के रूप में रु० 14.00 लाख की राशि भी उपलब्ध कराई गई ।

4.9 स्वायत्त कालेज

स्वायत्त कालेजों की संकल्पना को "शिक्षा आयोग 1964-66" की सिफारिशों के आधार पर निश्चित रूप दिया गया था जिसका उद्देश्य संभाव्य कालेजों को विशेषत: उनकी पाठ्यचर्या तैयार करने, शिक्षण, अनुसंधान और अधिगम की नई विधियाँ खोजने, प्रवेश के लिए अपने नियम बनाने, अध्ययन के लिए अपने पाठ्यक्रम निर्धारित करने तथा परीक्षाएँ संचालित करने के संबंध में अकादमिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराना था । इसका उद्देश्य शिक्षकों को बौद्धिक वातावरण के संवर्धन एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करना था । यह विद्वत्ता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक है । इस कार्यक्रम के अधीन आयोग स्वायत्त कालेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी अतिरिक्त एवं विशेष जरूरतों को पूरा कर सकें ।

स्वायत्तता के उद्देश्य

स्वायत्त कालेज निम्नलिखित के संबंध में स्वतंत्र होंगे :-

- अपने अध्ययन पाठ्यक्रम तथा पाठ्यविवरण निर्धारित करना;
- राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप दाखिले के नियम विहित करना;
- छात्रों के कार्य के विषय में विधियाँ खोजना, परीक्षाएँ संचालित करना तथा परीक्षा परिणाम घोषित करना; तथा
- उच्च स्तर तथा अधिक सर्जकता प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों का प्रयोग करना ।

स्वायत्त दर्जा प्रदान करना

स्वायत्त दर्जा कालेजों में पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम के तहत प्रदान किया जाता है । मूल विश्वविद्यालय राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति से उसी कालेज को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करेगा जो उससे स्थायी रूप से संबद्ध है । स्वायत्तता का दर्जा प्रारंभ में पाँच वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा । विश्वविद्यालय इसी प्रयोजन के लिए गठित की गई एक समिति की सहायता से स्वायत्त कालेजों में स्वायत्तता संबंधी कार्यकरण की आवधिक रूप से समीक्षा करेगा । कालेज को पाँच वर्ष में एक बार राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् (एन ए ए सी) द्वारा अपना प्रत्यायन भी कराना होगा । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय इन कालेजों को अनुदान उपलब्ध करा रहे हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में 29 से 30 जून, 2000 तक एक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया । इसका उद्देश्य शिक्षकों, प्रबंधकों, सरकारों को स्वायत्तता की संकल्पना से शिक्षकों, प्रबंधकों, सरकारों को परिचित कराना तथा विचार-विनिमय करना, स्वायत्तता के अधीन नवाचारों एवं परिवर्तनों, प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों, वि० अ० आ० आदि के बीच समन्वय की समस्याओं पर विचार-विमर्श करना था । इस संगोष्ठी में 70 व्यक्तियों ने भाग लिया जिनमें कुलपति, रजिस्ट्रार, निदेशक, शिक्षक तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राज्य सरकारों, उच्च शिक्षा की राज्य परिषदों, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । उक्त संगोष्ठी में की गई सिफारिशों को आयोग के समक्ष रखा गया तथा तदनुसार स्वायत्त कालेजों के कार्यक्रम संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में आशोधन किया गया ।

वर्तमान में 8 राज्यों के 29 विश्वविद्यालयों में 131 स्वायत्त कालेज हैं । 31 मई, 2001 को राज्यवार/विश्वविद्यालयवार स्वायत्त कालेजों की स्थिति इस प्रकार थी :

राज्य	विश्वविद्यालय	स्वायत्त कालेजों की संख्या
आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय	09
	नार्गाजुन विश्वविद्यालय	02
	उस्मानिया विश्वविद्यालय	08
गुजरात	गुजरात विश्वविद्यालय	01
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	05
मध्य प्रदेश	ए० पी० सिंह विश्वविद्यालय	05
	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय	02
	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	06
	डॉ० हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय	04
	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	04
	जीवाजी विश्वविद्यालय	06
	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	05
	पं० रविशंकर विश्वविद्यालय	07
	विक्रम विश्वविद्यालय	01
महाराष्ट्र	एस० एन० डी० टी० वीमेन्स विश्वविद्यालय	01
	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	01
	शिवाजी विश्वविद्यालय	01
उड़ीसा	बरहामपुर विश्वविद्यालय	01
	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	03
	उत्कल विश्वविद्यालय	07
तमिलनाडु	भरतीयार विश्वविद्यालय	11
	भारतीदासन विश्वविद्यालय	09
	मद्रास विश्वविद्यालय	14
	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	10
	मनोनमनियम सुंदरानर विश्वविद्यालय	02
	पेरियार विश्वविद्यालय	02
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	01
	कानपुर विश्वविद्यालय	01
	पूर्वांचल विश्वविद्यालय	02
	जोड़ 29	131

2000-2001 के दौरान, वि० अ० आ० के क्षेत्रीय कार्यालयों ने स्वायत्त कालेजों को रु० 853.67 लाख का अनुदान जारी किया ।

5 उच्च शिक्षा में स्तरों का अनुरक्षण और समन्वय

5.1 अकादमिक स्टाफ कालेज

विश्वविद्यालय तथा कालेजों में शिक्षण के उच्च स्तरों के अनुरक्षण का लक्ष्य रखने वाली किसी भी नीति का एक महत्वपूर्ण घटक शिक्षकों की क्षमता का विकास करना होता है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में अकादमिक स्टाफ कालेजों की योजना के माध्यम से शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के व्यापक कार्यक्रम पर जोर दिया गया है जो कि 1986-87 में शुरू की गई थी । आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में आयोग ने 48 अकादमिक स्टाफ कालेजों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जिनकी स्थापना आयोग द्वारा सातवीं योजना के दौरान की गई थी । इनको तीन वर्गों में विभाजित किया गया । प्रथम वर्ग में रखे गए 24 अकादमिक स्टाफ कालेजों का समय पूरी 9वीं योजना अवधि तक बढ़ा दिया गया है । दूसरे वर्ग में 13 अकादमिक स्टाफ कालेजों का समय भी पूरी नवीं योजना अवधि तक के लिए बढ़ा दिया गया है किंतु शर्त यह है कि तीन वर्ष के बाद इनकी समीक्षा की जाएगी । तीसरे वर्ग में आठ अकादमिक स्टाफ कालेज हैं जिनका समय केवल एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है तथा वर्ष के अंत में इनकी समीक्षा की जाएगी । वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान तीसरे वर्ग के अकादमिक स्टाफ कालेजों की समीक्षा की गई और उनकी अवधि संपूर्ण 9वीं योजना के लिए बढ़ा दी गई । इसके अलावा वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान वि०अ०आ० ने छह नए अकादमिक स्टाफ कालेजों को अभिज्ञात किया है और इस प्रकार इनकी कुल संख्या बढ़कर 51 हो गई है । (परिशिष्ट-XVI)

अकादमिक स्टाफ कालेज नए शिक्षकों के लिए नवाचारी शिक्षण तकनीक, शिक्षा दर्शन तथा संबंधित अध्ययनों के लिए चार सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम चलाते हैं । ये कालेज सेवारत शिक्षकों के लिए विभिन्न विद्याशाखाओं में इनका ज्ञान अद्यतन करने के लिए तीन से चार सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी चलाते हैं । वि०अ०आ० तथा अ०स्टा०का० उनके संग्राही क्षेत्रों में स्थित प्रिंसीपलों के लिए दो से तीन सप्ताह की संगोष्ठियाँ भी आयोजित करते हैं । अभिविन्यास तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लेने के वास्ते शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने के हेतु उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए इन्हें बहुत उपयोगी पाया गया है । वि०अ०आ० तथा अ०स्टा०का० शिक्षकों को छात्रों की आशाओं एवं बोध के बारे में संवेदनशील बनाते हैं तथा उच्च शिक्षा के उन अकादमिक संदर्भों का बोध कराते हैं जिनमें वे कार्य कर रहे होते हैं । ये शिक्षा प्रणाली में कार्य की गतिशीलता के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में शिक्षकों की सहायता भी करते हैं ।

चूँकि वि० अ० आ०- अ० स्टा० का० समस्त शिक्षकों की आवश्कताएँ पूरी नहीं कर सकते हैं अत: 2000-2001 के दौरान 71 विश्वविद्यालयों तथा विशेषज्ञता युक्त संस्थानों (पुनश्चर्या पाठ्यक्रम केंद्र - आर० सी० सी०) को वि० अ० आ०- अ० स्टा० का० के अलावा विभिन्न विद्याशाखाओं में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाने के लिए चुना गया है ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान 216 अभिविन्यास कार्यक्रम अ० स्टा० का० को सौंपे गए तथा 793 पाठ्यक्रम अ० स्टा० का० तथा आर० सी० सी० (565 पाठ्यक्रम अ० स्टा० का० को और 228 पाठ्यक्रम पुनश्चर्या पाठ्यक्रम केंद्र) (आर० सी० सी०) को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाने के लिए सौंपे गए । प्रत्येक अ० स्टा० का०/आर० सी० सी०

को दो या तीन बैचों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने का अनुदेश भी दिया गया । प्रत्येक बैच में 40-50 व्यक्ति होंगे जो कि भाग लेने वालों की उपलब्धि पर निर्भर होगा । इनमें अधिक से अधिक भाग लेने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा ताकि राज्य में उस विषय के अंदर कोई बाकी न रह जाए ।

आयोग इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए अ० स्टा० का०/मेजबान विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है जो कि मुख्यत: संसाधन व्यक्तियों, भाग लेने वालों, पुस्तकों/सामग्री, कार्यगत व्यय तथा वि० अ० आ० द्वारा आबंटित स्टाफ आदि के वेतन के रूप में कार्यक्रम के मानकों के अनुसार होती है । वर्ष 2000-2001 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत रु० 1624.21 लाख का अनुदान दिया गया ।

अपनी स्थापना के समय से मार्च, 2000 तक अकादमिक स्टाफ कालेजों ने लगभग 1900 अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 60000 से भी अधिक शिक्षकों ने भाग लिया । अब तक अ० स्टा० का० ने 4500 से अधिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें लगभग 1,40,000 शिक्षकों ने भाग लिया ।

5.2 शिक्षा का वृत्तिक अभिविन्यास(शिक्षा का व्यवसायीकरण)

पूर्व-स्नातक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की योजना 1994-95 में शुरू की गई थी । इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इन पाठ्यक्रमों को पूरा कर लेने के बाद उत्तीर्ण होने वाले स्नातकों के पास सामान्यत: वेतन क्षेत्र में लाभकर रोजगार और विशेषत: स्वरोजगार के लिए ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति हो ताकि मास्टर डिग्री के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं पर अनावश्यक दबाव कम हो जाए ।

वि० अ० आ० ने एक स्थायी व्यावसायिक शिक्षा समिति (स्कोवे) गठित की है जिसका उद्देश्य व्यावसायिक विषय/विषयों को शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की जाने वाली संस्थाओं की पहचान करने, शिक्षक प्रशिक्षण, पठन सामग्री तैयार करने, पाठ्यविवरणों का संशोधन करने, आवश्यकता आधारित अतिरिक्त व्यावसायिक विषयों को तैयार करने के लिए नए क्षेत्रों की खोज करने तथा योजना के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण आदि करने से संबंधित मामलों में सलाह देना है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान स्कोवे की कोई बैठक नहीं हुई ।

शुरूआत के रूप में प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा की व्यवसायीकरण विषयक वि० अ० आ० की कोर समिति ने विस्तृत पाठ्यविवरण सहित 35 व्यावसायिक विषयों का पता लगाया । बाद में सात विषयों को माँग न होने के कारण सूची से हटा दिया गया और दस नए विषयों को सूची में इस उद्देश्य से जोड़ा गया ताकि देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विशेष संदर्भ में ग्रामीण, पर्वतीय, जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों तथा महिलाओं की जरूरतें पूरी हो सकें । 38 व्यावसायिक विषयों की अद्यतन सूची नीचे दी जा रही है :

	विद्याशाखा क्षेत्र	विषय
i)	कला, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान	1. प्रयोजनमूलक हिंदी 2. प्रयोजनमूलक संस्कृत 3. प्रयोजनमूलक अंग्रेजी 4. पुरातत्व तथा संग्रहालय विज्ञान 5. ग्रामीण हस्तशिल्प 6. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा
ii)	वाणिज्य, अर्थशास्त्र तथा प्रबंध-विज्ञान	7. बीमा के सिद्धांत और पद्धति 8. कार्यालय प्रबंध तथा सचिवालय पद्धति 9. कर प्रक्रियाएं तथा पद्धति 10. विदेशी व्यापार पद्धति तथा प्रक्रियाएं 11. पर्यटन तथा यात्रा प्रबंध 12. विज्ञापन, बिक्री, संवर्धन तथा बिक्री प्रबंध 13. कम्प्यूटर अनुप्रयोग
iii)	विज्ञान	14. औद्योगिक रसायन (सात विषय) 15. खाद्यविज्ञान तथा गुणवत्ता नियंत्रण 16. नैदानिक पोषण तथा आहारिकी 17. औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी 18. जैव-प्रौद्योगिकी 19. जैव तकनीके तथा नमूना तैयार करना 20. बीज प्रौद्योगिकी 21. रेशम कीट पालन
iv)	इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी	22. औद्योगिक मत्स्य तथा मत्स्य-उद्योग 23. यंत्रीकरण 24. भू-अन्वेषण तथा ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी 25. जनसंचार तथा वीडियो प्रस्तुति 26. अचल फोटोग्राफी तथा ऑडियो प्रस्तुति 27. इलैक्ट्रानिक उपस्कर अनुरक्षण 28. कम्प्यूटर अनुरक्षण 29. इलैक्ट्रीकल उपस्कर अनुरक्षण 30. पर्यावरण तथा जल-प्रबंध
v)	ग्रामीण, पर्वतीय जनजातीय क्षेत्रों के संगत विषय	31. शस्य-सेवाएँ 32. घरेलू पशु कृषि 33. वानिकी तथा वन्य पशु-प्रबंध 34. मृदा संरक्षण तथा जल-प्रबंध 35. पर्वतीय कृषि 36. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत 37. शुष्क भूमि कृषि 38. वनचरागाह (सिल्वीपास्चर)

वि० अ० आ० "स्कोवे" द्वारा तैयार किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अभिज्ञात व्यावसायिक विषयों को शुरू करने के लिए चुनिंदा संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता हैं। मानविकी, सामाजिक विज्ञानों तथा वाणिज्य वर्ग में से संबंधित प्रत्येक विषय के लिए वि० अ० आ० से मिलने वाली सहायता रु० 3 लाख (रु० 2 लाख अनावर्ती तथा रु० 1 लाख आवर्ती) तक सीमित होगी और विज्ञान तथा इंजीनियरी वर्गों के विषय के लिए रु० 9 लाख (रु० 7 लाख अनावर्ती एवं रु० 2 लाख आवर्ती) तक सीमित होगी । आवर्ती सहायता केवल पाँच वर्ष के लिए ही उपलब्ध होगी ।

1994-95 में योजना शुरू किए जाने के समय से विभिन्न व्यावसायिक विषय शुरू करने के लिए 1533 कालेज तथा 31 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है । स्थापना के समय से सहायता और अनुदान प्रदान की गई संस्थाओं का वर्षवार विवरण नीचे दिया जा रहा हैं :-

(रु० लाख में)

वर्ष	सहायताप्रदत्त संस्थाओं की संख्या		जारी किया गया अनुदान
	कालेज	विश्वविद्यालय	
1994-95	190	19	2600
1995-96	191	05	1741
1996-97	324	07	2089
1997-98	292	-	2359
1998-99	320	-	1917
1999-2000	216	-	1913
2000-2001	109	1	1226*
कुल जोड़	**1642**	**32**	**13845**

* संस्वीकृत राशि रु० 1226 लाख में से केवल रु० 1189 लाख जारी किए गए।

1994-95 से उपलब्ध निधीयन के स्तर से वृत्तिक अभिविन्यास कार्यक्रम के अधीन देश में पूर्वस्नातक स्तर पर नामांकन की नगण्य संख्या ही लाभान्वित हो सकी । यह अनुभव किया गया कि वृत्तिक अभिविन्यास कार्यक्रम की परिधि के अंतर्गत पूर्वस्नातक नामांकन का 24 प्रतिशत लाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निधीयन का स्तर पर्याप्त रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है । वि० अ० आ० ने एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें इस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक की सहायता मांगी गई है ।

5.3 विषय-नामिकाएँ

वि०अ०आ० में विशेषज्ञों की नामिकाएँ है जो इसे विभिन्न विषयों में शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने, विश्वविद्यालयों में उपलब्ध अनुसंधान तथा शिक्षण सुविधाओं की बाबत स्थिति रिपोर्ट तैयार करने, प्रणोद क्षेत्र सूचित करने तथा अन्य संबंधित मामलों में वि०अ०आ० को परामर्श देती हैं । इन नामिकाओं की सिफारिशें पाठ्यक्रमों को अद्यतन तथा आधुनिक बनाने और शिक्षण तथा अनुसंधान में नवीन आयाम लागू करने में सहायता करती हैं । विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न विद्याशाखाओं में 28 विषय नामिकाएँ थीं । वर्ष 2000-2001 के दौरान मॉडल पाठ्यचर्या तैयार करने अथवा अद्यतन करने का कार्य हाथ में लिया गया । 32 विषयों में पाठ्यचर्या विकास समितियाँ गठित की गईं । इन समितियों के लिए संबंधित विद्याशाखा में प्रसिद्ध विद्वानों को नोडल व्यक्तियों के रूप में अभिज्ञात किया गया तथा उन्हें संबंधित विद्याशाखा की विशेषज्ञ तथा उप-विशेषज्ञता की आवश्यकता के अनुरूप समस्त देश में से विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की छूट प्रदान

की गई । मॉडल पाठ्यचर्या तैयार/अद्यतन करते समय समितियों से बहु-विद्या शाखीय कुशलता, सामान्य अध्ययनों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ने, मॉडुलर प्रणाली क्रेडिट-आधारित प्रणाली में लचीलापन, सेतु-पाठ्यक्रम लागू करने, ऊर्ध्वाधर एवं समानांतर शैक्षिक आवागमन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार करने का अनुरोध किया गया । इन समितियों की बैठक वि०अ०आ० के कार्यालय में हुई तथा इन्होंने मॉडल पाठ्यचर्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया । अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए रु० 30,000/- का प्रवाधान किया गया । विषय-नामिकाओं के कार्य के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान रु० 4.20 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

5.4 विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप)

वर्ष 1963-64 के दौरान वि०अ०आ० ने विश्वविद्यालयों के कतिपय विभागों को उनके कार्य तथा उपलब्धियों के आधार पर उच्च अध्ययन केंद्रों (कैस) के रूप में मान्यता देने की एक योजना शुरू की । इसका उद्देश्य सक्षम तथा उदीयमान जनशक्ति तथा आवश्यक उपस्करों के रूप में ठोस सहायता प्रदान करना था । योजना का प्रमुख उद्देश्य "उत्कृष्टता की तलाश" को प्रोत्साहित करना था । वर्ष 1972 के दौरान "विशेष सहायता विभाग" (डी एस ए) नामक एक अन्य योजना उच्च अध्ययन केंद्रों (कैस) के लिए सहायक कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई । इसका उद्देश्य उच्च अध्ययन तथा ग्रुप अनुसंधान के प्रयासों को प्रोत्साहित करना था ताकि अभिज्ञात विभाग एक अथवा दो प्रणोद क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को मजबूत बना सकें । बाद में वर्ष 1977 में एक और योजना "विभागीय अनुसंधान सहायता" (डी आर एस) विशेष सहायता विभाग के लिए सहायक कार्यक्रम के रूप में ग्रुप अनुसंधान प्रयासों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शुरू की गई । बाद में इन तीनों योजनाओं को आपस में मिला दिया गया और अब इसे विशेष सहायता कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है । यह तीन स्तरों - विभागीय अनुसंधान सहायता (डी आर एस), विशेष सहायता विभाग (डी एस ए), तथा उच्च अध्ययन केंद्रों (कैस) पर कार्य करता है । डी आर एस इसका फीडर संवर्ग है ।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों के विश्वविद्यालय विभागों की सहायता तीन या चार अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्रों में अनुसंधान की उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा विभाग के स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणता सुधारने के लिए की जाती है । वित्तीय सहायता जनशक्ति, उपस्कर, पुस्तकें एवं जर्नल, संगोष्ठियों, सम्मेलन, कार्यगत व्यय, तथा यात्रा आदि के लिए प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त, विभागों को संसाधन जुटाने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने, योग्य छात्रों को साथ मिलाने, ग्रीष्मसंस्थान आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहन के रूप में तदनुरूपी अनुदान प्रदान किए जाते हैं । यह अनुदान शतप्रतिशत आधार पर दिया जाता है ।

वित्तीय सहायता की मात्रा रु० 25 लाख से लेकर रु० 85 लाख तक होती है जो कि कार्यक्रम के स्तर पर तथा विद्याशाखा/विषय के स्तर पर निर्भर करती है । विभिन्न कार्यक्रमों और विषयों के लिए अधिकतम सीमा इस प्रकार है :-

विभिन्न स्तरों पर सेप के अंतर्गत वित्तीय सहायता

(रु० लाख में)

कार्यक्रम का नाम	विज्ञान इंजीनियरी, तथा प्रौद्यो-गिकी विभाग	गणित तथा सांख्यिकी विभाग	उपस्कर सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग	उपस्कर रहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग
सेप/सीएएस	85	60	60	42
सेप/डीएसए	70	50	50	35
सेप/डीआरएस	50	38	38	25

विभागों की सहायता प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए की जाती है। विशेषज्ञ/समीक्षा समिति की सहायता से विभाग के कार्य निष्पादन का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है । ये समितियाँ विभाग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि, अनुसंधान प्रकाशन, तैयार की गई जनशाक्ति, विकसित आधारित संरचना, पैदा की गई सुविधाओं, स्नातकोत्तर शिक्षण की गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि की दृष्टि से किया जाता है । विशेषज्ञ समितियों/समीक्षा समितियों की सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया जाता है और इनके आधार पर विभागों को सहायता उसी स्तर पर अथवा अगले उच्च स्तर तक बढ़ाकर अथवा निचले स्तर पर घटाकर जारी रखी जाती है अथवा बंद भी कर दी जाती है । वर्ष 999-2000 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त विभागों की संख्या 372 थी जबकि 2000-2001 के दौरान विभिन्न विषयों में 347 विभागों की सहायता की गई :

वर्ष 2000-2001 के दौरान सेप के अंतर्गत सहायताप्रदत्त विभागों की संख्या

नाम	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान	विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी विभाग	जोड़
सी ए एस	14	41	55
डी एस ए	81	101	182
डी आर एस	41	69	110
जोड़	136	211	347

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 73 विभागों की समीक्षा की गई । समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर 24 विभाग समाप्त कर दिए गए, तीन विभागों का स्तर डी आर एस से बढ़ाकर डी एस ए कर दिया गया, तीन को डी एस ए से बढ़ाकर सी ए एस स्तर का बना दिया गया, तीन विभागों का स्तर डी एस ए से घटाकर डी आर एस कर दिया गया तथा एक ही विभाग में दो कार्यक्रमों को आपस में मिला दिया गया और अब इसे एक विभाग की तरह माना जाता है । बाकी के 45 विभाग उसी स्तर पर जारी हैं । 2000-2001 के दौरान वि०अ०आ० ने विज्ञान के विभागों को क्रमश: रु० 1267.28 लाख, रु० 299.98 लाख तथा रु० 379.58 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की ।

इस कार्यक्रम के अधीन आमंत्रित तथा प्राप्त नए प्रस्तावों की सूची को विषय विशेषज्ञ समितियों/ग्रुपों की सहायता से संक्षिप्त किया गया । बाद में प्रस्तावों की संक्षिप्तीकृत सूची को इस कार्यक्रम के अधीन वित्तीय सहायता के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा मौका मुआयना द्वारा अथवा विशेषज्ञ समिति के समक्ष विश्वविद्यालयों के संक्षिप्तीकृत सूची के विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा की गई प्रस्तुति के आधार पर अंतिम रूप दिया गय ।

वित्तीय वर्ष के दौरान सहायता के लिए अंतत: चुने गए विभागों की संख्या वित्तीय वर्ष के दौरान सेप के तहत राशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

5.5 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की आधार-संरचना को सुदृढ़ करना (कोसिस्ट)

1983 में मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति (साक) ने विश्वविद्यालय विभागों के गैर-अधिकारी तंत्र ढाँचे में विश्वविद्यालयों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए आधारिक संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की और भारतीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में उक्त कार्य के वास्ते कार्यक्रम शुरू करने के लिए वि०अ०आ० को नोडल एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया गया । इस प्रकार "विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधार-संरचना विकास (स्टिड) कार्यक्रम शुरू किया गया और जब इसने गति पकड़ ली तब यह कार्यक्रम "कोसिस्ट" के नाम से आमतौर पर जाना जाने लगा जो कि "विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की आधारिक संरचना को सुदृढ़ बनाने वाली समिति" का संक्षिप्त नाम है । तभी से यह कार्यक्रम "कोसिस्ट" नाम से चलाया जा रहा है ।

"कोसिस्ट" कार्यक्रम केवल विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विषयों के वास्ते है जबकि "सेप" विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी के लिए है । दोनों कार्यक्रमों के लक्ष्यों तथा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं के इष्टतम उपयोग और गुणवत्तायुक्त अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की उपलब्धि के वास्ते इन्हें समेकित रूप से कार्यान्वित किया जाता है ।

"कोसिस्ट" का बुनियादी उद्देश्य उन विश्वविद्यालयों में चुनिंदा विज्ञान तथा इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विभागों की सहायता करना है जिन्होंने पहले ही उच्च गुणवत्तायुक्त निष्पादन प्रदर्शित किया है और प्राप्त किया है ताकि वे ऐसे मूल्यवान प्रमुख उपस्कर प्राप्त कर सकें जोकि सामान्यत: सेप अनुदानों अथवा सामान्य विश्वविद्यालय विकास अनुदानों में से अनुमोदित न हो सकें और इस प्रकार ऐसे उपस्कर की अनुपलब्धि के कारण विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षा में उत्कृष्टता की प्राप्ति और अनुसंधान मे बाधा न पड़े । "कोसिस्ट" के विशेष उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- अनुसंधान और स्नातकोत्तर शिक्षण में प्राप्त उत्कृष्टता को निरंतर बनाए रखने अथवा अभिज्ञात क्षेत्रों में सिद्ध निष्पादन की बढ़ोतरी के लिए प्रमुख कीमती उपस्कर (सेप के अंतर्गत अथवा अन्य स्रोतों से अनुपलब्ध) प्राप्त करने के द्वारा आधारित संरचना सुदृढ़ करना ।
- उच्च प्रौद्योगिकी/उभरते हुए/प्रणोद/व्यापक क्षेत्र बढ़ाना और प्रोत्साहित करना ताकि विश्व में अपने प्रतिस्थानी के साथ बराबर और तुलनीय हुआ जा सके ।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पेटेंट फाइल करना आदि के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार और इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना ।
- स्वावलंबिता तथा संसाधन पैदा करने के लिए अतर्राष्ट्रीय तथा औद्योगिक सहयोगात्मक कार्यक्रम शुरू करना ।
- सेप अथवा कोसिस्ट समर्थित अन्य विभागों के साथ संपर्क जोड़ना और क्षेत्रों में अंत: शाखीय गतिविधि के लिए अपेक्षित उपाय सुझाना तथा सक्रिय भागीदारी, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोक्ता विभागों को अभिप्रेरित करना तथा क्षेत्रों का पोषण करना ।

जिन विभागों ने सेप कार्यक्रम के तहत डी आर एस के न्यूनतम स्तर पर कम से कम पाँच वर्षों की अवधि पूरी कर ली है और आगे जारी रहने के लिए अच्छी समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की है वे वि०अ०आ० द्वारा आमंत्रित किए जाने पर कोसिस्ट के अंतर्गत सहायता के लिए प्रस्ताव भेजने के पात्र है । अंतिम चयन के लिए संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञ दलों से परापर्श लिया जाता है । इस कार्यक्रम के अधीन सहायता शत-प्रतिशत आधार पर एकबारगी निवेश के तौर पर प्रदान की जा रही है ।

कोसिस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता की वित्तीय सीमा चुनिंदा विभाग (केवल विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी) के लिए 9वीं योजना के दौरान 5 वर्षों के लिए (केवल एक बार) रु०85.00 लाख है । आठवीं योजना अवधि से पूर्व वि०अ०आ० ने निष्पादन एवं उपलब्धियों की समीक्षा के पश्चात् चुनिंदा विभागों को दूसरी बार (पाँच वर्ष) वित्तीय सहायता प्रदान की ।

सेप तथा नवाचारी कार्यक्रमों के लिए गठित स्थायी समितियाँ विज्ञानों (भौतिक तथा जैव विज्ञानों), इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में योजना तथा नीतियाँ के निर्माण, समन्वय, कार्यक्रम का परिवीक्षण तथा मूल्यांकन की बावत कोसिस्ट कार्यक्रम के संबंध में कार्य करती हैं । स्थायी समिति की सामान्य अवधि तीन वर्ष होगी ।

नियमित परिवीक्षण तथा मूल्यांकन योजना के अभिन्न अंग हैं । मूल्यांकन का विषय अनुसंधान की गुणवत्ता एवं मात्रा, प्रशिक्षण द्वारा वैज्ञानिक मानव संसाधन विकास, शिक्षण विधि में किए गए नवाचार पाठ्यचर्या को अद्यतन बनाना तथा कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन में गतिरोध, यदि कोई हो तो, दूर करना है ।

मध्यकालिक परिवीक्षण तथा इन विभागों के निष्पादन का निर्धारण अभ्यागत समितियों की सहायता से तथा वि०अ०आ० द्वारा निर्णीत एक नोडल विश्वविद्यालय में ग्रुप परिवीक्षण द्वारा भी किया जाता है ।

कोसिस्ट सहायताप्राप्त विभागों को प्रकार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की गई है । कार्यक्रम के वार्षिक परिवीक्षण के लिए आंतरिक प्रणाली के रूप में एक सलाहकार समिति का होना विभागों के लिए अनिवार्य है । अन्य सदस्यों के अलावा सलाहकार समिति में वि०अ०आ० द्वारा नामित दो/तीन बाहरी विशेषज्ञ होने चाहिए । जहाँ अनुमोदित हो वहाँ दोनों ही कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बेहतर समन्वय तथा निधियों के श्रेष्ठतम उपयोग के वास्ते सेप की सलाहकार समिति कोसिस्ट कार्यक्रम के लिए भी संयुक्त सलाहकार समिति के रूप में कार्य करेगी ।

चूँकि अधिकांश सहायता अत्याधुनिक उपस्कर प्राप्त करने के लिए दी जाती है अतः इन विभागों को अनुरक्षण, उन्नयन, आधुनिकीकरण उपस्कर के उपसाधनों एवं अतिरिक्त पुर्जों के लिए उपस्कर की लागत का पाँच प्रतिशत तक निधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं । अनुरक्षण के लिए सहायता तभी प्रदान की जाती है जब कार्य दर-ठेका आधार पर दिया जाता है । ऊपरी प्रभारों के लिए सहायता विभाग के लिए अनुमोदित कुल आबंटन के दस प्रतिशत की दर से प्रदान की जाती है । किंतु यह केवल कार्यक्रम अवधि (5 वर्ष) के लिए अधिकतम रु० 2.00 लाख होगी । इसके अलावा निधियाँ उपलब्ध होने पर ही वि०अ०आ० ग्रीष्म संस्थान, स्नातकोत्तर छात्र संलग्नता तथा विदेशस्थ विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के लिए अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान करता है ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान कोसिस्ट कार्यक्रम के अधीन सहायता के लिए 14 नए विभाग अभिज्ञात किए गए हैं । आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान (2000-2001) कार्यक्रम के अधीन कुल रु० 750 लाख के आबंटन में से नवीन तथा चालू गतिविधियाँ के लिए कुल रु० 741.55 लाख के अनुदान की संस्वीकृति दी है । उपस्कर की खरीद के लिए कुल अनुमोदित अनुदान संबंधित विश्वविद्यालय/विभाग को कार्यक्रम के प्रारंभ में जारी किया जाता है ताकि उपस्कर की लागत में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण वृद्धि न हो जाए ।

कार्यक्रम की शुरूआत के समय (1983-84) से 55 विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 209 विभागों को 31.1.2001 तक सहायता के लिए चुना गया है ।

कार्यक्रम के देशव्यापी मूल्यांकन से ज्ञात हुआ है कि वैज्ञानिक समुदाय ने इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा एवं सराहना की है क्योंकि इससे शिक्षकों तथा छात्रों दोनों में ही उत्साह एवं प्रतियोगी भावना उत्पन्न हुई हैं । इस कार्यक्रम के माध्यम से विभागों द्वारा प्राप्त की गई आधारिक संरचनागत सुविधाओं के साथ-साथ उन्हें विदेशों से भी अतिरिक्त निधियाँ प्राप्त हुई हैं ।

5.6 विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केंद्र (यूसिक)

शिक्षण तथा अनुसंधान में अत्याधुनिक उपकरणों के इष्टतम उपयोग के वास्ते वि०अ०आ० ने यूसिकों की स्थापना द्वारा सर्व-सामान्य पूल की संकल्पना की शुरूआत की है । इन केंद्रों का उद्देश्य विश्वविद्यालय के यंत्रीकरण के सभी पक्षों का ध्यान रखना है । इसमें यंत्रों का अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधन का प्रशिक्षण शामिल है । 31.3.2001 को स्थिति के अनुसार ऐसे 74 केंद्र थे ।

वि०अ०आ० पाँच वर्ष की अवधि के वास्ते स्टाफ के वेतन, उपस्कर, कार्यशाला, आकस्मिकता और भवन के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

2000-2001 के दौरान रु० 50 लाख के बजट नियतन में से हैदराबाद तथा कर्नाटक विश्वविद्यालयों के दो केंद्रों के वास्ते रु० 8.25 लाख की राशि प्रदान की गई ।

5.7 परीक्षा सुधार

9वीं योजना के दौरान वि०अ०आ० ने परीक्षा में सुधार, पाठ्यचर्या विकास केंद्रों की रिपोर्ट अपनाना, अकादमिक कैलेंडर आदि जैसे शैक्षिक सुधारों के हेतु विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है ।

परीक्षा सुधारों के विषय में वि०अ०आ० परीक्षा सुधार के विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन पर जोर देता रहा है । इनमें सतत इंटरनेट मूल्यांकन, प्रश्न बैंकों का विकास, ग्रेडिंग प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, पाठ्यविवरण तथा प्रश्नपत्रों की नवीन रूपरेखा और विश्वसनीयता, वैधता एवं मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता तथा शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन का घनिष्ठ एकीकरण करने की दृष्टि से परीक्षा आयोजित करना शामिल है ।

5.8 कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम (कोसिप) तथा कालेज मानविकी और सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रम (कोहस्सिप)

आयोग ने कोसिप तथा कोहस्सिप के कार्यक्रम जारी रखने का अनुमोदन किया है । वर्ष 2000-2001 के लिए रु० 250 लाख का बजट नियतन है । यह क्रमशः कोसिप और कोहस्सिप कार्यक्रमों के अंतर्गत 100 कालेजों के लिए प्रत्येकशः रु० 2 लाख और रु० 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान आयोग ने कोहस्सिप के अंतर्गत 62 कालेजों तथा कोसिप के अंतर्गत 56 कालेजों के सहायता प्रस्तावों का अनुमोदन किया है । कोहस्सिप के तहत रु० 37.20 लाख और नए अनुमोदित कालेजों के लिए रु० 77 लाख दिए गए । दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्व वर्षों में अनुमोदित कालेजों तथा चालू वर्ष में अनुमोदित कालेजों को कुल वित्तीय सहायता रु० 276.62 लाख (रु० 56.82 लाख कोहस्सिप के अंतर्गत तथा रु० 219.80 लाख कोसिप के अंतर्गत) प्रदान की गई ।

मार्च, 2001 में बंगलौर में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासनकारी एजेंसियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क (इनक्वाहे) का छठा द्विवर्षी सममेलन । इस सम्मेलन का आयोजन यू॰ जी॰ सी॰ की एक स्वायत्त संस्था 'एन ए ए सी' ने किया था ।

यू॰ जी॰ सी॰ कई विश्वविद्यालयों में अनेक अभिविन्यास, पुनश्चर्या तथा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है । चित्र में मुंबई में पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को काम करते हुए दिखाया गया है ।

6 शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास

6.1 अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लेक्चररशिप की पात्रता तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता है ताकि मानविकी (भाषाओं सहित), सामाजिक विज्ञानों, कंप्यूटर अनुप्रयोग तथा इलैक्ट्रॉनिक्स विज्ञानों में शिक्षण व्यवसाय तथा अनुसंधान में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित किया जा सके । विज्ञान के अन्य विषयों में सी॰ एस॰ आई॰ आर॰ और यू॰ जी॰ सी॰ संयुक्त रूप से परीक्षा आयोजित करते हैं । यह परीक्षा वर्ष में दो बार सामान्यत: जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है । जो उम्मीदवार अनुसंधान करना चाहते हैं उनके लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे॰ आर॰ एफ॰) पाँच वर्ष के लिए उपलब्ध है । जिन उम्मीदवारों ने जे॰ आर॰ एफ॰ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को अनेक अध्येतावृत्तियाँ आबंटित की हैं । आलोच्य वर्ष के दौरान 'नेट' विषयों की सूची में दो नए विषय अर्थात् (i) मानव अधिकार और कर्तव्य शिक्षा, (ii) पर्यटन प्रबंध प्रशासन जोड़ दिए गए हैं ।

जे॰ आर॰ एफ॰ अवार्ड के लिए 1984 से और लेक्चरार पद की पात्रता के लिए 1989 से (भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई, 1988 के अनुसार) यह परीक्षा आयोजित की जा रही है । इंजीनियरी विज्ञानों के अंतर्गत आने वाले विषयों की परीक्षाएँ जे॰ आर॰ एफ॰ अध्येतावृत्तियों के लिए संयुक्त यू॰ जी॰ सी॰ – सी॰ एस॰ आई॰ आर॰ नेट परीक्षाएँ दिसंबर, 1990 से जून, 1995 तक संचालित की गईं ।

जे॰ आर॰ एफ॰ तथा लेक्चररशिप की पात्रता हेतु गत तीन परीक्षाओं के लिए यू॰ जी॰ सी॰ – नेट परीक्षा में बैठे उम्मीदवार तथा उनकी लिंगवार संख्या क्रमश: सारणी 6.1 और 6.2 में दी गई है । सारणी 6.3 में संयुक्त यू॰ जी॰ सी॰ – सी॰ एस॰ आई॰ आर॰ नेट परीक्षा के माध्यम से जे॰ आर॰ एफ॰ में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या दिखाई गई है ।

वर्ष 2000–2001 के दौरान 74 विषयों के पाठ्यविवरणों का संशोधन किया गया । 24 जून, 2001 को आयोजित की गई नेट परीक्षा का संचालन संशोधित पाठ्यविवरण के आधार पर किया गया । सभी विषयों के नए पाठ्यविवरणों का प्रयुक्त पैटर्न एक समान है ।

74 विषयों के पाठ्यविवरणों और नेट परीक्षा के परिणामों को यू॰ जी॰ सी॰ वेबसाइट में समावेशित किया गया है । इसके अतिरिक्त, पाठ्यविवरणें की सजिल्द प्रतियाँ भारतीय विश्वविद्यालयों के सभी पुस्तकालयों तथा कुलपतियों को व्यापक परिचालन के लिए भेजी गईं ।

सारणी 6.1 : कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति का परीक्षा-परिणाम

नेट परीक्षा	सामान्य उम्मीदवार*			अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के उम्मीदवार			उम्मीदवारों की कुल संख्या		
	परीक्षा में बैठे उम्मीद-वारों की सं॰	उत्तीर्ण उम्मीद-वारों की सं॰	उत्तीर्ण उम्मीद-वारों का %	परीक्षा में बैठे उम्मीद-वारों की सं॰	उत्तीर्ण उम्मीद-वारों की सं॰	उत्तीर्ण उम्मीद-वारों का %	परीक्षा में बैठे उम्मीद-वारों की सं॰	उत्तीर्ण उम्मीद-वारों की सं॰	उत्तीर्ण उम्मीद-वारों का %
दिसं॰, 99	जो॰ 26,954	269	1.00	7,514	77	1.02	34,468	346	1.01
	म॰ 13,731 (50.94%)	138 (51.30%)	1.01	2,086 (27.76%)	21 (27.27%)	1.01	15,817 (45.89%)	159 (45.95%)	1.01
	पु॰ 13,138 (48.74%)	131 (48.70%)	1.00	5,428 (72.24%)	57 (72.73%)	1.03	18,566 (53.86%)	187 (54.05%)	1.01
	एक्स 85 (0.31%)	-	-	-	-	-	85 (0.25%)	-	-
जून, 2000	जो॰ 27,040	273	1.01	7,107	82	1.15	34,147	355	1.04
	म॰ 13,726 (50.76%)	143 (53.38%)	1.04	2,100 (29.55%)	28 (34.15%)	1.33	15,826 (46.35%)	171 (48.17%)	1.08
	पु॰ 13,314 (49.24%)	130 (46.62%)	0.98	5,007 (70.45%)	54 (65.85%)	1.08	18,321 (53.65%)	184 (51.83%)	1.00
दिसं॰, 2000	जो॰ 34,813	268	0.77	9,824	85	0.87	44,637	353	0.79
	म॰ 17,692 (50.82%)	124 (46.27%)	0.70	2,573 (29.24%)	23 (27.06%)	0.80	20,565 (46.07%)	147 (41.64%)	0.71
	पु॰ 17,121 (49.18%)	144 (53.73%)	0.84	6,951 (70.76%)	62 (72.94%)	0.89	24,072 (53.93%)	206 (58.36%)	0.86

जो॰ - जोड़ म॰ - महिला पु॰ - पुरुष एक्स - जेंडर उपलब्ध नहीं

* इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है

सारणी 6.2 : लेक्चरारशिप के लिए पात्रता परीक्षा - परिणाम

नेट परीक्षा	सामान्य उम्मीदवार*			अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवार			उम्मीदवारों की कुल संख्या		
	परीक्षा में बैठे उम्मीद-वारों की सं०	उत्तीर्ण उम्मीद-वारों की सं०	उत्तीर्ण उम्मीद-वारों का %	परीक्षा में बैठे उम्मीद-वारों की सं०	उत्तीर्ण उम्मीद-वारों की सं०	उत्तीर्ण उम्मीद-वारों का %	परीक्षा में बैठे उम्मीद-वारों की सं०	उत्तीर्ण उम्मीद-वारों की सं०	उत्तीर्ण उम्मीद-वारों का %
दिसं०, 99	जो० 43,900	5,007	11.41	12,128	1,880	15.50	56,028	6,887	12.29
	म० 22,505 (51.26%)	2,597 (51.81%)	11.54	3,612 (29.78%)	584 (31.06%)	16.17	26,117 (46.16%)	3,181 (46.19%)	12.18
	पु० 21,310 (48.55%)	2,410 (48.13%)	11.31	8,516 (70.22%)	1,296 (68.94%)	15.22	29,826 (53.23%)	3,706 (53.81%)	12.43
	एक्स 85 (0.19%)	-	-	-	-	-	85 (0.15%)	-	
जुलाई, 2000	जो० 44,455	3,914	8.80	11,731	1,451	12.37	56,186	5,365	9.55
	म० 22,498 (50.61%)	2,025 (51.74%)	9.00	3,703 (31.57%)	425 (29.29%)	11.48	26,201 (46.63%)	2,450 (45.67%)	9.35
	पु० 21,951 (49.38%)	1,889 (48.26%)	8.61	8,028 (68.43%)	1,026 (70.71%)	12.78	29,979 (53.36%)	2,915 (54.33%)	9.72
	एक्स 6	-	-	-	-	-	6	-	-
दिसं०, 2000	जो० 59,150	4,827	8.16	16,582	1,965	11.85	75,732	6,792	8.97
	म० 29,661 (50.15%)	2,539 (52.60%)	8.56	5,175 (31.21%)	625 (31.81%)	12.08	34,836 (46.00%)	3,164 (46.58%)	9.08
	पु० 29,440 (49.77%)	2,285 (47.34%)	7.76	11,407 (68.79%)	1,340 (68.19%)	11.75	40,847 (53.94%)	3,625 (53.37%)	8.87
	एक्स 49	3	-	-	-	-	49	3	

जो० - जोड़ म० - महिला पु० - पुरुष एक्स - जेंडर उपलब्ध नहीं

* इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है

सारणी 6.3 : संयुक्त सी० एस० आई० आर० - यू० जी० सी० - नेट परीक्षा (केवल विज्ञान विषयों के लिए)

परीक्षा	उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या			
	यू० जी० सी० जे० आर० एफ०	सी०एस०आई०आर० जे० आर० एफ०	जोड़ जे० आर० एफ०	लेक्चरारशिप (जे०आर०एफ० सहित)
जुला०, 2000	150	682	832	2170
दिसं०, 2000	165	976	1141	2697

राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस एल ई टी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक निम्नलिखित राज्यों द्वारा राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस एल ई टी) संचालित करने के लिए प्रत्यायन प्रदान किया :-

आंध्र प्रदेश, बिहार, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र एवं गोवा, पंजाब और चंडीगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर तथा मध्य प्रदेश (कुल 13 राज्य) ।

इसके अतिरिक्त, आयोग को गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों से प्रत्यायन के लिए नए प्रस्ताव प्राप्त हुए ।

1997-98 के दौरान राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा के स्तर एवं संचालन के संबंध में समीक्षाएँ की गईं जिसके आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बिहार, हरयाणा, कर्नाटक और पंजाब तथा चंडीगढ़ का प्रत्यायन समाप्त कर दिया । बहरहाल, 1998 में कर्नाटक राज्य में विसंगतियों को दूर करने के बाद पुनः प्रत्यायन किया गया । वर्ष 2000-2001 के दौरान आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा के लिए समीक्षा की गई । जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु की राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा की समीक्षा की जा रही है ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान नेट परीक्षा संचालित करने के लिए रु० 242.22 लाख खर्च किए गए ।

6.2 शिक्षकों के लिए विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में बृहत् एवं लघु अनुसंधान परियोजनाएँ

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों में (वि० अ० आ०, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन) स्थायी/नियमित/कार्यरत/सेवा-निवृत्त शिक्षकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ताकि वे विशिष्ट विषय क्षेत्रों में गहन एवं प्रगाढ़ अध्ययन कर सकें । परियोजना का कार्य किसी वैयक्तिक शिक्षक या शिक्षक-समूह या समूचे विभाग द्वारा शुरू किया जा सकता है । अंतःशास्त्रीय अनुसंधान तथा अंतःसंस्थागत सहयोग अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाती है ।

बृहत् और लघु परियोजनाओं के लिए सहायता की मात्रा क्रमशः रु० 7.00 लाख तथा रु० 0.50 लाख है । बृहत् परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता राशि में निम्नलिखित के लिए निधीयन शामिल है :- उपस्कर, पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ, आकस्मिकताएँ, यात्रा तथा क्षेत्र कार्य, रसायन, अनुसंधान एसोशिएट, परियोजना एसोशिएट और परियोजना फैलो की नियुक्ति, तकनीकी सेवाएँ हायर करना, परिकलन, रसायन तथा परियोजना के लिए आवश्यक अन्य मदें । लघु परियोजनाओं के मामले में परियोजना स्टाफ की नियुक्ति के लिए निधियाँ उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं । बृहत् अनुसंधान परियोजना किसी सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा 70 वर्ष की आयु तक भी हाथ में ली जा सकती है । आयोग द्वारा गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति प्राप्त किए गए प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है और स्वयं आवेदक समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं ।

लघु तथा बृहत् परियोजना की अवधि सामान्यतः क्रमशः तीन और दो वर्ष की होती है और उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है ।

वार्षिक प्रगति रिपोर्टों का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है और परियोजना की अवधि का बढ़ाया जाना विशेषज्ञों के प्रेक्षणों तथा सिफारिशों के आधार पर आयोग द्वारा तय किया जाता है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वि० अ० आ० द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या और जारी किए गए अनुदानों का विवरण निम्नलिखित सारणी 6.4 में दिया गया है :-

सारणी 6.4 : बृहत् एवं लघु अनुसंधान परियोजनाएँ : 2000-2001

बृहत् अनुसंधान परियोजनाएँ

(रु० करोड़ में)

	संकाय	2000-2001 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	जारी किए गए अनुदान	महिला प्रधान अन्वेषकों की संख्या
1.	मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषाएँ	275	13.67	51
2.	विज्ञान	472	5.05	65
3.	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	139	3.46	15
	जोड़	**886**	**22.18***	**131**

लघु अनुसंधान परियोजनाएँ**

	संकाय	2000-2001 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	जारी किए गए अनुदान
1.	मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाएँ तथा विज्ञान	1117	3.19
	जोड़	**1117**	**3.19**

* इसमें कुछ नई, चालू तथा पुरानी योजनाओं के लिए अनुदान शामिल हैं ।

** इनमें अनुमोदित परियोजनाएँ तथा वि० अ० आ० के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए अनुदान शामिल हैं ।

6.3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विदेश में अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलनों में शोध लेख प्रस्तुत करने के लिए कालेज शिक्षकों, यू० जी० सी० अवार्डित अनुसंधान एसोशिएटों, कुलपतियों तथा आयोग के सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । कालेज शिक्षकों तथा अनुसंधान एसोशिएटों के लिए यह सहायता स्वीकार्य व्यय के 50 प्रतिशत तक सीमित है लेकिन कुलपतियों और आयोग के सदस्यों को यह सहायता 100 प्रतिशत आधार पर दी जाती है । वर्ष के दौरान आयोग ने यह निर्णय भी लिया कि अत्यधिक अपवादस्वरूप मामलों में कालेज शिक्षकों के लिए यात्रा अनुदान योजना के अधीन 100 प्रतिशत तक यात्रा अनुदान दिया जा सकता है बशर्ते कि अवार्डा अगले अन्य यात्रा अनुदान के लिए छह वर्ष के बाद पुनः आवेदन करे । वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना के अधीन 229 कालेज शिक्षकों तथा 10 कुलपतियों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बजट आबंटन के रु० 1 करोड़ में से रु० 72.28 लाख की राशि जारी की गई जिसमें कालेजों को प्रदत्त रु० 59.61 लाख की राशि शामिल है ।

6.4 संगोष्ठियाँ और सम्मेलन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर संगोष्ठियाँ, परिसंवाद तथा सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों और स्नातकोत्तर कालेजों को सहायता उपलब्ध कराता है । इस योजना के अधीन सहायता की मात्रा इस प्रकार है :-

- संगोष्ठियाँ रु० 0.50 लाख
- राज्य स्तरीय सम्मेलन रु० 0.65 लाख
- राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन रु० 0.75 लाख
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रु० 1.50 लाख

वर्ष 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुख्यालय) ने विभिन्न संगोष्ठियाँ तथा सम्मेलन आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों को रु० 4.76 लाख, की राशि प्रदान की । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने 386 अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए रु० 142.25 लाख की राशि जारी की ।

अनियत अनुदान योजना के अधीन विश्वविद्यालय भी उसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं । आयोग विश्वविद्यालयेतर संस्थाओं यथा - 'नीपा' द्वारा आयोजित किए गए समान कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों को या० भ०/दै० भ० भी उपलब्ध कराता है ।

6.5 इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रतिवर्ष कृषि इंजीनियरी सहित इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में 50 अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करता है ताकि उच्च अध्ययन और अनुसंधान कार्य करके पीएच० डी० की उपाधि प्राप्त की जा सके । इसके लिए न्यूनतम योग्यता इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/फार्मेसी में 55 प्रतिशत अंक सहित मास्टर डिग्री है । इस अध्येतावृत्ति को प्राप्त करने के लिए बी०ई०/बी०टेक० की डिग्री का होना या इंजीनियरी के लिए स्नातक अभिवृत्ति परीक्षा (गेट) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है । 'गेट' उत्तीर्ण उम्मीदवार 'जे० आर० एफ०' स्कीम के अधीन यू० जी० सी० अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के पात्र नहीं है ।

इस अध्येतावृत्ति को प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष हैं । महिला उम्मीदवारों को पाँच वर्ष की छूट दी जाएगी । 1999-2000 के दौरान इस योजना के अधीन 22 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों (पुरुष-20 और महिलाएँ-2) का चयन किया गया । वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना के अधीन रु० 32.26 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

वर्ष 2000-2001 के लिए अध्येतावृत्तियों के हेतु चयन किया जा रहा है ।

6.6 विदेशी राष्ट्रिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (जे० आर० एफ०) तथा अनुसंधान एसोशिएटशिप (आर० ए०)

इस योजना का उद्देश्य एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों के विदेशी छात्रों और शिक्षकों को भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों का उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान करने का अवसर उपलब्ध कराना है । इस योजना के तहत 20 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों तथा 7 अनुसंधान एसोशिएटशिपों का चयन किया जाना है ।

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ विशेषत: 35 वर्ष (महिलाओं के लिए 40 वर्ष) से कम आयु वाले उन व्यक्तियों के लिए खुली हैं जिनके पास द्वितीय श्रेणी की बैचलर डिग्री सहित कम से कम उच्च श्रेणी की मास्टर डिग्री होगी या प्रथम श्रेणी बैचलर डिग्री सहित कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री होगी । जे० आर० एफ० का मूल्य प्रथम दो वर्ष के लिए रु० 5000/- प्र० मा० होगा । और अनुवर्ती वर्षों के लिए रु० 5,600/- प्र० मा० होगा और इसके साथ-साथ मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के स्कालरों को रु० 5000/- प्र० व० और विज्ञान के स्कालरों को रु० 7,500/- प्र० व० आकस्मिक अनुदान प्रदान किया जाता है । कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति से वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के स्तर तक उन्नयन होने पर वार्षिक आकस्मिक अनुदान में कोई परिवर्तन नहीं होगा । अवार्ड की प्रारंभिक अवधि (एम० फिल० अवधि,यदि हो सहित) चार वर्ष की है । नियत अवधि के दो वर्ष के बाद संबंधित विश्वविद्यालय वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता

के स्तर तक उन्नयन के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं के कार्य-निष्पादन का निर्धारण कर सकता है । चार वर्ष के बाद विश्वविद्यालय द्वारा आगे और निर्धारण किया जाएगा और यदि वह संतोषजनक पाया जाता है तो अवधि एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है । यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो किसी भी समय अवार्ड को वापस लिया जा सकता है ।

अनुसंधान एसोशिएटशिप

अनुसंधान एसोशिएटशिपें विशेषत: अवार्ड वाले वर्ष की पहली जुलाई को 45 वर्ष (महिला उम्मीदवारों के मामले में 55 वर्ष) से कम आयुवाले उन अनुसंधान कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के लिए होती हैं जिनके पास डाक्टरेट की डिग्री है और जिन्होंने अपने नाम से अनुसंधान कार्य प्रकाशित किया है तथा स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य करने का प्रमाण प्रस्तुत किया है ।

आवेदन-पत्र राज दूतावासों और विश्वविद्यालयों से प्रतिवर्ष परिपत्रों के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं । आयोग विशेषत: इसी उद्देश्य के लिए गठित की गई चयन समिति की सिफारिश के आधार पर उपर्युक्त दोनों मामलों (कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति और वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति) में चयन करता है ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान आयोग ने विदेशी छात्रों को 20 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (पुरुष- 14, महिला-6) तथा 5 अनुसंधान एसोशिएटशिपें (पुरुष-4, महिला-1) प्रदान कीं और विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को बजट आबंटन के रु० 22.71 लाख में से रु० 31.53 लाख की राशि प्रदान की । (इसमें सामान्य जे० आर० एफ० शामिल है)

6.7 विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येत्तावृत्तियाँ प्रदान करना

इस योजना का उद्देश्य उच्च अध्ययन करने के लिए जिसे पूरा कर लेने के बाद विज्ञान, मानविकी तथा भाषाओं सहित सामाजिक विज्ञानों में एम०फिल० या पीएच० डी० की डिग्री मिलती है, स्कॉलरों को अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं । कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती हैं जो यू० जी० सी० और यू०जी०सी०/ सी० एस० आई० आर० संयुक्त राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं । ये केवल अर्हक परीक्षाएँ हैं और इनके आधार पर उम्मीदवार को अध्येतावृत्ति नहीं मिलती है । विभिन्न विश्वविद्यालय कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों का चयन करते हैं । इस योजना के तहत 'गेट' उत्तीर्ण उम्मीदवार अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के पात्र नहीं है ।

इस योजना के तहत अध्येता को पूर्णकालिक अनुसंधान कार्य करना होता है । यह अध्येतावृत्ति शुरू में चार वर्ष के लिए होगी । विशेष परिस्थितियों में आयोग के अनुमोदन से इसकी अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है । इस प्रकार, इस अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि (एम० फिल० की अवधि सहित) जहाँ भी आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है या अनुमोदित की जाती है, 5 वर्ष के लिए होती है ।

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति का मूल्य प्रथम दो वर्ष के लिए रु० 5000/- प्र०म० और अनुवर्ती वर्षों के लिए रु० 5600/- प्र० मा० होगा और मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के स्कॉलरों के लिए रु० 5000/- प्र० व० तथा विज्ञान स्कालरों के लिए रु० 7500/- प्र० व० आकस्मिक अनुदान दिया जाएगा ।

यदि कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति का उन्नयन वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति में कर दिया जाता है तो वार्षिक आकस्मिक अनुदान की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 5वें वर्ष के लिए अध्येतावृत्ति की अवधि आगे और बढ़ाए जाने के लिए चार वर्ष पूरे होने पर अध्येताओं द्वारा किए गए कार्य का निर्धारण तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा । यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो अवार्ड वापस ले लिया जाएगा ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालयों/कालेजों को बजट आबंटन के रु० 22.71 करोड़ में से रु० 20.10 करोड़ की राशि जारी की गई । (विदेशी राष्ट्रिकों को जे० आर० एफ०/आर० एफ० सहित)

6.8 स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, हरि ओम् आश्रम न्यास अवार्ड तथा वि० अ० आ० वेद व्यास राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड

• स्वामी प्रणवानंद सरस्वती

स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, निदेशक, अमेरिका स्थित योग सोसाइटीज़ द्वारा प्रदान किए गए रु० 5 लाख के धर्मस्व की सहायता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1985 से रु० 10,000 (प्रत्येक) के मूल्य के निम्नलिखित अवार्ड स्थापित किए हैं। ये अवार्ड प्रत्येक वर्ष ऐसे उत्कृष्ट विद्वतापूर्ण/वैज्ञानिक कार्य के लिए दिए जाते है जिन्होंने मानव ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है और एक नए ढंग से समस्याओं पर प्रकाश डाला है। वर्ष के अवार्डों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

अवार्ड	प्राप्तकर्त्ता	वर्ष
अर्थशास्त्र	डॉ० रविशंकर श्रीवास्तव (इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्ति पर) क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067	1998
पर्यावरण विज्ञान विज्ञान तथा पारिस्थितिकी	प्रोफेसर एम० एस० श्रीनिवासन, अध्यक्ष, आई यू जी एस के लिए राष्ट्रीय समिति भूविज्ञान विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी - 221005	1998

हरि ओम् आश्रम न्यास अवार्ड

हरि ओम आश्रम न्यास, नादियाड द्वारा उपलब्ध कराए गए धर्मस्व की सहायता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1974 से उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाने वाले रु० 10,000/- मूल्य (प्रत्येक) के निम्नलिखित अवार्डों की स्थापना की है।

वर्ष 1997 और 1998 के लिए दिए गए अवार्डों का विवरण इस प्रकार है :-

अवार्ड	प्राप्तकर्त्ता	वर्ष
भौतिक विज्ञानों के लिए सर सी० वी० रमन अवार्ड	डॉ० एन० सत्यमूर्ति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर - 208016	1997
	प्रोफेसर डी० नारायण राव भौतिकी विभाग एस० वी० यू० कालेज आफ आर्ट्स एंड साइंसेज, तिरुपति	1998
अनुप्रयुक्त विज्ञानों में होमी भाभा अवार्ड	प्रोफेसर मेघसिंह अनुप्रयुक्त यांत्रिकी विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई - 600 036	1997

पुणे विश्वविद्यालय की प्रोफेसर श्रीमती सरोजा भाटे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी से यू॰ जी॰ सी॰ वेद व्यास राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार ग्रहण करते हुए। यू॰ जी॰ सी॰ ने पहली बार 'संस्कृत अवार्ड' स्थापित किया है।

दिनांक 14.02.2001 को नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेद व्यास राष्ट्रीय संस्कृत, स्वामी प्रणवानंद सरस्वती तथा हरिओम् आश्रम न्यास के विभिन्न अवार्डियों के साथ।

	प्रोफेसर बी॰ पी॰ सिन्हा उच्च परिकलन एवं सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिक्स यूनिट भारतीय सांख्यिकीय संस्थान 203, बी॰ टी॰ रोड, कोलकता - 700 035	1998
सैद्धांतिक विज्ञानों में एम॰ एन॰ साहा अवार्ड	प्रोफेसर यू॰ बी॰ तिवारी गणित विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर - 208016	1997
	प्रोफेसर अविनाश खरे भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर - 751005	1998
जीवन विज्ञानों में जे॰ सी॰ बोस अवार्ड दोनों को संयुक्त रूप से अवार्ड मिला	प्रोफेसर एस॰ सी॰ लखोटिया कार्यक्रम समन्वयक प्राणिविज्ञान में उच्च अध्ययनों के लिए सी टी आर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005	1997
	डॉ॰ पी॰ आर॰ सुधाकरण जैव रसायन विभाग केरल विश्वविद्यालय, करियाबट्टम-695581 और प्रोफेसर कल्लूरी सुब्बाराव जैव रसायन विभाग, जीवन विज्ञान स्कूल, हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद - 500 046	1998
विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अन्योन्यक्रिया के लिए अवार्ड	डॉ॰ सी॰ आर॰ चंद्रशेखर मनोविकृति विज्ञान के अपर प्रोफेसर 'निमहंस' बंगलौर - 560 029	1997
	डॉ॰ कल्पना बालाकृष्णन् सह-प्रोफेसर, जैव भौतिकी तथा अध्यक्ष पर्यावरण स्वास्थ्य इंजीनियरी श्री रामचंद्र मेडीकल कालेज तथा अनुसंधान संस्थान पोरूर, चेन्नई - 600116	1998

- **वि० अ० आ० वेदव्यास राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड**

  संस्कृत में उत्तम शिक्षण/अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा उत्कृष्ट शिक्षकों की पहचान करने और उनको सम्मान प्रदान करने तथा संस्कृत भाषा के शिक्षण/अनुसंधान/नवाचारों/नए कार्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको पुरस्कृत करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'वि० अ० आ० वेदव्यास राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड' का प्रायोजन किया । अवार्ड में 1 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है । यह अवार्ड माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री - डॉ० मुरली मनोहर जोशी द्वारा एक समारोह में प्रोफेसर सरोजा भाटे को प्रदान किया गया । उक्त समारोह का आयोजन 14.02.2001 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया था ।

6.09 अनुसंधान वैज्ञानिक

अनुसंधान वैज्ञानिक योजना मूलत: 1983 में शुरू की गई थी । इसका उद्देश्य प्रतिभा पलायन को रोकना, विदेश में काम कर रहे भारतीय मूल के मेधावी वैज्ञानिकों को आकर्षित करना तथा भाषाओं सहित विज्ञान, इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में उच्च कोटि के अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान वैज्ञानिकों का एक संवर्ग (काडर) बनाना था ।

इस योजना के तहत किसी भी नियत समय में 200 स्थान उपलब्ध कराए गए थे । ये अवार्ड उन उम्मीदवारों के लिए थे जिनके पास पीएच० डी० की डिग्री थी और जिनका अकादमिक/अनुसंधान कैरियर उत्कृष्ट रहा था । अवर्डियों को केवल वेतन के प्रयोजन से 'क' 'ख' और 'ग' अर्थात् क्रमश: लेक्चरार - अनुसंधान वैज्ञानिक - क, रीडर - अनुसंधान वैज्ञानिक - ख तथा प्रोफेसर - अनुसंधान वैज्ञानिक - ग के रूप वर्ग में वर्गीकृत किया गया था । अवार्ड संविदा के आधार पर पाँच वर्ष के लिए था और अवार्डियों को विश्वविद्यालय में दीर्घकालिक आधार पर नियुक्त किए गए अस्थायी शिक्षकों के रूप में माना गया था । वे अपने आपको लेक्चरार, रीडर या प्रोफेसर नहीं कह सकते थे बल्कि यथास्थिति केवल अनुसंधान वैज्ञानिक - क, ख या ग कह सकते थे ।

इस योजना के अधीन अनुसंधान वैज्ञानिकों के कार्य का निर्धारण नियमित आधार पर आयोग करता है । समीक्षा इस प्रकार की जाती है :-

- मध्यावधिक समीक्षा -योजना अवधि के दो से तीन वर्ष के भीतर
- अंतिम समीक्षा - 5 वर्ष की योजना अवधि समाप्त होने से पहले ।

समीक्षा एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है जिसका गठन इसी प्रयोजन के लिए किया जाता है । अवार्ड का उन्नयन/उसी स्तर पर उसका बना रहना/प्रत्यावर्तन या यहाँ तक कार्य की कड़ी समीक्षा किए जाने के बाद अनुसंधान वैज्ञानिकों को, जब तक उनका कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति द्वारा 'असंतोषजनक' नहीं पाया जाता है, अधिवर्षिता आयु तक बने रहने की अनुमति दी जाती है । अनुसंधान वैज्ञानिकों की अधिवर्षिता आयु उस विश्वविद्यालय/संस्थान/कालेज के शिक्षक या कर्मचारी की अधिवर्षिता आयु के समतुल्य मानी जाती है जहाँ अनुसंधान वैज्ञानिक काम कर रहा होता है । अनुसंधान वैज्ञानिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व-अनुमोदन से अपने विश्वविद्यालय/संस्थान/कालेज को बदलने के लिए स्वतंत्र है । अनुसंधान वैज्ञानिक के लिए यह नहीं माना जाएगा कि उसकी मूल संस्था में उसका लियन है । उसका नियंत्रण अनुसंधान वैज्ञानिक योजना के नियमों एवं विनियमों के अधीन किया जाता है ।

31मार्च, 2001 को पुरानी योजना के अधीन 82 अनुसंधान वैज्ञानिक (पुरुष 44 और महिलाएँ 38) काम कर रहे थे । यह योजना बंद कर दी गई है और इस योजना के अधीन अब कोई नया चयन नहीं किया जा रहा है ।

वर्ष 1993 में 'अनुसंधान वैज्ञानिकवृत्ति' नामक एक संशोधित योजना शुरू की गई । इस योजना का कार्यकाल केवल पाँच वर्ष था और किसी भी स्थिति में उसे बढ़ाया नहीं जा सकता था । 9वीं योजना के दौरान इस योजना को भी बंद कर दिया गया ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान उक्त दोनों योजनाओं के अधीन बजट आबंटन के रु० 2.50 करोड़ की राशि से रु० 272.84 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

6.10 अनुसंधान अवार्ड

9वीं योजना के तहत 1997-98 में 'अनुसंधान अवार्ड' नामक एक नई योजना शुरू की गई । पिछली दो योजनाओं यथा - राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा वृत्तिक अवार्ड को मिलाकर यह योजना अस्तित्व में आई । अनुसंधान अवार्ड योजना का उद्देश्य उन शिक्षकों को अवसर उपलब्ध कराना था जिनके पास पीएच० डी० की डिग्री है और जो स्थायी आधार पर काम कर रहे हैं ताकि वे शिक्षण की पूरी जिम्मेदारी लिए बिना अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुसंधान कर सकें । अनुसंधान अवार्ड तीन स्तरों यथा - लेक्चरार, रीडर और प्रोफेसर के स्तर पर तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं । योजना के लिए कुल आबंटित राशि का विभाजन निम्नलिखित ढंग से किया जाता है :- लेक्चरार/ वरिष्ठ लेक्चरार के लिए 50 प्रतिशत, रीडरों/प्रवरण ग्रेड लेक्चरारों के लिए 30 प्रतिशत और प्रोफेसरों के लिए 20 प्रतिशत ।

इस योजना के अधीन वर्ष 1999-2000 के लिए चयन कर लिया गया है । इस अवार्ड के लिए कुल 102 उम्मीदवारों (91 पुरुष और 11 महिलाएँ) का चयन कर लिया गया है ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान अनुसंधान अवार्ड योजना के अधीन रु० 3.40 करोड़ के बजट आबंटन से रु०197.85 लाख का अनुदान जारी किया गया । उक्त राशि में पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित कैरियर अवार्डियों के वेतन की बकाया राशि शामिल है ।

वर्ष 2001 के लिए अनुसंधान अवार्ड योजना के अधीन चयन हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए है और उन पर कार्रवाई की जा रही है ।

6.11 अभ्यागत एसोशिएटशिप

इस योजना के अधीन विश्वविद्यालयों और कालेजों के उत्कृष्ट शिक्षकों को अल्पावधि के लिए उच्च अध्ययन संस्थाओं तथा अनुसंधान केंद्रों का दौरा करने का अवसर प्राप्त होता है ताकि वे अपनी रुचि के क्षेत्रों में हुए अद्यतन विकासों से अवगत हो सकें । इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 100 स्थान (स्लाट) उपलब्ध होते हैं ।

एसोशिएटशिप की अवधि दो वर्ष की होती है जिसके दौरान उम्मीदवार को मेजबान संस्था में कम से कम 60 दिन (दो-तीन बार में) व्यतीत करने पड़ते हैं । आयोग अभ्यागत एसोशिएटशिप प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उसकी मूल संस्था से मेजबान संस्था तक का वास्तविक यात्रा व्यय देता है । हवाई किराया अनुमेय नहीं है । इसके अतिरिक्त, रीडर और प्रोफेसर को रु० 100/- प्रतिदिन और लेक्चरार को रु० 75/- प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है । लेक्चरार के मामले में सहायता की सीमा रु० 15000/- प्रतिवर्ष तथा रीडर और प्रोफेसर के लिए रु० 25000/- है ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान 55 अवार्डियों (पुरुष-48, महिलाएँ-7) का चयन किया ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि पुराने अवार्डियों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है ।

6.12 इमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ

इमेरिटस अध्येतावृत्ति वि० अ० आ० की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन अनुमोदित विश्वविद्यालयों/ कालेजों/संस्थाओं के उच्च योग्यता एवं अनुभवप्राप्त सेवा-निवृत्त उन शिक्षकों को प्रदान की जाती है जो गत वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसंधान एवं शिक्षण सुधार कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं ताकि वे अपने-अपने विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अनुसंधान कार्य कर सकें । इस योजना के अधीन किसी भी समय पर स्थानों (स्लाट) की संख्या 100 होती है । 9वीं योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार यह अध्येतावृत्ति दो वर्ष के लिए या अवार्डी की 70 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पहले हो, प्रदान की जाती है । किसी भी परिस्थिति में अध्येतावृत्ति की दो वर्ष की निर्धारित अवधि आगे और नहीं बढ़ाई जाती है । इस योजना के अधीन विदेश यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी जाती है । यह अध्येतावृत्ति सेवानिवृत्ति के बाद तथा 70 वर्ष की आयु तक केवल एक बार प्रदान की जाती है । अवार्डी को अधिवर्षिता के सामान्य हितलाभों के अतिरिक्त, अध्येतावृत्ति के लिए रु० 10,000/- प्र० मा० तथा अव्यपगतनीय आकस्मिक अनुदान के लिए रु० 20,000/- प्र० व० प्रदान किए जाते हैं ।

31.3.2001 को विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में 62 इमेरिटस अध्येता काम कर रहे थे । वर्ष 2000-2001 के दौरान बजट आबंटन के रु० 1.50 करोड़ की राशि से इमेरिटस अध्येताओं को अध्येतावृत्ति तथा आकस्मिक अनुदान के लिए रु० 67.46 लाख की राशि प्रदान की गई ।

6.13 अभ्यागत प्रोफेसर/ अध्येता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को अभ्यागत प्रोफेसरों/अध्येताओं की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है । इन्हें मानदेय/भत्ते के आधार पर भुगतान किया जाता है । 9वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अभ्यागत प्रोफेसर को मानदेय प्रदान किया जाता है जिसकी राशि रु० 8000/- प्रति मास से अधिक नहीं होती है । इसमें अधिवर्षिता हितलाभों की राशि शामिल नहीं है । अभ्यागत अध्येता को दैनिक भत्ता दिया जाता है जिसकी राशि रु० 300/- से अधिक नहीं होती है । यदि देश के बाहर से किसी व्यक्ति की नियुक्ति अभ्यागत प्रोफेसर के रूप में की जाती है तो उसे रु० 9000/- प्र० मा० तक का मानदेय दिया जा सकता है । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को वि० अ० आ० द्वारा जो सहायता दी जाती है उसका विवरण इस प्रकार है :-

अभ्यागत प्रोफेसरों/अध्येताओं की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता

(रु० लाख में)

क्र०सं०	विश्वविद्यालय को सामान्य विकास के लिए 9वीं योजना आबंटन की राशि	9वीं योजना के दौरान अभ्यागत प्रोफेसर/अभ्यागत अध्येता को उपलब्ध होने वाली वि० अ० आ० की सहायता की मात्रा
1.	रु० 100 लाख तक	रु० 6.00 लाख
2.	रु० 101 लाख और रु० 200 लाख के बीच	रु० 8.00 लाख
3.	रु० 200 लाख से अधिक	रु० 10,000 लाख

वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना के अधीन 109 राज्य विश्वविद्यालयों को रु० 20.24 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई ।

6.14 अनियत अनुदान

आयोग अनियत अनुदान योजना के अधीन 9वीं योजना अवधि के दौरान सम्मेलनों में (भारत और विदेश में) भाग लेने, संगोष्ठियाँ तथा परिसंवाद आयोजित करने, अनुसंधान कार्य प्रकाशित करने तथा विश्वविद्यालयों में लघु अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराता है । आयोग ने योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों को तर्कसंगत बना दिया है और अनियत अनुदानों की मात्रा, व्ययों की अधिकतम सीमा, दरों और प्रक्रियाओं से संबंधित उपबंधों को इस प्रकार अद्यतन कर दिया है :

संशोधित योजना के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं :

क.	यात्रा अनुदान	:	आबंटन के 30 प्रतिशत तक
ख.	संगोष्ठियाँ/परिसंवाद आदि	:	आबंटन के 20 प्रतिशत तक
ग.	विश्वविद्यालयों को प्रकाशन अनुदान	:	आबंटन के 30 प्रतिशत तक
घ.	लघु अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता	:	आबंटन के 20 प्रतिशत तक

उपर्युक्त क से घ मदों के लिए अनुदान आबंटन की प्रतिशतता में लिखित कारणों के बाद कुलपति के पूर्व-अनुमोदन से कुल अनुदान के 20 प्रतिशत तक छूट दी जा सकती है ।

विश्वविद्यालयों को देय वित्तीय सहायता की मात्रा निम्नलिखित मानदंड पर आधारित होगी :

(रु० लाख में)

गत वर्ष 14 अगस्त को संकाय संख्या	प्रतिवर्ष वि० अ० आ० की सहायता
50 तक	3.00
51-100	5.00
101-300	8.00
300 से अधिक	12.00

2000-2001 के दौरान इस योजना के अधीन विभिन्न विश्वविद्यालयों को रु० 620.76 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई गई रु० 502.76 लाख की राशि शामिल है ।

6.15 हिंदी भाषा (राजभाषा) का संवर्धन

केंद्रीय सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम के माध्यम से हिंदी को भारत के संघ की सरकारी/कामकाजी भाषा के रूप में घोषित किया था और केंद्रीय सरकार के सभी विभागों को निदेश दिया था कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी संवर्धन के लिए 'राजभाषा सेल' स्थापित करें ।

राजभाषा अधिनियम का पालन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शुरू में एक राजभाषा सेल स्थापित किया था और 1992 में यह पूर्ण राजभाषा अनुभाग बन गया । नीति के अनुसार, सेल के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :-

- विश्वविद्यालयों/कालेजों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच एक समन्वयक के रूप में काम करना ।
- राजभाषा के प्रयोग के लिए जागरूकता उत्पन्न करना तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा नीति प्रगामी अनुपालन को तेज करना ।
- हिंदी में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों को नामित करना और उनको सुविधा प्रदान करना ।
- सरकारी कामकाज में हिंदी के संवर्धन के लिए संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ आयोजित करना ।
- वि० अ० आ० के अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिताएँ, वाद-विवाद, श्रुतलेख आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित करना ।
- हिंदी पखवाड़ा (प्रत्येक वर्ष 1 से 14 सितंबर तक) में हिंदी दिवस मनाना ।
- विश्वविद्यालयों में हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम यथा - प्रयोजनमूलक हिंदी में प्रमाण-पत्र, हिंदी अनुवाद पत्रकारिता आदि में डिप्लोमा शुरू करना ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान हिंदी सेल ने निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित कीं :

- वि० अ० आ० के कर्मचारियों के लिए 3 निबंध, 2 वादविवाद तथा एक श्रुतलेख प्रतियोगिता आयोजित की ।
- सरकारी कार्य में हिंदी प्रोत्साहन के लिए चार कार्यशालाएँ आयोजित कीं ।
- 12.09.2000 को हिंदी दिवस और 1 से 14 सितंबर, 2000 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया ।
- 20.06.2000 और 30.11.2000 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें आयोजित की ।
- 31.08.2001 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 47 कर्मचारियों को हिंदी टंकण में, 24 कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- यह सेल पिछले सात वर्षों से त्रैमासिक पत्रिका 'सेतु' और 'उच्च शिक्षा पत्रिका' का प्रकाशन करता रहा है ।
- हिंदी के संवर्धन से संबंधित अनुवाद पाठ्यक्रम के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को रु० 3.00 लाख की राशि जारी की गई ।

6.16 भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का निर्माण

आयोग इस योजना को 1970-71 से कर रहा है । इस योजना के अधीन विश्वविद्यालय एवं कालेज छात्रों के लिए उच्च कोटि की पुस्तकें, मोनोग्राफ तथा अन्य संदर्भ-सामग्री लिखने के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजों तथा अन्य संस्थाओं में उत्कृष्ट शिक्षाविदों और स्कॉलरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में लिखी जा सकती हैं ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं किया क्योंकि मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा की जा रही थी । कुल रु० 5.00 लाख की आबंटित राशि से पूर्व-अनुमोदित प्रस्तावों के लिए रु० 1.25 लाख की राशि जारी की गई ।

7 उदीयमान तथा अंत:शास्त्रीय क्षेत्रों में अध्ययन

7.1 नवाचारी कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आठवीं योजना के शुरू से दो कार्यक्रमों यथा - (i) उदीयमान क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों की योजना, तथा (ii) नवाचारी कार्यक्रम को कार्यान्वित करता रहा है । लेकिन 9वीं योजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करते समय, आयोग ने इन दोनों कार्यक्रमों को 'नवाचारी कार्यक्रम' के नाम से एक ही कार्यक्रम में मिला देने का निर्णय लिया । अत: इन दोनों कार्यक्रमों को एकीकृत कर दिया गया है और उदीयमान क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों को शामिल करते हुए अब इसका नाम "नवाचारी कार्यक्रम" रख दिया गया है ।

इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- शैक्षिक, राष्ट्रीय तथा विश्वीय प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न विषयों में क्षेत्रों का पता लगाना ।
- नए विचारों और नवाचारों का समर्थन करना और उनको कार्यान्वित करना ।
- उदीयमान क्षेत्रों में पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर विशेषीकृत पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए संस्थाओं/स्कॉलरों का पता लगाना और उनकी सहायता करना तथा शिक्षण, अनुसंधान, अकादमिक उत्कृष्टता, सामाजिक विकास आदि को प्रभावित करने के लिए नए विचारों एवं नवाचारी प्रस्तावों को स्वीकार करना ।
- समाज के लाभ हेतु वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोगों के संवर्धनार्थ उच्च विचारों को प्रोत्साहित करने, उनको बढ़ावा देने और उनको प्रयोग में लाने के संबंध में कार्रवाई करने पर विचार करना ।
- ऐसे प्रयोक्ता विभागों/संगठनों/एजेंसियों/उद्योगों का पता लगाना जो पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हों और उस का लाभ उठा सकते हों, तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों का पता लगाना और पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को भी प्रायोजित करना ।
- विश्वविद्यालयों और कालेजों में मास्टर/बैचलर स्तर या मास्टर स्तर पर विशेष प्रश्न-पत्र (पेपर) में उदीयमान क्षेत्रों में ऐसे पाठ्यक्रमों का संवर्धन करना और उनकी संख्या में वृद्धि करना ।
- विभिन्न विषयों में नवीनता और उदीयमान क्षेत्रों में उत्कृष्टता लाने हेतु उपर्युक्त प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।

आयोग ने निम्नलिखित विषयों में नवाचार कार्यक्रमों को नियंत्रित करने के लिए स्थायी समितियाँ गठित कर दी हैं :

i. मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान;

ii. विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी; और

iii. जैव-विज्ञान तथा जीवन विज्ञान ।

आयोग ने उदीयमान क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम के लिए एक अलग स्थायी समिति भी गठित कर दी है । इनमें से प्रत्येक समिति विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यक्रमों से संबंधित कार्रवाई करेगी । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के परामर्श से यू जी सी - डी बी टी संयुक्त स्थायी समिति भी गठित की जो डी बी टी से सीधे या वि० अ० आ० के माध्यम से विश्वविद्यालयों से प्राप्त जैव-प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करती है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नवाचारी कार्यक्रम के अधीन स्नातकोत्तर स्तर पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा विशेष प्रश्न-पत्र (पेपर) जिनमें उदीयमान क्षेत्रों के पाठ्यक्रम भी शामिल हैं, शुरू करने के लिए अभिज्ञात तथा चुनिंदा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है । आयोग ने वर्ष 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालयों के चुनिंदा तथा अनुमोदित विभागों में इन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिए रु०300.00 लाख की राशि आबंटित की है । इसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया जा रहा हैं :

क्रं० सं०	योजना का नाम	31.03.01 तक अनु-मोदित वि० वि०/ विभागों की कुल संख्या	उन वि० वि०/ विभागों की कुल संख्या जिन्होंने 31.3.01 तक की अनुमोदित अवधि पूरी कर ली थी	उन वि० वि०/ विभागों की कुल संख्या जो 2000-2001 के बाद जारी रहेंगे	वर्ष 2000-2001 के लिए आबंटित राशि (रु० लाख में)	जारी एवं पूरे किए गए कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान संस्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	पर्यावरण/ ऊर्जा	91	76	15	}	76.40
2.	जैव-प्रौद्योगिकी	19	16	03	}	29.57
3.	इलैक्ट्रानिक्स	29	28	01	} 300.00	30.60
4.	भविष्य विज्ञान	10	10	निरंक	}	निरंक
5.	वायुमंडलीय विज्ञान	07	07	निरंक	}	निरंक
6.	सुदूर विज्ञान	07	07	निरंक	}	0.75
7.	अतिचालकता	13	निरंक	13	}	12.43
8.	नवाचारी कार्यक्रम	17	13	04	}	54.80
9.	कंप्यूटर अनुप्रयोग	30	30	निरंक	}	9.76
	जोड़	223	187	36	300.00	214.31

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन सभी सहायताप्रदत्त विश्वविद्यालयों/विभागों से विहित फार्म में प्रगति रिपोर्टें भी माँगी हैं जिन्होंने परिवीक्षण के प्रयोजन से उपर्युक्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया है या कर रहे हैं ।

नवाचारी कार्यक्रम, जिसमें उदीयमान क्षेत्र भी शामिल हैं, के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित 9वीं योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पाँच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए वित्तीय सीमा रु०59.00 लाख है ।

आयोग ने 9वीं योजना अवधि के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर विश्वविद्यालयों से नए प्रस्ताव भी प्राप्त किए हैं । विषय-विशेषज्ञों के ग्रुप/समितियाँ इन प्रस्तावों की संक्षिप्त सूची बना रही हैं ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उस पर आगे विचार किया जा सके ।

7.2 क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'क्षेत्र अध्ययन केंद्रों' के रूप में अभिज्ञात 19 केंद्रों को सहायता उपलब्ध करा रहा है ताकि संबंधित क्षेत्र की समस्याओं और संस्कृति का अध्ययन शुरू किया जा सके और तुलनात्मक ढाँचे के अंतर्गत अंत:शास्त्रीय अनुसंधान तथा शिक्षण विकास किया जा सके । उन देशों और क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिनके साथ भारत का घनिष्ठ एवं सीधा संबंध है ।

31 मार्च, 2001 को आयोग निम्नलिखित 19 केंद्रों को सहायता उपलब्ध करा रहा था :

क्र०सं०	विश्वविद्यालय		केंद्र
1.	आंध्र विश्वविद्यालय	-	'सार्क' देशों में सहयोग की संभावनाएँ
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	-	नेपाल संबंधी अध्ययन केंद्र
3.	कोलकता विश्वविद्यालय	-	दक्षिण-पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र
4.	दिल्ली विश्वविद्यालय	-	चीनी एवं जापानी अध्ययन
5.	गोवा विश्वविद्यालय	-	लेटिन अमरीकी देश
6.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	-	भारतीय डायसपोरा अध्ययन
7.	जामिया हमदर्द	-	फेडरल अध्ययन केंद्र
8.	जामिया मिलिया इस्लामिया	-	तीसरी दुनिया के अध्ययनों की अकादमी
9.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	-	खाड़ी के देश
10.	कश्मीर विश्वविद्यालय	-	मध्य एशियाई अध्ययन रूसी अध्ययन
11.	मद्रास विश्वविद्यालय	-	दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र
12.	मणिपुर	-	मणिपुरी अध्ययन
13.	मुंबई विश्वविद्यालय	-	अफ्रीकी अध्ययन केंद्र यूरोशियाई अध्ययन केंद्र
14.	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय	-	हिमालय संबंधी अध्ययन
15.	उस्मानिया विश्वविद्यालय	-	शहरी विकास एवं क्षेत्रीय योजना केंद्र
16.	राजस्थान विश्वविद्यालय	-	दक्षिण एशिया जिसमें सरकार और राजनीति के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है
17.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	-	भारत-चीन अध्ययन केंद्र

आयोग ने 1.4.1999 से अगले पाँच वर्षों के लिए इन केंद्रों के लिए सुविधाओं का अनुमोदन कर दिया है । वर्ष 2000-2001 के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन रु० 22.70 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

8 गुणवत्ता संवर्धन के लिए अंतर्विश्वविद्यालय संसाधन

वर्ष 1984 में वि॰ अ॰ आ॰ अधिनियम में किए गए संशोधन का अनुसरण करते हुए आयोग ने विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत स्वायत्त केंद्र स्थापित करने की पहल की है । इन केंद्रों को वि॰ अ॰ आ॰ अधिनियम के खंड 12 (ग ग ग) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है । इन केंद्रों से विश्वविद्यालयों को सामान्य सुविधाएँ, सेवाएँ तथा कार्यक्रम मुहैया करने की आशा की जाती है क्योंकि आधार-संरचना तथा भारी पूँजी-निवेश की आवश्यकता ने इन सुविधाओं को प्राप्त करना पहुँच से बाहर कर दिया है । देश के प्रत्येक भाग में शिक्षकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को हर क्षेत्र में उच्चतम विशेषज्ञता प्रदान करने तथा अधुनातन उपस्कर तक पहुँच एवं पुस्तकालय की उत्कृष्ट सुविधाएँ मुहैया करने में इन केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

वि॰ अ॰ आ॰ के पास एक हजार शिक्षा-फिल्में हैं जिनको काफी संख्या में दूरदर्शन द्वारा दिखाया जाता है । प्रधानमंत्री ने अपनी 7 जनवरी से 10 जनवरी 2001 तक की वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम दूरदर्शन के लिए वि॰ अ॰ आ॰-सी ई सी के मीडिया केंद्रों (ए वी आर सी तथा ई एम आर सी) द्वारा तैयार की गई शिक्षा-फिल्में प्रदान कीं । फिल्मों के इस समूह में श्वेत क्रांति, सुरभि-पौधों, कलात्मक भित्ति-चित्रों जैसे विषयों पर तथा भारत की झलक से संबंधित कार्यक्रम श्रृंखला में 26 कार्यक्रम थे । दिनांक 31.03.2001 की स्थिति के अनुसार 17 मीडिया केंद्र (7 ई एम आर सी एवं 10 ए वी आर सी) थे जो कि विभिन्न प्रकार की शिक्षा-फिल्में तैयार कर रहे थे । मीडिया केंद्रों की सूची परिशिष्ट XIII में दी गई है ।

8.1 अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र

अंतर्विश्वविद्यालय केंद्रों की सूची तथा उनके उद्देश्य सारणी 8.1 में दिए गए हैं :-

सारणी 8.1 : अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र : 2000-2001

क्र॰सं॰	केंद्र*	उद्देश्य
1.	शैक्षिक संचार का कन्सार्टियम नई दिल्ली - 110 067 (1993)	दूरदर्शन के माध्यम से देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम का प्रसार करना
2.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला (1991)	अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र के सह-सदस्य के रूप में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों को आमंत्रित करने के लिए नवीन विचारों, विधियों तथा अवसरों को उपलब्ध कराना ।
3.	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क (इन्फ्लिब्नेट) अहमदाबाद 380009 (स्थापित : 1991 पंजीकृत सोसाइटी : 1996)	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुस्तकालयों का नेटवर्किंग

4.	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र, पुणे-411007 (1988)	खगोलविज्ञान में अनुसंधान के लिए अधुनातन यंत्रीकरण
5.	अंतर्विश्वविद्यालय कन्सॉर्टियम डी ए ई सुविधाएँ इंदौर - 452001 (1989)	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
6.	राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् बंगलौर-560010 (1994)	सार्वजनिक तथा प्राइवेट उच्च अधिगम संस्थान का निर्धारण तथा प्रत्यायन

* स्थापना का वर्ष कोष्ठकों में दिया गया है

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान वि० अ० आ० ने इन केंद्रों को रु०2876.49 लाख प्रदान किए ।

8.1.1 शैक्षिक संचार के लिए कन्सॉर्टियम, नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 सी सी सी के अन्तर्गत अन्तर्विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में शैक्षिक संचार (सी ई सी) के वास्ते एक कन्सॉर्टियम की स्थापना की । यह एक स्वायत्त संस्था है । सोसायटी के रूप में इसका पंजीकरण दिनांक 26 मई, 1993 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत हुआ ।

सी ई सी मीडिया संचार के माध्यम से देश की उच्च शिक्षा विषयक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए एक नोडल एजेंसी है । मीडिया केंद्र तृतीयक शिक्षा को समृद्ध बनाने वाले कार्यक्रम तैयार करता है । मीडिया केंद्रों द्वारा तैयार किए गए देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम (सी डब्ल्यू सी आर) न केवल कक्षा के बाहर शिक्षा का प्रसार करते हैं अपितु इसका उन्नयन करने एवं उसे अद्यतन बनाने के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व को समग्रतः विकसित करने का भी उद्देश्य रखते हैं ।

सी डब्ल्यू सी आर कार्यक्रम का दूरदर्शन नेटवर्क पर सबसे पहले प्रसारण 15 अगस्त 1984 को हुआ था। विगत 16 वर्षों से सी डब्ल्यू सी आर छात्रों तथा अन्य लोगों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भाग लेने योग्य बनाने में सहायता करता रहा है । 1996 में किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार 20 मिलियन दर्शक नियमित रूप से इन कार्यक्रमों को देखते हैं ।

कार्यक्रम तैयार करना

ई टी वी कार्यक्रमों में भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विभिन्नता दर्शाने के वास्ते ये शैक्षिक कार्यक्रम सात शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्रों (ई एम आर सी) तथा 10 दृश्य-श्रव्य अनुसंधान

केंद्रों (ए वी आर सी) द्वारा तैयार किए जाते हैं और ये देश के विभिन्न भागों में उच्च शिक्षा की संस्थाओं में स्थित हैं । सी ई सी मीडिया केंद्रों की गतिविधियों का समन्वय करता है और सभी प्रकार का मार्गदर्शन एवं दिशा निर्धारण करता है ।

वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर मीडिया केंद्रों से प्राप्त कार्यक्रमों की संख्या 365 थी । दूरदर्शन तथा ज्ञानदर्शन चैनलों पर प्रसारण के लिए सी ई सी में इस कार्यक्रमों के पैकेज बनाए जाते हैं ।

मीडिया टेप पुस्तकालय

सी ई सी स्थित मीडिया टेप पुस्तकालय ई एम आर सी/ए वी आर सी द्वारा विभिन्न विषयों पर तैयार किए गए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का भंडार है । फिलहाल इसमें 10,000 से भी अधिक कार्यक्रम विद्यमान हैं जिनमें मीडिया केंद्रों द्वारा तैयार किए गए 7000 ज्ञानवर्धक कायेक्रम हैं और 3030 विश्वविद्यालय वीडियो व्याख्यान हैं जिन्हें विश्वविद्यालयों के योग्यतम प्रोफेसरों की सहायता से तैयार किया गया है । अन्य देशों से विविधता का समावेश करने की दृष्टि से पुस्तकालय में अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए कुछ कार्यक्रम भी हैं । सी ई सी पुस्तकालय में कार्यक्रमों से संबंधित सूचना कम्प्यूटरीकृत है और एतदर्थ सी ई सी ने एक अनोखा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित किया है । मुख्य सूचक शब्दों के प्रयोग द्वारा कार्यक्रमों की अद्यतन सूचना पुस्तकालय में प्राप्त की जा सकती है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - सी ई सी शैक्षिक वीडियो की तेरहवीं प्रतियोगिता 1999

वि०अ०आ० - सी ई सी शैक्षिक वीडियो प्रतियोगिता 1988 में प्रारंभ की गई थी । इसका उद्देश्य मीडिया केंद्रों में प्रतियोगितात्मक भावना पैदा करना तथा भारत में शैक्षिक वीडियो निर्माण में श्रेष्ठता प्रोत्साहित करना एवं मान्यता प्रदान करना था । वर्ष 1997 से यह प्रतियोगिता शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण में रत भारत के समस्त नागरिकों एवं संगठनों के लिए खोल दी गई है और इस प्रकार यह पर्याप्तः राष्ट्रीय प्रतियोगिता बन गई है ।

तेरहवीं वि०अ०आ० - सी०ई०सी० शैक्षिक वीडियो प्रतियोगिता के दौरान 124 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं जिनमें ये 28 प्रविष्टियाँ ऐसी थीं जो मीडिया केंद्रों से भिन्न अन्य 18 संगठनों एवं व्यक्तियों की थीं । किसी भी श्रोता समुदायों, पूर्व-स्नातकों, बालकों तथा शिक्षकों आदि के लिए सर्वोत्तम शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे विभिन्न वर्गों में 22 प्रविष्टियों को पुरस्कार प्राप्त हुए । शैक्षिक संचार में उपलब्धि के लिए विक्रम साराभाई जीवनकालिक पुरस्कार विख्यात शिक्षाविद् एवं मीडिया व्यक्ति को इस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है ।

कतिपय अपरिहार्य कारणों से इस वर्ष तेरहवीं वि०अ०आ० - सी०ई०सी० शैक्षिक वीडियो प्रतियोगिता का पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं किया जा सका ।

मासिक सी डब्ल्यू सी आर न्यूज़ का प्रकाशन

विगत पाँच वर्षों से सी डब्ल्यू सी आर का न्यूज़लैटर मासिक आधार पर सी ई सी से प्रकाशित किया जा रहा है और दर्शकों को बड़ी संख्या में वितरित किया जा रहा है । इसमें सी डब्ल्यू सी आर का प्रसारण कार्यक्रम, मीडिया/शैक्षिक टी०वी० पर महत्वपूर्ण लेख तथा दर्शकों के पत्र, कार्यक्रमों का सार और निदेशक सी ई सी की टिप्पणियों जैसे नियमित तत्व होते हैं ।

इस वर्ष इस न्यूज़ लैटर का प्रकाशन जारी नहीं रह सका क्योंकि वि०अ०आ० से इसका अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका है ।

बजट

इस वर्ष के लिए बजट में योजनेतर नियतन रु०72.00 लाख था और किया गया व्यय रु०72.06 लाख का था । वीडियो प्रतियोगिता के लिए रुपए 6.00 लाख का आबंटन था और व्यय रु०4. 53 लाख का हुआ ।

इस वर्ष तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित उपस्कर एवं सुविधाओं के लिए बजट नियतम कन्सॉर्टियम को जारी नहीं किया गया ।

शासी निकाय की बैठक

सी ई सी की वित्त समिति तथा शासी निकाय की एक बैठक 31 जुलाई, 2000 को हुई । लिए गए अनेक निर्णयों में से कुछ प्रमुख इस प्रकार थे :-

(क) सी ई सी में स्टाफ के सभी वर्गों के लिए एक नवीन पदोन्नति नीति तैयार की जाएगी ।

(ख) सी ई सी के एम ओ ए में संशोधनों का सी ई सी के शासी निकाय ने अनुमोदन कर दिया ।

निदेशकों की बैठक

देश भर में फैले हुए सत्रह मीडिया केंद्रों के निर्माण, प्रबंध योजना एवं प्रसारण विषयक गतिविधियों का समन्वय करने के लिए निदेशकों की बैठक 29-30 अगस्त, 2000 तथा 17-19 जनवरी, 2001 को हुई । सभी मीडिया केंद्रों के निदेशकों के अलावा वि०अ०आ० तथा सी०ई०सी० के सम्बद्ध अधिकारियों ने इसमें भाग लिया । बैठक की अध्यक्षता वि०अ०आ० के अध्यक्ष ने की । इन बैठकों में सी ई सी तथा मीडिया केंद्रों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई ।

सी डब्ल्यू सी आर के कार्यक्रमों का प्रसारण

(क) दूरदर्शन

दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर वि०अ०आ०-सी०ई०सी० कार्यक्रमों का प्रसारण 15 अगस्त, 1984 से हो रहा है । इन कार्यक्रमों का प्रसारण इन्सेट उपग्रह के माध्यम से किया जाता है और दूरदर्शन के लगभग 1150 ट्रांसमीटरों पर आगे प्रसारित किया जाता है जिससे भारतीय जनसंख्या का लगभग 87 प्रतिशत भाग लाभान्वित होता है । सी ई सी को प्रसारण का समय सभी दिनों के लिए 06.00 से 06.30 बजे तथा सप्ताह में पाँच दिनों के लिए 09.30 से 10. 00 बजे का समय प्रदान किया गया है । सी ई सी मीडिया केंद्रों द्वारा निर्मित कार्यक्रमों के पैकेज आधे घंटे के कैप्सूलों के रूप में बनाता है और प्रसारण के लिए दूरदर्शन को प्रदान करता है ।

(ख) ज्ञानदर्शन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उपग्रह आधारित भारत के शैक्षिक चैनल "ज्ञान दर्शन को शैक्षिक कार्यक्रमों की आपूर्ति करने में बड़े पैमाने पर सी ई सी की इग्नू, एन सी ई आर टी, दूरदर्शन तथा अन्यों की साझेदारी में 26 जनवरी 2000 से लगा दिया है । सी ई सी ज्ञान-दर्शन चैनल को कैप्सूलों के रूप में प्रतिदिन लगभग तीन घंटे के कार्यक्रम प्रदान करता है ।

अन्य साधनों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री का प्रसार

सी ई सी के आमूल पर्यवेक्षण के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय (ई आई) एक सिंगल विंडो विपणन परियोजना है । ई आई के

पास सी ई सी, इग्नू, एन सी ई आर टी, एन ओ एस में उपलब्ध शैक्षिक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोत्साहित करने तथा प्रसारित करने के अधिकार प्राप्त हैं । ई आई सारे राष्ट्र में वि०अ०आ०-सी०ई०सी० के वीडियो कार्यक्रमों का विपणन भी करता है ।

ई आई ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को रु० 45 लाख मूल्य के लगभग बारह हजार वि०अ०आ०-सी०ई०सी० कार्यक्रम बेचे हैं । ई आई ने राष्ट्रभर में छात्रों एवं पुस्तकालयों को वि०अ०आ०-सी०ई०सी० कार्यक्रम उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने के साथ-साथ अपने ब्राँड की पहचान भी स्थापित की है ।

वियतनाम स्थित भारतीय राजदूत द्वारा माँग किए जाने पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ई आई से रु० 6.42 लाख देकर 26 वि०अ०आ०-सी०ई०सी० कार्यक्रम प्राप्त किए हैं । भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने सद्भावना के प्रतीक रूप में ये कार्यक्रम वियतनाम के राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारण के लिए वियतनाम के प्रधानमंत्री को भेंट किए ।

भारत में चौबीस घंटों के उपग्रह चैनल मैसर्स टी एम जी सेंटर ने एक वर्ष के लिए प्रतिदिन वि०अ०आ०-सी०ई०सी० प्रोग्रामिंग का एक घंटा प्राप्त करने का आर्डर देना स्वीकार कर लिया है । अकेले इससे ही लगभग रु० 44 लाख का राजस्व प्राप्त होने की आशा है ।

सी डब्ल्यू सी आर के शैक्षिक कार्यक्रमों की माँग अमरीका से भी प्राप्त हुई है और ये कार्यक्रम उनके स्कूल तथा कालेजों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं । अमरीका में एक वितरक के माध्यम से पक्के आर्डर भी प्राप्त हुए हैं । फरवरी, 2001 से 31 मार्च, 2001 तक मात्र 26 शीर्षकों (7000 में से) रु० 1.36 लाख के बराबर विदेशी मुद्रा में आर्डर प्राप्त हुए है । वितरक से प्राप्त फीडबैक यह लिखा है "वि०अ०आ० - सी०ई०सी० कार्यक्रम अमरीका में बहुत अच्छे चलते प्रतीत होते हैं ।"

इस वर्ष भारत में मंगोलिया के राजदूत माननीय श्री ओयदोव न्यामदावा मंगोलिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के दो अधिकारियों के साथ सी ई सी आए । इनका उद्देश्य अपने राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण के लिए कुछ कार्यक्रम खरीदना था । वे हमारे कुछ कार्यक्रम प्राप्त करने के बहुत इच्छुक हैं ।

स्कूल पैकेज

वि०अ०आ०-सी ई सी के सूचीपत्र से अनुकूल कार्यक्रम प्रस्तुत करने के द्वारा समुचित स्थान प्राप्त करने की दृष्टि से अनेक पैकेज तैयार किए गए हैं । स्कूली छात्रों के लिए सी ई सी कार्यक्रमों की उपयोगिता अभिज्ञात करने के लिए एक अनुसंधान परियोजना शुरू की गई । देशभर के स्कूलों में किफायती मूल्य पर वितरण हेतु "एक विज्ञान वीडियो पैकेज" के रूप में ऐसे 300 कार्यक्रम अभिज्ञात किए गए हैं ।

दिनांक 30 मार्च, 2001 के वि०अ०आ० अर्ध सरकारी पत्र सं० एफ० 5-6/93 (एम सी) द्वारा ई आई परियोजना समाप्त करने के प्रेषित निर्णयों के अनुसार इन आदेशों का पालन किया गया है और 31 मार्च, 2001 के मध्याह्न से ई आई परियोजना बंद कर दी गई हैं । तथापि अग्रिम अवधि के लिए वि०अ०आ० की मंजूरी प्राप्त करने के वास्ते प्रयास किए जा रहे हैं ।

8.1.2 भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला (मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों का अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र)

प्रस्तावना

मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों का अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र जो कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आई आई ए एस) शिमला का एक अंग है, वि०अ०आ० तथा संस्थान के बीच आपसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद जनवरी 1991 को अस्तित्व में आया । यह संस्थान अनुसंधान तथा विद्वत्तापूर्ण

और चिंतन का जीवन व्यतीत करने का अद्‌वितीय वातावरण पैदा करने में समर्थ हुआ है । देशभर के एवं विश्वविद्यालयों से चुने गए अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र के सदस्य इस समुदाय में शामिल किए जाते हैं और लगभग निरपवाद रूपेण इन्होंने अपना अल्पकालिक निवास बहुत प्रेरणाप्रद पाया है ।

शैक्षिक कार्यक्रम

केंद्र के शैक्षिक कार्यक्रम के तीन बुनियादी घटक हैं - (i) एसोशिएटशिप की योजना (ii) देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान संगोष्ठियों का आयोजन और (iii) शिमला संस्थान में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं पर अध्ययन सप्ताहों का आयोजन ।

एसोशिएटशिप

वर्ष 2000-2001 के दौरान देशभर के 45 विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के शिक्षकों ने संस्थान में तीन मास व्यतीत करने के लिए एसोशिएटशिप का लाभ उठाया । अब तक जितने लोग संस्थान में आए हैं उन सभी ने संस्थान में आने के अवसर की भूरि-भूरि प्रशंसा की है जैसाकि उनकी रिपोर्टों से जाहिर होता है । अधिसंख्य लोग इस बात पर सहमत थे कि देश में अन्यत्र इससे बेहतर पुस्तकालय सुविधाएँ नहीं हो सकतीं और संस्थान की शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर उनके लिए उपयोगी रहा और यह अपने कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में लौटने के बाद उनके आम शिक्षण कार्य में इन्हें बहुत लाभकारी होगा । एसोशिएट इस अवसर का उपयोग (क) कुछ समय से चल रहे अपने अनुसंधान कार्य को पूरा करने में (ख) अपने डॉक्टरी निबंध का पुनरीक्षण करने में (ग) संस्थान के पुस्तकालय में अपने पठन कार्य के सूत्र को पुनः पकड़ने में (घ) और संस्थान के अध्येताओं एवं देश-विदेश के विशिष्ट अभ्यागतों के साथ मिलने-जुलने में करते हैं । एसोशिएट राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में भी भाग लेते हैं जो कि संस्थान की नियमित गतिविधियों में से एक है ।

अध्ययन सप्ताह

केंद्र द्वारा आयोजित अध्ययन सप्ताह विख्यात विद्‌वानों को एक साथ होने का अवसर प्रदान करते हैं जो कि सामयिक, अकादमिक एवं व्यावहारिक महत्व के किसी विषय पर विचार-विमर्श करते हुए एक सप्ताह बिताते हैं । अध्ययन सप्ताह में भाग लेने वाले व्यक्ति वे विद्‌वान होते हैं जिन्होंने पहले ही उस विषय पर बहस के प्रति उल्लेखनीय योगदान किया हुआ होता है जिस प्रश्न को यह अध्ययन सप्ताह समर्पित होता हैं । अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र तथा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में निम्नलिखित दो अध्ययन सप्ताह आयोजित किए गए ।

(i) संस्थान ने उसे 3 से 24 जून 2000 तक "मस्तिष्क की कार्यप्रणाली भारतीय सैद्‌धांतिक परंपराओं के परिप्रेक्ष्य" विषय पर ग्रीष्म स्कूल का आयोजन किया ।

(ii) सृजनात्मक लेखन एवं प्रकाशन केंद्र आई आई टी कानपुर के सहयोग में 30 जनवरी से 1 फरवरी 2001 तक आई आई टी, कानपुर में संगोष्ठी व अध्ययन सप्ताह का आयोजन किया गया, विषय था "भूमंडलीकरण: भाषा, संस्कृति तथा मीडिया" ।

अनुसंधान संगोष्ठियाँ

अनुसंधान संगोष्ठियाँ देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाती हैं । ये मुख्यतया युवा शिक्षकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में होती हैं जहाँ वे विभिन्न विश्वविद्‌यालयों के विख्यात शिक्षकों के संपर्क में रहते हैं । वर्ष 2000-2001 के दौरान निम्नलिखित संगोष्ठियाँ/परिसंवाद आयोजित किए गए :

(i) संस्थान ने अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केंद्र के तत्वावधान में एक तीन दिवसीय परिसंवाद का आयोजन (अप्रैल 13-15, 2001) किया : विषय था, "प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृतिक एवं पुरातत्व अध्ययन के नवीन परिप्रेक्ष्य" ।

(ii) 6-7 फरवरी, 2001 को आई आई टी, कानपुर में संस्थान एवं आई यू सी के संयुक्त तत्वावधान में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया विषय था, "भूमंडलीकरण के अंतर्गत भारत में औद्योगिक अनुसंधान और विकास की संभावनाएँ" ।

(iii) संस्थान और आई यू सी के संयुक्त तत्वावधान में एक संगोष्ठी मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन कालेज के सहयोग में 3-4 मार्च, 2001 को उदयपुर में आयोजित की गई, विषय था, "भारतीय अर्थव्यवस्था किधर" ।

(iv) अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केंद्र (आई यू सी) ने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला "विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार: आर्थिक, दार्शनिक तथा सामाजिक आयाम" विषय पर 4-6 दिसंबर, 2000 को मिलकर प्रायोजन किया । इसका आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली तथा यूरोपीय यूनियन) ने किया ।

आई यू सी एसोशिएटों द्वारा साप्ताहिक संगोष्ठियाँ

संस्थान के शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग इसकी नियमित साप्ताहिक संगोष्ठियाँ है । संस्थान के अध्येताओं के अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों एवं अन्य अभ्यागत विद्वानों ने इन संगोष्ठियों में भाग लिया । आई यू सी के दस एसोशिएटों ने 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च, 2001 तक संगोष्ठियाँ कीं जिनका आधार उनका अनुसंधान कार्य था ।

आई यू सी जर्नल

आई यू सी जर्नल "मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन" का प्रकाशन वर्ष के दौरान हुआ ।

प्रकाशन

केंद्र का एक साधारण-सा प्रकाशन कार्यक्रम भी है । वर्ष 2001 में केंद्र ने निम्नलिखित तीन पुस्तकें प्रकाशित कीं :

1. "डायरेक्शंस इन इंडियन सोशियोलिंग्विस्टिक्स" आर०एस० गुप्ता द्वारा संपादित
2. "साइंस एंड ट्रेडिशन" ए०के० रैना तथा बी०एन० पटनायक द्वारा संपादित
3. "दलित और अश्वेत साहित्य" चमन लाल द्वारा संपादित

प्राधिकारी

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का निदेशक केंद्र का भी निदेशक है । केंद्र की एक अकादमिक समिति भी है जिसके अध्यक्ष प्रो० वी०सी० श्रीवास्तव है और जो सभी अकादमिक मामलों के विषय में इनको परामर्श देते हैं । केंद्र का उच्चतम निर्णयकारी निकाय एक समन्वय समिति है जिसका अध्यक्ष वि०अ०आ० का अध्यक्ष होता है तथा आई आई ए एस का निदेशक इसका सह-अध्यक्ष होता है ।

लेखा

वर्ष 2000-2001 के दौरान वि०अ०आ० ने रु० 34.04 लाख का अनुदान प्रदान किया । दिनांक 01.04.2000 को आई यू सी कार्यक्रमों के अंतर्गत इसकी विभिन्न गतिविधियों के लिए अथशेष रु० 0.96 लाख था ।

8.1.3 सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (इन्फ्लिब्नेट), अहमदाबाद

इन्फ्लिब्नेट के लिए वर्ष 2000-2001 की शुरूआत अनेक नवीन गतिविधियों के साथ अच्छी रही । यह वर्ष इन्फ्लिब्नेट केंद्र के लिए घटनापूर्ण रहा है । विशेष जोर पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर "सोल" के विकास और स्थापना पर रहा । दो मुख्य परियोजनाएँ-पश्च-रूपांतर तथा प्रलेख परिदान सेवा शुरू की गई जिसका समुचित निधीयन वि०अ०आ० ने किया । आशा की जाती है कि इनसे सदस्य पुस्तकालयों को डाटाबेस सृजन विषयक गतिविधियों में और ग्राहकों को इच्छित सूचना प्रदान करने में सहायता मिलेगी ।

सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तनों के साथ गति बनाए रखते हुए इन्फ्लिब्नेट ने पुस्तकालय स्वचालन विकास, संघ डाटाबेसों का सृजन, सी०डी० रोम तलाश सेवा मुहैया करना और सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी में विषय-वस्तु पृष्ठ सेवा जैसी अपनी सेवाओं को विविधतापूर्ण बनाया है । इन्फ्लिब्नेट ने अपने प्रयोक्ताओं के लिए निकट भविष्य में अनेक नवीन सेवाओं की योजना बनाई है ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान मुख्य घटनाएँ

कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

- **उन्नीसवाँ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :** मानव संसाधनों का विकास इस केंद्र की मुख्य और चालू गतिविधि है । पुस्तकालय और सूचना सेवाओं में कंप्यूटरों का प्रयोग विषय पर उन्नीसवाँ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 19 जून से 15 जुलाई, 2000 तक संचालित किया गया । इसमें वर्ष 1999-2000 वित्तीय वर्ष में निधीयित विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लोगों ने भाग लिया ।

- **"ग्रंथ सूची मानक एवं रूपबंध : उपकरण तथा तकनीक"** विषय पर एक कार्यशाला रेट्रोकोन परियोजना के अंतर्गत अभिज्ञात भाग लेने वाले पुस्तकालयों के व्यक्तियों के लिए इन्फ्लिब्नेट केंद्र में आयोजित की गई । इन्फ्लिब्नेट केंद्र ने 15-25 मई, 2000 को इस कार्यशाला का आयोजन किया । इस कार्यक्रम में पाँच पुस्तकालयों के सोलह व्यक्तियों ने भाग लिया ।

- **ए०आई०आर० कार्यशाला :** "कंप्यूटरों के युग में पुस्तकालय प्रबंध" विषय पर एक पाँच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 6 से 10 नवंबर, 2000 तक इन्फ्लिब्नेट केंद्र, अहमदाबाद के सहयोग से क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम), आकाशवाणी द्वारा किया गया ।

नई सेवाएँ तथा परियोजनाएँ

- **कॉप्सैब्स सेवा :** इन्फ्लिब्नेट अपनी सदस्य संस्थाओं को नवीन सेवाएँ और संसाधन प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहता है । इन्फ्लिब्नेट केंद्र ने कॉप्सैब्स नामक (सामाजिक एवं व्यवहारपरक विज्ञान में पत्रिकाओं की विषयवस्तु) एक और सेवा प्रारंभ की है ।

- **प्रलेख परिदान सेवा-घोषणा :** प्रलेख परिदान सेवा इन्फ्लिब्नेट द्वारा शुरू की गई एक नवीन सेवा है । यह निम्नलिखित छह विश्वविद्यालयों के सहयोग से शुरू की गई है जो कि अपने सुदृढ़ संग्रह आधार एवं समयबद्ध सेवा मुहैया करने में प्रतिबद्धता के लिए विख्यात हैं :

  1. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
  2. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
  3. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
  4. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
  5. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
  6. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई ।

इन्फ्लिब्नेट समीक्षा समिति की बैठक

- **इन्फ्लिब्नेट समीक्षा समिति की बैठक :** पुस्तकालयों में इन्टरनेट की संबद्धता का विकास करने तथा इन्फ्लिब्नेट को आधुनिक बनाने के वास्ते एक मास्टर प्लान तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक उप-ग्रुप का गठन डॉ॰ एन॰ विजयादित्य, डी॰जी॰ की अध्यक्षता में किया गया जिसकी पहली बैठक अहमदाबाद में 14 सितंबर, 2000 को हुई ।

कैलिबर-2001

- **कैलिबर-2001 :** आठवाँ राष्ट्रीय कन्वेंशन कैलिबर-2001 का सफल आयोजन पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग में मार्च 14-16, 2001 को सम्पन्न हुआ । इस कन्वेंशन का मुख्य विषय था "डिजिटल संसाधनों का सृजन और प्रबंध" ।

"सोल" की स्थापना

- इन्फ्लिब्नेट केंद्र द्वारा डिज़ाइन किए गए और विकसित किए गए "सोल" ने देश में पुस्तकालय स्वचालन की गतिविधि को तेज कर दिया है । इस प्रयोक्तानुकूल और लागत की दृष्टि से प्रभावशाली सॉफ्टवेयर की देश के हर कोने में बड़ी माँग है । इस अवधि के दौरान इन्फ्लिब्नेट संकाय ने सत्ताईस विश्वविद्यालयों में सॉफ्टवेयर स्थापित किए हैं ।

- **"सोल"-एकल प्रयोक्ता रूपांतर :** "सोल" के कम कीमत वाले एकल प्रयोक्ता (स्टैंड अलोन) रूपांतर की बढ़ती हुई माँग पूरी करने के लिए इन्फ्लिब्नेट ने विंडो 95/98 प्लेटफार्म पर कार्य करने के लिए सोल का एक नया रूप तैयार किया है । इसकी परीक्षा की जा रही है और अप्रैल 2001 के अंत तक जारी किए जाने के लिए यह तैयार हो जाएगा ।

- **"सोल" प्रयोक्ता मंच :** इन्फ्लिब्नेट ने सोल प्रयोक्ता मंच नामक एक चर्चा मंच शुरू किया है ताकि देश भर में फैले हुए सोल-प्रयोक्ता इकट्ठे हो सकें और इन्फ्लिब्नेट के साथ समस्याओं के विषय में चर्चा कर सकें ।

केंद्र के प्रकाशन

- "इन्फ्लिब्नेट न्यूज़ लैटर" नामक एक त्रैमासिक न्यूज़लैटर 1995 से प्रकाशित किया जा रहा है ताकि इन्फ्लिब्नेट की गतिविधियों के बारे में पेशेवर लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके ।

- प्रतिवर्ष कैलिबर की कार्रवाई प्रकाशित की जाती है ।

- प्रलेख परिदान केंद्रों के चालू सीरियलों का संघ-सूचीपत्र वर्ष 2000 में प्रकाशित किया गया ।

निधीयित नवीन विश्वविद्यालय

- इन्फ्लिब्नेट कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय-पुस्तकालयों को आधुनिक बनाने के वास्ते सहायता प्रदान करने के एक अंग के रूप में वि॰अ॰आ॰ ने उन्नीस विश्वविद्यालयों को प्रत्येकशः रु॰ 6.5 लाख के अनावर्ती अनुदान की मंजूरी दी है । यह अनुदान मार्च 2001 के अंतिम चरण के दौरान जारी किया गया । इसके साथ ही इन्फ्लिब्नेट के अंदर आने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या 142 हो गई है ।

अभ्यागत

- श्रीमती कल्पना दास गुप्ता, निदेशक, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, दिल्ली तथा अध्यक्ष, भारतीय पुस्तकालय एसोसिएशन ने 27-28 जून, 2000 को इन्फ्लिब्नेट का दौरा किया । इस दौरान इन्होंने उन्नीसवें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों के समक्ष दो भाषण दिए, विषय था "पुस्तकालय स्वचालन के लिए किस प्रकार योजना तैयार की जाए : विचार योग्य मुद्दे" तथा "पुस्तकालय स्वचालन में मानकों की भूमिका" ।

सरदार पटेल विश्वविद्यालय के ब्लिस एवं म्लिस के छात्रों ने 24 मार्च, 2001 को इन्फ्लिब्नेट केंद्र का दौरा किया । इन्फ्लिब्नेट के स्टाफ ने उन्हें केंद्र की गतिविधियों से अवगत कराया और सोल सॉफ्टवेयर, सी-डी रोम डाटाबेस, पुस्तकों के ऑनलाइन डाटाबेस, शोध निबंध, सीरियल, विशेषज्ञ तथा अनुसंधान परियोजनाओं आदि का प्रदर्शन करके दिखाया ।

8.1.4 खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी का अन्तर्विश्वविद्यालय केंद्र (आई यू सी ए ए) पुणे

आई यू सी ए ए के शैक्षिक स्टाफ में 14 मूल संकाय सदस्य, 9 डाक्टरोत्तर अध्येता तथा 13 पीएच०डी० छात्र (अनुसंधानकर्ता) हैं । इन शिक्षाविदों के मूल अनुसंधान कार्यक्रमों में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी के विविध क्षेत्र शामिल हैं ।

इनमें निम्नलिखित अनुसंधान-विषय शामिल हैं :- क्वांटम गुरुत्व, ब्रेन-मॉडल, क्लासिकी सामान्य आपेक्षिता, गुरुत्वीय तरंग, ब्रह्माण्डिकीय संरचना निर्माण, ब्रह्माण्डीय सूक्ष्म तरंग, पृष्ठभूमि विकिरणन, ब्रह्माण्डिकीय अपरिवर्ती की भौतिकी, अर्धस्थिर स्टेट ब्रह्माण्ड विज्ञान, क्यू एस ओ अवशोषण प्रणालियों की जाँच, आई जी एम, गैलेक्सियों के उभार तथा केंद्र, अवरक्त गैलेक्सियों को देखना, अंतरातारकीय धूलि के तत्व, आपेक्षिकीय खगोल भौतिकी, न्यूटॉन तारक भौतिकी के विभिन्न पहलू, तंत्रिका नेटवर्क तथा आई यू सी ए ए टेलिस्कोप के यंत्रीकरण का विकास ।

चालू वर्ष के दौरान आई यू सी ए ए सदस्यों ने लगभग 148 पुस्तकें प्रकाशित कीं । उन्होंने भाषण, संगोष्ठी विज्ञान को लोकप्रिय बनाना आदि जैसी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों में भी भाग लिया ।

आई यू सी ए ए के परिवर्धित शैक्षिक परिवार में 80 अभ्यागत एसोशिएट हैं जो अनुसंधान के अनेक विविध क्षेत्रों में कार्यरत हैं । इनके अनुसंधान के क्षेत्र हैं :- स्पैनिंग सैद्धांतिक भौतिकी, अ-रेखीय गतिकी, क्वांटम गुरुत्व, क्वांटम ब्रह्माण्ड विज्ञान, वक्र अंतरिक्ष टाइम में क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत, उच्च आयामों में गुरुत्व, एकदम सही हल, गुरुत्व के वैकल्पिक सिद्धांत, प्रारंभिक विश्व ब्रह्माण्डविज्ञान, कसार, गुरुत्वीय लेंसिंग, गांगेय गतिकी, अंतरातारकीय पदार्थ, तारक निर्माण, न्यूट्रॉन तारक, विचित्र तारे, संवहन, सौर किरीटीय तापन, सौर प्रणाली अध्ययन, प्लाज़्मा भौतिकी, वायुमंडलीय भौतिकी एवं रसायन, आणविक तथा आणविक भौतिकी, प्रेक्षणात्मक खगोल विज्ञान, एक्स-रे खगोल विज्ञान और यंत्रीकरण । परिणामस्वरूप होने वाले प्रकाशनों की संख्या लगभग 99 है ।

वर्ष के दौरान अभ्यागत एसोशिएटों ने कुल मिलाकर 1400 श्रम-दिवस आई यू सी ए ए में बिताए । इसके अलावा आई यू सी ए ए ने वर्ष के दौरान लगभग 440 अभ्यागतों की मेजबानी की ।

आई यू सी ए ए अपना स्नातक स्कूल राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र पुणे के साथ मिलकर चलाता है । अनुसंधान छात्रों में से एक ने सफलतापूर्वक अपना शोधप्रबंध प्रस्तुत किया और 1999-2000 के वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय से पीएच०डी० की उपाधि प्राप्त की ।

इन गतिविधियों के अलावा आई यू सी ए ए प्रतिवर्ष आई यू सी ए ए में तथा अन्य विश्वविद्यालय परिसरों में अनेक कार्यशालाएँ, स्कूल तथा सम्मेलन आयोजित करता है । इस वर्ष के दौरान आई यू सी ए ए में ऐसे 13 समारोह हुए तथा पाँच आई यू सी ए ए के प्रायोजकत्व में अन्य विश्वविद्यालयों में हुए ।

आई यू सी ए ए की गतिविधियों का एक मुख्य घटक विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का कार्यक्रम है । इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर अनेक विशेष समारोह आयोजित किए गए जिनमें एक अंतः स्कूल विज्ञान महोत्सव था, इसमें क्षेत्र के 90 स्कूलों के 550 से अधिक छात्रों ने भाग लिया । आई यू सी ए ए ने फोकोल्ट पेंडुलम की 150 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मार्च में एक विशेष समारोह भी आयोजित किया जिसने जनता के लगभग 800 दर्शकों को आकृष्ट किया ।

इन गतिविधियों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक स्टाफ (क्रमश: 21 और 35) ने योग्यतापूर्वक सहयोग दिया । केंद्र के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाने का मुख्य श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए । वैज्ञानिक स्टाफ पुस्तकालय, कंप्यूटर केंद्र तथा यंत्रीकरण प्रयोगशाला जैसी मुख्य सुविधाओं की भी देखभाल करता है ।

प्रेक्षणात्मक अनुसंधान के लिए आई यू सी ए ए की योजना दो मीटर लंबे नवीन प्रौद्योगिकीयुक्त टेलिस्कोप की है । यह टेलिस्कोप यू०के० सरकार की व्यावहारिक भौतिकी एवं खगोल विज्ञान अनुसंधान परिषद् के साथ ठेके में बनाया जा रहा है । यह गिरावली के पास एक पहाड़ी पर स्थित होगा जो कि आई यू सी ए ए से लगभग ढाई घंटे की मोटर यात्रा की दूरी पर होगा ।

8.1.5 डी ए ई सुविधाओं के लिए अंतर्विश्वविद्यालय कन्सॉर्टियम, इंदौर

आई यू सी - डी ए ई एफ ने अपने सौंपे गए कार्य के अनुसार विश्वविद्यालय समुदाय की सेवा करना जारी रखा है । फिलहाल, विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिकों के साथ लगभग 80 दीर्घकालिक सहयोगात्मक अनुसंधान योजनाएँ चल रही हैं जिनमें भारत की लगभग इतनी ही संस्थाएँ शामिल हैं ।

वर्ष 2000-2001 की तीन मुख्य घटनाएँ इस प्रकार हैं :- (क) उच्च-प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में इंडस । सिंक्रोट्रोन स्रोत पर प्रकाशित इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रमविज्ञान बीम लाइन का चालू होना (ख) भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र, मुंबई में ध्रुवरिऐक्टर पर बीमलाइन तथा परीक्षणात्मक स्टेशन निर्माण के लिए आर्डर जारी होना और (ग) टी आई एफ आर, बार्क, वेक्क, सिन्प, विश्वविद्यालयों, एन एस सी, तथा आई यू सी के बीच सहयोगात्मक मोड़ में 9-क्लोवर संसूचक व्यूह के चालू होने में भाग लेना । ये तीनों ही (अपने-अपने तौर पर) भारत में विज्ञान की उन्नति के मामले में विशेष उपलब्धि के द्योतक हैं (क) पहली बीम लाइन हैं जो इंडस पर चालू हुई है (ख) एक उपकरण है जिसका आधार एक नवीन डिज़ाइन है जो कि समान गतिविधि के लिए विद्यमान न्यूट्रॉन उपकरणों की तुलना में कुल मिलाकर परिष्कृत निष्पादन प्रदान करेगा (ग) प्रथम सहयोगात्मक प्रयोग था जिसमें छह पृथक्-पृथक् प्रयोगशालाओं के उपस्करों की एक जगह लाकर अनेक विभिन्न ग्रुपों द्वारा प्रस्तावित परीक्षण करने के वास्ते समेकित किया गया । परिणामत: प्राप्त होने वाला डाटा अनेक पीएच०डी० कार्यक्रमों को फीड करने के लिए पर्याप्त होगा । इन सभी गतिविधियों में विश्वविद्यालय के ग्रुप शामिल हैं ।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है वर्ष 2000-2001 के दौरान 82 दीर्घकालिक (तीन वर्ष) परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही थीं । इसके अलावा आई यू सी - डी ए ई एफ के तीन केंद्रों में विश्वविद्यालयों, आई आई टी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, और कालेजों से आने वाले वैज्ञानिकों द्वारा 100 से अधिक प्रयोग किए गए । आई यू सी की गतिविधियों के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय तथा आई यू सी वैज्ञानिकों द्वारा इस वर्ष जर्नलों में 60 से अधिक प्रकाशन हुए और सम्मेलनों में 45 प्रस्तुतियाँ हुई । सदा की भांति अनेक विख्यात वैज्ञानिकों ने आई यू सी केंद्रों का दौरा किया ओर व्याख्यान दिए । आई यू सी के वैज्ञानिकों ने विश्वविद्यालयों तथा सम्मेलनों में 50 से अधिक व्याख्यान दिए । आई यू सी ने विश्वविद्यालयों को चार मासबार स्रोतों की आपूर्ति की और एक विश्वविद्यालय को कम्पमान नमूना चुम्बकत्व मापी के लिए तकनीकी जानकारी हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में है । इस वर्ष आठ कार्यशालाएँ/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए ।

इस वर्ष आई यू सी - डी ए ई एफ अपनी दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ गंभीरतापूर्वक कार्यरत रहे । इन मामलों पर विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों के साथ व्यापक रूप से चर्चा हुई । आई यू सी के वैज्ञानिक विश्वविद्यालयों से आए अपने साथियों के लिए नवीन परीक्षणात्मक सुविधाएँ जुटाने की संभावनाओं के बारे में बहुत उत्साहित हैं और इन प्रस्तावों के स्वीकार किए जाने के बारे में उत्सुक हैं ।

उपर्युक्त कार्यों ने विगत पाँच वर्षों के दौरान आई यू सी के निष्पादन पर एक दृष्टि डालने का अवसर भी प्रदान किया । कुछ आँकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं । पिछले पाँच वर्षों के दौरान (नवीं योजना) 600 से अधिक वैज्ञानिकों ने 1000 से अधिक ऐसे प्रयोगों में भाग लिया जो उनके अपने विश्वविद्यालयों में नहीं किए जा सकते थे । इस समय 82 दीर्घावधिक परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं (एक परियोजना तीन साल चलती है ।) 1996-2001 के दौरान 77 परियोजनाएँ पूरी की गईं । भौतिकी, रसायन, पदार्थ विज्ञान पर्यावरण विज्ञान तथा भू-विज्ञान जैव तथा चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल हैं । लगभग 1300 व्यक्तियों ने या तो अल्पकालिक स्कूलों के माध्यम से विशेषज्ञतायुक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया है या विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख विषयों पर कार्यशालाओं और पाठ्यक्रमों में भाग लिया है । इक्कीस राज्यों की 100 से अधिक संस्थाओं (कालेज, विश्वविद्यालय विभाग और संस्थान) के वैज्ञानिकों ने आई यू सी - डी ए ई एफ से लाभ उठाया हैं । स्वत: आई यू सी - डी ए ई एफ का मूल स्टाफ बहुत सुघटित रहा है । इसमें 21 वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं और 29 तकनीकी व्यक्ति हैं जो कि इंदौर, कोलकाता और मुंबई स्थित तीन केंद्रों में फैले हुए हैं । आई यू सी - डी ए ई एम ने पर्याप्त मात्रा में देशी सुविधाएँ भी पैदा की हैं । ई डी ए एक्स युक्त क्रमवीक्षण इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी, द्रव हीलियम-प्लांट आदि जैसी कुछ परिष्कृत सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं ।

52 से अधिक छात्रों ने पीएच॰डी॰ की उपधि प्राप्त की जिनका कार्य पूर्णत: अथवा अंशत: आई यू सी - डी ए ई एफ पर निर्भर करता था और परिणामत: जर्नलों में 300 से अधिक प्रकाशन हुए जिनका विषय भौतिकी, रेव-लैटर्स, अनुप्रयुक्त भौतिकी लैटर्स, अंगेवांटे कैमि, भौतिकी, रेव आदि हैं ।

डॉ॰ ए॰ कोकोदकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार ने दिसंबर 2000 में वार्षिक दिवस पर आई यू सी के कर्मचारियों को संबोधित किया । विषय था - "समन्वित अनुसंधान - आज की आवश्यकता" । उन्होंने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों के परस्पर मिलकर काम करने की आवश्यकता तथा आई यू सी - डी ए ई एफ जैसी संस्थाओं की इसमें भूमिका पर बल दिया ।

स्टाफ की भर्ती पर प्रतिबंध इन गतिविधियों पर काफी दबाव का कारण रहा है । आई यू सी जैसी छोटी संस्थाओं के लिए ये विशेषत: महत्वपूर्ण हैं जहाँ मूल स्टाफ की अल्पसंख्या में प्रत्येक को अनेक प्रकार के दायित्व निभाने पड़ते हैं । आशा की जाती है कि निकट भविष्य में स्थिति में सुधार हो जाएगा ।

8.1.6 राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (नाक) बंगलौर

मार्च 2001 को समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान नाक ने 76 संस्थाओं का प्रत्यायन किया इनमें 35 कालेज तथा 21 विश्वविद्यालय शामिल हैं । इस अवधि के दौरान अनेक जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ तथा सम्मेलन भी आयोजित किए गए । 31 मार्च, 2001 को विद्यमान स्थिति के अनुसार प्रत्यायित की गई संस्थाओं की कुल संख्या 161 है । निर्धारण तथा प्रत्यायन की इच्छा व्यक्त करने वाले 200 से अधिक पत्र भी प्राप्त हुए हैं । इस अवधि के दौरान 30 शिक्षाविदों के वास्ते निर्धारकों का तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । इस अवधि में होने वाली अन्य मुख्य घटनाएँ हैं - उच्च शिक्षा में निर्देशचिह्न लगाने, चर्चा-बैठक तथा निर्धारक-निर्धारिती क्षेत्र अनुभव पर दो दिवसीय कार्यशाला 1 मार्च 2001 में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता-सुनिश्चय-एजेंसियों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का छठा द्विवार्षिक सम्मेलन (इन्काहे) आयोजित किया गया ।

निर्धारक-निर्धारिती क्षेत्र अनुभव पर दो दिवसीय कार्यशाला ने निर्धारण तथा निर्धारित संस्थाओं तथा प्रत्यायक एजेंसी के परिप्रेक्ष्य से निर्धारण एवं प्रत्यायन प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर प्रकाश डाला । देश के सारे भागों से 29 शिक्षाविदों ने इस कार्यशाला में भाग लिया । अगस्त में ब्रिटिश कांउसिल के सहयोग से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता-सुनिश्चय के लिए मानक और निष्पादन सूचकों पर एक कार्यशाला आयोजित की गई । यू॰के॰ से आए विशेषज्ञ श्री डेविड ब्रैडबरी ने भारतीय विशेषज्ञ दल के साथ निर्देश-चिह्न और निष्पादन सूचकों के विषय पर अपने अनुभवों की चर्चा की । प्रभावशाली मानक-नियतन की प्रक्रियाओं पर चर्चा

की गई और बैठक ने सिफारिश की कि नाक को निर्धारण तथा प्रत्यायन कार्य के साथ-साथ समानान्तर प्रक्रिया के रूप में विषय-मानकों पर कार्य करना चाहिए ।

ब्रिटिश काउंसिल ने नाक स्टाफ के कुछ लोगों की यू॰के॰ अध्ययन यात्रा तथा यू॰के॰ विशेषज्ञों की भारत यात्रा में सहयोग दिया । यह सहमति हो गई है कि नाम-दल की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय नाक उठाएगा तथा यू॰के॰ में होने वाला खर्च ब्रिटिश काउंसिल उठाएगी । भारत यू॰के॰ सहयोग के प्रथम चरण में ब्रिटिश काउंसिल ने श्री डेविड ब्रैडबरी की भारत यात्रा में सहायता की ताकि वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (एम॰पी॰) (एक पर्यवेक्षक के रूप में) निर्धारण दौरे में शामिल हो सकें और "गुणवत्ता सुनश्चिय में निर्देश चिह्न और निष्पादन सूचक" कार्यशाला में भाग ले सकें । अगली प्रमुख गतिविधि यू॰के॰ में नीति मंच है । इस संदर्भ में प्रो॰ ए॰ ज्ञानम्, अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति ने निर्धारण निधीयन तथा गुणवत्ता सुनिश्चय का प्रबंध विषय पर चर्चा करने के लिए जनवरी में यू॰ के॰ का दौरा किया । उन्होंने अधिगम और शिक्षण और उच्च शिक्षा सांख्यिकी एजेंसी (हेसा) संस्थान का दौरा किया और देश में गुणवत्ता सुनिश्चय सहायता और प्रोत्साहन में इन केंद्रों के कार्य के बारे में परस्पर क्रियाएँ कीं ।

'इनकाहे' का छठा द्विवार्षिक सम्मेलन बंगलौर में 19 और 22 मार्च के बीच हुआ । चार दिन की भूमंडली गतिविधि में भूमंडलीकरण एवं सर्व-राष्ट्रगत छात्र आवागमन के वर्तमान संदर्भ में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की आवश्यकता महसूस की गई । सम्मेलन ने प्रश्न उठाने, मुद्दों के स्पष्टीकरण तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को स्पष्ट पारदर्शी तथा प्रबुद्ध सूचना प्रणाली के माध्यम से सभी लोगों के लिए स्वीकार्य बनाने की आवश्यकता पारस्परिक रूपेण मानने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता की । यद्यपि मानकीकरण, योग्यता की समतुल्यता और विकासशील देशों में वहाँ की विशिष्ट सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं मूल्यों के प्रति सहिष्णुता जैसे बड़े मुद्दे अभी भी हल नहीं हो सके हैं तथापि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करने की इच्छा के लिए आम सहमति उभर कर आई । सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, चिली और आस्ट्रेलिया में गुणवत्ता मसलों के केस अध्ययन प्रस्तुत किए गए । इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के लगभग 300 शिक्षाविदों एवं शिक्षा प्रशासकों ने गुणवत्ता मानक एवं मान्यता विषयक विविध पहलुओं पर विचार-विमर्श किया ।

बाह्य संपर्क तथा प्रोत्साहनात्मक गतिविधियाँ

- नाक द्वारा मुद्रित विविध प्रोत्साहनात्मक सामग्री विश्वविद्यालय तथा कालेज प्रणाली के साथ विचारों का आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से वितरित की गई ।

- निर्धारण तथा प्रत्यायन की प्रक्रिया में उनकी सहायता करने के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजों की विषय-निर्वाचन समिति के सदस्यों के साथ बैठकों को बढ़ावा दिया गया ।

- भारत के सभी भागों के 34 कुलपतियों, प्रिंसिपलों, शिक्षकों तथा शिक्षा-प्रशासकों को निर्धारण और प्रत्यायन की विधियों और संकल्पना से अवगत कराने के लिए निर्धारण और प्रत्यायन पर कार्यशाला एवं चर्चा आयोजित की गई ।

- नाक ने दो कार्यशालाएँ आयोजित कीं - एक कोयम्बटूर में उस क्षेत्र के स्व-वित्तीयन कालेजों के लिए तथा दूसरी चेन्नई क्षेत्र के स्व-वित्तीयन कालेजों के लाभ के लिए । इन गतिविधियों के आयोजन में तमिलनाडु सरकार के कालेज-शिक्षा के क्षेत्रीय निदेशालयों को शामिल किया गया ।

- समस्त देश में तथा विदेश में नाक की गतिविधियों की सूचना का प्रसार करने के लिए नाक का एक न्यूज़लैटर प्रकाशित किया गया । परिषद् की एक वेबसाइट भी खोली गई ।

- जिन संस्थाओं का निर्धारण और प्रत्यायन किया गया है उन पर पड़े प्रभाव के बारे में तद्विषयक केस अध्ययन आयोजित किया गया । प्रत्यायित संस्थाओं से प्राप्त विचारों का विश्लेषण किया गया ताकि निर्धारण और प्रत्यायन की सारी प्रक्रिया को और सही किया जा सके ।

- निर्धारकों के राष्ट्रीय संवर्ग को मजबूत बनाने के प्रयास-स्वरूप जुलाई 6-8, 2000 को बंगलौर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश के सभी भागों से चुने गए तीस विशेषज्ञों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया । कार्यक्रम का उद्देश्य नाक की ओर से संस्थाओं का निर्धारण करते समय शिक्षाविदों के "संदर्भ फ्रेम" में सुसंगति एवं वास्तुकला लाना है क्योंकि वे भिन्न विद्याशाखाओं, राज्यों तथा पृष्ठभूमि अनुभवों वाले होते हैं ।

प्रकाशन

नाक ने सरल और प्रयोग करने में आसान दस्तावेजों की एक शृंखला प्रकाशित की है जो कि शिक्षा प्रणाली के विभिन्न वर्गों के लिए है । उनमें से प्रमुख प्रकाशन इस प्रकार हैं :-

- नाक की निर्धारण और प्रत्यायन प्रक्रिया
- निर्धारण तथा प्रत्यायन के बारे में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उत्तर
- भारतीय संदर्भ में निर्धारण एवं प्रत्यायन की प्रासंगिकता
- निर्धारण तथा प्रत्यायन - एक नवीन फोकस
- निर्धारण तथा प्रत्यायन के बारे में वह सब कुछ जो आप जानना चाहते है - एक व्यावहारिक मार्गदर्शक पुस्तिका
- विश्वविद्यालयों के लिए स्व-अध्ययन संहिता
- संबद्ध/घटक कालेजों के लिए स्व-अध्ययन संहिता

देश-विदेश में नाक और इसकी गतिविधियों के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए नाक का एक त्रैमासिक न्यूज़ लैटर प्रकाशित किया गया । "निर्धारक-निर्धारिती क्षेत्र अनुभव: सीखने योग्य सबक" विषयक कार्यशाला की कार्रवाई "मेटा इवैल्यूएशन" नामक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित की गई । मौके का दौरा करने के लिए समकक्ष टीम सदस्यों के प्रोत्साहन के वास्ते नाक ने एक दस्तावेज "गुणवत्ता निर्धारण पुस्तिका" प्रकाशित की है । नाक ने प्रत्यायित संस्थाओं की निर्देशिका का प्रथम खंड प्रकाशित किया है जिसमें प्रथम 100 संस्थाओं का डाटा दिया गया हैं जिनका कि निर्धारण एवं प्रत्यायन हो चुका है । निर्देशिका संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण प्रदान करती है जिससे संकाय, स्टाफ और छात्रों की संख्या, उपलब्ध कार्यक्रम तथा संस्था की प्रत्यायित स्थिति शामिल है ।

8.1.7 नाभिकीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली

- **पेलेट्रॉन त्वरित्र तथा उपयोग**

वर्ष 2000-2001 के दौरान त्वरित्र प्रचालन सुचारु रहा तथा बीम समय की कोई हानि नहीं हुई । परिणामत: इस अवधि के दौरान लगभग सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हुए । मशीन अप-टाइम 95.4 प्रतिशत तथा बीम उपयोग 62.9 प्रतिशत रहा । इस वर्ष प्रानुकूलन के दौरान प्राप्त की गई अधिकतम् वोल्टता 15.2 प्रतिशत एम०वी० थी ।

60 विश्वविद्यालयों, 38 कालेजों तथा 39 अन्य संस्थाआं से आए प्रयोक्ताओं में से अधिसंख्य प्रयोक्ता (60 प्रतिशत से अधिक) पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में थे, 30 प्रतिशत नाभिकीय भौतिकी तथा बाकी रेडियो जैविकी, आणविक भौतिकी और संबद्ध क्षेत्रों के थे ।

अनेक विश्वविद्यालय के छात्रों ने पीएच०डी० भाषण पाठ्यक्रम के दो सेमेस्टरों में भाग लिया । विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनेक छात्रों ने एन०एस०सी० के एम०एससी० अभिविन्यास कार्यक्रम में भी भाग लिया ।

एन॰एस॰सी॰ द्वारा "ऊर्जात्मक भारी आयनों द्वारा अन्तरापृष्ठ इंजीनियरिंग", "भारी आयन विकिरण जैविकी की नवीन सीमाएँ", क्षिप्र भारी आयनों द्वारा पृष्ठ आपरिवर्तन के स्वस्थाने अध्ययन", "निम्न ऊर्जा आयन बीम सुविधा के साथ नवीन सुविधा भौतिकी (एल ई आई बी एफ)", "अर्धचालकों में क्षिप्र भारी आयन तथा युक्तियाँ", "पॉलिमरों में क्षिप्र भारी आयन और रोधी पदार्थ", "आयन पदार्थ अन्योन्यक्रिया के कंप्यूटर अनुकार" विषयों पर विशेष कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। शिमला में "भारी आयन प्रेरित नाभिकीय प्रतिक्रिया एवं संरचना अध्ययन" पर एक प्रयोक्ता स्कूल आयोजित किया गया। एन एस सी में बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञानों में त्वरित्र आधारित अनुसंधान पर एक सम्मेलन हुआ। इनके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन तथा मंगलौर विश्वविद्यालय में दो एन एस सी परिचय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

त्वरित्र संवर्धन

त्वरित्र संवर्धन के कार्य ने पर्याप्त प्रगति की और अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। गुच्छक और बहु-उद्देशीय निम्नताप स्थायियों में देशी रूप से विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करते हुए अतिचालक अनुनादकों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एन एस पी पेलेट्रॉन से गुच्छित बीम को बाहरी निर्देश संकेत से चरण-बद्ध कर दिया गया है। देश में हीलियम और नाइट्रोजन प्रशीतित्र युक्त निम्नतापी प्रणाली, निम्न ताप वितरण नेटवर्क, गुच्छक और लिनाक निम्नतापस्थायी को देशज रूप से विकसित किया गया है। एन॰एस॰सी॰ अनुनादक परीक्षणों के लिए एक पी॰सी॰ आधारित नियंत्रण और डाटा अर्जन विकसित किया गया है और प्रयुक्त किया गया है। पिछले वर्ष के दौरान जो युक्तियाँ विकसित की गई हैं वे इस प्रकार हैं - चतुर्ध्रुवी चुम्बक, उच्च क्षेत्र स्टीयरर, सूक्ष्म स्टीयरर, द्विध्रुवी ऊर्जा आपूर्ति और स्टीयरर चुम्बक सी ए एम ए सी आई जी ओ आर, 1 कि॰ वा॰ स्विच कोड डी सी ऊर्जा आपूर्ति और अति चालक चुम्बक ऊर्जा आपूर्ति प्रोग्रामर।

इस वर्ष पूरी की गई अनोखी निम्न ऊर्जा आयन बीम सुविधा (एल ई आई वी एफ) उच्च करंट संवर्धन चार्जयुक्त पॉजिटिव आयन बीम मुहैया करती हैं जिसमें के ई वी के कुछ दशक संख्या से लेकर कुछ न्यून एम ई वी तक की ऊर्जा होती है। सीसा और टैटेलय जैसे ठोस पदार्थ और हीलियम, आक्सीजन तथा आर्गन जैसी गैसों से बीम करंट प्राप्त किए गए और इनका विश्लेषण किया गया।

अनुसंधान सुविधाएँ

संसूचक शीतलन व्यवस्था और एक स्वस्थाने हॉल मापन सेट-अप सामान्य उद्देश्य प्रकीर्णन चेम्बर (जी पी एस सी) में जोड़े गए हैं।

गामा संसूचक व्यूह को स्वचालित द्रव नाइट्रोजन पूरण प्रणाली से पुनः सज्जित किया गया है।

प्रतिक्षेप स्पेक्ट्रोमीटर हीरा का उपयोग ^{7} बीई "आर आई बी" उत्पादन के लिए किया जा रहा है। हीरा-"जी डी ए" संयोजन का प्रयोग तीन परीक्षणों के लिए किया गया।

स्वस्थाने एस टी एम सुविधा और एक्सरे परावर्तकता सेट-अप इस वर्ष चालू हो गए। बृहत् क्षेत्र पोजीशन सुग्राही संसूचन (एल ए पी एस डी) का उपयोग कणक्षेपण अध्ययनों में किया गया और प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप संसूचन विश्लेषण (इर्दा) परीक्षणों के लिए एक समर्पित सुविधा जी पी एस सी में स्थापित की गई है।

परिवर्धित फ्लक्स (10^5/सी एम^2/एसईसी) से युक्त बेहतर समरूप बीम (97 प्रतिशत से अधिक) विसारक पर्णिका साइज़ में रूपांतरणों के माध्यम से तथा दूसरे स्टीयरर की स्थापना द्वारा निम्न फ्लक्स विकिरणन सुविधा के लिए प्राप्त की गई।

अनुसंधान गतिविधियाँ

न्यूटॉन नम्बर के साथ सामूहिकता में परिवर्तन घूर्णन तथा उच्च जे आर्बिटल के आकार निर्माता प्रभाव ^{77} बी॰आर, ^{118} एक्स ई, ^{133} पी आर, ^{177} आर ई तथा ^{179} आर ई न्यूक्लियसों में व्याख्यायित किए गए । 50-60 एन एस अर्ध जीवन से युक्त नवीन आइसोमर ^{141} पी एम न्यूक्लियस में अभिज्ञात किया गया है ।

एफ-पी खोल न्यूक्लियसों के उच्च घूर्णन व्यवहार पर जी $^{9/2}$ आर्बिटल की भूमिका की खोज ^{63} सी यू और ^{65} जेड एन की गई जिसके लिए चार्जयुक्त कण व्यूह का प्रयोग किया गया । प्रतिक्षेप गामा कपाटन तकनीक का प्रयोग करते हुए न्यूक्लियस ^{66} जेडएन तथा ^{66} सीयू का अध्ययन किया गया । दर्पण न्यूक्लियसों (^{41} सी ए, ^{41} एस सी) तथा (^{45} वी, ^{45} टी आई) की स्तर योजनाओं की खोज के लिए हीरा का प्रयोग प्रतिलोम शुद्ध गति विज्ञान में किया गया है ।

डी (^{7} बीई, ^{8} बी) एन की अनुप्रस्थ काट का एमदम सही निश्चय किया गया जिससे महत्वपूर्ण खगोल भौतिकीय एस 17 (ओ) फैक्टर निकाला गया हैं ।

संयुक्त नाभिक के क्षय में प्रवेश चैनल प्रभाव की भूमिका का अध्ययन तीन भिन्न प्रक्षेप्य-लक्ष्य संयोगों में बसे ^{79} आर बी से प्रकाश कण वाष्पन स्पेक्ट्रा के मापन द्वारा किया गया है । क्रमशः प्रतिक्रिया ^{14} एन + ^{232} टी एच और ^{35} सी आई + ^{90,94} जेड आर के लिए विखंडन अनुप्रस्थ काट और संलयन रोध वितरण के लिए मापन किया गया है । प्रथम प्रतिक्रिया के लिए देखा गया है कि अपूर्ण संवेग अंतरण घटनाएँ रोध के निकट नगण्य थीं ।

पतली फुलरेंस फिल्मों के इलेक्ट्रॉनिक कण क्षेपण के ऑन-लाइन मापन से फिल्म की मोटाई पर कण क्षेपण की निर्भरता जाहिर होती है जिसकी व्याख्या तापीय स्पाइक मॉडल के आधार पर की जा सकती है । किरणन द्वारा प्रवृद्ध विसरण सी ओ/एस आई, एफ ई/एन आई और एफ ई/एस आई प्रजातियो के बहुल-परती सतहों में देखी गई । प्रकाश संदीप्ति अध्ययन किरणित एल आई एफ, नैनो क्रिस्टलीय सी यू$_2$ओ पर किए गए और ग्रैफाइट नमूनों में प्रवृद्ध धात्विकता देखी गई । अर्ध-चालक जी ए ए एस में एस एच आई किरणन के प्रभाव का अध्ययन किया गया और शॉटकी प्राचीर डायोड के ट्रांसपोर्ट अभिलक्षणों की फ्लूएस निर्भरता मापी गई । उच्च टी सी क्युप्रेट अतिचालकों में एक एच आई किरणन द्वारा बिंदु त्रुटि पैदा की गई । घने लक्ष्यों में प्रोटोन की ऊर्जा-हानि के मापन की नवीन तकनीक विकसित की गई है ।

भारी आयन बीमा और विकिरण जैविकी प्रयोगशाला सुविधाओं का उपयोग करते हुए जो प्रयोग किए उनमें रासायनिक मात्रामिति, बीज किरणन डी एन ए की क्षति और मरम्मत, मैमेलियन कोशिका निष्क्रियण तथा क्रोमोसोम विपथन और डी एन ए क्षति और धूमकेतु आभायन अध्ययन शामिल हैं । इनके अलावा निम्न फ्लक्स सुविधा का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों पर प्रोटोन प्रेरित प्रभाव भी किए गए ।

इसरो उपग्रह के लिए युक्ति परीक्षण : एकल घटना अपमेट सीमाओं की जाँच करने के लिए ऑनलाइन स्थिति अनुवीक्षण के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्मृति चिप्स को 24 एक ई वी प्रोटोन से किरणित किया गया ।

एचई और एलआई जैसे वैनेडियम आयनों की उत्तेजित मितस्थायी स्थितियों के जीवन काल को मापा गया जिससे जाहिर हुआ कि (1 एस^2 ^{1}एस ओ) तक इस स्थिति क्षय के लिए एच ई जैसे वेनेडियन (1 एस 2 पी ^{3}पी$_2$ ओ) के जीवन पर अति सूक्ष्म प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है ।

भावी योजनाएँ

पेलेट्रॉन त्वरित्र के उन्नयन के लिए विचारित सभी परियोजनाएँ पूरी कर ली जाएँगी । 150 पी एस स्पंदित बीम प्रदान करने के लिए बहु-हार्मोनिक गुच्छक, मार्जक और अति गुच्छक अगले वर्ष चालू हो जाएँगे । योजना है कि ऑन लिनाक माड्यूल आगामी वित्तीय वर्ष में चालू हो जाएगा । नाभिकीय भौतिकी तथा क्षिप्रभारी आयन आधारित पदार्थ विज्ञान में अनुसंधान के लिए परिवृद्ध बीमों का उपयोग करने की परियोजनाएँ तैयार कर ली गई हैं और निधीयन एजेंसियों को प्रस्तुत कर दी गई हैं । नाभिकीय भौतिकी में दो परियोजनाओं के लिए डिज़ाइन कार्य शुरू कर दिया गया हैं और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने इनका अनुमोदन कर दिया है । उच्च करंट अंत: क्षेपित्र के लिए अगली पी टी के ई सी आर आयन स्रोत के डिज़ाइन के वास्ते एल ई आई बी एफ तैयारी कर रहा है । विकसित बीमों के अद्वितीय लक्ष्यों का लाभ उठाने के लिए रेडियोधर्मी आयन बीमों का प्रयोग करते हुए कार्य जारी रहेगा । पेलेट्रॉन का उपयोग करते हुए त्वरित्र द्रव्यमान स्पेक्ट्रममिति प्रयोग शुरू किए जा रहे हैं ।

त्वरित्र आधारित अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय प्रयोक्ता समुदाय की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अभिलक्षित कार्य सोचे जा रहे हैं ।

8.2 राष्ट्रीय सूचना केंद्र

अन्तर्विश्वविद्यालय केंद्रों के अलावा वि॰अ॰आ॰ चुनिंदा विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सूचना केंद्रों की स्थापना में भी सहायक रहा है । वर्ष 2000-2001 के लिए इन केंद्रों की सूची एवं उनके उद्देश्य सारणी 8.2 में दिए गए हैं :

सारणी 8.2

राष्ट्रीय सूचना केंद्र और उनके उद्देश्य

क्र॰ सं॰	केंद्र	उद्देश्य
1.	राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर-560012	विज्ञान सूचना केंद्र
2.	राष्ट्रीय सूचना केंद्र, बड़ौदा एम एस विश्वविद्यालय, वडोडरा (गुजरात)	मानविकी, सामाजिक विज्ञान सूचना केंद्र (अर्थशास्त्र, राजनीतिक शिक्षा मनोविज्ञान, विज्ञान)
3.	राष्ट्रीय सूचना केंद्र एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई	मानविकी सामाजिक विज्ञान सूचना केंद्र (समाजविज्ञान, महिला अध्ययन गृहविज्ञान, विशेष शिक्षा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान)

वर्ष 2000-2001 के दौरान इन राष्ट्रीय सूचना केंद्रों को कोई अनुदान नहीं किया गया ।

सूचना केंद्रों की संक्षिप्त गतिविधियाँ

8.2.1 राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान सूचना केंद्र (नास्सिक), बड़ौदा

नास्सिक केंद्र की स्थापना मुख्यत: अनुसंधान में रुचि रखने वाले कार्मिकों तथा समाज विज्ञानियों के उस संपूर्ण समुदाय के लिए की गई है जिनका क्षेत्र विशेषत: अर्थशास्त्र, शिक्षा, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान और अंत:/बहु-शास्त्रीय विषय हो ।

मुख्य विशेषताएँ

- नास्सिक ने जुलाई 18-19, 2000 को एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसका विषय था "सामाजिक विज्ञानों में इंटरनेट का प्रयोग" ।
- स्टाफ के सदस्यों के लिए मार्च 19-24, 2001 को "मिनिसिस" प्रशिक्षण आयोजित किया गया ।

- **जर्नलों का अभिदान/सी डी डाटाबेस**
  - जर्नलों तथा सी डी डाटाबेसों के अभिदान के लिए रु०3.20 लाख खर्च किए गए । मँगाए गए 18 जर्नलों में ग्यारह विदेशों के हैं तथा सात भारतीय हैं । वर्ष के दौरान दो संदर्भ पुस्तकें भी खरीदी गईं ।
  - वर्ष के दौरान 4 सी डी डाटाबेस यथा वान्स इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, भारत में कार्पोनेट सेक्टर विषयक सूचनायुक्त आई बी आई डी, एरिक तथा इकॉनलिट् खरीदे गए ।

- **गतिविधियाँ**
  - केंद्र द्वारा मुहैया की जाने वाली सेवाओं तथा गतिविधियों के प्रचारार्थ पोस्टर तथा ब्रोशर विश्वविद्यालय के सभी विभागों तथा अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं डाक-सूची में विद्यमान व्यक्तियों को भेज गए ।
  - नास्सिक एलर्ट सेवा खंड-3 : 1999 सहज प्राप्ति के लिए मूल शब्दों की अतिरिक्त सुविधा के साथ प्रकाशित किया गया और इसकी प्रतियाँ देश भर में 150 विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं को भेजी गईं ।
  - अर्थशास्त्र, शिक्षा और राजनीति विज्ञान के विषय-क्षेत्रों में सूचना प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति द्वारा जर्नल के लेखों का सार तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है ।
  - प्रश्नावली की सहायता से स्थानीय स्तर पर समाज विज्ञानियों की सूचना आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए प्रयोक्ता सर्वेक्षण शुरू किया गया है ।
  - शिक्षण स्टाफ के लाभार्थ "सामाजिक विज्ञानों में इंटरनेट का प्रयोग" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई । इसमें अर्थशास्त्र, शिक्षा, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान तथा विभिन्न संकायों के अन्य अंतशास्त्रीय विषयों के 14 लोगों ने भाग लिया ।
  - सामाजिक विज्ञानों में शैक्षिकों के लाभार्थ सी डी रोम डाटाबेसों का प्रदर्शन आयोजित किया गया । दिनांक 7 दिसंबर, 2000 को भारतीय अर्थव्यवस्था अनुवीक्षण केंद्र (सी एम आई ई) द्वारा गुजरात प्रोवेस तथा क्षेत्रीय अनुवीक्षण सेवा का प्रदर्शन किया गया ।
  - "पश्चिमी भारत में सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान की प्रवृत्तियाँ" विषय पर एक क्षेत्रीय संगोष्ठी फरवरी 19-20, 2001 को होनी थी किन्तु भूकंप के कारण यह अब 29-30 अक्तूबर, 2001 को होगी ।

- नास्सिक स्टाफ सदस्यों के लिए पुस्तकालय सॉफ्टवेयर "मिनिसिस" का एक सप्ताह का प्रशिक्षण 19-24 मार्च, 2001 को आयोजित किया गया । प्रशिक्षण देने के लिए मिनिसिस संसाधन केंद्र, एम एन डी टी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई से एक विशेषज्ञ आमंत्रित किया गया । इस सॉफ्टवेयर का उपयोग वि०अ०आ० के अन्य सूचना केंद्रों द्वारा किया जा रहा है और यह लेखों डाटाबेस के प्रबंध में सहायक है तथा सुगम खोज एवं सूचना प्राप्ति में सुविधा प्रदान करता है ।

• प्रयोग

436 पाठकों (339 महिला और 97 पुरुष) ने केंद्र के संसाधनों का उपयोग किया और जर्नलों एवं डाटाबेसों से साहित्य की खोज एवं फोटोकापी की सुविधा का लाभ उठाया । सी डी डाटाबेसों से खोज की बाबत पूछताछ के फलस्वरूप 80 पृष्ठों पर लेखों के प्रिंट-आउट दिए गए और फ्लापियों पर 81819 लेख डाउनलोड किए गए । लेखों का अधिकतम डाउनलोड अर्थात् 58046 विल्सन सामाजिक विज्ञान सारों से था और कम से कम 108 लेख वांस इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय डाटाबेस से था ।

• स्टाफ विकास गतिविधियाँ

उप-पुस्तकाध्यक्ष-व-समन्वयक श्रीमती वर्षा मुतालिक ने :-

- दिनांक 22 जून 2000 को एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई स्थित वि०अ०आ० के राष्ट्रीय सूचना केंद्र का दौरा इसका अध्ययन करने तथा संभव होने की स्थिति में इनमें से किसी सेवा को लागू करने के लिए किया ।
- "दोराहे पर स्थित पुस्तकालय तथा सूचना व्यवसाय" विषयक संगोष्ठी में भाग लिया जिसका आयोजन दिनांक 13-16 नवंबर, 2000 को आई ए एस एल आई सी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम पी परिषद्, भोपाल ने मिलकर किया था ।
- सार-निष्कर्षण पर एक भाषण का 15 दिसंबर, 2000 को आयोजन सूचना प्रशिक्षणार्थियों के लाभ के लिए किया गया । कला संकाय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग की लेक्चरार श्रीमती श्यामा राजाराम को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
- दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत में दिनांक 31 मार्च, 2001 को पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में प्रथम पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में श्रीमती ज्योति भट्ट, सहायक पुस्तकाध्यक्ष को आमंत्रित किया गया ।

• भावी कार्य योजनाएँ

• एलर्ट प्रकाशन

एलर्ट 2000 तथा 2001 का मुद्रण तथा देश के समस्त भागों में विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं को वितरण ।

• सारांश

नास्सिक से संबद्ध विषयों - अर्थशास्त्र, शिक्षा, राजनीतिविज्ञान तथा मनोविज्ञान - में प्रकाशित लेखों का सार तैयार करना तथा उनको प्रकाशित करना ।

• शोध प्रबंध/शोध निबंध डाटाबेस

भारतीय विश्वविद्यालयों में अपने विषयों से संबंधित शोध-प्रबंध एवं शोध के डाटाबेस तैयार करना ।

• चल रहा अनुसंधान

केंद्र के संबद्ध विषयों में देश में चल रहे अनुसंधान कार्य की बाबत डाटाबेस तैयार करना । यह केंद्र पूरे देश से संबंधित है ।

• सूचना आवश्यकताओं का सर्वेक्षण

केंद्र की सेवाओं की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें विकसित करने एवं प्रयोक्ताओं की सूचना विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते केंद्र एक प्रश्नावली की सहायता से राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण करना चाहता है ।

• संगोष्ठियाँ

केंद्र का विचार 29-30 अक्तूबर, 2001 को "पश्चिमी भारत में सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान की प्रवृत्तियाँ" विषय पर एक क्षेत्रीय स्तर की संगोष्ठी आयोजित करने का है । इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान के समाजविज्ञानी/अनुसंधान स्कॉलर भाग लेंगे ।

• व्याख्यान

केंद्र की ओर से अनुसंधानकर्ताओं के लिए सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र की प्रसिद्ध विद्वानों को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।

• छात्रों के लिए कार्यशाला

स्नातकोत्तर छात्रों/अनुसंधानकर्ताओं के वास्ते सामाजिक विज्ञानों में इंटरनेट का प्रयोग अथवा समान विषयों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा । देश के समस्त भागों में ब्रोशर तथा पोस्टर वितरण के माध्यम से केंद्र के लिए समय-समय पर उचित प्रचार कार्य किया जाएगा ।

8.2.2 राष्ट्रीय सूचना केंद्र, एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय पुस्तकालय, मुंबई

राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना 1986 में वि०अ०आ० की सहायता से हुई । इसका उद्देश्य छह विषयों - समाज विज्ञान, महिला अध्ययन, गृह विज्ञान, विशेष शिक्षा, पुस्तकालयविज्ञान तथा गुजराती में ग्रंथसूची विषयक सूचना प्रवाह को सुधारना है । केंद्र का उद्देश्य विद्वत्तापूर्ण संचार प्रक्रिया में छात्रों , शिक्षकों एवं अनुसंधानकर्ताओं की सहायता करना है । केंद्र बदलते सूचना परिदृश्य के साथ गति बनाए रखने के लिए लगातार अपनी भूमिका एवं सेवाओं का पुनः निरूपण करता रहा है । इस वर्ष उनकी एजेंसियों के साथ सहयोग करने के प्रयास किए गए हैं ताकि विकसित संसाधन प्रस्तुत किए जा सकें ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान केंद्र ने समस्त भारत में 4637 प्रयोक्ताओं की सेवा की । लगभग 1,48,384 संदर्भ मुहैया किए गए और लगभग 94,439 पृष्ठों की फोटोकापी सप्लाई की । इन-हाउस डाटाबेसों को अद्यतन बनाने तथा उनका रख-रखाव करने की प्रक्रिया जारी रही । भारतीय साम्रगी पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा क्योंकि इसके लिए लगातार माँग बनी रही ।

• संसाधन आधार

इन-हाउस ग्रंथसूची और निर्देशिका डाटाबेस भारतीय साम्रगी पर विशेष बल के साथ केंद्र की मूल्यवान संपत्ति है । संसाधन आधार का क्षेत्र बढ़ाने की दृष्टि से केंद्र पिछले तीन सालों से समाज विज्ञान, महिला अध्ययन, मानव पोषण, शिक्षा, अपवादी बालक, जनसंख्या अध्ययन आदि के क्षेत्रों में सीडी-रोम पर

अनेक अंतर्राष्ट्रीय डाटाबेस प्राप्त कर रहा है । केंद्र के पास तीन डाटाबेस, विकसित इन-हाउस (सुचाक, पुकाट तथा संस्था) और सात अंतर्राष्ट्रीय डाटाबेस हैं जिन्हें पिछले तीन साल की अवधि में प्राप्त किया गया है । केंद्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए तीन प्रकार के सहायक डाटाबेस (थेसॉरी, गुणवत्ता नियंत्रण तथा सेवा सहायता) भी रखता हैं । सुचाक डाटाबेस में 1, 32, 546 रिकार्ड हैं, अनिवार्य ग्रंथसूची सूचना रिकार्ड है जिनमें यू आर एल की उपयोगी वेबसाइट है और संस्था डाटाबेस में इन क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 450 संगठनों के बारे में सूचना है ।

• सेवा तथा उत्पाद

केंद्र अपने संसाधन आधार का इस्तेमाल करते हुए सूचना सेवा प्रलेख परिदान सेवा तथा संदर्भ सेवा प्रदान करता है ।

सूचना सेवा

भारतीय तथा विदेशी प्रकाशनों से ग्रंथसूची सेवा निम्नलिखित अनेक तरीकों द्वारा प्रदान की जाती हैं :-

क) साहित्य खोज, इन-हाउस और प्राप्त डाटाबेस पर और/अथवा इंटरनेट पर विशिष्ट आवश्यकतानुसार ।

ख) केंद्र में विद्यमान प्रयोक्ता-रुचि-विवरण के अनुसार सूचना सचेतक सेवा ।

ग) विभिन्न जर्नलों से विषय-सूची पृष्ठ सेवा ।

घ) चुनिंदा और विस्तृत ग्रंथसूची का संकलन ।

निर्देशिका प्रकार की सूचना भी प्रदान की जाती है । वर्ष के दौरान 4637 विद्वानों ने केंद्र की सेवा का उपयोग किया और 1,48,384 संदर्भ मुहैया किए गए । डाटाबेस के अलावा छात्र तथा शिक्षक केंद्र द्वारा प्रदत्त इंटरनेट अभिगम का भी उपयोग कर रहे हैं ।

• प्रलेख परिदान सेवा

- फोटोकापी सेवा,
- अंतर पुस्तकालय आदान-प्रदान, और
- इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख परिदान

फोटोकापी का अनुरोध पूरा करने के लिए केंद्र एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली के अलावा अन्य विभिन्न पुस्तकालयों से फोटोकापी प्राप्त करता है । वर्ष के दौरान 94,439 पृष्ठ मुहैया किए गए ।

• संदर्भ सेवा

इसमें तथ्यात्मक एवं सूचनापरक पूछताछ का उत्तर तथा प्रयोक्ताओं का निर्देशात्मक मार्गदर्शन शामिल है ।

• सहयोग

वर्ष 1998 तथा 2000 के दौरान केंद्र ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सार्वजनिक स्वास्थ्य स्कूल के साथ दक्षिण एशियाई अनुसंधान का डिजिटीकरण करने के लिए सहयोग किया ताकि इसे उनके भूमंडलीय प्रजननात्मक स्वास्थ्य फोरम में शामिल किया जा सके । वर्ष 2000-2001 के दौरान भूमंडलीय प्रजननात्मक स्वास्थ्य फोरम ने दक्षिण एशिया में महिला अध्ययनों के मुख्य द्वार के सृजन के लिए एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय पुस्तकालय, मुंबई तथा महिला और विकास अध्ययन केंद्र, नई

दिल्ली के संयुक्त प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है । इस परियोजना के लिए केंद्र एक संसाधन आधार के तौर पर कार्य करेगा । परियोजना के एक अंग के रूप में सूचक, संस्था ओर वेबसूची डाटाबेस का महिला अध्ययन अनुभाग इंटरनेट पर रख दिया जाएगा ।

• **प्रचार तथा प्रयोक्ता जागरूकता कार्यक्रम**

केंद्र प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रचार करने तथा प्रयोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए सतत प्रयास कर रहा है । प्रयोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें उनकी सूचना विषयक जरूरतों का स्पष्टीकरण किया गया, खोज विवरण तैयार किए गए और उनकी अपनी साहित्य खोज संचालित की गई ।

एस एन डी टी में आयोजित सम्मेलनों/कार्यशालाओं संगोष्ठियों में आने वाले प्रतिनिधियों को केंद्र के ब्रोशर वितरित किए गए । विश्वविद्यालय का दौरा करने वाले अन्य नगरों के छात्रों और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों को केंद्र की गतिविधियों से अवगत कराया गया ।

• **प्रयोक्ता**

प्रयोक्ताओं की बड़ी संख्या उच्च डिग्री वाले छात्र हैं । विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा संस्थाओं से जुड़े शिक्षक तथा अनुसंधानकर्ता भी सारे भारत में इस सेवाओं का उपयोग करते हैं । इसके अलावा गैर-सरकारी संगठन, सेवा एजेंसियाँ, व्यापार तथा औद्योगिक घराने एवं मीडिया भी इन सेवाओं का लाभ उठाते हैं ।

• **प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवा**

नए रंगरूटों को मिनिसिस सॉफ्टवेयर तथा विभिन्न डाटाबेसों से परिचित कराया गया । उन्हें कोश का प्रयोग करने, अनुक्रमणिका तैयार करने, ई-मेल तथा इंटरनेट की खोज करने में भी प्रशिक्षित किया गया ।

• **अभ्यागत**

अनेक संकाय सदस्यों, पुस्तकाध्यक्षों एवं छात्रों ने केंद्र का दौरा किया । इसमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :-

1) सरकारी पॉलिटेकनिक, मुंबई
2) विशेष शिक्षा विभाग, एस एन डी टी के बी०एड० तथा एम०एड० के छात्र
3) गृहविज्ञान विभाग, एस एन डी टी के छात्र
4) एस एस पी टी पुस्तकालय विज्ञान, एस एन डी टी के बी०लिस तथा एम०लिस छात्र
5) नगर वाचनालय महाविद्यालय, यवतमाल
6) महिला अध्ययन अनुसंधान केंद्र, एस एन डी टी में वि०अ०आ० द्वारा प्रायोजित महिला अध्ययनों में अंत: शास्त्रीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले ।

• **स्टाफ**

स्टाफ के निम्नलिखित सदस्यों ने विभिन्न गतिविधियों में निम्नलिखित प्रकार से भाग लिया :

कु० मौसमी विश्वास

- महिला अध्ययन अनुसंधान केंद्र, एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय, जुहू परिसर में वि०अ०आ० द्वारा आयोजित महिला अध्ययन में अंत: शास्त्रीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में "अनुसंधान के लिए इंटरनेट का प्रयोग" विषय पर भाषण दिया ।
- अभ्यागतों को केंद्र की सेवाओं से अवगत कराया तथा विभिन्न डाटाबेसों का प्रदर्शन किया ।
- इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्राप्ति विषय पर एस एस पी टी पुस्तकालय विज्ञान स्कूल के एम० लिस छात्रों के लिए प्रायोगिक सत्र का संचालन किया ।

कु० शिल्पा बाने

- एस०एन०डी०टी० महिला विश्वविद्यालय, पुणे में नवंबर 3-4, 2000 को "पुस्तकालय की पुन: इंजीनियरिंग" विषय पर आई एल ए पश्चिमी क्षेत्र सम्मेलन में भाग लिया ।
- कु० अंजलि करेकर तथा कु० सुवर्णा रसाल ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित एम० लिस तथा बी० लिस में अपना नामांकन कराया ।
- स्टाफ के सभी सदस्यों ने अभ्यागतों, छात्रों एवं शिक्षकों के डाटाबेसों के प्रदर्शन में भाग लिया ।

8.3 राष्ट्रीय सुविधा केंद्र

वि०अ०आ० चुनिंदा विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सुविधाओं के तौर पर स्थापित निम्नलिखित केंद्रों की भी सहायता करता है : (सारणी 8.3)

सारणी 8.3 : राष्ट्रीय सुविधा केंद्र और उनका उद्देश्य

क्र० सं०	केंद्र	उद्देश्य
1	पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, मुंबई, 1977	देशी उपस्करों का डिज़ाइन बनाना और विकास करना तथा यंत्रीकरण में स्टाफ प्रशिक्षित करना ।
2	क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, आई० आई० एस० सी०, बंगलौर	उपस्कर का डिज़ाइन तैयार करना और विकास करना तथा यंत्रीकरण में स्टाफ प्रशिक्षित करना ।
3	क्रिस्टल संवृद्धि केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	अनुसंधान करना और ज्ञान का प्रसार करना तथा क्रिस्टल संवृद्धि में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।
4	एम० एस० टी० राडार केंद्र, एस० वी० विश्वविद्यालय, तिरुपति	शिक्षकों को एम० एस० टी०/राडार सुविधा का उपयोग करने योग्य बनाने के लिए वायुमंडलीय गतिकी में अध्ययन ।
5	खगोल भौतिकी में अनुसंधान के लिए पूर्वी केंद्र, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	खगोल भौतिकी में अनुसंधान ।
6	जापाल-रंगपुर वेधशाला, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	विज्ञान अनुसंधान वेधशाला ।
7	विज्ञान शिक्षा तथा संचार केंद्र, नई दिल्ली	विज्ञान को लोकप्रिय बनाना ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय सुविधाओं के तीन केंद्रों को रु०122.00 लाख प्रदान किए गए ।

केंद्रो की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

8.3.1 एम०एस०टी० राडार अनुप्रयोगों के लिए वि०अ०आ०-एस०वी०यू० केंद्र तिरुपति

भारतीय एम एस टी राडार की स्थापना मध्य वायुमंडलीय गतिकी में अनुसंधान हेतु एक प्रमुख राष्ट्रीय सुविधा के रूप में हुई थी । यह अधुनातन यंत्रीकरण है जो वायुमंडलीय भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उत्तम क्षेत्र तथा अवसर प्रदान करता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति में "एम एस टी राडार अनुप्रयोगों के लिए वि०अ०आ० - एस०वी०यू० केंद्र की स्थापना की है । भारत-जापान सहयोग के अंतर्गत एन एम आर एफ में निम्न वायुमंडलीय पवन प्रोफाइलर (एल ए डब्ल्यू पी) लिडार तथा डिस्ड्रोमीटर भी स्थापित किए हैं । केंद्र प्रयोक्त वैज्ञानिकों को परीक्षण तैयार करने में सहायता प्रदान कर रहा है और एम एस टी राडार डाटा का विश्लेषण करने के लिए ऑफ-लाइन डाटा प्रक्रमण सुविधाएँ भी देता है ।

वि०अ०आ० - एस वी यू केंद्र का एक छोटा-सा पुस्तकालय भी है जिसके अच्छे खासे संग्रह में अन्तरिक्ष संबंधी तकनीकी रिपोर्ट तथा पुनर्मुद्रित सामग्री वायुमंडलीय भौतिकी राडार, संचार, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संबंधित विषयों की पुस्तकें हैं ।

यह केंद्र विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के अभ्यागत वैज्ञानिकों तथा छात्रों को आवश्यक साजसामान की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराता है यथा - यात्रा सहायता, फ्लोपियाँ, डाटा कैट्रिजेज, सीडी रोम आदि ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान केंद्र की प्रगति

अन्नाविश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय के 22 संकाय सदस्यों/अनुसंधानकर्ता केंद्र में आए और राष्ट्रीय एम एस टी राडार सुविधा के साथ परीक्षण किए ।

अगस्त-सितंबर 2000 के दौरान जलमंडलीय-वायुमंडलीय विज्ञान संस्थान, नागोपा वेश्वविद्यालय, जापान के सहयोग में एक व्यापक जी पी एस सोंड प्रवर्तन अभियान एस०वी० विश्वविद्यालय तिरुपति और शार केंद्र श्रीहरिकोटा से एक साथ शुरू किया गया । इस अभियान में जापान के प्रो० केनजोनाकामूरा और डॉ० अत्सुशी हिगुची ने भाग लिया ।

भारतीय एम० एस० टी० राडार विषयक तृतीय शीतकालीन स्कूल

एम एस टी राडार अनुप्रयोग के लिए वि अ आ - एस वी यू केंद्र तथा राष्ट्रीय एम एस टी राडार सुविधा द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय एम एस टी राडार विषयक तृतीय शीतकालीन स्कूल 5-9 मार्च, 2001 के दौरान एम वी विश्वविद्यालय, तिरुपति में आयोजित किया गया । इसका उद्देश्य एन एम आर एफ तथा एम वी विश्वविद्यालय में उपलब्ध परीक्षणात्मक सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय वैज्ञानिकों तथा अनुसंधान छात्रों को परिचित कराना था । कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालय, संस्थाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लगभग 75 व्यक्तियों ने भाग लिया ।

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित लेख

एस०वी० विश्वविद्यालय ग्रुप	:	15
प्रयोक्ता वैज्ञानिक	:	10

- **प्रदत्त पीएच॰डी॰ डिग्रियां/प्रस्तुत**

  एम॰ वेंकट रत्नम् कृत "भारतीय एम एस टी राडार का उपयोग करते हुए मेसोफेरिक पवन, तरंग ओर उष्णकटिबंधीय स्टेशन पर प्रक्षोभ" का अध्ययन के लिए वर्ष 2001 में प्रदान की गई ।

  - **शैक्षिक मान्यताएँ**

  - फरवरी, 2001 में प्रो॰ डी॰ नारायण राव ने सर सी॰वी॰ रमन पुरस्कार प्राप्त किया ।
  - वर्ष 2001 में प्रो॰ डी॰ नारायण राव को आंध्र प्रदेश वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया ।

- **एम एस टी राडार, एल ए डब्ल्यू पी तथा लिडार का प्रयोग करते हुए किए गए परीक्षण**

  - एम॰एस॰टी॰ राडार तथा लिडार के प्रयोग द्वारा गुरुत्व तरंग परीक्षण (निम्न तथा उच्च वायुमंडल)
  - एम एस टी राडार प्रेक्षण द्वारा तापमान और आर्द्रता की पुन:प्राप्ति
  - मेसोफेरिक गतिकी का अध्ययन करने के लिए मैसोफेरिक परीक्षण
  - संवहन/अवक्षेपण अभियान
  - जी एस एल वी और पी एस एल वी - सी 3 रॉकेट छोड़ने का अभियान

8.3.2 पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, मुंबई

केंद्र विभिन्न विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केंद्रों (यूसिक्स) के लिए तथा अखिल भारतीय आधार पर यंत्रीकरण केंद्रों के विविधतापूर्ण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की शैक्षिक संस्थाओं के लिए संसाधन केंद्र का काम करता रहा ।

प्रदत्त सेवाएँ	:	प्रशिक्षण और शिक्षा, मरम्मत, यंत्रों का अनुरक्षण एवं अंशांकन, जाँच, यंत्रों का अंशांकन और प्रमाणीकरण, मैकेनिकल कार्यशाला, ऑप्टीकल शॉप तथा काँच धमन सेवाएँ, अनुसंधान और विकास, परियोजनाएँ और परामर्श सेवा, पी॰सी॰ तथा प्रिंटर अनुरक्षण, परिष्कृत विश्लेषणात्मक मापन सेवाएँ, प्रलेखीकरण तथा सूचना ।
मरम्मत किए गए यंत्रों की संख्या	:	210
अंशांकित यंत्रों की संख्या	:	111
यंत्रात्मक (नमूना) विश्लेषण सेवाएँ	:	99 पीसी, 39 मुद्रक 12 वोल्टता स्थापीभारी
अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	:	10 (भाग लेने वालों की कुल संख्या - 289) पुरुष : 225 महिला : 64

लाए गए प्रमुख उपस्कर	:	टी सी 200सी एन सी खराद मशीन, टर्बो 200 सूक्ष्म संसाधित्र नियंत्रित पेनल 7.5 टी आर ए सी यूनिट बायोविस प्रतिबिंब प्रयोगशाला प्रतिबिंब प्रक्रमण उपकरण किट
पुस्तकालय में आई नवीन पुस्तकें	:	76

कतिपय परियोजनाएँ :

1. 48 वी/2000 वाट संधारण की उच्च आवृत्ति पी डब्ल्यू एम माडुलित एस एम पी एस का डिजाइन और विकास (वि॰अ॰आ॰ द्वारा प्रायोजित) - पूर्ण
2. 450 वाट तक के जीनान लैम्पों के लिए ज्वलन शक्ति आपूर्ति का डिज़ाइन और विकास (वि॰अ॰आ॰ द्वारा प्रायोजित) - चल रही है ।
3. सोडियम क्लोराइड ऐरोसॉल और ज्वाला प्रकाशमापीय तकनीक का उपयोग करते हुए ब्रिटिश मानक के अनुसार श्वसित्र/आवरण जाँच के लिए उपकरण का डिज़ाइन और विकास (उद्योग द्वारा प्रायोजित) - चालू
4. सात खंड प्रदर्शन और स्तंभ ग्राफ सुविधा के साथ हस्तधृत स्पंद ऑक्सीमीटर का डिज़ाइन (उद्योग द्वारा प्रायोजित) - चालू
5. चेतना/सतर्कता स्तर अनुवीक्षण यंत्र का विकास (उद्योग द्वारा प्रायोजित) - चालू
6. पी सी आधारित स्व-अनुमापी प्रकाश मापीय माड्यूल का विकास - पूर्ण
7. ट्रेड मार्क की ग्राफिक मात्रा का वर्गीकरण/कंप्यूटरीकृत डाटाबेस की तैयारी (ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित) - पूर्ण

9 भारतीय संस्कृति, विरासत और मूल्यों का संवर्धन तथा परिरक्षण

9.1 समाज-चिंतकों पर विशेष अध्ययन

(क) गांधी अध्ययन

इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में गांधी अध्ययन केंद्र स्थापित करने और शिक्षकों और छात्रों को महात्मा गांधी के विचारों से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने हेतु शत- प्रतिशत आधार पर सहायता उपलब्ध कराता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 9वीं योजना अवधि के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 14 विश्वविद्यालयों में गांधी अध्ययन केंद्र स्थापित किए हैं । वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रत्येक केंद्र को पहली किस्त के रूप में रू॰ 4.87 लाख की राशि जारी की गई ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन सभी केंद्रों को बंद कर दिया है जिनकी स्थापना को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं । नए केंद्रों से यह अनुरोध किया गया है कि वे वर्ष 1999-2000 की गतिविधियों से संबंधित अपनी रिपोर्टें भेजे और उनके साथ वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रदत्त अनुदान के संबंध में लेखा-विवरण तथा उपयोग प्रमाण-पत्र भी भेजें जो सक्षम प्राधिकारी/सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो ।

(ख) बौद्ध अध्ययन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चुनिंदा विश्वविद्यालयों को बौद्ध अध्ययनों के संवर्धनार्थ योजनागत आबंटन के अतिरिक्त 100 प्रतिशत आधार पर सहायता उपलब्ध कराता रहा है । 9वीं योजना के लिए नए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा एम एल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में बौद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित कर दिए हैं ।

गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय को रू॰3.30 लाख का अनुदान जारी किया गया । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन सभी केंद्रों को बंद कर दिया जिनकी स्थापना 9वीं योजना से पहले की गई थी और जिन्होंने 5 वर्ष पूरे कर लिए थे । केंद्रों से अनुरोध किया गया है कि वे वर्ष 1999-2000 की अपनी गतिविधियों की रिपोर्टें भेजें और उनके साथ पहले से प्रदत्त अनुदान के संबंध में लेखा-विवरण तथा उपयोग प्रमाण-पत्र भी भेजें ।

(ग) नेहरू अध्ययन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह तय किया है कि जो विश्वविद्यालय गांधी अध्ययनों पर कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं वे अपने कार्यक्रमों में नेहरू अध्ययनों को भी शामिल कर सकते हैं ताकि आधार-संरचना का विस्तार न हो । तदनुसार, जिन विश्वविद्यालयों में गांधी अध्ययन केंद्र स्थित हैं वे नेहरू अध्ययन कार्यक्रम भी संचालित कर रहे हैं । इसका उद्देश्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नेहरू दर्शन एवं दृष्टिकोण तथा उनके विचारों की प्रासंगिकता का ज्ञान कराना है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेहरू अध्ययन कार्यक्रमों के लिए भी शत-प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान करता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन सभी पुराने केंद्रों को बंद कर दिया जिनकी स्थापना 9वीं योजना अवधि से पहले की गई थी । 9वीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में नेहरू अध्ययन केंद्र स्थापित किए । वर्ष 2000-2001 के दौरान इनमें से प्रत्येक विश्वविद्यालय को रु०3.30 लाख का अनुदान जारी किया गया ताकि वे अपनी गतिविधियाँ संपन्न कर सकें । उनसे यह अनुरोध भी किया गया कि वे किए गए कार्य की अपनी रिपोर्टें भेजें और उनके साथ पहले से प्रदत्त अनुदानों से संबंधित लेखा-विवरण भी भेजें ।

(घ) अम्बेडकर अध्ययन

9वीं योजना के दौरान शुरू की गई नई अंबेडकर अध्ययन योजना के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुबेम्पू, कुरुक्षेत्र, जादवपुर तथा बंगलौर विश्वविद्यालयों में अम्बेडकर अध्ययन केंद्रों की स्थापना की और 1999-2000 के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय को रु०3.30 की राशि जारी की । आलोच्य वर्ष के दौरान इन विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने द्वारा शुरू की गई गतिविधियों की रिपोर्ट भेजें और उसके साथ पहले से प्रदत्त अनुदान के संबंध में लेखा-विवरण तथा उपयोग प्रमाण-पत्र भी भेजें ।

(ड.) स्थापित किए गए नए केंद्र

अध्ययन केंद्रों के अतिरिक्त आयोग ने 21.9.99 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि गांधी, नेहरू, अम्बेडकर तथा बुद्ध के नाम पर पहले से विद्यमान केंद्रों को छोड़कर उत्कृष्ट व्यक्तियों के नाम पर अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाए । इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी लिया गया कि निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम पर अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की लिए कहा जाए :

- नेताजी सुभाष चंद्र बोस
- पंडित मदनमोहन मालवीय
- डॉ० एस० राधाकृष्णान्
- स्वामी विवेकानंद
- डॉ० जाकिर हुसैन
- रबींद्रनाथ टैगोर
- श्री अरबिंद
- डॉ० बल्लभ भाई पटेल
- भारत का कोई भी अन्य उत्कृष्ट व्यक्ति

तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विभिन्न उत्कृष्ट व्यक्तियों पर अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए 31 प्रस्ताव प्राप्त हुए । आयोग ने स्थायी समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया ।

	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापित किया गया केंद्र
1.	महिलाओं के लिए गृह-विज्ञान तथा उच्च शिक्षा के लिए अविनाशीलिंगम् संस्थान, कोयम्बत्तूर	स्वामी विवेकानंद
2.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	स्वामी विवेकानंद
3.	गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर	स्वामी विवेकानंद
4.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	स्वामी विवेकानंद
5.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता	रवींद्रनाथ टैगोर
6.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	डॉ० जाकिर हुसैन
7.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	डॉ० जाकिर हुसैन
8.	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	पंडित मदन मोहन मालवीय
9.	रवींद्र भारती विश्वविद्यालय, कलकत्ता	डॉ० एस० राधाकृष्णान्

अनुमोदित केंद्रों से योजना की शर्तों की स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रत्येक विश्वविद्यालय को रु०4.60 लाख का अनुदान प्रदान किया गया । ये केंद्र स्थापना की तारीख से पाँच वर्ष के लिए सहायता प्राप्त करने के पात्र थे ।

9.2 मूल्यपरक शिक्षा

इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर कालेजों में मूल्यपरक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है । मूल्यशिक्षा को विभिन्न नियमित पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में शामिल किया गया है लेकिन योजना के अधीन एक औपचारिक पाठ्यक्रम के रूप में शुरू करने के लिए इसे कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है । मूल्यपरक शिक्षा पाठ्यक्रम को पूर्व-स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन योजना के अधीन एक आधार पाठ्यक्रम के रूप में भी शामिल किया गया है । इस योजना के अधीन किसी नियत अवधि अर्थात् परियोजना के रूप में कार्यान्वित किए जाने वाले दो या तीन वर्षों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है । परियोजना को केवल 5.00 लाख की सहायता उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष 2000-2001 के दौरान किसी भी विश्वविद्यालय से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ अत: कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

9.3 मानव अधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा

9वीं योजना अवधि के दौरान मानव अधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा की योजना कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के अधीन आयोग दो वर्षीय एल एल एम/एम ए पाठ्यक्रम, एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, 3 से 4 मास का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करने और मानव अधिकार एवं कर्तव्य शिक्षा पर संगोष्ठियाँ, परिसंवाद तथा कार्यशालाएँ आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान जिन संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए संस्तुत किया गया उनकी संख्या इस प्रकार है :-

क्र०सं०	प्रयोजन		संस्थाओं की संख्या
1.	मानव अधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा में दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	-	एक विश्वविद्यालय
2.	मानव अधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	-	एक विश्वविद्यालय
3.	मानव अधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	-	तीन विश्वविद्यालय
4.	संगोष्ठी	-	तीन कालेज
5.	परिसंवाद	-	एक कालेज

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान मानव अधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा योजना के अधीन विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को रु०5.73 लाख की राशि प्रदान की गई ।

माननीय जस्टिस वी० एस० मालिमथ की अध्यक्षता में पाठ्यचर्या विकास समिति (सीडीसी) का गठन किया गया जिसका उद्देश्य मानव अधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा में स्नातरोत्तर डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम तथा पूर्व-स्नातक स्तर पर आधार पाठ्यक्रम के लिए माडल पाठ्यचर्चा का विकास करना था कार्य जारी है।

10 इंजीनियरी तथा तकनीकी, प्रबंध तथा कंप्यूटर शिक्षा का विकास

10.1 इंजीनियरी तथा तकनीकी शिक्षा का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इंजीनियरी और वित्तीय शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी विभागों को निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है :-

- इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के अधीन विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान ।
- उदीयमान क्षेत्रों में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता ।
- एम०ई०/एम०टेक छात्रों तथा जे आर एफ/एस आर एफ के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति ।
- प्रबंध अध्ययन ।
- अनुमोदित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य/समविश्वविद्यालयों को अनुदान ।
- तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए महिला विश्वविद्यालयों को अनुदान ।

(क) विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान

विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग 11 प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालयों और 25 राज्य/केंद्रीय/समविश्वविद्यालयों को जिनमें इंजीनियरी विभाग हैं, निम्नलिखित मदों के लिए विकास सहायता उपलब्ध कराता है : (i) स्टाफ, (ii) भवन, (iii) उपस्कर, (iv) पुस्तकें तथा जर्नल (v) अन्य ।

आयोग ने 9वीं योजना अवधि के लिए रु० 6757.33 लाख की राशि आबंटित की है । वर्ष 2000-2001 के दौरान, आयोग ने इन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को विकास सहायता के रूप में रु० 986.04 लाख का अनुदान जारी किया ।

(ख) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के अधीन नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम०ई०/एम०टेक शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के अधीन उदीयमान क्षेत्रों में नए एम०ई०/एम०टेक० पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । प्राप्त किए गए प्रस्तावों की छानबीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक विशेषज्ञ समिति करती है और उन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को तकनीकी अनुमोदन के लिए अग्रेषित करती है । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदन के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय को अपना अंतिम अनुमोदन प्रदान करता है और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती मदों के अधीन रु० 50.00 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । 9वीं योजना अवधि के दौरान वर्ष 1999 में आयोग ने सात विश्वविद्यालयों के लिए 11 पाठ्यक्रम अनुमोदित किए ।

(ग) इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के अधीन अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ/स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना

आयोग एम०ई०/एम०टेक० पाठ्यक्रमों में भर्ती किए गए छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध करता है । उसका उद्देश्य स्नातक छात्रों की सहायता करना है ताकि वे उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें । आयोग पीएच०डी० करने के लिए जे आर एफ/एस आर एफ भी उपलब्ध कराता है । एम०ई०/एम०टेक० में दाखिल किए गए 'गेट' उत्तीर्ण छात्रों को 18 महीने के लिए रु० 2,500/- प्र०मा० की स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति तथा रु० 3,000/- प्र०व० आकस्मिक अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2000-2001 के दौरान स्नातकोत्तर स्कॉलरों के लिए रु० 639.64 लाख और जे आर एफ/एस आर एफ के लिए रु० 67.28 लाख की राशि जारी की गई । प्रति वर्ष छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 800 है ।

(घ) विशिष्ट प्रयोजन के लिए राज्य/समविश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान

आयोग चार राज्य विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों यथा - अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची, रुड़की विश्वविद्यालय [(क) डब्लू आर डी टी सी (ख) भूकंप इंजीनियरी विभाग] को योजनेतर अनुदान उपलब्ध कराता है । यह अनुदान उन्हें स्टाफ (सहायक स्टाफ), छात्रवृत्ति, आकस्मिकता और पुस्तकालय तथा अनुमोदित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए विशिष्ट मदों पर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है, जैसा अनुदान प्रदान करने के प्रयोजन से वि०अ०आ० को इन विश्वविद्यालयों के अंतरण के समय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । वर्ष 2000-2001 के दौरान आयोग ने इन विश्वविद्यालयों को रु० 359.24 लाख की राशि जारी की ।

10.2 प्रबंध अध्ययनों का विकास (एम बी ए कार्यक्रम)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को प्रबंध अध्ययनों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन किए जाने के बाद एम बी ए कार्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । कार्यक्रम को लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए आवर्ती तथा अनावर्ती मदों के अधीन एम बीं ए कार्यक्रम शुरू करने के लिए रु० 58.00 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । आयोग योजना को जारी रखने/पहले से विद्यमान एम बी ए कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । 9वीं योजना अवधि के दौरान आयोग ने उपर्युक्त प्रयोजन के लिए रु० 7.00 लाख का पैकेज अनुमोदित किया है ।

आयोग ने अब तक 67 विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है जिन्होंने एम बी ए कार्यक्रम के लिए पहले से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता प्राप्त कर रखी है ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान एम बी ए कार्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालयों को रु० 198.70 लाख की राशि जारी की गई ।

10.3 कंप्यूटर शिक्षा का विकास तथा कंप्यूटर सुविधाओं का उन्नयन/वृद्धि

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कंप्यूटर शिक्षा के विकास तथा कंप्यूटर सुविधाओं के उन्नयन/वृद्धि के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता प्रदान करता रहा है । इसके लिए उसने 9वीं योजना के दौरान निम्नलिखित योजनाएँ/कार्यक्रम कार्यान्वित किए :-

- विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर केंद्रों की स्थापना
- कंप्यूटर जन-शक्ति विकास पाठ्यक्रम
- स्नातकोत्तर स्तर पर कंप्यूटर अनुप्रयोग पेपर शुरू करना
- कंप्यूटर विज्ञान विभागों के लिए कंप्यूटर सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान
- कंप्यूटर जानकारी के लिए कालेज शिक्षकों का प्रशिक्षण
- कालेज विकास परिषदों (सीडीएस) के कार्यालयों को सहायता

- कंप्यूटर सुविधाओं के लिए अकादमिक स्टाफ कालेजों (एएससी) को सहायता
- कालेजों में कंप्यूटर सुविधाओं का सृजन

(क) विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर केंद्रों की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कंप्यूटर केंद्रों की स्थापना करने तथा इन केंद्रों में कंप्यूटर युविधाओं के उन्नयन/वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करता रहा है ताकि अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, प्रत्येक क्षेत्र/विषय, परीक्षा, प्रशासन संबंधी कार्य आदि में कंप्यूटरों का प्रयोग किया जा सके ।

आयोग ने 31.3.2001 तक 130 विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालय संस्थाओं में कंप्यूटर केंद्र स्थापित करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान इन विश्वविद्यालयों के वर्तमान कंप्यूटर केंद्रों में कंप्यूटर सुविधाओं के उन्नयन के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा निम्नलिखित आठ विश्वविद्यालयों का अनुमोदन किया गया :-

(रु० लाख में)

क्र०सं०	विश्वविद्यालय	अनुमोदित अनुदान	जारी किया गया अनुदान
1.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची	50.00	30.00
2.	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	12.00	9.60
3.	डॉ० हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	25.30	20.00
4.	गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	12.00	9.60
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	15.00	12.00
6.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	25.00	20.00
7.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	25.00	20.00
8.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	12.00	9.60
	जोड़	**176.30**	**130.80**

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 23 कंप्यूटर केंद्रों की स्थापना और उन्नयन के लिए रु० 189.93 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया गया ।

(ख) कंप्यूटर जन-शक्ति विकास पाठ्यक्रम

कंप्यूटर के क्षेत्र में मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को कंप्यूटर अनुप्रयोग मास्टर (एम सी ए), कंप्यूटर विज्ञान में एम० एमसी०, कंप्यूटर विज्ञान में एम०टेक/एम०ई० जैसे पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराता रहा है ।

31.3.2001 तक कंप्यूटर विज्ञान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायताप्रदत्त विश्वविद्यालयों की संख्या सारणी 10.1 में दी गई है :-

सारणी 10.1

कंप्यूटर पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए
सहायताप्रदत्त विश्वविद्यालयों की संख्या

पाठ्यक्रम	31.03.2001 तक सहायताप्रदत्त विश्वविद्यालयों की संख्या
एम०सी०ए०/एम०एससी० (कंप्यूटर विज्ञान)	67
बी०टेक०/बी०ई० (कंप्यूटर विज्ञान)	10
एम०टेक०/एम०ई० (कंप्यूटर विज्ञान)	07

गत पाँच वर्षों के दौरान इन पाठ्यक्रमों के लिए सहायताप्रदत्त विश्वविद्यालयों की वर्षवार संख्या सारणी 10.2 में दी गई है :-

सारणी 10.2

सहायताप्रदत्त विश्वविद्यालयों की संख्या

अवधि	एम०सी०ए०/ एम०एससी० (कंप्यूटर विज्ञान)	बी०टेक०/ बी०ई०	एम०टेक/ एम०ई०
31.03.1997 तक	59	10	07
31.03.1998 तक	63	10	07
31.03.1999 तक	67	10	07
31.03.2000 तक	67	10	07
31.03.2001 तक	67	10	07

वर्ष 2000-2001 के दौरान कंप्यूटर पाठ्यक्रम शुरू करने और उनके संचालन के लिए रु०30.32 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

(ग) स्नातकोत्तर स्तर पर कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रश्न-पत्र (पेपर)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातकोत्तर स्तर पर उन विषयों में जिनमें कंप्यूटरों का अनुप्रयोग परम आवश्यक हो गया है एक अतिरिक्त प्रश्न-पत्र (पेपर) शुरू करने के लिए 1992-93 से विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है । शुरूआती तौर पर आठ विषयों यथा-भौतिकी, रसाय गणित, सांख्यिकी, भू-विज्ञान, अर्थशास्त्र, पुस्तकालय विज्ञान तथा वाणिज्य का पता लगाया गया था ।

तथापि, वर्ष 1996-97 के दौरान आयोग ने यह निर्णय लिया कि अभिज्ञात आठ विषयों के स्थान पर सभी संगत विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रश्न-पत्र (पेपर) शुरू किया जाए । इस योजना के अधीन अनुदान के लिए आवेदन करते समय इन प्रश्न-पत्रों का विहित पाठ्यविवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत करना होगा ।

इस योजना के अधीन कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय (प्रत्येक) को रु० 8.00 लाख का अनावर्ती अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । इसके अतिरिक्त, चुनिंदा विश्वविद्यालयों को लेखन सामग्री, उपभोज्य वस्तुओं, शिक्षकों, सहायकों आदि को मानदेय के रूप में आकस्मिक व्यय के लिए प्रथम वर्ष के दौरान रु० 1.00 लाख तथा अगले चार वर्षों के लिए रु० 1.50 लाख लाख प्र०व० का आवर्ती अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है । विश्वविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर कालेजों को उपर्युक्त सहायता कम से कम तीन स्नातकोत्तर विभागों के लिए उपलब्ध कराई जाती है । लेकिन यदि योजना का कार्यान्वयन अकेले स्नातकोत्तर विभाग के लिए किया जाता है तो अनावर्ती अनुदान के रूप में सहायता की सीमा केवल रु० 3.00 लाख होगी ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान आयोग ने एम०डी० विश्वविद्यालय, रोहतक के लिए सहायता का अनुमोदन किया ।

इस प्रकार 31.3.2001 तक सहायता प्रदान विश्वविद्यालयों/स्नातकोत्तर कालेजों की कुल संख्या बढ़कर 28 (तीन या अधिक विभागों के लिए 25 तथा एकल विभागों के लिए 3) हो गई और इस कार्यक्रम के अधीन सात विश्वविद्यालयों को रु० 28.92 लाख की राशि जारी की गई ।

(घ) कंप्यूटर विज्ञान विभागों के लिए कंप्यूटर प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान

आयोग 1998-99 से एम सी ए/एम० एससी० (कंप्यूटर विज्ञान) पाठ्यक्रमों को चलाने हेतु कंप्यूटर प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान विभागों को सहायता उपलब्ध करा रहा है । इस योजना के अधीन प्रत्येक विश्वविद्यालय को रु० 10 लाख तक का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है । 31.3.2001 तक इस योजना के तहत 39 विश्वविद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराया गया था । वित्तीय वर्ष के दौरान बर्दवान विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और उसको अनुमोदित अनुदान की रु० 10.00 लाख की राशि से रु० 8.00 लाख की राशि जारी की गई । कंप्यूटर प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए 10 विश्वविद्यालयों को कुल रु० 20.95 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

(ङ) कंप्यूटर जानकारी के लिए कालेज शिक्षकों का प्रशिक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 1993-94 से उन कालेजों को जिनको वि०अ०आ० से सहायता प्राप्त हुई है, कंप्यूटर खरीदने के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक योजना चला रहा है । इन कालेजों के निकट स्थित विश्वविद्यालयों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है ।

2000-2001 के अंत तक आयोग ने 135 प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदित किए । औसतन एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 कालेजों के लिए होता है और प्रत्येक कालेज से यह आशा की जाती है कि वह प्रशिक्षण के लिए दो प्रतिभागी नियुक्त करेगा । वर्ष 2000-2001 के दौरान कोई भी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदित नहीं किया गया । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहले अनुमोदित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए रु० 0.02 लाख की राशि जारी की गई ।

(च) कालेज विकास परिषदों के कार्यालयों को सहायता

वर्ष 1988-99 के दौरान आयोग ने कालेज विकास परिषदों के सभी कार्यालयों को रु० 1 लाख की कंप्यूटर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालयों की कालेज विकास परिषदों को सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया । आयोग ने 1999-2000 तक इस योजना के अधीन कालेज विकास परिषद के कार्यालयों के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर, प्रिंटर तथा संगत सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए 64 विश्वविद्यालयों को सहायता उपलब्ध कराई । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नया अनुमोदन नहीं किया गया और पहले से अनुमोदित विश्वविद्यालयों के सी डी सी कार्यालयों को रु० 0.66 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया गया ।

(छ) कंप्यूटर सुविधाओं के लिए अकादमिक स्टाफ कालेजों को सहायता

वर्ष 1999-2000 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कंप्यूटर सुविधाएँ सृजित करने के लिए प्रत्येक अकादमिक स्टाफ कालेज को रु० 1.25 लाख का अनावर्ती अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया । इन सुविधाओं का प्रयोग विभिन्न विषयों मे कंप्यूटर के अनुप्रयोग से संबंधित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा अभिविन्यास कार्यक्रम संचालित करने के लिए किया जाएगा । अकादमिक स्टाफ कालेजों से यह आशा की जाती है कि वे इन सुविधाओं का उपयोग अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए भी करेंगे । वर्ष 1999-2000 के दौरान आयोग ने इस योजना के अधीन कुल 50 अकादमिक स्टाफ कालेजों को सहायता प्रदान की । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अधीन कोई नया अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया और इस कार्यक्रम के तहत चार विश्वविद्यालयों को रु० 0.93 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान आयोग ने उपर्युक्त योजनाओं (क से छ) के अधीन विश्वविद्यालयों को कुल रु० 271.23 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया ।

10.4 कालेजों में कंप्यूटर सुविधाएँ

आयोग कालेजों को वैयक्तिक कंप्यूटर, प्रिंटर, सी वी टी तथा संगत प्रणाली और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है ।

इस योजना का उद्देश्य प्रशासन, वित्त, परीक्षा और अनुसंधान में कंप्यूटरों के प्रयोग के बारे में छात्रों और शिक्षकों/स्टाफ में जागरूकता पैदा करना है । वर्ष 2000-2001 के दौरान आयोग ने पहली बार 165 कालेजों तथा दूसरी बार 462 कालेजों के लिए रु० 1.25 लाख का अनुदान अनुमोदित किया । आयोग ने इस योजना के अधीन अब तक पहली बार 3569 कालेजों और दूसरी बार 650 कालेजों के लिए सहायता का अनुमोदन किया जिसका विवरण सारणी 10.3 में दिया गया है :-

सारणी : 10.3
31.3.2001 तक कंप्यूटर सुविधाओं के लिए सहायता
प्रदत्त कालेजों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.03.2001 तक सहायताप्रदत्त कालेजों की संख्या	
	पहली बार	दूसरी बार
आंध्र प्रदेश	299	48
अरुणाचल प्रदेश	3	–
असम	107	8
बिहार/झारखंड	172	7
दिल्ली	60	17
गोवा	9	2
गुजरात/दमन/दीव	228	40
हरयाणा	120	39
हिमाचल प्रदेश	36	14
जम्मू और कश्मीर	27	5
कर्नाटक	265	31
केरल	163	65
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	264	31
महाराष्ट्र	461	111
मणिपुर	38	--
मेघालय/नागालैंड/मिज़ोरम	14	--
उड़ीसा	182	16
पांडिचेरी	8	1
पंजाब/चंडीगढ़	196	77
राजस्थान	135	19
तमिलनाडु	205	68
त्रिपुरा	5	--
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	282	26
पश्चिम बंगाल	290	25
अखिल भारत जोड़	**3569**	**650**

वर्ष 2000-2001 के दौरान आयोग ने उपर्युक्त योजना के अधीन अनुमोदित कालेजों को कुल रु॰ 700.16 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया ।

11 शिक्षा प्रसार (आउटरीच) गतिविधियाँ

11.1 प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार (फील्ड आउटरीच)

9वीं योजना अवधि के दौरान प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार (आउटरीच) के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में शुरू में 85 विश्वविद्यालयों को संबद्ध किया गया था । इन विश्वविद्यालयों में स्थापित किए गए प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार विभागों/केंद्रों की निधि व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता हैं । ये संस्थाएँ जो छात्रों और शिक्षकों को शामिल करती हैं, साक्षरता, पश्च-साक्षरता, अनुवर्ती शिक्षा, जनसाधारण के लिए विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, विधिक साक्षरता तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करती रही हैं ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों को कुल रु॰ 212.66 लाख का अनुदान मंजूर किया गया ।

9वीं योजना से पूर्व विभागों को प्रदत्त अनुदानों के लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए विशेष नोडल विश्वविद्यालय बैठकें आयोजित की गईं । विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से अपेक्षित प्रलेख प्राप्त होने पर पुराने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों अर्थात् 16 सूत्री कार्यक्रम (1.4.83 से 31.3.89), क्षेत्र-आधारित नीति कार्यक्रम (1.4.89 से 30.6.92) तथा संपूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम (1.7.92 से 31.3.97) के लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा । शेष उन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को जिन्होंने अपेक्षित प्रलेख नहीं भेजे हैं स्मरण कराया जा रहा है कि वे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करें ।

आयोग 1990 और 1997 से क्रमशः भारत ज्ञान विज्ञान समिति (बी जी वी एस) तथा भारत जन विज्ञान जत्था (बी जे वी जे) में काम करने के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजों के शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्त करता रहा है । वर्ष 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्णकालिक आधार पर बी जी वी एस को तीन शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ प्रदान कीं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा नियुक्त किए गए एवजी शिक्षकों का वेतन प्रदान करता रहा है ।

11.2 उच्च शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या तथा विकास शिक्षा पर यू जी सी - यू एन एफ पी ए परियोजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1983 से विश्वविद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के संवर्धनार्थ विश्वविद्यालयों और कालेजों की सहायता करता रहा है । कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कालेजों के युवकों को और उनके माध्यम से समुदाय को जीवन की गुणवत्ता, लैंगिक समानता, प्रजनन स्वास्थ्य, एड्स, समाज और राष्ट्र पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव आदि से संबंधित समस्याओं का स्पष्ट ज्ञान कराना है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जनसंख्या गतिविधियों के लिए राष्ट्र संघ कोष (यू एन एफ पी ए) के साथ शुरू की गई संयुक्त परियोजना के रूप में चुनिंदा विश्वविद्यालयों में 17 जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्र (पी ई आर सी) स्थापित किए हैं । ये केंद्र विश्वविद्यालयों को तकनीकी सहायता और पाठ्यचर्या विकास, शिक्षण एवं अधिगम सामग्री से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए संसाधन सहायता भी उपलब्ध कराते हैं ।

तीसरे चरण के परियोजना करार के अनुसार यू एन एफ पी ए इस परियोजना के अधीन विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए निधियाँ उपलब्ध कराता है । भारत सरकार पी ई यू, यू जी सी तथा जन संख्या शिक्षा संसाधन केंद्र (पी ई आर सी) में नियोजित स्टाफ के वेतन, आधार-संरचनात्मक सुविधाओं, उपस्कर की व्यवस्था तथा अन्य विविध व्यय के लिए अंशदान करेगा । परियोजना के वर्तमान चरण में यह प्रस्ताव किया गया

है कि इस परियोजना को जारी रखा जाए और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण, किशोर शिक्षा तथा सुधरी प्रबंध-प्रणालियों पर जोर दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन काहिरा (1994) के अनुरूप उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें ।

पी ई आर सी का क्षमता निर्माण किया जा रहा है और उनको मजबूत बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है ताकि वे अपने कार्यक्रम और प्रशिक्षण क्षमता को सुदृढ़ कर सकें । यह कार्य संपर्क विकास, कार्यशालाओं, विनिमय कार्यक्रमों,अनुसंधान सामग्री तथा प्रकाशनों के माध्यम से किया जा रहा है ।

तीसरे चरण में सोलह जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों में उपबोधन सेवाएँ सफलतापूर्वक चल रही थीं । इस सेवा के माध्यम से अर्हताप्राप्त डॉक्टर और उपबोधक एड्स, मादक द्रव्यों के सेवन तथा अन्य संबद्ध मामलों में विश्वविद्यालय और कालेज छात्रों को जानकारी उपलब्ध कराते हैं ।

कालेज के छात्रों में जिम्मेदार व्यवहार का विकास करने के लिए पर्याप्त सेवा उपलब्ध कराने हेतु टेलीफोन उपबोधकों को प्रशिक्षित कर दिया गया है । क्षमता का निर्माण सामग्री सहायता, व्यवसायियों के साथ संपर्क, यू एन संगठनों के माध्यम से किया गया है । विभिन्न जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों (पी ई आर सी एस) के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं ।

अप्रैल, 2000 में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई में परियोजना कार्यकर्ताओं के लिए सहभागी प्रशिक्षण कार्यविधि पर एक कार्यशाला आयोजित की गई ।

जनसंख्या विकास शिक्षा के संस्थाकरण हेतु सहायक वातावरण सृजित करने के लिए निर्णय लेने वालों, कुलपतियों, कालेज के प्रिंसिपलों आदि के वास्ते पक्ष-समर्थन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है ।

उच्च शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या तथा विकास शिक्षा में सुधार करने के हेतु अनुसंधान आधार को मजबूत बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा यू एन एफ पी ए ने नवंबर, 1999 में संयुक्त रूप से एक अंतरा-क्षेत्रक परामर्शी बैठक आयोजित की । दूसरे चरण में किए गए अनुसंधान की समीक्षा की गई ताकि बैठक में अनुसंधान की कमियों का पता लगाया जा सके । अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में चुनिंदा पी ई आर सी द्वारा परामर्श अनुसंधान किया जा रहा है जिसमें आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्यविधि तथा कार्यक्रम के प्रभाव पर जोर दिया गया है ।

अंतरा-क्षेत्रक समन्वय के रूप में सरकारी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, अभिमत नेताओं आदि तथा यूनेस्को, यूनिसेफ और हू के साथ लिंक तथा नेटवर्किंग स्थापित कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रकों यथा - विद्यालय एवं प्रौढ़ शिक्षा के साथ - राज्य स्तरीय समन्वय समितियाँ गठित कर दी गई हैं ।

सामग्री विकास तीसरे चरण की एक विशेष गतिविधि है । सामग्री का विकास प्रणोद क्षेत्रों यथा - प्रजनन स्वास्थ्य, एड्स, किशोर शिक्षा, दीर्धकालीन विकास लैंगिक समानता, मादक पदार्थों का सेवन आदि पर प्रभावी मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है । ग्रंथ सूचियों का विकास तथा अनुसंधान निष्कर्षों की समीक्षा फिलहाल प्रणोद क्षेत्रों के चुनिंदा जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों (पी ई आर सी) द्वारा तैयार की जा रही है ।

परियोजना के परिवीक्षण और मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए जनसंख्या तथा विकास शिक्षा पर जनवरी 2001 में सलाहकार समिति के साथ सभी जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों (पी ई आर सी) के निदेशकों की संयुक्त रूप से परियोजना प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं । इसका उद्देश्य परियोजना की उपलब्धियों की अच्छी जानकारी तथा उसके सबल एवं दुर्बल पक्ष का मूल्यांकन उपलब्ध कराना था । विभिन्न जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों (पी ई आर सी) द्वारा प्रस्तुत की गई वर्ष 2001 की कार्य योजनाओं की संवीक्षा की गई और आवश्यक अनुमोदन के पश्चात् अनुदान जारी किए गए ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान इस कार्यक्रम अधीन जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों में काम करने वाले स्टाफ के वेतन के लिए रु०7.00 लाख और परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए रु० 39.26 लाख की राशि प्रदान की गई ।

12 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों, समाज के सुविधावंचित वर्गों तथा भिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ

12.1 विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सेलों की स्थापना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि दाखिले, शिक्षण तथा शिक्षणेतर पदों पर भर्ती के हेतु स्टाफ क्वार्टर, होस्टलों, अध्येतावृत्तियों आदि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाता है, आयोग विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों को अ० जा०/अ० ज० जा० सेल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है । सेल में स्टाफ पदों के हेतु पाँच वर्ष के लिए सहायता उपलब्ध की जा सकती है बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर या योजना के अंत में जब सहायता दिया जाना बंद हो जाता है, इनमें जो भी पहले हो, दायित्व लेने का आश्वासन दे दे ।

31.3.2001 को विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम कर रहे अ०जा०/अ०ज०जा० के सेलों की संख्या 107 थी । इनमें तीन वे सेल भी शामिल हैं जिनकी स्थापना तीन विश्वविद्यालयों यथा-तेजपुर, कश्मीर तथा नार्थ गुजरात विश्वविद्यालयों में आलोच्य वर्ष के दौरान की गई थी ।

12.2 अ० जा०/ अ० ज० जा० के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण

पूर्व-स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अ० ज०/अ० ज० जा० के छात्रों के अकादमिक कौशल तथा भाषाई योग्यता में सुधार करने तथा उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में 1994 में उपचारी शिक्षण योजना शुरू की । 9वीं योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार यह सहायता पाँच वर्ष की अवधि के लिए शत-प्रतिशत आधार पर उपलब्ध है । लेकिन पहली बार में यह सहायता तीन वर्ष के लिए दी जाती है । समीक्षा कार्य तीसरे वर्ष के अंत में किया जाएगा । यदि योजना का कार्य संतोषजनक पाया गया तो योजना की अवधि को आगे दो वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाएगा ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 48 नई संस्थाओं का चयन किया गया । समीक्षा समिति ने वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान चुनी गई संस्थाओं में 202 संस्थाओं की समीक्षा की और यह सिफारिश की कि केवल 24 संस्थाओं की अवधि अगले दो वर्ष के लिए बढ़ाई जाए । वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना के अधीन रु०3.57 करोड़ का अनुदान जारी किया गया ।

12.3 अ० जा०/ अ० ज० जा० के लिए केंद्रीय पूल डाटा बेस

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षण पदों पर अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और अ० जा०/अ० ज० जा० के उपयुक्त अर्हताप्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, जैसाकि विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा सूचित किया गया है, आयोग ने 1997 में अ० जा०/अ० ज० जा० के पात्र उम्मीदवारों के लिए एक 'केंद्रीय पूल डाटा बेस' सृजित किया जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षण पदों यथा - प्रोफेसर, रीडर तथा लेक्चरार के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करना था ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के 201 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उन्हें वर्तमान सूची में दर्ज किया गया । 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अधीन

1475 आवेदन-पत्रों को सूचीबद्ध किया गया था । विभिन्न विषयों में अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों से संबंधित सूचना देने के लिए 3 कालेजों से आवेदन प्राप्त किए गए और समीक्षाधीन अवधि के दौरान उन्हें वांछित सूचना भेजी गई । यू० जी० सी० वेबसाइट में केंद्रीय पूल डाटा को शामिल करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

12.4 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएँ

अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण कक्षाओं की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1984 से शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय तथा समता प्राप्त करना और उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में शामिल करना था । इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में 9वीं योजना अवधि के लिए संशोधन किया गया हैं ताकि कार्यक्रम की प्रभाविता बढ़ाई जा सकें । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को तैयार कराना है ताकि वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकें, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला प्राप्त कर सकें, आत्म-निर्भर बन सकें और अनुशिक्षण केंद्रों के निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित कर सकें ताकि छात्रों के अनुशिक्षण में व्यावसायिक दृष्टिकोण शामिल किया जा सके ।

31.3.2001 को स्थिति के अनुसार 17 विश्वविद्यालयों और 41 कालेजों में 58 अनुशिक्षण केंद्र काम कर रहे थे जिनमें 6 महिला अनुशिक्षण केंद्र थे । आयोग ने अखिल भारतीय स्तर पर इस योजना का परिवीक्षण करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया । विश्वविद्यालय/कालेज शत-प्रतिशत आधार पर निम्नलिखित प्रकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं :

विश्वविद्यालय/कालेज	सहायता
कालेज	रु० 3 लाख प्रथम वर्ष के लिए रु० 1 लाख अनुवर्ती वर्ष के लिए
विश्वविद्यालय	रु० 5 लाख प्रथम वर्ष के लिए रु० 1.5 लाख अनुवर्ती वर्ष के लिए

सहायता आवर्ती तथा अनावर्ती दोनों प्रकार की मदों के लिए उपलब्ध है । प्रथम चरण में योजना की अवधि 3 वर्ष है परंतु संतोषजनक कार्य के आधार पर, जिसका निर्धारण एक समिति द्वारा किया जाएगा, इन केंद्रों की अवधि को आगे और बढ़ाया जा सकता है । इस स्कीम को योजना-दर-योजना के आधार पर चलाया जा रहा है ।

अनुशिक्षण केंद्रों की गतिविधियाँ निम्नलिखित तीन स्तरों पर की जाती हैं : (i) उपचारी शिक्षा, (ii) वर्ग 'ख' और 'ग' स्तर के पदों के लिए अनुशिक्षण, तथा (iii) अखिल भारतीय सेवाओं और नेट के लिए अनुशिक्षण ।

आलोच्य वर्ष के दौरान उप-समिति ने 40 अनुशिक्षण केंद्रों की समीक्षा की और 12 केंद्रों के चलते रहने की और 28 केंद्रों को बंद करने की सिफारिश की । इस योजना के अधीन आयोग ने 22 नए केंद्रों का चयन किया ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान इन अनुशिक्षण केंद्रों को रु० 107.85 लाख की राशि जारी की गई ।

12.5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालयों में अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए

केंद्रीय विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों (शत-प्रतिशत आधार पर अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करनेवाले) में अ०जा०/ अ० ज० जा० के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का परिवीक्षण करने के लिए आयोग प्रत्येक वर्ष परिवीक्षण समिति की बैठकों का आयोजन करता रहा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सचिव इस समिति का अध्यक्ष होता हैं । उक्त बैठकों मे मानव ससाधन विकास मत्रालय, सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय और राष्ट्रीय अ० जा०/ अ० ज० जा० आयोग के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है ताकि वे केंद्रीय और समविश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आमने-सामने बैठकर अन्योन्यक्रिया कर सकें और

आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए परिवीक्षण समिति

आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकें । पिछली बैठक 6 सितंबर, 2000 को हुई थी जिसमें 19 विश्वविद्यालयों (10 केंद्रीय तथा 9 समविश्वविद्यालय) को प्रतिनिधियों ने भाग लिया । विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों ओर आँकडों की छानवीन करने के पश्चात समिति की यह राय थी कि अ० जा०/ अ० ज० जा० की स्थिति संतोषजनक नहीं है अत: समिति ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय इस समुदाय के लिए आरक्षण का उचित कार्यान्वयन करें ।

12.6 विशेष शिक्षा में शिक्षक तैयार करना (टी ई पी एस ई) तथा विशेष जरूरतमंद व्यक्तियों (अपंग व्यक्ति) के लिए उच्च शिक्षा (एच ई पी एस एन)

उच्च शिक्षा प्रणाली में अपंग व्यक्तियों की उपेक्षा न करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों के लिए विशेष योजना अर्थात् टी ई पी एस ई और एच ई पी एस एन शुरू की हैं । इन योजनाओं को लागू करने का उद्देश्य विशेष शिक्षकों और उपबोधकों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना तथा भिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों को अनेक रूपों में सुविधाएँ उपलब्ध कराना है ।

विशेष शिक्षा में शिक्षक तैयार करना (टी ई पी एस ई)

मुख्य उद्देश्य

- बी०एड०/एम०एड० स्तर पर शिक्षा तैयारी पाठ्यक्रमों के लिए विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करना ।
- उच्च शिक्षा में अपंग व्यक्तियों के लिए शिक्षा तथा अनुभवों के समान अवसर उपलब्ध कराना ।

पात्रता की शर्तें

- बी०एड० या एम०एड० स्तर पर विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करनेवाला विश्वविद्यालय/कालेज ।
- कार्यक्रम शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय/विभाग/कालेज को भारतीय पुनर्वास परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए ।
- बी०एड० स्तर का शिक्षक तैयार पाठ्यक्रमों के संचालन करने का पाँच वर्ष का अनुभव ।
- कालेज का एक आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल) होना चाहिए या उसे लिखित में यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उसके परिसर (आसपास) में एक विशेष/एकीकृत स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में स्वीकृति दे दी गई है ।
- आवेदक संस्थान वि० अ० आ० अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित होना चाहिए ।

छात्र दाखिला

- दाखिल किए जाने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या 20 और अधिकतम संख्या 30 होगी ।

9वीं योजना के दौरान अभिज्ञेय संस्थाओं की संख्या

- दस

सहायता प्रतिमान (9वीं योजना)

- संकाय स्थिति

  बी०एड० : प्रोफेसर 1 या रीडर 1, लेकचरार 2
  एम०एड० : प्रोफेसर 1, रीडर 1 और लेकचरार 1

- पुस्तकें, पत्रिकाएँ, विशेष सहायता साधन तथा साधित्र : @ रु० 1.00 लाख प्रतिवर्ष प्रति संस्थान ।

विशेष जरूरतमंद व्यक्तियों (अपंग व्यक्ति) के लिए उच्च शिक्षा (एच ई पी एस एन)

मुख्य उद्देश्य

- अपंग व्यक्तियों की विशेष शैक्षिक जरूरतों के बारे में उच्च शिक्षा के कार्यकर्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करना ।
- संस्थान को सुविधाओं से लैस करना ताकि अपंग व्यक्ति उनका लाभ उठा सकें ।
- अपंग व्यक्तियों की सहायता करना ताकि वे उच्च शिक्षा में अधिक समय तक टिके रहें ।
- अपंग स्नातकों के लिए उपयुक्त नौकरी की संभावनाओं का पता लगाना ।

इस योजना के तीन घटक ये हैं :

- अपंगता यूनिट
- विशेष उपस्कर (लो विज़न एड्स, स्कैनर, मोबीलिटी डिवाइसेज आदि)
- अपंग व्यक्तियों तक पहुँच (यथा - रैम्प, रेल, विशेष शौचालय तथा अन्य संगत परिवर्तन)

वर्ष 2000-2001 के दौरान उन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को आगे और कोई अनुदान जारी नहीं किया गया जिनकी पहचान वि०अ०आ० ने 1999-2000 के दौरान की थी क्योंकि आयोग ने उनके प्रस्तावों का अनुमोदन और अनुदान की मंजूरी मार्च 2000 में दी थी । बहरहाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने टी ई पी एस ई और एच ई पी एस एन योजना के अधीन अभिज्ञात/चयनित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से प्रगति रिपोर्ट माँगी है ।

12.7 चाक्षुष रूप से विकलांग (अंध) शिक्षकों को वित्तीय सहायता

इस योजना के अधीन विश्वविद्यालयों/कालेजों में काम कर रहे नियमित रूप से नियुक्त किए गए अंध शिक्षकों को ब्रेल पुस्तकों, रिकार्डित सामग्री आदि की खरीद के लिए रीडर भत्ता के रूप में प्रतिवर्ष रु०6,000/- की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है । यह सहायता आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतो में विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान 59 अंध शिक्षकों (विश्वविद्यालयों में 4 शिक्षक और कालेजों में 55 शिक्षक) के हितलाभ के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को रु०3.54 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई ।

12.8 शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ (अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए)

आयोग में एम० फिल०/पीएच० डी० की डिग्री दिलाने वाला अनुसंधान कार्य करने के लिए कालेजों में पढ़ाने वाले अ०जा०/अ०ज०जा० के शिक्षकों के हेतु सीधी शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करने की योजना चल रही थी । इस योजना के अतंर्गत अंतिम चयन 1997-98 में किया गया था । उपर्युक्त अवार्ड के लिए 63 शिक्षकों (पुरुष 50 और महिलाएँ 13) का चयन किया गया था । इस अध्येतावृत्ति की अवधि जून 2001 में समाप्त होगी ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना के अंतर्गत रु० 30.00 लाख की आबंटित राशि से रु० 32.56 लाख की राशि जारी की गई । यह योजना समाप्त कर दी गई है ।

12.9 कश्मीर विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कालेजों के प्रवासी शिक्षकों के लिए अभ्यागत संकाय पद (विशेष योजना)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कश्मीर विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कालेजों के प्रवासी शिक्षकों को शिक्षण तथा अनुसंधान कार्य प्रदान करने के लिए 1990-91 से विश्वविद्यालयों में अभ्यागत संकाय के कुछ पद सृजित करता रहा है । आयोग ने निर्णय लिया है कि इस योजना को 9वीं योजना अवधि के दौरान या तब तक जारी रखा जाए जब तक कि कश्मीर घाटी में स्थिति सामान्य न हो जाए । उपर्युक्त पदों को 'ए', 'बी' और 'सी' वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जिनके लिए समेकित मानदेय की राशि क्रमशः रु०2,500/- प्र०मा०, रु०3,000/- प्र०मा० तथा रु०4,500/- प्र०मा० है । ये शिक्षक उपर्युक्त मानदेय के अतिरिक्त अपने मूल विश्वविद्यालय तथा कालेज से अपना वेतन प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान चार विश्वविद्यालयों और एक कालेज को रु०9.78 लाख का अनुदान जारी किया गया जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष 2000-2001 के दौरान कश्मीर के प्रवासी शिक्षकों के लिए विशेष योजना के अधीन विश्वविद्यालयों/कालेजों को प्रदत्त अनुदान

(रु० लाख में)

क्र०सं०	विश्वविद्यालय/कालेज का नाम	प्रदत्त अनुदान
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय	0.48
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	0.16
3.	जम्मू विश्वविद्यालय	8.24
4.	पंजाबी विश्वविद्यालय	0.42
5.	आर० बी० एस० कालेज, आगरा	0.48
	जोड़	**9.78**

13 उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए सुविधाएँ और उनकी स्थिति

13.1 महिला विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकीय पाठ्यक्रम शुरू करना

आयोग ने 9वीं योजना अवधि में कार्यान्वयन के लिए अभिज्ञात, महिला विश्वविद्यालयों में एक नई योजना अर्थात् 'महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी' शुरू की है ताकि प्रतिष्ठित समझे जाने वाले क्षेत्रों में बेहतर परिलब्धियों सहित महिलाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराया जा सके और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्त्री-पुरुष असंतुलन को कम किया जा सके ।

इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पाठ्यक्रम के लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में उदीदमान क्षेत्रों में पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । यह सहायता आवर्ती तथा अनावर्ती - दोनों प्रकार की मदों के लिए उपलब्ध कराई जाती है ।

इस योजना के शुरू किए जाने के समय से आयोग ने तीन विश्वविद्यालयों यथा - (i) एस पी महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति; (ii) अविनाशीलिंगम् गृह-विज्ञान संस्थान, कोयम्बतूर; (iii) एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय से प्राप्त तीन प्रस्तावों पर विचार किया और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना के लिए केवल एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जिसमें निम्नलिखित तीन पाठयक्रम शामिल थे :-

- बी०ई० (इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार)
- बी०ई० (कंप्यूटर विज्ञान)
- बी०ई० (सूचना प्रौद्योगिकी)

प्रौद्योगिकी विभाग के लिए एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय को अब तक जो अनुदान जारी किया गया है उसका विवरण इस प्रकार है :-

रु० लाख में

वर्ष	अनुदानों का आबंटन		जारी किया गया अनुदान
1997-98		100.00	शून्य
1998-99	(ब०प्रा०)	100.00	99.24
	(सं०प्रा०)	शून्य	
1999-2000		100.00	200.00*

* (जारी की गई बेशी राशि का समायोजन समूचे आबंटन के अंतर्गत किया गया था) ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना के अधीन कोई अनुदान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

13.2 महिला होस्टलों के निर्माण हेतु विशेष योजना

सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध कराते हुए महिलाओं के नामांकन में वृद्धि करने और महिलाओं द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों में उनकी पसंद की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिला छात्रों की संचलता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला होस्टलों के निर्माण हेतु आठवीं योजना अवधि के उत्तरार्ध में एक विशेष योजना शुरू की । यह निर्णय लिया गया कि 9वीं योजना अवधि के दौरान भी इस योजना को जारी रखा जाए । बहरहाल, निधियों की कमी के कारण प्रत्येक होस्टल में अधिक स्थान उपलब्ध कराने के लिए राशि में वृद्धि करना संभव नहीं हो पाया है । अतएव, कालेजों/विश्वविद्यालयों (केंद्रीय तथा राज्य) और समविश्वविद्यालयों को होस्टल के कुल लागत के 60 प्रतिशत तक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी लेकिन उसकी अधिकतम राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :-

(रु० लाख में)

	महिला नामांकन	राशि
(क)	250 तक	7.00 लाख
(ख)	251 से 500 तक	10.00 लाख
(ग)	500 से अधिक	15.00 लाख

बहरहाल, आयोग ने संपूर्ण देश में जनजाति, पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों (इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित राज्य सरकार) में स्थित सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए महिला नामांकन में 10 प्रतिशत की छूट दे दी है ।

2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों (मुख्यालय द्वारा) को रु०42.42 लाख का और कालेजों (क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा) को रु०542.02 लाख का आंशिक अनुदान जारी किया ।

13.3 विश्वविद्यालयों और कालेजों में महिला अध्ययनों का संवर्धन

महिला अध्ययनों को बढ़ावा देने से संबंधित वि०अ०आ० के कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गई है कि महिला अध्ययन केंद्रों और सेलों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए । केंद्रों/सेलों के लिए अनुसंधान कार्य करना, पाठ्यचर्या का विकास करना, स्त्री-पुरुष समानता के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और विस्तार कार्य आयोजित करना, महिलाओं की आर्थिक आत्म-निर्भरता, लड़कियों की शिक्षा, जनसंख्या मुद्दों, मानवाधिकार तथा सामाजिक दोहन आदि के संबंध में कार्य करना आवश्यक है । इन गतिविधियों से केवल यह आशा ही नहीं की जाती है कि उनसे सामाजिक चेतना पैदा होगी और परिवर्तन आएगा बल्कि यह भी की जाती है कि उनसे अकादमिक विकास भी होगा । बहरहाल, महिला अध्ययन केंद्रों से यह आशा नहीं की जाती है कि वे किसी विश्वविद्यालय के अन्य पारंपरिक विभागों जैसे होंगे । उनके लिए ऐसे पाठ्यक्रम संचालित करना आवश्यक नहीं है जिनको पूरा करने पर कोई पूर्व-स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जाए हालाँकि यदि वे ऐसा चाहें तो ऐसा कर सकते हैं । आलोच्य वर्ष के दौरान शिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार के तहत महिला अध्ययन केंद्रों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गई :

- **शिक्षण** :- पाठ्यचर्या विकास तथा महिला प्रशिक्षण पुस्तिका के लिए सामग्री का उन्नयन; महिलाओं की समस्याओं पर लघु मोनोग्राफ ।
- **अनुसंधान** :- महिला समस्याओं पर अनुसंधान परियोजनाएँ ।

- **विस्तार** :- न्यूज़लैटर, उपबोधन तथा सहायता साधन, परिवार उपबोधन केंद्र, साक्षरता मिशन, सामुदायिक विकास सर्वेक्षण, महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर वीडियो तैयार करने के लिए दृश्य-श्रव्य यूनिट के लिए सहायता ।

इस योजना के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सातवीं योजना के दौरान 22 विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन के केंद्र और 11 कालेजों में महिला अध्ययन सेल स्थापित किए थे जो आठवीं योजना के दौरान भी चलते रहे । आठवीं योजना के दौरान कोई नया महिला अध्ययन केंद्र स्थापित नहीं किया गया ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में एक महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया । फिलहाल, विश्वविद्यालयों में 34 महिला अध्ययन केंद्र और चार कालेजों और दो विश्वविद्यालयों में छह महिला अध्ययन सेल हैं । महिला अध्ययन केंद्रों को उनके निष्पादन के आधार पर भिन्न-भिन्न चरणों में रखा गया है ।महिला अध्ययन केंद्रों को पाँच वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है :-

चरण I	:	रु० 25.00 लाख
चरण II	:	रु० 40.00 लाख
चरण III	:	रु० 50.00 लाख

महिला अध्ययन सेलों को केवल रु० 25,000/- प्र० व० गतिविधि अनुदान दिया जाता है । 9वीं योजना में कोई नया महिला अध्ययन सेल स्थापित नहीं किया गया ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान महिला अध्ययन केंद्रों को कुल रु० 68.84 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

महिला अध्ययन विकास उप-समिति ने "उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधक" कार्यक्रम राष्ट्रमंडल सचिवालय, लंदन द्वारा तैयार किए गए माड्यूलों को प्रासंगिक बना दिया है । जब ये माड्यूल तैयार हो जाएँगे तब इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाएगा । उच्च शिक्षा में प्रबंधन में महिलाओं से संबंधित डाटा/सूचना प्राप्त होने की प्रतीक्षा डॉ० प्रेम राजपूत, निदेशक, महिला अध्ययन केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से की जा रही है ।

13.4 उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से उच्च शिक्षा में नामांकित महिला छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । स्वतंत्रता से पूर्व उच्च शिक्षा की संस्थाओं में कुल छात्र संख्या में महिलाओं की संख्या 10 प्रतिशत से कम थी जबकि 2000-2001 में यह संख्या बढ़कर 37.65 प्रतिशत हो गई थी ।

पिछले लगभग दो दशकों के दौरान महिला नामांकन में वृद्धि की गति विशेष रूप से तेज रही है । जैसा कि निम्नलिखित सारणी 13.1 में दिए गए आँकड़ों से पता चलता है, 1950-51 से 2000-2001 तक की अवधि के दौरान प्रति सौ पुरुषों में महिलाओं की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है ।

सारणी 13.1 : प्रति सौ पुरुष छात्रों में महिलाओं की संख्या

वर्ष	कुल नामांकित महिलाएँ (000 में)	प्रति सौ पुरुष नामांकन
1950-51	40	14
2000-2001	3012	60

13.5 महिलाओं के नामांकन का राज्यवार, स्तरवार तथा संकायवार वितरण

राज्यों के अनुसार महिला नामांकन के वितरण से यह पता चलता है कि वर्ष 2000-2001 के दौरान गतवर्ष की तुलना में सभी राज्यों में कुल नामांकन की प्रतिशतता के रूप में महिला नामांकन में मामूली वृद्धि हुई । राज्यों में 2000-2001 के दौरान कुल नामांकन की प्रतिशतता के रूप में महिला नामांकन गोवा में सबसे अधिक (56.7 प्रतिशत) रहा । उसके बाद केरल (55.9 प्रतिशत), पंजाब (51.5 प्रतिशत) आदि का स्थान रहा । ऐसे 15 राज्य थे जिनमें महिलाओं का नामांकन 37.65 की राष्ट्रीय प्रतिशतता की तुलना में अधिक था । अन्य राज्यों में महिला नामांकन की प्रतिशतता राष्ट्रीय स्तर से कम रही । बिहार में महिलाओं का नामांकन सबसे कम केवल 24.4 था। (परिशिष्ट-VII)

शिक्षा का स्तरवार वितरण

कुल नामांकन की प्रतिशतता के रूप में महिला नामांकन नीचे सारणी 13.2 में दिखाया गया है । वर्ष 1991-92 से 2000-2001 तक की दशाब्दि के दौरान अनुसंधान और डिप्लोमा स्तर को छोड़कर सभी स्तरों पर महिला नामांकन में मामूली वृद्धि हुई है ।

सारणी 13.2 : कुल नामांकनों में महिला नामांकन की प्रतिशतता (स्तरवार)

वर्ष	स्नातक	स्नातकोत्तर	अनुसंधान	डिप्लोमा/प्रमाणपत्र
1991-92	32.6	34.6	37.0	32.8
2000-2001*	37.5	39.5	36.1	32.7

* अनंतिम

उच्च शिक्षा में महिलाओं की संख्या की सामान्य वृद्धि की एक विशेषता यह है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर उनके नामांकन में प्राय: एकरूपता रही है ।

संकायवार वितरण

वर्ष 2000-2001 में महिला नामांकन के संकायवार आँकड़े नीचे सारणी 13.3 में दिए गए हैं :-

सारणी 13.3 : संकायवार महिला नामांकन : 2000-2001

संकाय	नामांकन*	प्रतिशत
कृषि	12,680	0.40
कला	15,39,860	51.10
वाणिज्य	5,03,852	16.70
शिक्षा	70,257	2.40
इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी	1,09,069	3.60
विधि	53,024	1.80
आयुर्विज्ञान	1,17,621	3.90
विज्ञान	5,72,350	19.00
पशुचिकित्सा विज्ञान	3,513	0.10
अन्य	30,141	1.00
कुल महिलाएँ	**30,12,367**	**100.00**

* अनंतिम

उपर्युक्त सारणी 13.3 से पता चलता है कि कला संकाय में महिलाओं का नामांकन कुल महिला नामांकन के 51.1 प्रतिशत से भी अधिक था । इसके बाद विज्ञान संकाय (19.0 प्रतिशत) और वाणिज्य संकाय (16.7 प्रतिशत) का स्थान रहा । वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान किसी भी संकाय में नामांकित महिलाओं की प्रतिशतता में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ ।

13.6 महिला कालेज

वर्ष 1991-92 से 2000-2001 तक दस वर्ष की अवधि के दौरान महिला कालेजों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जैसा कि सारणी 13.4 से पता चलता है :

सारणी 13.4 : 1990-91 से 2000-2001 के दौरान महिला कालेजों की संख्या

वर्ष	महिला कालेजों की संख्या
1991-92	950
1992-93	994
1993-94	1033
1994-95	1107
1995-96	1146
1996-97	1195
1997-98	1260
1998-99	1359
1999-2000	1520
2000-2001	1525*

* अनंतिम

14
शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूदों का संवर्धन

14.1 विश्वविद्यालयों और कालेजों में साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रतिष्ठान (एन ए एफ) "विश्वविद्यालयों और कालेजों में साहसिक खेल-कूद योजना" का कार्यान्वयन कर रहा था । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नवंबर, 1999 में हुई अपनी बैठक में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार किया और निम्नलिखित निर्णय लिया :-

- एन ए एफ के माध्यम से कार्यक्रम का क्रियान्वयन तत्काल बंद कर दिया जाए ।
- कार्यक्रम का क्रियान्वयन विश्वविद्यालयों के माध्यम से सीधे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाए ।
- विभिन्न साहसिक खेल-कूद कार्यक्रमों के लिए वि०अ०आ० द्वारा 10-15 नोडल केंद्रों का पता लगाया जाए ।

तदनुसार, निम्नलिखित खेल-कूदों के लिए नोडल केंद्रों के रूप में चयन के लिए विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए :-

- ट्रैकिंग (मरुस्थल, वन)
- साइकिल सवारी (मैदान में)
- पर्वतीय क्षेत्र तथा चट्टानी क्षेत्र
- जल खेल-कूद, स्कीइंग
- कायकिंग तथा केनोइंग
- पर्वतारोहण
- अन्य कोई भी साहसिक खेल जिसका उल्लेख उपर्युक्त खेल कार्यक्रमों में नहीं किया गया है ।

विश्वविद्यालयों से 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए ये जिनमें से केवल 5 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने विशेष समिति की बैठक में अपने प्रस्ताव पेश किए । उक्त बैठक वि०अ०आ०, नई दिल्ली के कार्यालय में जुलाई 19-20, 2000 को हुई थी ।

उसके बाद, समिति ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में साहसिक खेल-कूदों के कार्यक्रम और संवर्धन के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पैरामीटर निर्धारित किए :

- आयोग द्वारा अभिज्ञात नोडल केंद्रों द्वारा संबंधित राज्यों और पड़ोसी राज्यों में विश्वविद्यालयों और कालेजों की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए ।

- प्रत्येक कार्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा उचित ठहराए जाने वाले अपवादस्वरूप मामलों को छोड़कर छात्रों की संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए । मुंबई जैसे स्थानों में, जहाँ साहसिक खेल-कूदों में लोगों की रुचि अधिक है, समिति ने यह सिफारिश की कि ट्रैकिंग जैसे खेलों के अपवादस्वरूप मामले में 30 से अधिक छात्रों को अनुमति दी जा सकती है । बहरहाल, विश्वविद्यालय एक ही खेल के अधिक कार्यक्रम प्रारंभिक चरण में आयोजित कर सकता है जिनकी समीक्षा अनुवर्ती वर्षों के दौरान की जा सकती है ।

- इस कार्यक्रम के लिए आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की सीमा इस प्रकार होगी :-

कार्यक्रम	व्यय/दर
• भोजन और आवास	रु०75/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
• उपस्कर हायर करना	प्रत्येक कार्यक्रम के लिए वास्तविक खर्च लेकिन अधिकतम राशि 5,000/- होगी । इसमें पर्वतारोहण तथा स्कीइंग स्कीम शामिल नहीं हैं जिनके लिए वित्तीय सहायता की सीमा प्रति कार्यक्रम रु०15,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
• मानदेय	रु०2,000/- प्र०व० से अधिक नहीं ।
• या०म०/दै०भ०	विश्वविद्यालय मानकों के अनुसार बाहरी विशेषज्ञों को वास्तविक या०भ०/दै०भ० (स्थानीय विशेषज्ञों के लिए रु०100/- प्रतिदिन)
• आकस्मिकता	रु०1,000/- प्रति कार्यक्रम

समिति ने कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को जो कार्यक्रम आबंटित किए उनका ब्यौरा नीचे दी गई सारणी में दिया रहा हैं :

क्र०सं०	विश्वविद्यालय	कार्यक्रम
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	फॉरेस्ट ट्रैकिंग, पर्वतारोहण तथा स्केटिंग
2.	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय	ट्रेकिंग, साइकिल सफारी, स्केटिंग, पर्वतारोहण रॉक क्लाइबिंग
3.	कश्मीर विश्वविद्यालय	रॉक क्लाइबिंग, ह्वाइट वाटर रैफ्टिंग, स्नोस्कीइंग, वाटर स्कीइंग, कायकिंग /कोनोइंग एक्वा पैरा-सेलिंग, उच्चतुर्गता स्काइटूरिंग अभियान
4.	मुंबई विश्वविद्यालय	ट्रेकिंग (मरुस्थल, वन) साइकिल सफारी, पर्वतीय क्षेत्र तथा चट्टानी क्षेत्र, पर्वतारोहण
5.	एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय	ट्रेकिंग तथा हाइकिंग, पर्वतारोहण, रॉक क्लाइबिंग, रैपेलिंग, नेचर ट्रेल, बीच एनवाइरनमेंट वैली क्रॉसिंग, सीफोर्ट्स, कैम्पिंग

वर्ष 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालयों और कालेजों को रु०14.20 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

14.2 विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा एवं अभ्यास का संवर्धन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा तथा अभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिए 1993 में एक योजना प्रारंभ की थी । इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को उनके कैम्पसों में योग शिक्षा तथा अभ्यास केंद्र स्थापित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराना है । इस प्रयोजन के लिए वे देश में किसी विख्यात योग संस्था का पता कर सकते हैं और उसको सहबद्ध कर सकते हैं । योग केंद्र के प्रबंध से संबंधित आवर्ती व्यय के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है । आवर्ती व्यय में वह राशि शामिल है जो विश्वविद्यालय को उन योग संस्थाओं को अदा करने के लिए आवश्यक होगी जिनके अनुदेशक योग केंद्र का प्रबंध करेंगे और योग कक्षाओं का संचालन करेंगे, या जिसकी अदायगी सीधे की जाएगी ।

विश्वविद्यालय से यह कहा जाएगा कि वह उपभोज्य वस्तुओं तथा योग केंद की अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहभागी शिक्षकों/छात्रों से प्रति व्यक्ति प्रतिमास रु० 50/- फीस वसूल करे ।

आयोग ने 9वीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों में योग केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर 1.1.2000 से निम्नलिखित ढंग से 9वीं योजना अवधि के दौरान योग केंद्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में किए गए संशोधनों को अनुमोदित किया । यह योजना 9वीं योजना अवधि के दौरान आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए विद्यमान योग केंद्रों पर भी लागू होती है ।

मद	वर्तमान	प्रस्तावित
	(रुपए)	
(क) प्रारंभिक साज-सज्जा, उपस्कर तथा आकस्मिकता (एकबारगी अनुदान)	50,000/- प्र०मा०	1,00,000/-
(ख) ए और बी श्रेणी के शहरों के लिए अनुदेशकों को मानदेय	6,000/- प्र०मा०	7,500/- प्र०मा०
(ग) शेष स्थानों के लिए अनुदेशकों को मानदेय	5,000/- प्र० मा०	6,500/- प्र० मा०

आयोग ने प्राथमिकता के आधार पर अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों को भी अनुमोदित किया :-

- विश्वविद्यालयों से योग/योग विज्ञान/योग चिकित्सा/योग अध्ययन आदि में स्नातकोत्तर डिग्री (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम)
- विश्वविद्यालयों से योग/योग विज्ञान/योग अध्ययन आदि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्ष का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम)
- विश्वविद्यालयों को छोड़कर अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थाओं से योग/योग विज्ञान/योग चिकित्सा/योग अध्ययन आदि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम)

आयोग ने योग केंद्र स्थापित करने के लिए अब तक 39 विश्वविद्यालयों का अनुमोदन किया है । वर्ष 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन विश्वविद्यालयों को रु० 87.15 लाख की राशि जारी की ।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह निर्णय भी लिया कि योग विभागों को स्थापित/सुदृढ़ करने के लिए कम से कम 10 विश्वविद्यालयों की सहायता की जाए और उनमें निम्नलिखित स्टाफ की नियुक्ति की जाए :

- प्रोफेसर : एक
- रीडर : एक
- लेक्चरार : दो
- प्रयोगशाला सहायक : एक
- प्रयोगशाला परिचर : एक
- कंप्यूटर आपरेटर : एक

मानव चेतना तथा योग विज्ञान विभाग के संचालन के लिए निम्नलिखित ढंग से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी :

(क) अनावर्ती

- प्रयोगशाला (मानव निष्पादन) : रु०5.00 लाख
- कंप्यूटर प्रयोगशाला : रु०4.00 लाख

(ख) आवर्ती

- वेतन : वास्तविक
- पुस्तकें तथा जर्नल : रु०1.00 लाख

विशेषज्ञ समिति ने मानव चेतना तथा योग विज्ञान का एक स्वतंत्र विभाग बनाने के लिए 50 विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों में से 10 विश्वविद्यालयों की पहचान की । अभिज्ञात विश्वविद्यालय ये हैं :-

1. आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर (आं०प्र०)
2. भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु)
3. डॉ० एच० एस० गौड़ विश्वविद्यालय, सागर (म०प्र०)
4. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरद्वार (उ०प्र०)
5. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
6. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्नाटक)
7. महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म०प्र०)
8. मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर (कर्नाटक)
9. मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई (महाराष्ट्र)
10. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ०प्र०)

मानव चेतना तथा योग विज्ञान शुरू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान सभी संबंधित विश्व-विद्यालयों (प्रत्येक) को रु०10.00 लाख का अनुदान जारी किया गया । आयोग विशेषज्ञ समिति के परामर्श से मानव चेतना तथा योग विज्ञान विभाग के लिए पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यविवरण पर सक्रिय विचार कर रहा है । विशेषज्ञ समिति जैसे ही पाठ्यक्रमों और पाठ्यविवरण को अंतिम रूप देती है वैसे ही उसे संबंधित विश्वविद्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया जाएगा ।

14.3 शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेल-कूद में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान 29 संस्थाओं (6 विश्वविद्यालय और 23 कालेज) में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेल-कूद में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया गया था । तब से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन संस्थाओं को व्यय की अनुमोदित मदों यथा - स्टाफ के वेतन, पुस्तकों, पत्रिकाओं, उपस्कर तथा प्रयोगशाला भवन के लिए सहायता उपलब्ध कराता रहा है । स्टाफ के वेतन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता 100 प्रतिशत आधार पर पाँच वर्ष के लिए उपलब्ध कराई गई जबकि अन्य मदों के लिए सहायता संस्था/राज्य सरकार के साथ हिस्सेदारी के आधार पर दी गई । यह सहायता विभिन्न मदों के लिए प्रदत्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता की अधिकतम सीमा के अंतर्गत होती है ।

इस योजना की अनेक समस्याओं का पता लगाए जाने के कारण वि० अ० आ० ने शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेल-कूल में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में निष्पादन की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की । विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई । आयोग ने इच्छा व्यक्त की कि रिपोर्ट को एन एस ओ, युवा मामले तथा खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टिप्पणी के लिए भेजा जाए । तदनुसार, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा मामले तथा खेल विभाग की टिप्पणी के लिए रिपोर्ट भेजी गई जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

14.4 विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलकूद की आधार-संरचना का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय खेल संगठन, युवा मामले तथा खेल-कूद विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए "विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल-कूद आधार-संरचना का विकास" कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा था जिसके लिए वि०अ०आ० द्वारा अभिज्ञात निम्नलिखित मदों के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता उपलब्ध करा रहा था :-

- पक्का बास्केट बॉल, बालीबॉल, बेटमिंटन, टेनिस कोर्ट
- मूलरम/क्ले लान टेनिस कोर्ट तथा क्रिकेट पिच
- सिंडर/क्ले एथलीटिक ट्रेक (400 मी०)
- अनपचेय खेल उपस्कर

9वीं योजना के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा मामले तथा खेल-कूद विभाग ने यह निर्णय लिया कि एन एस ओ कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालयों और कालेजों को सीधे ही अनुदान संवितरति किए जाएँ । बहरहाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभागों को उपलब्ध कराए गए अनुदानों के अध्यधीन पहले से अनुमोदित व्यय के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को रु० 64.27 लाख की राशि जारी की ।

15 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

15.1 द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम

विश्वविद्यालय क्षेत्रक से संबंधित भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भारत सरकार की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है । वर्ष 2000-2001 में, 45 देशों के साथ इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न देशों के 47 विदेशी स्कॉलरों की मेजबानी की और भारत की विभिन्न संस्थाओं में उनके अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया । वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विदेश भेजे गए भारतीय स्कॉलरों की संख्या 48 थी ।

15.2 विदेशी भाषा शिक्षक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक सहयोगी विनिमय कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंतर्गत विदेशी भाषा शिक्षकों के आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है । मास्टर या अनुसंधान स्तर पर विदेशी भाषा में शिक्षण के अनुरोध करने पर किसी विश्वविद्यालय के लिए विदेशी भाषा शिक्षकों की व्यवस्था की जा सकती है । यह व्यवस्था उस विशेष देश में, जिसके लिए भाषा शिक्षक की जरूरत है, भारतीय मिशन से परामर्श करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त, दिल्ली स्थित संबंधित दूतावास को भी ऐसे अनुरोधों की सूचना दी जाती है । किसी विश्वविद्यालय को भाषा शिक्षक उपलब्ध कराते समय सामान्यतः यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं के शिक्षण के लिए समुचित आधार-संरचना विद्यमान है ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 38 विदेशी भाषा शिक्षक नियुक्त किए गए । इन शिक्षकों का भाषावार विवरण इस प्रकार है :

जर्मनी-11, फ्रेंच-7, चीन-3, पुर्तगाली-4, स्पेनिश-3, हंगेरियन-1, रूसी-1, अफगानी-1, क्रोशियन-1, रूमानियन-1, बुल्गारियन-1, ईरानियन-1, कोरिया गणराज्य-1, स्लोवाक-1, मंगोलियन -1

15.3 अध्येतावृत्तियाँ तथा छात्रवृत्तियाँ

(क) जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा (डी॰ ए॰ ए॰ डी॰)

वर्ष 2000 के लिए प्राकृतिक विज्ञान, गणित, भूविज्ञान, जर्मन भाषा और साहित्य तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों के कुछ क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान हेतु दस अध्येतावृत्तियों के लिए 18 स्कालर नामित किए गए ।

जर्मन संस्कृति, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन, शिक्षा और प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित किसी भी विषय में भारत में पीएच॰ डी॰ करने के लिए पंजीकृत भारतीय छात्रों को प्रदत्त दो से छह मास की अवधि की अल्पकालिक अध्येतावृत्तियों के लिए वर्ष 2000 के लिए 7 स्कॉलरों को नामित किया गया ।

(ख) भारत-फ्रांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्तियाँ

वर्ष 2000-2001 के दौरान फ्रांस की सरकार ने फ्रेंच भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सभ्यता के अध्ययन क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए दो स्कालरों को फ्रांस सरकार की छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं ।

15.4 भारत-फ्रांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन सामाजिक वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम

वर्ष 2000-2001 के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन आयोग ने फ्रांस के दौरे के लिए 9 भारतीय स्कॉलरों को नामित किया और 1 फ्रेंच स्कॉलर ने भारत का दौरा किया ।

15.5 उच्च शिक्षा संपर्क कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन ब्रिटिश परिषद् के सहयोग से भारत और यू० के० में उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच निर्दिष्ट क्षेत्रों में यथा - संयुक्त अनुसंधान, संयुक्त प्रकाशन, पाठ्यचर्या विकास आदि के लिए किया जाता है । वर्ष 2000-2001 के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन दो भारतीय स्कॉलरों ने यू० के० का दौरा किया ।

15.6 सार्क पीठें/ अध्येतावृत्तियाँ/ छात्रवृत्तियाँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सार्क पीठों/अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों की योजना के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करता है । इस योजना के अधीन प्रेषक देश अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराया देता है और मेजबान पक्ष दाखिले और भत्तों आदि के भुगतान की व्यवस्था करता है । इस योजना के अंतर्गत देशवार उपलब्ध स्थानों (स्लाटों) की संख्या सारणी 15.1 दी गई है :

सारणी 15.1
सार्क छात्रवृत्तियाँ/अध्येतावृत्तियाँ

देश	अध्येतावृत्तियाँ	छात्रवृत्तियाँ
बांग्ला देश	6	12
भूटान	1	–
भारत	6	2
नेपाल	1	2
पाकिस्तान	6	12
मालदीव	–	–
श्रीलंका	6	12

वर्ष 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सार्क देशों के लिए कोई नामन नहीं किया ।

15.7 सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई सी टी पी)

सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई सी टी पी), त्रिस्ते (इटली) या किसी अन्य देश में आयोजित ग्रीष्मकालीन स्कूलों में भाग लेने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों/कालेजों के शिक्षकों को आमंत्रित करता है । भारतीय सहभागियों के हवाई किराये के लिए वि० अ० आ० और आई सी टी पी – दोनों बराबर-बराबर राशि प्रदान करते हैं । वर्ष 2000-2001 के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन कोई भी दौरा नहीं किया गया ।

15.8 राष्ट्रमंडलीय अकादमिक स्टाफ अध्येतावृत्तियाँ

इस कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू० के० में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ (ए सी यू) से समन्वय स्थापित करता है और राष्ट्रमंडलीय अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करने के लिए नामांकन करता है ताकि भारत में विश्वविद्यालयों और कालेजों में होनहार संकाय सदस्य यू० के० के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अनुसंधान कार्य कर सकें ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्येतावृत्तियों के लिए 80 शिक्षकों की सिफारिश की । इनमें से राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ ने अध्येतावृत्तियों के लिए 30 स्कॉलरों का चयन अंतिम रूप से किया ।

15.9 साल्ज़बर्ग संगोष्ठी

इश्लोस लियोपोल्डस्क्रॉन, साल्ज़बर्ग (आस्ट्रिया) में अनेक दशकों से प्रत्येक वर्ष साल्ज़बर्ग संगोष्ठी का आयोजन किया जाता रहा है । इस कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संगोष्ठी में भाग लेने और लेख प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों से एक या दो स्कॉलरों की सिफारिश करता है । वर्ष 2000-2001 के दौरान वि० अ० आ० ने इस कार्यक्रम के अधीन दो स्कॉलरों की सिफारिश की परंतु दौरानहीं किया जा सका ।

15.10 कनाडियन अध्ययनों का विकास

आयोग ने "क्षेत्र अध्ययन केंद्र" के समान कनाडियन अध्ययन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है । तदनुसार, विश्वविद्यालय आयोग ने कनाडियन अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए चार विश्वविद्यालयों यथा – एम एस विश्वविद्यालय, बड़ोदा, दिल्ली विश्वविद्यालय, एस एन डी टी वीमेंस विश्वविद्यालय तथा केरल विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं । इन प्रस्तावों की जाँच करने के लिए नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति ने इन चार विश्वविद्यालयों का दौरा किया और उनकी रिपोर्ट पर आयोग विचार कर रहा है ।

15.11 शास्त्री भारत-कनाडा दो व्यक्ति मास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अधीन वर्ष 2000-2001 के दौरान कनाडा के एक शिक्षक ने भारत का दौरा किया जबकि दो भारतीय शिक्षकों ने कनाडा का दौरा किया ।

15.12 शिक्षकों को विदेश में दौरा करने के लिए यात्रा अनुदान

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान 5 भारतीय शिक्षकों को अनुसंधान के लिए स्रोत सामग्री एकत्र करने और मेजबान देश की किसी एजेंसी से अनुरक्षण के लिए अध्येतावृत्ति का प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए विदेशों का दौरा करने के लिए यात्रा अनुदान उपलब्ध कराया गया ।

15.13 यूनेस्को कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनेस्को कार्यक्रमों के संबंध में भी कार्रवाई करता है जिनके अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के यूनेस्को विंग से विभिन्न परिपत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समय-समय पर प्राप्त होते हैं जिन्हें वह विश्वविद्यालयों को परिचालित करता है । ये परिपत्र मुख्यतः संगोष्ठियों/यूनेस्को अध्येतावृत्तियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि से संबंधित होते हैं । मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर वि० अ० आ० की टिप्पणी भी माँगता है । इन टिप्पणियों को यूनेस्को की बैठकों में (जब भी वे नई दिल्ली में आयोजित की जाती है) तथा संपूर्ण विश्व में यूनेस्को के विभिन्न कार्यालयों में प्रस्तुत किया जाता है ।

16 उच्च शिक्षा-प्रबंध

उच्च शिक्षा-प्रबंध को प्रभावशाली, दक्ष एवं सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी बनाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय/राज्य/विश्वविद्यालय/कालेज स्तरों पर अनेक प्रकार के उपाय करता रहा है । इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक तीन कार्यक्रमों का पता लगा लिया है जो इस प्रकार हैं - 9वीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन जुटाना, अकादमिक प्रशासकों का प्रशिक्षण और राज्य उच्च शिक्षा परिषदों का गठन । कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

16.1 विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन जुटाना

विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन जुटाने की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पहली बार 1995 में शुरू की गई थी । आयोग ने विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा संसाधन जुटाने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 9वीं योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुमोदन कर दिया है । इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं - विश्वविद्यालयों को अपने विकास में समाज की सहभागिता/योगदान द्वारा संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना और विश्वविद्यालय विकास के लिए समाज से प्राप्त हो रहे संसाधनों के प्रवाह में वृद्धि करना । सृजित किए गए संसाधनों का पच्चीस (25) प्रतिशत भाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शेयर के रूप में दिया जाता है जिसकी अधिकतम राशि किसी एक वित्तीय वर्ष में रु॰ 25 लाख तक होगी । आलोच्य वर्ष के दौरान 11 राज्य तथा 8 समविश्वविद्यालयों को रु॰ 326.89 लाख की राशि दी गई ।

16.2 अकादमिक प्रशासकों का प्रशिक्षण

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हाल के विकासों और भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना तथा प्रबंध-क्षमताओं को सुदृढ़ करने के हेतु विश्वविद्यालय प्रशासकों के एक कार्यक्रम को विकसित करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा योजना संस्थान (आई आई ई पी), पेरिस तथा 'नीपा' तीनों ने मिलकर 1999 में नई दिल्ली में 'उच्च शिक्षा के अकादमिक प्रशासकों का प्रशिक्षण' - विषय पर एक तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जिसका उद्देश्य भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विचार उत्पन्न करना तथा विश्वविद्यालय प्रशासन में मुख्य मुद्दों का पता लगाना था ।

16.3 राज्य उच्च शिक्षा परिषदों का गठन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुसरण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार के स्तर पर उच्च शिक्षा की योजना तैयार करने तथा समन्वय करने हेतु राज्य उच्च शिक्षा परिषदों का गठन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत विहित कर दिए थे । अब तक सात राज्यों ने राज्य उच्च शिक्षा परिषदों या राज्य सलाहकार बोर्डों की स्थापना कर दी है ।

परिशिष्टों की सूची : 2000-2001

I	भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालय संस्थाओं और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सूची : राज्यवार (31.03.2001 को)
II	उन विश्वविद्यालयों की सूची जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं (31.03.2001 को)
III	छात्र नामांकन में अखिल भारतीय संवृद्धि : 1981-82 से 2000-2001
IV	राज्यवार नामांकन (पीयूसी/इंटर/पूर्व-व्यावसायिक को छोड़कर) : 2000-2001
V	स्तरवार नामांकन : विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/विश्वविद्यालय कालेज तथा संबद्ध कालेज : 2000-2001
VI	छात्र नामांकन : संकायवार : 2000-2001
VII	कुल नामांकन में महिला नामांकन की प्रतिशतता : राज्यवार : 2000-2001
VIII	कालेजों की संख्या में वृद्धि : राज्यवार : 1996-97 से 2000-2001 तक
IX	विश्वविद्यालय विभागों और विश्वविद्यालय कालेजों में पदनामों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण : 2000-2001
X	संबद्ध कालेजों में पदनामों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण : 2000-2001
XI	1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रदत्त डॉक्टरेट की डिग्रियों की संख्या
XII	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची (31.03.2001 को)
XIII	मीडिया केंद्रों की सूची : 2000-2001
XIV	अकादमिक स्टाफ कालेजों की सूची : 2000-2001
XV	वर्ष 2000-2001 के दौरान योजनेतर अनुदान के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) वर्ष 2000-2001 के दौरान योजनेतर अनुदान के अंतर्गत कालेजों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) सारांश (योजनेतर) : 2000-2001
XVI	वर्ष 2000-2001 के दौरान सामान्य योजना, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी और अनुभाग-III के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) वर्ष 2000-2001 के दौरान सामान्य योजना, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी और अनुभाग III के अंतर्गत कालेजों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) सारांश (योजनागत) : 2000-2001

परिशिष्ट : I

भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालय संस्थाओं और राष्ट्रीय महत्व के सस्थानों की सूची - राज्यवार (31.03.2001 को)

(क) विश्वविद्यालय		
क्र०सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
	आंध्र प्रदेश	
1.	आचार्य एन० जी० रंगा कृषि	1964
2.	आंध्र	1926
3.	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर मुक्त	1982
4.	द्रविड़ियन विश्वविद्यालय	1997
5.	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी	1972
6.	ककातिया	1976
7.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू	1997
8.	एन० टी० आर० स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	1986
9.	नागार्जुन	1976
10.	राष्ट्रीय विधिक अध्ययन तथा अनुसंधान अकादमी	1999
11.	उस्मानिया	1918
12.	पोट्टी श्रीरामुलू तेलुगु	1985
13.	पद्मावती महिला	1983
14.	श्री कृष्णदेवराय	1981
15.	श्री वेंकटेश्वर	1954
16.	हैदराबाद विश्वविद्यालय*	1974
	अरुणाचल प्रदेश	
17.	अरुणाचल	1985

क्र०सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
	असम	
18.	असम*	1994
19.	असम कृषि	1968
20.	डिब्रूगढ़	1965
21.	गोहाटी	1948
22.	तेजपुर*	1994
	बिहार	
23.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर	1952
24.	भूपेंद्र नारायण मंडल	1993
25.	जय प्रकाश	1995
26.	के० एस० दरभंगा संस्कृत	1961
27.	ललित नारायण मिथिला	1972
28.	मगध	1962
29.	नालंदा मुक्त	1995
30.	पटना	1917
31.	राजेंद्र कृषि	1970
32.	तिलक मांझी भागलपुर	1960
33.	वीर कुंवर सिंह	1994
	छत्तीसगढ़	
34.	गुरु घासीदास	1983
35.	इंदिरा गांधी कृषि	1987
36.	इंदिरा कला संगीत	1956
37.	पं० रविशंकर	1964

क्र०सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
	गोवा	
38.	गोवा	1985
	गुजरात	
39.	भावनगर	1978
40.	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त	1995
41.	गुजरात	1950
42.	गुजरात कृषि	1972
43.	गुजरात आयुर्वेद	1968
44.	महाराजा सायाजीराव बड़ोदा विश्वविद्यालय	1949
45.	नार्थ गुजरात	1986
46.	सरदार पटेल	1955
47.	सौराष्ट्र	1955
48.	साउथ गुजरात	1965
	हरयाणा	
49.	चौधरी चरणसिंह हरयाणा कृषि	1970
50.	गुरु जम्बेश्वर	1995
51.	कुरुक्षेत्र	1956
52.	महर्षि दयानंद	1976
	हिमाचल प्रदेश	
53.	डॉ० वाई० एस० परमार उद्यान कृषि एवं वानिकी	1986
54.	हिमाचल प्रदेश	1970
55.	हिमाचल प्रदेश कृषि	1978

क्र०सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
	जम्मू और कश्मीर	
56.	जम्मू	1969
57.	कश्मीर	1949
58.	शेरे-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1982
	झारखंड	
59.	बिरसा कृषि	1980
60.	रांची	1960
61.	सिद्धू कन्हू	1992
62.	विनोबा भावे	1993
	कर्नाटक	
63.	बंगलौर	1964
64.	गुलबर्गा	1980
65.	कन्नड	1992
66.	कर्नाटक	1949
67.	कर्नाटक राज्य मुक्त	1996
68.	कुवेम्पू	1987
69.	मंगलौर	1980
70.	मैसूर	1916
71.	नेशनल ला स्कूल आफ इंडिया	1992
72.	राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान	1994
73.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	1964
74.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1986
75.	विश्वेश्वरैय्या प्रौद्योगिकीय	1999

क्र०सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
	केरल	
76.	कालीकट	1968
77.	कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1971
78.	कन्नूर	1997
79.	केरल	1937
80.	केरल कृषि	1972
81.	महात्मा गांधी	1983
82.	श्री शंकराचार्य संस्कृत	1994
	मध्य प्रदेश	
83.	अवधेश प्रताप सिंह	1968
84.	बरकतुल्ला	1970
85.	देवी अहिल्या	1964
86.	डॉ० हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय	1946
87.	जवाहरलाल नेहरू कृषि	1964
88.	जीवाजी	1964
89.	एम० सी० राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय	1993
90.	एम० जी० ग्रामोदय विश्वविद्यालय	1993
91.	एम० पी० भोज	1995
92.	महर्षि महेश योगी वैदिक	1998
93.	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय	1999
94.	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2000
95.	रानी दुर्गावती	1957
96.	विक्रम	1957

क्र०सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
	महाराष्ट्र	
97.	अमरावती	1983
98.	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर, मराठवाड़ा	1958
99.	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकीय	1992
100.	कवि कुलगुरु कालीदास संस्कृत	1999
101.	कोंकण विद्यापीठ	1972
102.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	2000
103.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी*	1997
104.	महात्मा फूले कृषि	1968
105.	मराठवाड़ा कृषि	1983
106.	बंबई	1857
107.	नागपुर	1923
108.	नार्थ महाराष्ट्र	1991
109.	पूना	1949
110.	पंजाबराव कृषि	1969
111.	शिवाजी	1962
112.	श्रीमती नत्थीबाई दामोदर ठाकरसे महिला	1951
113.	स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा	1995
114.	यशवंतराव चह्वाण महाराष्ट्र मुक्त	1990
	मणिपुर	
115.	मणिपुर*	1980
116.	केंद्रीय कृषि	1993
	मेघालय	
117.	नार्थ ईस्टर्न हिल*	1973

क्र०सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
	नागालैंड	
118.	नागालैंड*	1995
	उड़ीसा	
119.	बरहामपुर	1967
120.	फकीर मोहन	1999
121.	नार्थ उड़ीसा	1999
122.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी	1962
123.	सम्बलपुर	1967
124.	श्री जगन्नाथ संस्कृत	1981
125.	उत्कल	1943
126.	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय	1999
	पंजाब	
127.	गुरु नानक देव	1969
128.	पंजाब	1947
129.	पंजाब कृषि	1962
130.	पंजाब तकनीकी	1998
131.	पंजाबी	1962
	राजस्थान	
132.	जय नारायण व्यास	1962
133.	कोटा मुक्त	1987
134.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2000
135.	महर्षि दयानंद सरस्वती	1987
136.	मोहनलाल सुखाड़िया	1962
137.	राजस्थान	1947
138.	राजस्थान कृषि	1987

क्र०सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
	सिक्किम	
139.	सिक्किम-मणिपाल स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकीय विज्ञान विश्वविद्यालय	1998
	तमिलनाडु	
140.	अलगप्पा	1985
141.	अन्ना	1978
142.	अन्नामलाई	1929
143.	भरतियार	1982
144.	भारतीदासन	1982
145.	मदुरै कामराज	1965
146.	मनोनमनियन सुंदरनर	1992
147.	मदर टरेसा महिला	1984
148.	पेरियार	1998
149.	तमिल	1981
150.	तमिलनाडु कृषि	1971
151.	तमिलनाडु डॉ० अम्बेडकर विधि	1998
152.	तमिलनाडु डॉ० एम० जी० आर० मेडीकल	1989
153.	तमिलनाडु पशुचिकित्सा तथा पशुविज्ञान	1990
154.	मद्रास	1857
	त्रिपुरा	
155.	त्रिपुरा	1987
	उत्तर प्रदेश	
156.	अलीगढ़ मुस्लिम*	1921
157.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर*	1996
158.	बनारस हिंदू	1916

क्र०सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
159.	चौधरी चरणसिंह	1965
160.	चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी	1974
161.	छत्रपति साहूजी महाराज, कानपुर	1965
162.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर	1957
163.	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर	1927
164.	डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध	1975
165.	एम० जे० पी० रुहेलखंड	1975
166.	महात्मा गांधी काशी	1974
167.	नरेंद्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1974
168.	संपूर्णानंद संस्कृत	1958
169.	इलाहाबाद	1887
170.	बुंदेलखंड	1975
171.	लखनऊ	1921
172.	वी० बी० एस० पूर्वांचल	1987
	उत्तरांचल	
173.	जी० बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी	1960
174.	हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल	1973
175.	कुमाऊं	1973
176.	रुड़की	1949
	पश्चिम बंगाल	
177.	बिधानचंद्र कृषि	1974
178.	जादवपुर	1955
179.	नेताजी सुभाष मुक्त	1997
180.	रबींद्र भारती	1962

क्र०सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
181.	बर्दवान	1960
182.	कलकत्ता	1857
183.	कल्याणी	1960
184.	नार्थ बंगाल	1962
185.	विद्यासागर	1981
186.	विश्वभारती	1951
187.	पश्चिम बंगाल पशु तथा मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय	1995
	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
188.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1922
189.	गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ	1998
190.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त*	1985
191.	जामिया मिलिया इस्लामिया*	1988
192.	जवाहरलाल नेहरू*	1968
	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	
193.	पांडिचेरी*	1985

* केंद्रीय विश्वविद्यालय

(ख) राज्य विधान अधिनियम के अधीन स्थापित की गई संस्थाएं

क्र०सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
	आंध्र प्रदेश	
1.	निज़ाम आयुर्विज्ञान संस्थान	1990
2.	श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान	1995
	बिहार	
3.	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान	1992
	जम्मू और कश्मीर	
4.	शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान	1990
	उत्तर प्रदेश	
5.	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान	1983

(ग) समविश्वविद्यालय संस्थाएँ

क्र०सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
	आंध्र प्रदेश	
1.	केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाएं संस्थान	1973
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	1987
3.	श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान	1981
	बिहार	
4.	बिहार योग भारती	1968
	गुजरात	
5.	धर्मसिंह देसाई प्रौद्योगिकी संस्थान	2000
6.	गुजरात विद्यापीठ	1963
	हरयाणा	
7.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	1989
	झारखंड	
8.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	1986
9.	भारतीय खान स्कूली	1968
	कर्नाटक	
10.	भारतीय विज्ञान संस्थान	1985
11.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी	1994
12.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान	1994
	मध्य प्रदेश	
13.	लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	1997

क्र०सं०	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
	महाराष्ट्र	
14.	भारती विद्यापीठ	1996
15.	केंद्रीय मीन उद्योग शिक्षा संस्थान	1989
16.	डकन स्नातकोत्तर कालेज एवं अनुसंधान संस्थान	1990
17.	गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान	1994
18.	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान	1996
19.	शस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान	1999
20.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान	1985
21.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	1964
22.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	1987
	पंजाब	
23.	थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	1985
	राजस्थान	
24.	बनस्थली विद्यापीठ	1983
25.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान	1964
26.	जैन विश्वभारती संस्थान	1991
27.	राजस्थान विद्यापीठ	1987
	तमिलनाडु	
28.	श्री अविनाशीलिंगम् महिला गृह-विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान	1988
29.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	1976
30.	श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय	1994
31.	श्री रामचंद्र आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान	1995
32.	विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान	2000

क्र॰सं॰	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
	उत्तर प्रदेश	
33.	इलाहाबाद कृषि संस्थान	2000
34.	भटखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान	2000
35.	केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान	1989
36.	दयालबाग शिक्षा संस्थान	1981
37.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	2000
38.	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान	1983
	उत्तरांचल	
39.	वन अनुसंधान संस्थान	1992
40.	गुरुकुल कांगड़ी	1962
	पश्चिम बंगाल	
41.	बंगाल इंजीनियरी कालेज	1992
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
42.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	1958
43.	जामिया हमदर्द	1989
44.	कला इतिहास, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान का राष्ट्रीय म्यूज़ियम संस्थान	1989
45.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय	1979
46.	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	1987
47.	'टेरी' उच्च अध्ययन स्कूल	1999

(घ) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
2.	दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, घयागरानगर, चेन्नई
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पोवाई, मुंबई
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
8.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवाहाटी
9.	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकता
10.	आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान का स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़
11.	श्री चित्र तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम्

परिशिष्ट : II

उन विश्वविद्यालयों की सूची जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं (31.03.2001 को)

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम
1.	कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)
2.	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा
3.	बी० एन० मंडल विश्वविद्यालय, माधेपुरा, बिहार
4.	डा० बाबा साहेब अम्बेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय, लोनारा
5.	डा० बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
6.	द्रविड़ विश्वविद्यालय, कुप्पम (आं० प्र०)
7.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासौर
8.	जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार
9.	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर (केरल)
10.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर
11.	कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, जिला नागपुर
12.	एम० पी० भोज विश्वविद्यालय, भोपाल (म० प्र०)
13.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक
14.	महर्षि महेश योगी, वेदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर
15.	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल (म० प्र०)
16.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, नालंदा (बिहार)
17.	विधि अध्ययन तथा अनुसंधान विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय अकादमी, हैदराबाद
18.	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल
19.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कलकत्ता
20.	नार्थ उड़ीसा विश्वविद्यालय, बारीपाड़ा
21.	पेरियार विश्वविद्यालय, सालेम (तमिलनाडु)
22.	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर
23.	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल
24.	राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम
25.	सिद्धू कन्हू विश्वविद्यालय, दुमका (बिहार)
26.	सिक्किम मणिपाल स्वास्थ्य, आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकीय विज्ञान विश्वविद्यालय गंटोक (सिक्किम)
27.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी (केरल)
28.	तमिलनाडु डा० एम० जी० आर० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई
29.	तमिलनाडु डा० अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, चेन्नई
30.	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
31.	वीर कँवर सिंह विश्वविद्यालय (बिहार)
32.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (बिहार)
33.	विश्वेशरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगांम (कर्नाटक)
34.	पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान, कलकत्ता

टिप्पणी : कृषि/पशुचिकित्सा, आयुर्वेद सहित आयुर्विज्ञान, मुक्त विश्वविद्यालयों तथा राज्य विधान अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संस्थानों की निधि व्यवस्था संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालय या केंद्रीय/राज्य सांविधिक निकायों द्वारा की जा रही है । बहरहाल, विश्वविद्यालयों यथा - जी० बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉ० बी० आर० अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, यशवंत राव चह्वाण मुक्त विश्वविद्यालय तथा कुछ अनुसंधान संस्थानों को वि० अ० आ० के विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं के अधीन आंशिक रूप से निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

परिशिष्ट : III

छात्र नामांकन में अखिल भारतीय संवृद्धि 1981-82 से 2000-2001

वर्ष	कुल नामांकन	गत वर्ष के अपेक्षाकृत वृद्धि	प्रतिशतता
1981-82	29,52,066	1,99,629	7.3
1982-83	31,33,093	1,81,027	6.1
1983-84	33,07,649	1,74,556	5.6
1984-85	34,04,096	96,447	2.9
1985-86	36,05,029	2,00,933	5.9
1986-87	37,57,158	1,52,129	4.2
1987-88	40,20,159	2,63,001	7.0
1988-89	42,85,489	2,65,330	6.6
1989-90	46,02,680	3,17,191	7.4
1990-91	49,24,868	3,22,188	7.0
1991-92	52,65,886	3,41,018	6.9
1992-93	55,34,966	2,69,080	5.1
1993-94	58,17,249	2,82,283	5.1
1994-95	61,13,929	2,96,680	5.1
1995-96	64,25,624	3,11,695	5.1
1996-97	67,55,455	3,29,831	5.1
1997-98	70,78,214	3,22,759	4.8
1998-99	74,17,968	3,39,754	4.8
1999-2000*	76,83,180	2,65,212	3.6
2000-2001*	80,00,935	3,17,755	4.1

* अनंतिम

परिशिष्ट : IV

राज्यवार नामांकन*
(पीयूसी/इंटर/पूर्व-व्यावसायिक को छोड़कर) 2000-2001

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकन 1999-2000*	नामांकन 2000-2001*	गत वर्ष के अपेक्षाकृत वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1.	आंध्र प्रदेश	5,67,820	5,90,532	22,712	4.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4,254	4,641	387	9.10
3.	असम	1,96,740	2,05,064	34,111	4.23
4.	बिहार/झारखंड	6,08,222	6,42,333	8,236	5.61
5.	दिल्ली	1,51,201	1,59,437	301	5.45
6.	गोवा	17,329	17,630	24,652	1.74
7.	गुजरात/दमन और दीव	4,50,591	4,75,243	19,630	5.47
8.	हरयाणा	2,11,351	2,29,981	18,630	8.81
9.	हिमाचल प्रदेश	63,082	6,66,123	3,041	4.82
10.	जम्मू और कश्मीर	66,973	69,971	2,998	4.48
11.	कर्नाटक	5,19,812	5,52,290	32,478	6.25
12.	केरल	2,16,541	2,23,476	6,935	3.20
13.	म०प्र०/छत्तीसगढ़	4,54,232	4,72,429	18,197	4.01
14.	महाराष्ट्र	11,49,601	11,59,031	9,430	0.82
15.	मणिपुर	40,118	42,845	2,727	6.80
16.	मेघालय/मिज़ोरम	30,918	32,534	1,616	5.23
17.	नागालैंड	10,020	10,992	972	9.70
18.	उड़ीसा	2,72,169	2,86,927	14,758	5.42
19.	पंजाब/चंडीगढ़	2,23,577	2,35,071	11,494	5.14
20.	राजस्थान	2,67,241	2,82,836	15,595	5.84
21.	तमिलनाडु	5,91,954	6,16,388	24,434	4.13
22.	त्रिपुरा	17,063	17,654	591	3.46
23.	उ०प्र०/उत्तरांचल	11,03,316	11,41,364	38,048	3.45
24.	पश्चिम बंगाल/सिक्किम	4,33,348	4,49,908	16,560	3.82
25.	पांडिचेरी	15,707	16,235	528	3.36
	जोड़	76,83,180	80,00,235	3,17,755	4.14

* अनंतिम

परिशिष्ट : V

स्तरवार नामांकन*

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/विश्वविद्यालय कालेज तथा संबद्ध कालेज

2000-2001

क्र० सं०	स्तर	विश्वविद्यालय विभाग/ विश्वविद्यालय कालेज	संबद्ध कालेज	जोड़	संबद्ध कालेजों में प्रतिशतता
1.	स्नातक	7,20,963	63,76,141	71,07,104 (88.83 प्रतिशत)	89.71
2.	स्नातकोत्तर	2,79,489	4,83,676	7,63,165 (9.54 प्रतिशत)	63.38
3.	अनुसंधान	50,616	5,528	56,144 (0.70 प्रतिशत)	9.85
4.	डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र	39,283	35,239	74,522 (0.93 प्रतिशत)	47.29
	जोड़	**11,00,351**	**69,00,584**	**80,00,935**	**86.25**

* अनंतिम

परिशिष्ट : VI

छात्र नामांकन : संकायवार* : 2000-2001

संकाय	कुल नामांकन	कुल नामांकन का प्रतिशत
कृषि	61,855	0.8
कला (प्राच्य विद्या सहित)	34,21,912	42.7
वाणिज्य	16,54,617	20.7
शिक्षा	1,35,369	1.7
इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी	5,29,461	6.6
विधि	2,73,319	3.4
आयुर्विज्ञान	2,61,207	3.3
विज्ञान	15,73,966	19.7
पशुचिकित्सा विज्ञान	17,139	0.2
अन्य (इनमें संगीत/ललित कलाएँ आदि शामिल हैं)	72,090	0.9
जोड़	**80,00,935**	**100.00**

* अनंतिम

परिशिष्ट : VII

कुल नामांकन में महिला नामांकन की प्रतिशतता* : राज्यवार : 2000-2001

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिलाओं की प्रतिशतता
1.	आंध्र प्रदेश	5,90,532	2,03,865	34.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	4,641	1,363	29.37
3.	असम	2,05,064	74,745	36.45
4.	बिहार/झारखंड	6,42,333	1,56,802	24.41
5.	दिल्ली	1,59,437	72,568	45.52
6.	गोवा	17,630	9,997	56.70
7.	गुजरात/दमन और दीव	4,75,243	2,05,254	43.19
8.	हरयाणा	2,29,981	97,558	42.42
9.	हिमाचल प्रदेश	66,123	27,110	41.00
10.	जम्मू और कश्मीर	69,971	25,868	36.97
11.	कर्नाटक	5,52,290	2,18,916	39.64
12.	केरल/लक्षद्वीप	2,23,476	1,24,923	55.90
13.	म०प्र०/छत्तीसगढ़	4,72,429	1,61,996	34.29
14.	महाराष्ट्र	11,59,031	4,60,686	39.75
15.	मणिपुर	42,845	21,165	49.40
16.	मेघालय/मिज़ोरम	32,534	14,575	44.80
17.	नागालैंड	10,992	4,599	41.84
18.	उड़ीसा	2,86,927	94,399	32.90
19.	पांडिचेरी	16,235	7,556	46.54
20.	पंजाब/चंडीगढ़	2,35,071	1,20,947	51.45
21.	राजस्थान	2,82,836	99,996	35.35
22.	तमिलनाडु	6,16,388	2,17,211	44.00
23.	त्रिपुरा	17,654	7,014	39.73
24.	उ०प्र०/उत्तरांचल	11,41,364	3,71,120	32.51
25.	पश्चिम बंगाल/सिक्किम	4,49,908	1,58,134	35.15
	जोड़	80,00,935	30,12,367	37.65

* अनंतिम

परिशिष्ट : VIII

कालेजों की संख्या में वृद्धि : राज्यवार 1996-97 से 2000-2001 तक

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 कालेजों की संख्या (वि.का.+ सं.का.)	1997-98 कालेजों की संख्या (वि.का.+ सं.का.)	1998-99 कालेजों की संख्या (वि.का.+ सं.का.)	1999-2000 कालेजों की संख्या (वि.का.+ सं.का.)	2000-2001* कालेजों की संख्या (वि.का.+ सं.का.)	1996-97 से 2000-2001 के दौरान वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1045	1196	1296	1339	1321	276
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	8	8	8	8	4
3.	असम	276	297	325	341	352	76
4.	बिहार	777	779	813	822	667	**110
5.	छत्तीसगढ़					217	217
6.	गोवा	35	36	42	43	53	18
7.	गुजरात	474	489	508	536	660	186
8.	हरयाणा	182	206	219	230	242	60
9.	हिमाचल प्रदेश	70	75	74	74	85	15
10.	जम्मू और कश्मीर	56	60	68	71	86	30
11	झारखंड					175	175
12.	कर्नाटक	1118	1246	1350	1391	1423	305
13.	केरल	239	289	308	341	368	129
14.	मध्य प्रदेश	695	742	784	803	615	***80
15.	महाराष्ट्र	1562	1605	1705	1749	1787	225
16.	मणिपुर	60	60	60	66	69	9
17.	मेघालय	29	36	47	47	49	20
18.	मिज़ोरम	12	27	30	30	30	18

परिशिष्ट : VIII .. जारी

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागालैंड	28	28	35	35	37	9
20.	उड़ीसा	573	628	643	645	647	74
21.	पंजाब	250	252	280	290	358	108
22.	राजस्थान	324	347	350	367	361	37
23.	सिक्किम	2	4	6	6	7	5
24.	तमिलनाडु	545	634	705	711	761	216
25.	त्रिपुरा	20	21	21	21	21	1
26.	उत्तर प्रदेश	1027	1058	1146	1265	1207	@180
27.	उत्तरांचल					75	75
28.	पश्चिम बंगाल	409	418	432	453	453	44
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3	4	4	4	4	1
30.	चंडीगढ़	21	21	21	24	30	9
31.	दादर और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-
32.	दमन आरै दीव	1	2	2	2	2	1
33.	दिल्ली	87	88	93	146	149	62
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
35.	पांडिचेरी	16	22	22	23	23	7
	जोड़	9940	10678	11397	11865	12342	2402

सं० का० - संबद्ध कालेज,
वि०का० - विश्वविद्यालय कालेज
* अनंतिम
** झारखंड राज्य को कालेज अंतरित किए जाने के कारण
*** छत्तीसगढ़ राज्य को कालेज अंतरित किए जाने के कारण
@ नए राज्य यथा - मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बनने के कारण ।

परिशिष्ट : IX

विश्वविद्यालय विभागों तथा विश्वविद्यालय कालेजों में पदनामों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण* 2000-2001

वर्ष	प्रोफेसर	रीडर	वरिष्ठ लेक्चरार/लेक्चरार/ अंशकालिक शिक्षक	अनुशिक्षक/ निदर्शक	जोड़
2000-2001	18,698 (23.63%)	24,603 (31.09%)	34,284 (43.33%)	1,540 (1.95%)	79,125 (100.00%)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े कुल स्टाफ के काडरों की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

**अनंतिम

परिशिष्ट : X

संबद्ध कालेजों में पदनामों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण** 2000-2001

वर्ष	वरिष्ठ शिक्षक*	लेक्चरार/ अंशकालिक शिक्षक@	अनुशिक्षक/ निदर्शक	जोड़
2000-2001	1,10,394 (34.97%)	1,99,712 (63.26%)	5,576 (1.77%)	3,15,682 (100.00%)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े कुल स्टाफ के काडरों की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

* इसमें प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरार (प्रवरण ग्रेड) शामिल हैं ।

** अनंतिम

@ इसमें लेक्चरार, लेक्चरार (वरिष्ठ ग्रेड) शमिल हैं ।

परिशिष्ट : XI

1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रदत्त डॉक्टरेट की डिग्रियों की संख्या

संकाय	1998-99	1999-2000*
कृषि	806	732
कला	4256	4231
वाणिज्य	517	567
शिक्षा	310	363
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	696	682
विधि	75	74
आयुर्विज्ञान	195	225
विज्ञान	3896	3832
पशुचिकित्सा विज्ञान	101	136
अन्य	255	225
जोड़ :	**11107**	**11067**

* अनंतिम

परिशिष्ट : XII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची (31.03.2001 को)

क्र०सं०	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की तारीख	क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (एस ई आर ओ)	हैदराबाद	28.09.1994	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पांडिचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू आर ओ)	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव
3.	मध्य क्षेत्रीय कार्यालय (सी आर ओ)	भोपाल	01.12.1994	मध्य प्रदेश, राजस्थान
4.	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एन आर ओ)	गाजियाबाद	03.12.1994	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरयाणा उत्तर प्रदेश
5.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (एन ई आर ओ)	गोवाहाटी	01.04.1995	असम, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड
6.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ई आर ओ)	कोलकता	03.09.1996	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम
7.	दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एस डब्लू आर ओ)	बंगलौर	25.04.1999	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप (पहले यह कार्यालय वि०अ०आ० एस ई आर ओ, हैदराबाद के अंतर्गत आता था)

परिशिष्ट : XIII

मीडिया केंद्रों की सूची : 2000-2001
(शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र तथा दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र)

शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र

1.	शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद
2.	शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र सेंट ज़ेवियर्स कालेज कोलकता
3.	शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद
4.	शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
5.	शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र मदुरै कामराज विश्वविद्यालय मदुरै
6.	जन-संचार अनुसंधान केंद्र जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली
7.	शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र पुणे विश्वविद्यालय पुणे

दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र

1.	दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद
2.	दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर
3.	दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई
4.	दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र संचार एवं पत्रकारिता विभाग मानस गंगोत्री मैसूर
5.	दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल
6.	दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला
7.	दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की
8.	दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर
9.	दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र कालीकट विश्वविद्यालय केरल
10.	दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र डॉ० हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर (म० प्र०)

परिशिष्ट : XIV

अकादमिक स्टाफ कालेजों की सूची : 2000-2001

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
2. आंध्र विश्वविद्यालय
3. बी० आर० अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय
4. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
5. बंगलौर विश्वविद्यालय
6. भरतियार विश्वविद्यालय
7. भारतीदासन विश्वविद्यालय
8. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
9. डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
10. डॉ० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय
11. गोहाटी विश्वविद्यालय
12. गोवा विश्वविद्यालय
13. गोरखपुर विश्वविद्यालय
14. गुजरात विश्वविद्यालय
15. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय
16. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
17. जादवपुर विश्वविद्यालय
18. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय
19. जामिया मिलिया विश्वविद्यालय
20. जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय
21. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
22. कर्नाटक विश्वविद्यालय
23. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
24. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान
25. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय
26. महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय
27. नागपुर विश्वविद्यालय
28. उस्मानिया विश्वविद्यालय
29. पटना विश्वविद्यालय
30. पांडिचेरी विश्वविद्यालय
31. पंजाब विश्वविद्यालय
32. राजस्थान विश्वविद्यालय
33. रांची विश्वविद्यालय
34. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
35. सम्बलपुर विश्वविद्यालय
36. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय
37. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
38. हैदराबाद विश्वविद्यालय
39. इलाहाबाद विश्वविद्यालय
40. बर्दवान विश्वविद्यालय
41. कलकत्ता विश्वविद्यालय
42. कालीकट विश्वविद्यालय
43. दिल्ली विश्वविद्यालय
44. कश्मीर विश्वविद्यालय
45. केरल विश्वविद्यालय
46. लखनऊ विश्वविद्यालय
47. मद्रास विश्वविद्यालय
48. मुंबई विश्वविद्यालय
49. मैसूर विश्वविद्यालय
50. पूणे विश्वविद्यालय
51. उत्कल विश्वविद्यालय

परिशिष्ट : XV

वर्ष 2000-2001 के दौरान योजनेतर अनुदान के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार)

(रु० लाख में)

क्र० सं०	केंद्रीय विश्व-विद्यालय	केंद्रीय विश्व-विद्यालयों को ब्लाक अनुदान 02(i)	समविश्व-विद्यालयों को ब्लाक अनुदान 02(ii)	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान 02(iii)	शिक्षक अवार्ड 04	अनुसंधान अध्येता-वृत्ति 05	मानविकी/ विज्ञानों में अनु-संधान वैज्ञानिक 06	इंजी० तथा प्रौद्यो० में छात्रवृत्ति और अध्येता-वृत्ति 07	विश्व-विद्याल-येतर/ संस्थानों को प्रतिपूर्ति 08	जनसंपर्क (मीडिया) केंद्र 09	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनु-दान 010	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अलीगढ़ मुस्लिम वि० वि०	15043.49	-	-	-	27.85	-	-	-	-	-	15071.34
2.	असम वि०वि०, सिल्चर	543.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543.93
3.	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर वि० वि० लखनऊ	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
4.	बनारस हिंदू वि० वि०	15025.73	-	-	-	203.15	34.93	98.28	-	-	-	15362.09
5.	दिल्ली वि० वि०	10623.63	-	-	-	368.04	53.07	-	-	-	-	11044.74
6.	हैदराबाद वि० वि०	3127.52	-	-	-	3.17	8.09	7.88	-	-	-	3146.66
7.	इग्नू	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	जामिया मिलिया इस्लामिया	3430.66	-	-	-	15.11	-	-	-	211.15	-	3656.92
9.	जवाहर लाल नेहरू वि०वि०	4732.22	-	-	-	368.25	20.82	-	-	-	-	5121.29

परिशिष्ट XV ... जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू वि०वि०, हैदराबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वि०वि०, वर्धा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	नागालैंड वि०वि०	1267.58	-	-	-	3.40	-	-	-	-	-	1270.98
13.	नेहू, शिलांग	3201.77	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	3289.77
14.	पांडिचेरी वि०वि०	589.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589.21
15.	तेजपुर वि०वि०	310.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.25
16.	विश्व भारती, शांति-निकेतन	4233.34	-	-	-	59.27	-	-	-	-	-	4292.61
	जोड़	**62169.33**	-	-	-	**1136.24**	**116.91**	**106.16**	-	**211.15**	-	**63739.79**

परिशिष्ट XV ... जारी

(रु० लाख में)

क्र० सं०	सम विश्व-विद्यालय संस्थाएँ	केंद्रीय विश्व-विद्यालयों को ब्लाक अनुदान 02(i)	समविश्व-विद्यालयों को ब्लाक अनुदान 02(ii)	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान 02(iii)	शिक्षक अवार्ड 04	अनुसंधान अध्येता-वृत्ति 05	मानविकी/ विज्ञानों में अनु-संधान वैज्ञानिक 06	इंजी० तथा प्रौद्यो० में छात्रवृत्ति और अध्येता-वृत्ति 07	विश्व-विद्याल-येतर/ संस्थानों को प्रतिपूर्ति 08	जनसंपर्क (मीडिया) केंद्र 09	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनु-दान 010	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अविनाश महिला गृह-विज्ञान संस्थान कोयंबटूर	-	607.02	-	-	-	-	-	-	-	-	607.02
2.	बनस्थली विद्यापीठ	-	300.00	-	-	2.20	-	-	-	-	-	302.20
3.	बंगाल इंजी० कालेज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा	-	-	65.33	-	-	-	-	-	-	-	65.33
5.	बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान,पिलानी	-	-	-	-	-	-	44.37	-	-	-	44.37
6.	भारती विद्या-पीठ, पुणे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	सी० आई० ई० एफ० एल०, हैदराबाद	-	898.97	-	-	-	-	-	-	87.11	-	986.08
8.	केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान, वाराणसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	केंद्रीय मत्स्य उद्योग शिक्षा संस्थान वरसोवा, मुंबई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	चेन्नई आयु-विज्ञान कालेज तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा	-	385.64	-	-	5.67	-	1.27	-	-	-	392.58
12.	डकन कालेज पी० जी० तथा अनुसंधान संस्थान, पुणे	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	0.09
13.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	-	-	-	-	1.84	-	-	-	-	-	1.84

परिशिष्ट XV ... जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	-	704.72	-	-	1.13	-	-	-	-	-	705.85
15.	गोखले राजनीति तथा अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	गुजरात विद्यापीठ	-	642.49	-	-	-	-	-	-	-	-	642.49
17.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरद्वार	-	493.99	-	-	-	-	-	-	-	-	493.99
18.	आई०ए०आर० आई०, नई दिल्ली	-	-	-	-	8.41	-	1.80	-	-	-	10.21
19.	भारतीय विज्ञान संस्थान,बंगलौर	-	-	-	-	45.58	2.35	-	-	-	-	47.93
20.	भारतीय शस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	आई एस एम, धनबाद	-	-	-	-	0.52	-	-	-	-	-	0.52
22.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई	-	-	-	-	2.97	-	-	-	-	-	2.97
23.	भारती पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज़ातनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	-	501.09	-	-	2.00	-	3.54	-	-	-	506.63
26.	जैन विश्व भारती संस्थान, लाड़नूं	-	-	-	-	0.68	-	-	-	-	-	0.68
27.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान,ग्वालियर	-	-	-	-	5.26	-	-	-	-	-	5.26
28.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	कला इतिहास संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान का राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	-	-	-	-	0.68	6.00	-	-	-	-	6.68

परिशिष्ट XV ... जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल	-	-	-	-	-	-	0.67	-	-	-	0.67
31.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायुविज्ञान संस्थान, बंगलौर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	राजस्थान विद्या-पीठ, उदयपुर	-	-	-	-	0.68	-	-	-	-	-	0.68
33.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ,तिरुपति	-	256.10	-	-	-	-	-	-	-	-	256.10
34.	योजना तथा वास्तु कला विद्यालय, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, विश्वविद्यालय	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
36.	श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	-	449.56	-	-	4.49	-	-	-	-	-	454.05
37.	श्री सत्य साई उच्च अध्ययन संस्थान, प्रासन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	श्री रामचन्द्र आयुर्विज्ञान कालेज तथा अनुसंधान संस्थान	-	-	-	-	1.48	-	-	-	-	-	1.48
39.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई	-	693.95	-	-	-	-	-	-	-	-	693.95
40.	'टेरी' उच्च अध्ययन स्कूल, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ भवन, पुणे	-	-	-	-	1.71	-	-	-	-	-	1.71
42.	थापर इंजी० तथा प्रौद्यो० संस्थान, पटियाला	-	-	43.92	-	-	-	-	-	-	-	43.92
	कुल जोड़	-	5940.53	109.25	-	85.39	8.35	51.65	-	87.11	-	6282.28

परिशिष्ट XV ... जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	अंतर्विश्व-विद्यालय केंद्र											
1.	शिक्षा संचार कन्सार्टियम, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	74.77	-	74.77
2.	खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी का अंत-र्विश्वविद्यालय केंद्र, पुणे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.08	460.08
3.	डी ए ई सुविधा के लिए अंतर्विश्वविद्यालय कन्सार्टियम,इंदौर	-	-	-	-	0.87	-	-	-	-	541.33	542.20
4.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	नाभिकीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.67	660.67
6.	एन० ए० ए० सी०, बंगलौर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.33	108.33
7.	पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, मुंबई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	इन्फ्लिब्नेट केंद्र, अहमदाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.07	144.07
	जोड़	-	-	-	-	0.87	-	-	-	74.77	1914.48	1990.12

परिशिष्ट XV ... जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	राज्य विश्व-विद्यालय आंध्र प्रदेश											
1.	आंध्र	-	-	-	-	43.41	2.16	120.14	-	-	-	165.71
2.	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्यो०	-	-	-	-	-	5.29	12.38	-	-	-	17.67
3.	ककातिया	-	-	-	-	-	-	13.05	-	-	-	13.05
4.	नागार्जुन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	उस्मानिया	-	-	-	-	23.44	-	23.92	-	-	-	47.36
6.	श्री कृष्णा देवराय	-	-	-	-	6.30	-	-	-	-	-	6.30
7.	श्री पद्मावती महिला	-	-	-	-	0.57	-	1.41	-	-	-	1.98
8.	श्री वेंकटेश्वर	-	-	-	-	21.76	0.90	30.19	-	-	-	52.85
9.	पी०एस० तेलगु विश्वि०	-	-	-	-	5.68	-	-	-	-	-	5.68
	जोड़	-	-	-	-	101.16	8.35	201.09	-	-	-	310.60
	अरुणाचल प्रदेश											
1.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	असम											
1.	डिब्रूगढ़	-	-	-	-	0.58	-	-	-	-	-	0.58
2.	गोहाटी	-	-	-	-	1.15	-	-	-	-	-	1.15
	जोड़	-	-	-	-	1.73	-	-	-	-	-	1.73
	बिहार											
1.	बी०एस०बी०आर० अम्बेडकर, बिहार	-	-	-	-	4.53	-	-	-	-	-	4.53
2.	एल०एन० मिथिला	-	-	-	-	6.13	-	-	-	-	-	6.13
3.	रांची	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	2.50
	जोड़	-	-	-	-	13.16	-	-	-	-	-	13.16
	गुजरात											
1.	गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	71.89	-	71.89
2.	एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा	-	-	-	-	-	-	38.37	-	-	-	38.37
3.	सरदार पटेल	-	-	-	-	2.04	-	-	-	-	-	2.04

परिशिष्ट XV ... जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	सौराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	दक्षिण गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	-	-	-	-	2.04	-	38.37	-	71.89	-	112.30
	हरयाणा											
1.	चौधरी चरणसिंह हरयाणा कृषि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	कुरुक्षेत्र	-	-	-	-	1.27	3.45	-	-	-	-	4.72
3.	महर्षि दयानंद	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	2.20
4.	गुरु जम्भेश्वर विवि०	-	-	-	-	-	-	2.17	-	-	-	2.17
	जोड़	-	-	-	-	3.47	3.45	2.17	-	-	-	9.09
	हिमाचल प्रदेश											
1.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जम्मू और कश्मीर											
1.	जम्मू	-	-	-	-	1.20	-	-	-	-	-	1.20
2.	कश्मीर	-	-	-	-	0.74	-	-	-	-	-	0.74
	जोड़	-	-	-	-	1.94	-	-	-	-	-	1.94
	कर्नाटक											
1.	बंगलौर	-	-	-	-	-	-	2.06	-	-	-	2.06
2.	गुलबर्गा	-	-	-	-	1.95	-	-	-	-	-	1.95
3.	मंगलौर	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
4.	मैसूर	-	-	-	-	25.79	-	-	-	-	-	25.79
	जोड़	-	-	-	-	32.74	-	2.06	-	-	-	34.80
	केरल											
1.	कालीकट	-	-	-	-	35.56	-	-	-	-	-	35.56
2.	कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	-	-	-	-	35.54	-	11.78	-	-	-	47.32
3.	केरल	-	-	-	0.14	46.21	7.13	-	-	-	-	53.48
4.	महात्मा गांधी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट XV ... जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	श्री शंकराचार्य संस्कृत वि०वि०	-	-	-	-	20.67	-	-	-	-	-	20.67
	जोड़	-	-	-	0.14	137.98	7.13	11.78	-	-	-	157.03
	मध्यप्रदेश											
1.	भोज मुक्त विश्वविद्यालय	-	-	-	-	9.01	-	-	-	-	-	9.01
2.	देवी अहिल्या	-	-	-	-	-	-	1.87	-	-	-	1.87
3.	डॉ० हरी सिंह गौड़	-	-	-	-	5.52	-	15.07	-	-	-	20.59
4.	इंदिरा कला संगीत	-	-	-	-	1.56	-	-	-	-	-	1.56
5.	जीवाजी	-	-	-	-	1.21	-	-	-	-	-	1.21
6.	रानी दुर्गावती	-	-	-	-	1.61	-	-	-	-	-	1.61
7.	पं० रवि शंकर शुक्ला	-	-	-	-	0.58	-	-	-	-	-	0.58
	जोड़	-	-	-	-	19.49	-	16.94	-	-	-	36.43
	महाराष्ट्र											
1.	मुंबई	-	-	-	0.08	2.39	6.49	104.28	-	-	-	113.24
2.	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर मराठवाड़ा	-	-	-	0.16	-	-	-	-	-	-	0.16
3.	नागपुर	-	-	-	0.30	-	-	13.99	-	-	-	16.83
4.	नार्थ महाराष्ट्र	-	-	-	0.15	2.54	-	1.42	-	-	-	1.57
5.	पूना	-	-	-	-	35.76	6.18	-	-	71.31	-	113.25
6.	एस०एन०डी०टी० वीमेंस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	शिवाजी	-	-	-	0.73	-	4.34	-	-	-	-	5.07
8.	कैंसर अनुसंधान संस्थान, मुंबई	-	-	-	-	0.68	-	-	-	-	-	0.68
	जोड़	-	-	-	1.42	41.37	17.01	119.69	-	71.31	-	250.80
	मणिपुर											
1.	मणिपुर वि०वि०	-	-	-	-	0.66	-	-	-	-	-	0.66
	जोड़	-	-	-	-	0.66	-	-	-	-	-	0.66
	उड़ीसा											
1.	सम्बलपुर	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	0.33
2.	उत्कल	-	-	-	0.17	60.49	-	-	-	-	-	60.66
	जोड़	-	-	-	0.17	60.49	-	0.33	-	-	-	60.99

परिशिष्ट XV ... जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	पंजाब											
1.	गुरु नानक देव	-	-	-	-	6.80	-	-	-	-	-	6.80
2.	पंजाब	-	-	-	-	69.27	14.99	0.34	-	-	-	84.60
3.	पंजाब कृषि	-	-	-	-	2.01	-	-	-	-	-	2.01
4.	पंजाबी	-	-	-	-	10.69	5.95	-	-	-	-	16.64
	जोड़	-	-	-	-	88.77	20.94	0.34	-	-	-	110.05
	राजस्थान											
1.	जय नारायण व्यास, जोधपुर	-	-	-	0.18	1.07	-	0.69	-	50.57	-	52.51
2.	एम० एल० सुखडिया	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	3.00
3.	महर्षि डी० सरस्वती	-	-	-	-	0.64	-	-	-	-	-	0.64
4.	राजस्थान	-	-	-	0.40	47.78	-	-	-	-	-	48.18
	जोड़	-	-	-	0.58	52.49	-	0.69	-	50.57	-	104.33
	तमिलनाडु											
1.	अलगप्पा	-	-	-	-	2.72	-	-	-	-	-	2.72
2.	अन्ना	-	-	90.00	-	12.15	-	-	-	-	-	102.15
3.	अन्नामलाई	-	-	-	-	0.87	-	1.78	-	-	-	2.65
4.	भारतीदासन	-	-	-	-	16.25	-	-	-	-	-	16.25
5.	मद्रास	-	-	-	0.17	40.38	3.63	-	-	-	-	44.18
6.	मदुरै कामराज	-	-	-	0.27	5.34	-	-	-	40.37	-	45.98
7.	मनोनमणियम सुंदरानर	-	-	-	-	0.78	-	-	-	-	-	0.78
8.	तमिलनाडु कृषि	-	-	-	-	1.51	-	2.82	-	-	-	4.33
	जोड़	-	-	90.00	0.44	80.00	3.63	4.60	-	40.37	-	219.04
	उत्तर प्रदेश											
1.	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर (आगरा)	-	-	-	-	1.84	-	-	-	-	-	1.84
2.	इलाहाबाद	-	-	-	-	71.75	3.50	1.46	-	-	-	76.71
3.	चौ० चरण सिंह	-	-	-	-	0.68	10.23	-	-	-	-	10.91
4.	जी०बी० पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	5.47	-	-	-	5.47
5.	दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर	-	-	-	-	3.27	1.77	-	-	-	-	5.04

परिशिष्ट XV ... जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	एच०एन० बहुगुणा, गढ़वाल	-	-	-	-	0.45	-	-	-	-	-	0.45
7.	कुमाऊं	-	-	-	-	5.53	3.59	-	-	-	-	9.12
8.	लखनऊ	-	-	-	-	82.88	3.92	-	-	-	-	86.80
9.	रुड़की	-	-	160.00	-	7.78	-	173.88	-	-	-	341.66
10.	सम्पूर्णानंद संस्कृत	-	-	-	-	2.53	-	-	-	-	-	2.53
11.	एम० जी० काशी विद्यापीठ	-	-	-	-	1.80	-	-	-	-	-	1.80
	जोड़	-	-	160.00	-	178.51	23.01	180.81	-	-	-	542.33
	परिचम बंगाल											
1.	बिधान चंद्र कृषि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	बर्दवान	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
3.	कलकत्ता	-	-	-	-	1.92	0.87	-	-	-	-	2.79
4.	जादवपुर	-	-	-	-	27.11	9.00	0.08	-	-	-	36.19
5.	कल्याणी	-	-	-	-	2.14	-	-	-	-	-	2.14
6.	नार्थ बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	रबीद्र भारती	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00
8.	विद्यासागर	-	-	-	-	3.50	-	-	-	-	-	3.50
	जोड़	-	-	-	-	44.67	9.87	0.08	-	-	-	54.62
	कुल जोड़	62169.33	5940.53	359.25	2.75	2083.17	218.65	736.76	-	607.17	1914.48	74032.09

परिशिष्ट - XV ... जारी

वर्ष 2000-2001 के दौरान योजनेतर अनुदान के अंतर्गत कालेजों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार)

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/ वि०वि०/ संस्था/ समविश्व-विद्यालय	दिल्ली वि० वि० कालेजों को अनुरक्षण अनुदान 03(i)	बी.एच.यू. के कालेजों को अनुरक्षण अनुदान 03(ii)	यू.सी. एम.एस. को अनुरक्षण अनुदान 03(iii)	शिक्षक अवार्ड 04(i) क से 04(ii) (iv)	अनुसंधान अध्येता-वृत्ति 05(i) (क) से 05(ii) (ख)	अनुसंधान वैज्ञानिक 06	ई एंड टी में छात्रवृत्ति/ अध्येता-वृत्ति 07	जनसंपर्क (मीडिया) केंद्र 09	कुल जोड़
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय	22422.87	-	1494.96	-	2.58	4.24	-	-	23924.65
2.	बनारस हिंदू वि० वि०	-	403.01	-	-	-	-	-	-	403.01
	जोड़	22422.87	403.01	1494.96	-	2.58	4.24	-	-	24327.66
	राज्य विश्वविद्यालय									
	आंध्र प्रदेश									
1.	आंध्र	-	-	-	-	-	-	1.41	-	1.41
2.	ककातिया	-	-	-	-	0.74	-	-	-	0.74
3.	उस्मानिया	-	-	-	-	1.89	-	-	-	1.89
	जोड़	-	-	-	-	2.63	-	1.41	-	4.04
	बिहार									
1.	बाबा साहेब बी आर ए वि० वि०	-	-	-	-	1.06	-	-	-	1.06
	जोड़	-	-	-	-	1.06	-	-	-	1.06
	गुजरात									
1.	गुजरात वि० वि०	-	-	-	2.68	1.21	-	-	-	3.89
	जोड़	-	-	-	2.68	1.21	-	-	-	3.89

परिशिष्ट XV ... जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कर्नाटक									
1.	मंगलौर	-	-	-	1.73	-	-	-	-	1.73
	जोड़	-	-	-	**1.73**	-	-	-	-	**1.73**
	केरल									
1.	कालीकट	-	-	-	-	1.42	-	-	-	1.42
2.	एम० जी० वि० वि० कोट्टायम	-	-	-	-	2.25	-	-	-	2.25
	जोड़	-	-	-	-	**3.67**	-	-	-	**3.67**
	मध्य प्रदेश									
1.	बरकतुल्ला वि० वि०	-	-	-	-	2.85	-	-	-	2.85
2.	देवी अहिल्या वि० वि०	-	-	-	0.23	-	-	-	-	0.23
3.	पं० रविशंकर	-	-	-	-	0.68	-	-	-	0.68
4.	डॉ० एच० एस० गौड़ वि० वि०	-	-	-	-	-	1.76	-	-	1.76
	जोड़	-	-	-	**0.23**	**3.53**	**1.76**	-	-	**5.52**
	महाराष्ट्र									
1.	अमरावती वि० वि०		-	-	3.84	-	-	-	-	3.84
2.	मुंबई वि० वि०		-	-	-	2.78	-	0.80	-	3.58
3.	डॉ० बी०ए० मराठवाड़ा		-	-	0.83	-	-	-	-	0.83
4.	नागपुर वि० वि०		-	-	1.50	0.14	-	-	-	1.64
5.	पूना वि० वि०		-	-	1.84	1.36	-	-	-	3.20
6.	शिवाजी वि० वि०		-	-	2.65	-	-	-	-	2.65
	जोड़		-	-	**10.66**	**4.28**	-	**0.80**	-	**15.74**
	उड़ीसा									
1.	उत्कल वि० वि०		-	-	-	0.53	-	-	-	0.53
	जोड़		-	-	-	**0.53**	-	-	-	**0.53**

परिशिष्ट XV ... जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राजस्थान									
1.	एम०डी०एस० वि०वि०, अजमेर	-	-	-	-	1.17	-	-	-	1.17
2.	राजस्थान वि० वि०	-	-	-	-	0.68	-	-	-	0.68
	जोड़		-	-	-	1.85	-	-	-	1.85
	तमिलनाडु									
1.	भरतियार वि० वि०		-	-	3.31	-	-	-	-	3.31
2.	भारतीदाशन वि० वि०		-	-	-	1.36	-	-	-	1.36
3.	मद्रास वि० वि०		-	-	-	2.64	-	-	-	2.64
4.	मदुरै कामराज वि०वि०		-	-	7.67	3.26	-	-	-	10.93
	जोड़		-	-	10.98	7.26	-	-	-	18.24
	उत्तर प्रदेश									
1.	चौ० चरणसिंह वि०वि०	-	-	-	-	5.30	1.84	-	-	7.14
2.	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर, आगरा	-	-	-	-	1.35	6.53	-	-	7.88
3.	डॉ० आर०एम०एल० वि०वि०, अवध	-	-	-	-	3.04	-	-	-	3.04
4.	डी डी यू वि० वि० गोरखपुर	-	-	-	-	1.97	-	-	-	2.20
5.	एच० एन० बी० (गढ़वाल) वि० वि०	-	-	-	-	0.68	-	-	-	0.68
6.	लखनऊ वि० वि०	-	-	-	-	0.63	-	-	-	0.63
7.	एम० जे० पी० रुहेलखंड वि० वि०	-	-	-	-	2.16	-	-	-	2.16
	जोड़	-	-	-	-	15.13	8.37	-	-	23.50
	पश्चिम बंगाल									
1.	कलकत्ता वि० वि०	-	-	-	-	1.40	-	-	-	1.40
	जोड़	-	-	-	-	1.40	-	-	-	1.40
	कुल जोड़	22422.87	403.01	1494.96	26.28	45.13	14.37	2.21	50.52	24459.35

परिशिष्ट : XV

सारांश (योजनेतर) 2000-2001

क्र० सं०	विवरण	केंद्रीय विश्व-विद्यालयों को ब्लाक अनुदान	सम-विश्व-विद्यालयों को ब्लाक अनुदान	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान	कालेजों (दिल्ली) को अनु-रक्षण अनुदान	कालेजों (बी० एच०यू०) को अनु-रक्षण अनुदान	यूसी एमएस को अनु-रक्षण अनुदान	शिक्षक अवार्ड	अनु-संधान अध्येता-वृत्ति	मानविकी/ विज्ञान में अनुसंधान वैज्ञानिक	ई एंड टी में छात्र-वृत्ति और अध्येता-वृत्ति	विश्व-विद्या-लयेतर/ संस्थाओं को प्रति-पूर्ति	जन संपर्क (मीडिया) केंद्र	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान	प्रशा-सनिक प्रभार	जोड़
		02(i)	02(ii)	2(iii)	03(i)	03(ii)	03(iiii)	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	विश्व-विद्यालय															
1.	केंद्रीय विश्व-विद्यालय	62169.33	-	-	-	-	-	-	1136.24	116.91	106.16	-	211.15	-	-	63739.79
2.	समविश्व विद्यालय	-	5940.53	-	-	-	-	-	85.39	8.35	51.65	-	87.11	-	-	6173.03
3.	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय	-	-	359.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.25
4.	वि० अ० आ० के केंद्र	-	-	-	-	-	-	-	0.87	-	-	-	74.77	1914.48	-	1990.12
5.	राज्य विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	2.75	860.67	93.39	578.95	-	234.14	-	-	1769.90
	कुल विश्वविद्यालय	62169.33	5940.53	350.25	-	-	-	2.75	2083.17	218.65	736.76	-	607.17	1914.48	-	74032.09
	कालेज															
1.	दिल्ली कालेज	-	-	-	22422.87	-	1494.96	-	2.58	4.24	-	-	-	-	-	23924.65
2.	बी० एच० यू० कालेज	-	-	-	-	403.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403.01
3.	राज्य कालेज	-	-	-	-	-	-	26.28	42.55	10.13	2.21	-	50.52	-	-	131.69
	कुल कालेज	-	-	-	22422.87	403.01	1494.96	26.28	45.13	14.37	2.21	-	50.52	-	-	24459.35
	कुल जोड़ (वि० वि० तथा कालेज)															
	विश्व-विद्यालयेतर संस्थानों	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.46	-	-	-	184.46
	स्थापना के माध्यम से	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1720.39	1720.39
	कुल जोड़	62169.33	5940.53	359.25	22422.87	403.01	1494.96	29.03	2128.30	233.02	738.97	184.46	657.69	1914.48	1720.39	100396.29

परिशिष्ट - XVI

वर्ष 2000-2001 के दौरान सामान्य योजना, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी और अनुभाग-III के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार)

(रु० लाख में)

वि० वि०/कॉलेज	अनु०1 वि०वि० और कॉलेजों का विकास	अनु०2 संगतता का संवर्धन	अनु०3 उत्कृष्टता और गुणवत्ता का संवर्धन	अनु०4 संवर्धन के लिए अंत-विश्व-विद्यालय संसाधन	अनु०5 पहुँच और साम्या का संवर्धन	अनु०6 शिक्षा प्रबंध में सुधार	अनु०7 वि० अ० आ० के प्रशासन को सुदृढ़ बनाना	जोड़	अनु०8	जोड़	अनु०9 इंजी० और प्रौद्यो०	जोड़	अनु०3	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केंद्रीय विश्वविद्यालय														
1. ए एम० यू०	524.10	48.55	66.76	-	15.46	-	-	654.87	30.61	685.48	33.22	718.70	-	718.70
2. असम	350.00	12.00	8.40	1.55	-	-	-	371.95	-	371.95	6.00	377.95	-	377.95
3. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वि०वि० लखनऊ	-	-	-	6.50	5.00	-	-	11.50	-	11.50	-	11.50	-	11.50
4. बी० एच० यू० वाराणसी	598.04	14.12	71.84	-	-	-	-	684.00	33.76	717.76	99.27	817.03	-	817.03
5. दिल्ली वि०वि०	425.00	34.07	71.73	3.00	10.48	-	-	544.28	62.63	606.91	14.22	621.13	-	621.13
6. हैदराबाद वि०वि० क्षे०का० के माध्यम से	420.00 -	39.00 -	545.81 0.44	- -	10.00 -	25.00 -	- -	1039.81 0.44	16.86 -	1056.67 0.44	5.00 -	1061.67 0.44	- -	1061.67 0.44
7. इग्नू	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. जामिया मिलिया इस्लामिया	406.55	35.53	24.02	-	0.16	-	-	466.26	7.43	473.69	65.45	539.14	-	539.14
9. जवाहरलाल नेहरू	679.27	75.15	551.66	-	-	-	-	1306.08	165.41	1471.49	-	1471.49	0.10	1471.59
10. मौलाना आज़ाद अंतर्राष्ट्रीय उर्दू वि०वि० हैदराबाद	400.00	-	-	6.50	-	-	-	406.50	-	406.50	-	406.50	-	406.50
11. महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वि०वि०, वर्धा	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00
12. नागालैंड वि०वि०, कोहिमा	395.00	2.00	-	1.17	-	-	-	398.17	-	398.17	-	398.17	-	398.17
13. नेहू, शिलांग	504.00	-	22.24	-	1.00	-	-	527.24	23.82	551.06	-	551.06	-	551.06
14. पांडिचेरी वि०वि० क्षे० का० के माध्यम से	400.00 -	25.56 -	15.88 1.30	- -	7.00 -	- -	- -	448.44 1.30	4.67 -	453.11 1.30	- -	453.11 1.30	0.10 -	453.21 1.30
15. तेजपुर वि०वि०	360.00	-	9.32	2.50	-	-	-	371.82	1.94	373.76	8.00	381.76	-	381.76

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16. विश्वभारती शांतिनिकेतन	359.00	10.20	10.61	-	2.00	-	-	381.81	38.21	420.02	-	420.02	-	420.02
जोड़	6120.96	296.18	1398.27	21.22	51.10	25.00	-	7912.73	385.34	8298.07	231.16	8529.23	0.20	8529.43
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	1.74	-	-	-	-	1.74	-	1.74	-	1.74	-	1.74
कुल जोड़	6120.96	296.18	1400.01	21.22	51.10	25.00	-	7914.47	385.34	8299.81	231.16	8530.97	0.20	8531.17
सम-विश्वविद्यालय संस्थाएँ														
1. अविनाशी महिला गृह-विज्ञान संस्थान, कोयम्बटूर	97.50	7.40	1.16	3.12	10.00	0.76	-	119.94	-	119.94	-	119.94	-	119.94
2. वनस्थली विद्यापीठ	60.00	1.74	-	1.09	-	4.71	-	67.54	-	67.54	-	67.54	-	67.54
3. बंगाल इंजीनियरी कॉलेज, हावड़ा	-	-	10.69	-	-	-	-	10.69	0.31	11.00	49.75	60.75	-	60.75
4. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा	-	2.56	1.64	-	-	18.31	-	22.51	0.58	23.09	93.45	116.54	-	116.54
5. बी०आई०टी०एस०, पिलानी	-	-	11.44	1.17	-	-	-	12.61	-	12.61	47.72	60.33	-	60.33
6. भारती विद्या-पीठ, पुणे	3.32	-	-	6.50	-	-	-	9.82	-	9.82	-	9.82	-	9.82
7. सी०आई०ई०एफ० एल०, हैदराबाद	106.25	-	5.74	1.17	-	8.64	-	121.80	-	121.80	-	121.80	-	121.80
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	0.10	-	-	-	-	0.10		0.10		0.10		0.10
8. केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान	30.00	4.00	-	-	-	-	-	34.00	-	34.00	-	34.00	-	34.00
9. केंद्रीय मत्स्य उद्योग शिक्षा संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. चेन्नई आयु-विज्ञान कालेज तथा अनुसंधान संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. दयालबाग शिक्षा संस्थान	55.00	-	8.15	-	4.11	-	-	67.26	0.43	67.69	6.60	74.29	-	74.29
12. डकन कालेज पी० जी० तथा अनुसंधान संस्थान	-	-	2.49	1.17	-	-	-	3.66	-	3.66	-	3.66	-	3.66
13. वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	-	2.00	-	-	-	-	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14. गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान,गांधीग्राम क्षे० का० के माध्यम से	95.08 -	2.56 -	1.89 0.62	1.17 -	3.15 -	- -	- -	103.85 0.62	- -	103.85 0.62	11.16 -	115.01 0.62	- -	115.01 0.62
15. गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे	24.00	5.03	2.00	-	-	-	-	31.03	-	31.03	-	31.03	-	31.03
16. गुजरात विद्यापीठ	151.50	7.27	-	-	14.08	5.86	-	178.71	-	178.71	9.21	187.92	1.22	189.14
17. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	75.00	19.53	8.79	1.17	4.10	-	-	108.59	-	108.59	8.25	116.84	-	116.84
18. आई०ए०आर०आई०, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	-	2.00	1.98	-	-	-	-	3.98	68.59	72.57	167.20	239.77	-	239.77
20. भारतीय शास्त्र प्रौद्यो० संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. आई०एस०एम०, धनबाद	-	-	0.76	-	-	-	-	0.76	6.06	6.82	4.72	11.54	-	11.54
22. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. भारतीय पशु चिकित्सा अनु-संधान संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायुविज्ञान संस्थान, बंगलौर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	159.28	-	21.04	1.17	-	-	-	181.49	1.13	182.62	18.70	201.32	1.00	202.32
26. जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूं	20.00	4.71	5.47	6.50	-	27.99	-	64.67	-	64.67	-	64.67	-	64.67
27. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल	-	-	0.61	-	-	-	-	0.61	-	0.61	-	0.61	-	0.61
29. कला संरक्षण इतिहास तथा संग्रहालय विज्ञान का राष्ट्रीय संग्रहालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायुविज्ञान संस्थान, बंगलौर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32. राजस्थान विद्या-पीठ,उदयपुर	40.00	-	1.78	-	0.06	-	-	41.84	0.32	42.16	-	42.16	-	42.16
33. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	104.10	44.06	-	6.50	-	-	-	154.66	-	154.66	-	154.66	-	154.66
34. योजना तथा वास्तु-कला विद्यालय, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाविद्यालय	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	60.00
36. श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	20.00	2.80	2.50	-	-	-	-	25.30	-	25.30	-	25.30	-	25.30
37. श्री सत्य साई उच्च अध्ययन संस्थान, प्रासन	40.00	-	-	6.50	-	9.50	-	56.00	-	56.00	2.30	58.30	-	58.30
38. श्री रामचंद्र आयुर्विज्ञान कालेज तथा अनुसंधान संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई	146.25	0.20	1.22	3.59	-	13.91	-	165.17	-	165.17	-	165.17	-	165.17
40. 'टेरी' उच्च अध्ययन विद्यालय, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ भवन, पुणे	15.00	-	-	6.50	-	-	-	21.50	-	21.50	-	21.50	-	21.50
42. थापर इंजी० तथा प्रौद्या० संस्थान	-	-	-	-	2.80	3.69	-	6.49	3.07	9.56	54.50	64.06	-	64.06
43. इलाहाबाद कृषि संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. मणिपाल प्रौद्यो० संस्थान तथा फार्मास्यूटिकल विज्ञान कालेज, मुंबई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. डी एस देसाई प्रौद्यो० संस्थान, निदियाड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. योग भारती मुंगेर, (बिहार)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. वी० मिशन्स होम मेडिकल, सालेम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48. विनायक मिशन्स शंकराचार्य डेंटल कालेज, सालेम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. विनायक मिशन्स अन्नपूर्णा कालेज आफ नर्सिंग, सालेम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. भरखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ मुख्यालय क्षे० का० के माध्यम से	1302.28 -	105.86 -	89.35 0.72	47.32	38.30	93.37	-	1676.48 0.72	80.49	1756.97 0.72	473.56	2230.53 0.72	2.22	2232.75 0.72
कुल जोड़	1302.28	105.86	90.07	47.32	38.30	93.37	-	1677.20	80.49	1757.69	473.56	2231.25	2.22	2233.47
अंतर्विश्व-विद्यालय केंद्र														
1. शिक्षा संचार कन्सार्टियम, नई दिल्ली	-	-	-	6.00	-	-	-	6.00	-	6.00	-	6.00	-	6.00
2. खगोल-विज्ञान तथा खगोल भौतिकी के लिए अंतर्विश्व-विद्यालय केंद्र	-	-	-	670.00	-	-	-	670.00	-	670.00	-	670.00	-	670.00
3. डी ए ई सुविधा के लिए अंतर्विश्व-विद्यालय कन्सार्टियम, इंदौर	-	-	-	384.13	-	-	-	384.13	-	384.13	-	384.13	-	384.13
4. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	-	-	-	34.04	-	-	-	34.04	-	34.04	-	34.04	-	34.04
5. नाभिकीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली	-	-	-	1200.00	-	-	-	1200.00	50.00	1250.00	-	1250.00	-	1250.00
6. एन० ए० सी० राजाजी नगर, बंगलौर	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
7. पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, मुंबई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. इनफिलनेट केंद्र, अहमदाबाद	-	-	-	50.00	-	-	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00
जोड़	-	-	-	2444.17	-	-	-	2444.17	50.00	2494.17	-	2494.17	-	2494.17

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राज्य विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश														
1. आंध्र	52.00	21.00	77.19	1.71	2.00	-	-	153.90	54.24	208.14	72.47	280.61	-	280.61
क्षे० का० के माध्यम से	1.37	-	3.74	-	-	-	-	5.11	-	5.11	-	5.11	-	5.11
2. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्यो०	-	32.41	-	2.42	5.00	-	-	39.83	1.45	41.28	105.20	146.48	-	146.48
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ककातिया	44.20	3.45	34.06	0.85	3.50	-	-	86.06	-	86.06	22.00	108.06	-	108.06
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	1.40	-	-	-	-	1.40	-	1.40	-	1.40	-	1.40
4. नागार्जुन	49.40	14.00	14.20	-	7.00	-	-	84.60	3.74	88.34	3.50	91.84	-	91.84
क्षे० का० के माध्यम से	0.75	-	8.26	-	-	-	-	9.01	-	9.01	-	9.01	-	9.01
5. उस्मानिया	44.74	55.75	50.66	46.82	-	-	-	197.97	105.50	303.47	33.58	337.05	-	337.05
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	2.66	-	-	-	-	2.66	-	2.66	-	2.66	-	2.66
6. श्री कृष्ण देवराय	38.44	5.00	32.69	-	-	-	-	76.13	4.44	80.57	12.30	92.87	-	92.87
क्षे० का० के माध्यम से	0.41	-	2.14	-	-	-	-	2.55	-	2.55	-	2.55	-	2.55
7. श्री पद्मावती महिला	45.00	-	13.00	6.50	-	-	-	64.50	-	64.50	9.50	74.00	-	74.00
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. श्री वेंकटेश्वर	69.00	31.45	69.31	5.00	2.40	-	-	177.16	45.26	222.42	26.64	249.06	-	249.06
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	2.14	-	-	-	-	2.14	-	2.14	-	2.14	-	2.14
9. पी० एस० तेलुगु	32.50	6.04	3.97	6.50	0.36	-	-	49.37	-	49.37	-	49.37	-	49.37
क्षे० का० के माध्यम से	0.14	-	-	-	-	-	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14
जोड़ मुख्यालय	375.28	169.10	295.08	69.80	20.26	-	-	929.52	214.63	1144.15	285.19	1429.34	-	1429.34
जोड़ क्षे० का०	2.67	-	20.34	-	-	-	-	23.01	-	23.01	-	23.01	-	23.01
जोड़	377.95	169.10	315.47	69.80	20.26	-	-	952.53	214.63	1167.16	285.16	1452.35	-	1452.35
अरुणाचल प्रदेश														
1. अरुणाचल प्रदेश	54.00	10.00	12.79	1.39	52.00	-	-	130.18	-	130.18	-	130.18	-	130.18
जोड़	54.00	10.00	12.79	1.39	52.00	-	-	130.18	-	130.18	-	130.18	-	130.18

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
असम														
1. डिब्रूगढ़	54.60	-	13.81	-	-	-	-	68.41	1.52	69.93	-	69.93	-	69.93
2. गोहाटी	74.00	38.95	14.28	-	9.73	-	-	136.96	26.95	163.91	-	163.91	-	163.91
जोड़	128.60	38.95	28.09	-	9.73	-	-	205.37	28.47	233.84	-	233.84	-	233.84
बिहार														
1. बी०एस०बी०आर० अम्बेडकर,बिहार	46.80	32.45	12.78	-	2.98	-	-	95.01	1.62	96.63	-	96.63	-	96.63
2. के० एस० दरभंगा संस्कृत	30.00	4.00	1.50	6.50	-	-	-	42.00	-	42.00	-	42.00	-	42.00
3. एल०एन० मिथिला	41.79	-	12.98	-	-	-	-	54.77	-	54.77	-	54.77	-	54.77
4. मगध	41.60	-	5.30	-	0.26	-	-	47.16	-	47.16	-	47.16	-	47.16
5. पटना	54.00	-	15.00	-	1.05	-	-	70.05	0.71	70.76	9.60	80.36	-	80.36
6. रांची	49.40	-	18.21	-	1.06	-	-	68.67	0.88	69.55	-	69.55	-	69.55
7. टी एम भागलपुर	42.00	-	13.19	-	-	-	-	55.19	3.51	58.70	-	58.70	-	58.70
जोड़	305.59	36.45	78.96	6.50	5.35	-	-	432.85	6.72	439.57	9.60	449.17	-	449.17
गुजरात														
1. भावनगर	418.95	2.00	3.39	-	1.25	-	-	425.59	1.74	427.33	3.90	431.23	-	431.23
2. गुजरात	1557.54	10.00	8.39	-	0.76	-	-	1576.69	0.73	1577.42	5.00	1582.42	-	1582.42
3. एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय	215.25	2.00	37.00	-	20.25	-	-	274.50	154.40	428.90	29.82	458.72	-	458.72
क्षे० का० के माध्यम से	-		0.18	-	-	-	-	0.18	-	0.18	-	0.18	-	0.18
4. नार्थ गुजरात	68.16	-	1.50	-	-	6.07	-	75.73	-	75.73	5.00	80.73	-	80.73
5. सरदार पटेल	59.20	3.29	23.04	1.55	-	3.76	-	90.84	56.02	146.86	1.25	148.11	-	148.11
6. सौराष्ट्र	217.72	32.20	7.09	-	4.15	14.07	-	275.23	67.70	342.93	25.00	367.93	-	367.93
7. साउथ गुजरात	442.37	2.00	7.69	-	1.55	-	-	453.61	0.75	454.36	-	454.36	-	454.36
जोड़ मुख्यालय	2979.19	51.49	88.10	1.55	27.96	23.90	-	3172.19	281.34	3453.53	69.97	3523.50	-	3523.50
जोड़ क्षे० का०	-	-	0.18	-	-	-	-	0.18	-	0.18	-	0.18	-	0.18
जोड़	2979.19	51.49	88.28	1.55	27.96	23.90	-	3172.37	281.34	3453.71	69.97	3523.68	-	3523.68

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
गोवा														
1. गोवा	54.00	15.00	17.00	-	-	-	-	86.00	-	86.00	-	86.00	-	86.00
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	0.36	-	-	-	-	0.36	-	0.36	-	0.36	-	0.36
जोड़ मुख्यालय	54.00	15.00	17.00	-	-	-	-	86.00	-	86.00	-	86.00	-	86.00
जोड़ क्षे० का०	-	-	0.36	-	-	-	-	0.36	-	0.36	-	0.36	-	0.36
जोड़	54.00	15.00	17.36	-	-	-	-	86.36	-	86.36	-	86.36	-	86.36
हरयाणा														
1. चौ० चरणसिंह हरयाणा कृषि	-	-	0.33	-	-	-	-	0.33	0.35	0.68	-	0.68	-	0.68
2. कुरुक्षेत्र	66.47	32.46	22.09	-	2.06	-	-	123.08	0.72	123.80	20.00	143.80	-	143.08
3. महर्षि दयानंद	57.20	8.00	17.22	0.85	0.06	-	-	83.33	1.88	85.21	11.80	97.01	-	97.01
4. गुरु जम्बेश्वर वि० वि०, हिसार	27.40	14.00	36.55	-	-	-	-	77.95	4.10	82.05	21.00	103.05	-	103.05
जोड़	151.07	54.46	76.19	0.85	2.12	-	-	284.69	7.05	291.74	52.80	344.54	-	344.54
हिमाचल प्रदेश														
1. हिमाचल प्रदेश	79.00	68.46	10.98	-	4.61	-	-	163.05	2.10	165.15	5.00	170.15	-	170.15
जोड़	79.00	68.46	10.98	-	4.61	-	-	163.05	2.10	165.15	5.00	170.15	-	170.15
जम्मू और कश्मीर														
1. जम्मू	79.60	2.06	12.03	-	26.17	-	-	119.86	5.84	125.70	-	125.70	-	125.70
2. कश्मीर	56.00	16.45	5.44	33.90	28.46	-	-	140.25	-	140.25	-	140.25	-	140.25
3. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66	0.66	-	0.66	-	0.66
जोड़	135.60	18.51	17.47	33.90	54.63	-	-	260.11	6.50	266.61	-	266.61	-	266.61
कर्नाटक														
1. बंगलौर	51.95	5.80	20.64	-	5.49	-	-	83.88	15.73	99.61	23.00	122.61	-	122.61
क्षे० का के माध्यम से	8.00	-	10.40	-	-	-	-	18.40	-	18.40	-	18.40	-	18.40

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. गुलबर्गा	44.20	-	15.61	-	-	-	-	59.81	0.50	60.31	-	60.31	-	60.31
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
3. कन्नड़	18.00	2.00	2.50	6.50	-	-	-	29.00	-	29.00	-	29.00	-	29.00
4. कर्नाटक	74.00	34.29	18.75	1.72	-	-	-	128.76	25.70	154.46	11.35	165.81	-	165.81
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	16.21	-	-	-	-	16.21	-	16.21	-	16.21	-	16.21
5. कुवेम्पू	37.50	-	6.27	1.08	-	13.79	-	58.64	3.51	62.15	0.02	62.17	-	62.17
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	1.20	-	-	-	-	1.20	-	1.20	-	1.20	-	1.20
6. मंगलौर	52.00	19.63	10.35	1.63	-	-	-	83.61	1.68	85.29	-	85.29	-	85.29
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	4.28	-	-	-	-	4.28	-	4.28	-	4.28	-	4.28
7. मैसूर	57.00	48.41	31.99	21.47	-	-	-	158.87	15.25	174.12	20.20	194.32	-	194.32
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	9.10	-	-	-	-	9.10	-	9.10	-	9.10	-	9.10
8. भारत का राष्ट्रीय विधि स्कूल	30.00	4.46	1.50	-	5.25	25.01	-	66.22	-	66.22	-	66.22	-	66.22
9. कृषि विज्ञान वि० वि० धारवाड़	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
जोड़ मुख्यालय	364.65	114.59	108.61	32.40	10.74	38.80	-	669.79	62.37	732.16	54.57	786.73	-	786.73
जोड़ क्षे० का०	8.00	-	41.20	-	-	-	-	49.20	-	49.20	-	49.20	-	49.20
जोड़	372.65	114.59	149.81	32.40	10.74	38.80	-	718.99	62.37	781.36	54.57	835.93	-	835.93
केरल														
1. कालीकट	74.40	17.53	5.50	10.50	2.00	-	-	109.93	-	109.93	-	109.93	-	109.93
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	20.90	-	-	-	-	20.90	-	20.90	-	20.90	-	20.90
2. कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	54.40	0.70	14.75	-	7.55	-	-	77.40	8.90	86.30	21.80	108.10	-	108.10
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	10.20	-	-	-	-	10.20	-	10.20	-	10.20	-	10.20
3. केरल	54.00	83.30	11.15	-	16.76	-	-	165.21	1.00	166.21	2.00	168.21	-	168.21
क्षे० का० के माध्यम से	0.14	-	43.42	-	-	-	-	43.56	-	43.56	-	43.56	-	43.56
4. महात्मा गांधी	46.80	-	2.50	-	-	-	-	49.30	-	49.30	0.10	49.40	-	49.40
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	11.35	-	-	-	-	11.35	-	11.35	-	11.35	-	11.35
5. कन्नूर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	0.18	-	-	-	-	0.18	-	0.18	-	0.18	-	0.18
जोड़ मुख्यालय	229.60	101.53	33.90	10.50	26.31	-	-	401.84	9.90	411.74	23.90	435.64	-	435.64
जोड़ क्षे० का०	0.14	-	86.05	-	-	-	-	86.19	-	86.19	-	86.19	-	86.19
जोड़	229.74	101.53	114.95	10.50	26.31	-	-	488.03	9.90	497.93	23.90	521.83	-	521.83

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मध्य प्रदेश														
1. अर्जुन सिंह	68.75	2.66	7.90	-	16.37	-	-	95.68	0.16	95.84	-	95.84	-	95.84
2. बरकतुल्ला विश्वविद्यालय	79.00	11.49	12.39	-	7.99	-	-	110.87	6.56	117.43	9.40	126.83	-	126.83
3. चित्रकूट ग्रामोदय वि०वि०	27.40	10.00	6.25	6.52	-	-	-	50.17	-	50.17	-	50.17	-	50.17
4. देवी अहिल्या	42.40	33.27	12.88	37.99	-	-	-	126.54	-	126.54	5.40	131.94	-	131.94
5. डॉ० एच०एस० गौड़	77.00	30.01	22.80	15.00	15.56	-	-	160.37	30.80	191.17	28.00	219.17	-	219.17
6. गुरु घासीदास	41.00	2.56	2.50	6.50	8.58	-	-	61.14	-	61.14	-	61.14	-	61.14
7. इंदिरा कला संगीत	30.00	2.56	5.35	0.97	-	-	-	38.88	-	38.88	-	38.88	-	38.88
8. जीवाजी	42.00	-	7.25	-	13.62	-	-	62.87	2.10	64.97	6.00	70.97	-	70.97
9. रानी दुर्गावती	54.60	44.88	30.47	-	0.30	-	-	130.25	12.25	142.50	-	142.50	-	142.50
10. पंडित रविशंकर शुक्ल	42.40	2.56	4.70	-	1.77	-	-	51.43	-	51.43	5.00	56.43	-	56.43
11. विक्रम	54.60	-	7.38	-	5.00	-	-	66.98	6.50	73.48	-	73.48	-	73.48
12. एम० पी० भोज विश्वविद्यालय	-	-	0.70	-	-	-	-	0.70	-	0.70	-	0.70	-	0.70
जोड़	559.15	139.99	120.57	66.98	69.19	-	-	955.88	58.37	1014.25	53.80	1068.05	-	1068.05
महाराष्ट्र														
1. अमरावती	44.20	2.25	3.88	1.10	7.67	-	-	59.10	0.24	59.34	2.50	61.84	-	61.84
2. मुंबई	44.73	61.90	31.26	114.00	3.96	41.49	-	297.34	4.75	302.09	60.40	362.49	-	362.49
3. डॉ० बी०आर०ए०, मराठवाड़ा	53.58	47.00	6.18	-	3.36	-	-	110.12	7.65	117.77	15.64	133.41	-	133.41
4. नागपुर	38.69	51.58	9.54	-	4.00	-	-	103.81	-	103.81	8.55	112.36	-	112.36
5. नार्थ महाराष्ट्र	37.50	-	8.43	1.72	-	-	-	47.65	10.70	58.35	-	58.35	-	58.35
6. पूना क्षे० का० के माध्यम से	55.00 -	158.14 -	628.82 0.36	1.50 -	- -	50.01 -	- -	893.47 0.36	69.40 -	962.87 0.36	2.02 -	964.89 0.36	- -	964.89 0.36
7. एस०एन०डी०टी० वोमेन्स	54.00	7.70	9.90	-	8.13	-	-	79.73	-	79.73	14.02	93.75	-	93.75
8. शिवाजी क्षे० का० के माध्यम से	59.50 -	16.39 -	20.85 0.90	- -	10.50 -	- -	- -	107.24 0.90	10.15 -	117.39 0.90	0.02 -	117.41 0.90	- -	117.41 0.90
9. स्वामी आर० टी० मराठवाड़ा	30.40	-	5.44	6.50	-	-	-	42.34	-	42.34	-	42.34	-	42.34
जोड़ मुख्यालय जोड़ क्षे० का०	417.60 -	344.96 -	724.30 1.26	124.82 -	37.62 -	91.50 -	- -	1740.80 1.26	102.89 -	1843.69 1.26	103.15 -	1946.84 1.26	- -	1946.84 1.26
जोड़	417.60	344.96	725.56	124.82	37.62	91.50	-	1742.06	102.89	1844.95	103.15	1948.10	-	1948.10

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मणिपुर														
1. मणिपुर	54.60	-	10.41	26.14	-	-	-	91.15	3.16	94.31	0.51	94.82	-	94.82
जोड़	54.60	-	10.41	26.14	-	-	-	91.15	3.16	94.31	0.51	94.82	-	94.82
उड़ीसा														
1. बरहामपुर	77.00	23.57	17.89	-	0.89	-	-	119.35	-	119.35	-	119.35	-	119.35
2. सम्बलपुर	82.20	2.56	16.42	-	0.09	-	-	101.27	1.92	103.19	8.34	111.53	-	111.53
3. श्री जगन्नाथ संस्कृत	32.40	0.86	1.50	-	-	-	-	34.76	-	34.76	-	34.76	-	34.76
4. उत्कल	82.00	20.00	36.56	-	16.61	-	-	155.17	28.52	183.69	4.00	187.69	-	187.69
जोड़	273.60	46.99	72.37	-	17.59	-	-	410.56	30.44	440.99	12.34	453.33	-	453.33
पंजाब														
1. गुरु नानक देव	82.20	63.42	35.46	3.17	7.00	-	-	191.25	17.17	208.42	4.20	212.62	-	212.62
2. पंजाब	45.48	73.77	57.24	1.15	9.44	2.69	-	189.77	116.10	305.87	9.02	314.89	-	314.89
3. पंजाब कृषि	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	0.63	0.88	-	0.88
4. पंजाबी	49.40	10.31	21.47	-	0.42	-	-	81.60	4.84	86.44	20.51	106.95	-	106.95
जोड़	177.88	147.75	114.17	4.32	16.86	2.69	-	462.87	138.11	600.98	34.36	635.34	-	635.34
राजस्थान														
1. जय नारायण व्यास, जोधपुर	46.80	33.81	13.28	-	-	-	-	93.89	3.94	97.83	6.30	104.13	-	104.13
2. कोटा मुक्त	-	-	2.34	-	-	-	-	2.34	-	2.34	-	2.34	-	2.34
3. मोहन लाल सुखाड़िया	41.60	-	9.13	-	-	-	-	50.73	4.26	54.99	2.90	57.89	-	57.89
4. एम० डी० सरस्वती	37.40	2.86	3.98	-	-	-	-	44.24	-	44.24	5.00	49.24	-	49.24
5. राजस्थान क्षे० का० के माध्यम से	76.00 -	46.25 -	49.95 0.18	1.51 -	5.90 -	- -	- -	179.61 0.18	49.11 -	228.72 0.18	5.00 -	233.72 0.18	- -	233.72 0.18
जोड़ मुख्यालय जोड़ क्षे० का०	201.80 -	82.92 -	78.68 0.18	1.51 -	5.90 -	- -	- -	370.81 0.18	57.31 -	428.12 0.18	19.20 -	447.32 0.18	- -	447.32 0.18
जोड़	201.80	82.92	78.86	1.51	5.90	-	-	370.99	57.31	428.30	19.20	447.50	-	447.50

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
तमिलनाडु														
1. अलगप्पा	42.40	0.10	3.54	-	7.88	-	-	53.92	1.13	55.05	4.50	59.55	-	59.55
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	1.74	-	-	-	-	1.74	-	1.74	-	1.74	-	1.74
2. अन्ना	45.00	1.56	23.54	26.58	2.00	25.00	-	123.68	55.01	178.69	129.01	307.70	-	307.70
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	0.88	-	-	-	-	0.88	-	0.88	-	0.88	-	0.88
3. अन्नामलाई	52.80	2.56	21.17	1.72	14.81	-	-	93.06	6.13	99.19	21.58	120.77	-	120.77
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	0.96	-	-	-	-	0.96	-	0.96	-	0.96	-	0.96
4. भरतियार	46.80	6.00	9.33	6.50	8.50	-	-	77.13	-	77.13	2.30	79.43	-	79.43
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	1.30	-	-	-	-	1.30	-	1.30	-	1.30	-	1.30
5. भारतीदासन	44.20	10.00	17.16	-	-	-	-	71.36	61.71	133.07	5.00	138.07	-	138.07
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	1.70	-	-	-	-	1.70	-	1.70	-	1.70	-	1.70
6. मद्रास	60.00	53.65	599.93	-	-	-	-	713.58	204.26	917.84	5.00	922.84	-	922.84
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	3.78	-	-	-	-	3.78	-	3.78	-	3.78	-	3.78
7. मदुरै कामराज	52.00	4.60	24.23	1.65	9.99	-	-	92.47	4.94	97.41	4.00	101.41	-	101.41
क्षे० का० के माध्यम से	0.17	-	11.14	-	-	-	-	11.31	-	11.31	-	11.31	-	11.31
8. मनोनमनियम सुंदरानर	37.40	-	6.20	2.64	-	-	-	46.24	-	46.24	-	46.24	-	46.24
क्षे० का० के माध्यम से	-		5.30	-	-	-	-	5.30	-	5.30	-	5.30	-	5.30
9. मदर टरेसा वीमेंस	32.50	-	6.42	6.50	4.74	-	-	50.16	-	50.16	-	50.16	-	50.16
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	0.44	-	-	-	-	0.44	-	0.44	-	0.44	-	0.44
10. तमिल	30.00	-	16.09	-	-	-	-	46.09	-	46.09	4.60	50.69	-	50.69
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. पेरियार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षे० का० के माध्यम से			0.22					0.22		0.22		0.22		0.22
जोड़ मुख्यालय	443.10	78.47	727.61	45.59	47.92	25.00	-	1367.69	333.18	1700.87	175.99	1876.86	-	1876.86
जोड़ क्षे० का०	0.17	-	27.46	-	-	-	-	27.63	-	27.63	-	27.63	-	27.63
जोड़	443.27	78.47	755.07	45.59	47.92	25.00	-	1395.32	333.18	1728.50	175.99	1904.49	-	1904.49
त्रिपुरा														
1. त्रिपुरा	54.00	-	2.70	-	-	-	-	56.70	-	56.70	-	56.70	-	56.70
जोड़	54.00	-	2.70	-	-	-	-	56.70	-	56.70	-	56.70	-	56.70

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तर प्रदेश														
1. डॉ० बी० आर० अम्बेडकर, आगरा	41.60	2.90	6.86	3.02	3.18	-	-	57.56	0.48	58.04	3.00	61.04	-	61.04
2. इलाहाबाद	54.00	62.06	69.88	-	-	-	-	185.94	27.15	213.09	24.80	237.89	-	237.89
3. बुंदेल	-	-	2.09	-	-	-	-	2.09	-	2.09	-	2.09	-	2.09
4. चौ० चर सेंह	59.80	2.38	9.62	6.50	-	-	-	78.30	1.68	79.98	-	79.98	-	79.98
5. डॉ० आर० एम० लोहिया, अवध	41.37	-	2.50	-	4.00	-	-	47.87	-	47.87	5.00	52.87	-	52.87
6. जी.बी. पंत कृषि तथा प्रौद्यो० विश्वविद्यालय	-	-	4.21	-	-	-	-	4.21	-	4.21	6.50	10.71	-	10.71
7. गोरखपुर	47.20	20.40	20.10	-	2.63	-	-	90.33	4.78	95.11	-	95.11	-	95.11
8. एन०एन० बहुगुणा	52.00	11.15	18.83	-	5.10	-	-	87.08	24.30	111.38	0.43	111.81	-	111.81
9. कानपुर (सी एस महाराज वि०वि०)	27.40	-	5.65	6.51	0.26	-	-	39.82	-	39.82	1.94	41.76	-	41.76
10. कुमाऊँ	48.78	1.00	6.99	3.72	-	-	-	60.49	22.02	82.51	15.20	97.71	-	97.71
11. लखनऊ	58.00	53.51	41.27	-	15.98	-	-	168.76	4.05	172.81	9.92	182.73	-	182.73
12. रुड़की	48.38	2.56	36.62	32.10	-	19.97	-	139.63	53.93	193.56	119.54	313.10	-	313.10
13. संपूर्णानंद संस्कृत	28.00	-	8.85	6.50	-	-	-	43.35	-	43.35	-	43.35	-	43.35
14. एम० जी० काशी विद्यापीठ	34.00	-	14.89	-	7.30	-	-	56.19	-	56.19	-	56.19	-	56.19
15. एम० जे० पी० रुहेलखंड वि०वि०	37.40	2.00	11.00	-	2.00	-	-	52.40	0.18	52.58	-	52.58	-	52.58
जोड़	577.93	157.96	259.36	58.35	40.45	19.97	-	1114.02	138.57	1252.59	186.33	1438.92	-	1438.92
पश्चिम बंगाल														
1. बर्दमान	52.40	32.58	13.41	-	10.99	-	-	109.38	18.87	128.25	14.70	142.95	-	142.95
2. कलकत्ता	60.00	33.48	53.96	-	2.33	-	-	149.77	76.29	226.06	29.43	255.49	-	255.49
3. जादवपुर	34.60	19.22	572.80	-	15.49	6.66	-	648.77	143.16	791.93	192.62	984.55	-	984.55
4. कल्याणी	46.80	1.20	19.75	-	2.81	-	-	70.56	11.71	82.27	-	82.27	-	82.27
5. नार्थ बंगाल	52.00	2.00	16.04	-	1.35	-	-	71.39	0.05	71.44	16.70	88.14	-	88.14
6. रबींद्र भारती	54.00	8.20	7.37	-	-	-	-	69.57	-	69.57	-	69.57	-	69.57
7. विद्यासागर	40.00	4.00	14.28	1.17	-	-	-	59.45	1.76	61.21	2.64	63.85	-	63.85
जोड़	339.80	100.68	697.61	1.17	32.97	6.66	-	1178.89	251.84	1430.73	256.09	1686.82	-	1686.82

परिशिष्ट XVI ...जारी

वर्ष 2000-2001 के दौरान सामान्य योजना, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी और अनुभाग-III के अंतर्गत कॉलेजों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार)

(रु० लाख में)

वि० वि०/कॉलेज	अनु०1 वि०वि० और कॉलेजों का विकास	अनु०2 संगतता का संवर्धन	अनु०3 उत्कृष्टता और गुणवत्ता का संवर्धन	अनु०4 संवर्धन के लिए अंत-र्विश्व-विद्यालय संसाधन	अनु०5 पहुँच और साम्या का संवर्धन	अनु०6 शिक्षा प्रबंध में सुधार	अनु०7 वि० अ० आ० के प्रशासन को सुदृढ़ करना	जोड़	अनु०8 एसए सीसी	जोड़	अनु०9 इंजी० और प्रौद्यो०	जोड़	अनु०3	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केंद्रीय विश्वविद्यालय														
1. असम	-	-	0.60	-	-	-	-	0.60	1.40	2.00	-	2.00	-	2.00
क्षे० का० के माध्यम से	50.83	-	5.27	-	7.67	-	-	63.77	2.71	66.48	-	66.48	-	66.48
2. बी० एच० यू०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.15	-	0.15
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	0.20	-	-	-	-	0.20	-	0.20	-	0.20	-	0.20
3. दिल्ली	362.32	0.50	56.17	-	0.75	-	-	419.74	62.14	481.88	22.14	504.02	-	504.02
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नेहू	-	20.00	2.74	-	7.31	-	-	30.05	1.40	31.45	-	31.45	-	31.45
क्षे० का० के माध्यम से	52.33	-	1.81	-	-	-	-	54.14	1.38	55.52	-	55.52	-	55.52
5. हैदराबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षे० का० के माध्यम से	2.25	-	-	-	-	-	-	2.25	-	2.25	-	2.25	-	2.25
6. पांडिचेरी	-	-	3.30	-	-	-	-	3.30	-	3.30	1.10	4.40	-	4.40
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01
जोड़ मुख्यालय	362.32	20.50	62.81	-	8.06	-	-	453.69	64.94	518.63	23.39	542.02	-	542.02
जोड़ क्षे० का०	105.41	-	7.28	-	7.67	-	-	120.36	4.10	124.46	-	124.46	-	124.46
कुल जोड़	467.73	20.50	70.09	-	15.73	-	-	574.05	69.04	643.09	23.39	666.48	-	666.48

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राज्य विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश														
1. आंध्र	-	37.31	14.49	-	7.00	-	-	58.80	4.99	63.79	27.48	91.27	-	91.27
क्षे० का० के माध्यम से	129.81	-	5.95	-	-	-	-	135.76	1.34	137.10	-	137.10	-	137.10
2. ककातिया	-	12.00	2.54	-	10.42	-	-	24.96	2.80	27.76	6.89	34.65	-	34.65
क्षे० का० के माध्यम से	29.12	-	0.52	-	0.18	-	-	29.82	0.06	29.88	-	29.88	-	29.88
3. नागार्जुन	-	21.42	5.82	-	3.97	-	-	31.21	5.60	36.81	9.15	45.96	-	45.96
क्षे० का० के माध्यम से	138.79	-	1.33	-	-	-	-	140.12	0.18	140.30	-	140.30	-	140.30
4. उस्मानिया	-	41.90	13.04	-	3.47	-	-	58.41	4.20	62.61	9.90	72.51	-	72.51
क्षे० का० के माध्यम से	193.34	-	4.08	-	0.30	-	-	197.72	0.60	198.32	-	198.32	-	198.32
5. श्री कृष्णदेवरिया	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	1.40	1.45	3.55	5.00	-	5.00
क्षे० का० के माध्यम से	14.86	-	0.52	-	0.06	-	-	15.44	0.33	15.77	-	15.77	-	15.77
6. श्री वेंकटेश्वर	-	7.27	4.57	-	12.00	-	-	23.84	4.20	28.04	4.58	32.62	-	32.62
क्षे० का० के माध्यम से	46.51	-	0.67	-	0.06	-	-	47.24	0.77	48.01	-	48.01	-	48.01
जोड़ मुख्यालय	-	119.90	40.51	-	36.86	-	-	197.27	23.19	220.46	61.55	282.01	-	282.01
जोड़ क्षे० का०	552.43	-	13.07	-	0.60	-	-	566.10	3.28	569.38	-	569.38	-	569.38
जोड़	552.43	119.90	53.58	-	37.46	-	-	763.37	26.47	789.84	61.55	851.39	-	851.39
अरुणाचल प्रदेश														
1. अरुणाचल	-	-	-	-	-	-	-	-	1.40	1.40	1.20	2.60	-	2.60
क्षे० का० के माध्यम से	5.22	-	1.52	-	-	-	-	6.74	0.15	6.89	-	6.89	-	6.89
जोड़ मुख्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	1.40	1.40	1.20	2.60	-	2.60
जोड़ क्षे० का०	5.22	-	1.52	-	-	-	-	6.74	0.15	6.89	-	6.89	-	6.89
जोड़	5.22	-	1.52	-	-	-	-	6.74	1.55	8.29	1.20	9.49	-	9.49
असम														
1. डिब्रूगढ़	-	20.00	0.33	-	8.75	-	-	29.08	1.40	30.48	8.95	39.43	-	39.43
क्षे० का० के माध्यम से	125.97	-	30.43	-	9.70	-	-	166.10	4.14	170.24	-	170.24	-	170.24

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. गोहाटी	-	29.36	7.84	-	13.94	-	-	51.14	9.06	60.20	1.40	61.60	-	61.60
क्षे० का० के माध्यम से	196.32	-	52.58	-	25.06	-	-	273.96	16.16	290.12	-	290.12	-	290.12
जोड़ मुख्यालय	-	49.36	8.17	-	22.69	-	-	80.22	10.46	90.68	10.35	101.03	-	101.03
जोड़ क्षे० का०	322.29	-	83.01	-	34.76	-	-	440.06	20.30	460.36	-	460.36	-	460.36
जोड़	322.29	49.36	91.18	-	57.45	-	-	520.28	30.76	551.04	10.35	561.39	-	561.39
बिहार														
1. बी०एस०बी०आर० अम्बेडकर	-	34.50	0.29	-	-	-	-	34.79	-	34.79	5.59	40.38	-	40.38
क्षे० का० के माध्यम से	114.98	-	4.01	-	-	-	-	118.99	2.13	121.12	-	121.12	-	121.12
2. जय प्रकाश विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.20	1.20	-	1.20
क्षे० का० के माध्यम से	25.63	-	2.22	-	-	-	-	27.85	0.69	28.54	-	28.54	-	28.54
3. के० एस० दरभंगा संस्कृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षे० का० के माध्यम से	15.73	-	-	-	-	-	-	15.73	-	15.73	-	15.73	-	15.73
4. एल०एन० मिथिला	-	4.75	9.50	-	4.94	-	-	19.19	-	19.19	1.20	20.39	-	20.39
क्षे० का० के माध्यम से	146.87	-	0.74	-	1.88	-	-	149.49	0.69	150.18	-	150.18	-	150.18
5. मगध	-	22.90	10.14	-	-	-	-	33.04	1.63	34.67	2.30	36.97	-	36.97
क्षे० का० के माध्यम से	178.58	-	4.92	-	11.25	-	-	194.75	3.10	197.85	-	197.85	-	197.85
6. पटना	-	-	1.45	-	-	-	-	1.45	-	1.45	-	1.45	-	1.45
क्षे० का० के माध्यम से	28.30	-	0.25	-	-	-	-	28.55	-	28.55	-	28.55	-	28.55
7. रांची	-	2.00	5.29	-	9.00	-	-	16.29	-	16.29	1.28	17.57	-	17.57
क्षे० का० के माध्यम से	99.29	-	5.85	-	6.06	-	-	111.20	1.42	112.62	-	112.62	-	112.62
8. टी० एम० भागलपुर	-	9.00	1.00	-	-	-	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00
क्षे० का० के माध्यम से	45.81	-	0.20	-	-	-	-	46.01	0.29	46.30	-	46.30	-	46.30
जोड़ मुख्यालय	-	73.15	27.67	-	13.94	-	-	114.76	1.63	116.39	11.57	127.96	-	127.96
जोड़ क्षे० का०	655.19	-	18.19	-	19.19	-	-	692.57	8.32	700.89	-	700.89	-	700.89
जोड़	655.19	73.15	45.86	-	33.13	-	-	807.33	9.95	817.28	11.57	828.85	-	828.85

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
गुजरात														
1. भावनगर	2.50	1.34	0.60	-	-	-	-	4.44	-	4.44	2.20	6.64	-	6.64
क्षे० का० के माध्यम से	30.35	-	0.23	-	-	-	-	30.58	-	30.58	-	30.58	-	30.58
2. गुजरात	1469.80	2.99	0.95	-	3.20	-	-	1476.94	-	1476.94	29.25	1506.19	-	1506.19
क्षे० का० के माध्यम से	136.11	-	13.35	-	9.31	-	-	158.77	1.35	160.12	-	160.12	-	160.12
3. नार्थ गुजरात	22.73	3.80	0.60	-	-	-	-	27.13	1.40	28.53	15.77	44.30	-	44.30
क्षे० का० के माध्यम से	81.47	-	2.88	-	1.75	-	-	86.10	1.79	87.89	-	87.89	-	87.89
4. सरदार पटेल	0.90	1.90	-	-	3.00	-	-	5.80	-	5.80	1.19	6.99	-	6.99
क्षे० का० के माध्यम से	26.66	-	2.10	-	15.00	-	-	43.76	0.15	43.91	-	43.91	-	43.91
5. सौराष्ट्र	953.26	9.00	0.45	-	-	-	-	962.71	-	962.71	1.42	964.13	-	964.13
क्षे० का० के माध्यम से	50.89	-	4.28	-	6.25	-	-	61.42	0.93	62.35	-	62.35	-	62.35
6. साउथ गुजरात	13.50	4.34	0.60	-	3.00	-	-	21.44	-	21.44	2.35	23.79	-	23.79
क्षे० का० के माध्यम से	79.94	-	0.69	-	3.75	-	-	84.38	0.33	84.71	-	84.71	-	84.71
जोड़ मुख्यालय	2462.69	23.37	3.20	-	9.20	-	-	2498.46	1.40	2499.86	52.18	2552.04	-	2552.04
जोड़ क्षे० का०	405.42	-	23.53	-	36.06	-	-	465.01	4.55	469.56	-	469.56	-	469.56
जोड़	2868.11	23.37	26.73	-	45.26	-	-	2963.47	5.95	2969.42	52.18	3021.60	-	3021.60
गोवा														
1. गोवा	-	4.69	1.20	-	-	-	-	5.89	2.80	8.69	1.45	10.14	-	10.14
क्षे० का० के माध्यम से	20.72	-	2.52	-	-	-	-	23.24	1.45	24.69	-	24.69	-	24.69
जोड़ मुख्यालय	-	4.69	1.20	-	-	-	-	5.89	2.80	8.69	1.45	10.14	-	10.14
जोड़ क्षे० का०	20.72	-	2.52	-	-	-	-	23.24	1.45	24.69	-	24.69	-	24.69
जोड़	20.72	4.69	3.72	-	-	-	-	29.13	4.25	33.38	1.45	34.83	-	34.83
हरयाणा														
1. कुरुक्षेत्र	-	21.39	3.88	-	10.23	-	-	35.50	-	35.50	24.39	59.89	-	59.89
क्षे० का० के माध्यम से	42.25	-	4.05	-	-	-	-	46.30	0.34	46.64	-	46.64	-	46.64
2. महर्षि दयानंद	-	41.59	8.41	-	-	-	-	50.00	5.09	55.09	16.60	71.69	3.75	75.44
क्षे० का० के माध्यम से	28.00	-	0.55	-	-	-	-	28.55	-	28.55	-	28.55	-	28.55
जोड़ मुख्यालय	-	62.98	12.29	-	10.23	-	-	85.50	5.09	90.59	40.99	131.58	3.75	135.33
जोड़ क्षे० का०	70.25	-	4.60	-	-	-	-	74.85	0.34	75.19	-	75.19	-	75.19
जोड	70.25	62.98	16.89	-	10.23	-	-	160.35	5.43	165.78	40.99	206.77	3.75	210.52

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हिमाचल प्रदेश														
1. हिमाचल प्रदेश	-	1.00	4.29	-	-	-	-	5.29	1.40	6.69	16.75	23.44	-	23.44
क्षे० का० के माध्यम से	21.00	-	0.24	-	-	-	-	21.24	0.36	21.60	-	21.60	-	21.60
जोड़ मुख्यालय	-	1.00	4.29	-	-	-	-	5.29	1.40	6.69	16.75	23.44	-	23.44
जोड़ क्षे० का०	21.00	-	0.24	-	-	-	-	21.24	0.36	21.60	-	21.60	-	21.60
जोड़	21.00	1.00	4.53	-	-	-	-	26.53	1.76	28.29	16.75	45.04	-	45.04
जम्मू और कश्मीर														
1. जम्मू	-	-	1.79	-	-	-	-	1.79	2.80	4.59	3.30	7.89	-	7.89
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. कश्मीर	-	9.50	-	-	-	-	-	9.50	-	9.50	1.10	10.60	-	10.60
क्षे० का० के माध्यम से	35.00	-	0.37	-	-	-	-	35.37	-	35.37	-	35.37	-	35.37
जोड़ मुख्यालय	-	9.50	1.79	-	-	-	-	11.29	2.80	14.09	4.40	18.49	-	18.49
जोड़ क्षे० का०	35.00	-	0.37	-	-	-	-	35.37	-	35.37	-	35.37	-	35.37
जोड़	35.00	9.50	2.16	-	-	-	-	46.66	2.80	49.46	4.40	53.86	-	53.86
कर्नाटक														
1. बंगलौर	-	17.50	25.80	-	1.00	-	-	44.30	-	44.30	6.60	50.90	12.00	62.90
क्षे० का० के माध्यम से	92.97	-	3.20	-	2.00	-	-	98.17	0.24	98.41	-	98.41	-	98.41
2. गुलबर्गा	-	36.75	0.60	-	7.00	-	-	44.35	1.40	45.75	9.92	55.67	-	55.67
क्षे० का० के माध्यम से	48.03	-	0.98	-	3.91	-	-	52.92	-	52.92	-	52.92	-	52.92
3. कर्नाटक	-	28.20	5.86	-	1.50	-	-	35.56	-	35.56	15.67	51.23	-	51.23
क्षे० का० के माध्यम से	160.94	-	3.24	-	28.00	-	-	192.18	0.21	192.39	-	192.39	-	192.39
4. कुवेम्पू	-	18.64	1.65	-	3.00	-	-	23.29	1.40	24.69	5.50	30.19	-	30.19
क्षे० का० के माध्यम से	32.92	-	0.09	-	5.00	-	-	38.01	-	38.01	-	38.01	-	38.01
5. मंगलौर	-	22.93	4.75	-	-	-	-	27.68	2.80	30.48	10.19	40.67	-	40.67
क्षे० का० के माध्यम से	82.23	-	0.93	-	19.00	-	-	102.16	0.21	102.37	-	102.37	-	102.37
6. मैसूर	-	24.90	14.53	-	-	-	-	39.43	-	39.43	6.10	45.53	-	45.53
क्षे० का० के माध्यम से	72.20	-	1.34	-	16.03	-	-	89.57	0.08	89.65	-	89.65	-	89.65
जोड़ मुख्यालय	-	148.92	53.19	-	12.50	-	-	214.61	5.60	220.21	53.98	274.19	12.00	286.19
जोड़ क्षे० का०	489.29	-	9.78	-	73.94	-	-	573.01	0.74	573.75	-	573.75	-	573.75
जोड़	489.29	148.92	62.97	-	86.44	-	-	787.62	6.34	793.96	53.98	847.94	12.00	859.94

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केरल														
1. कालीकट	-	25.39	2.77	-	9.23	-	-	37.39	-	37.39	23.30	60.69	-	60.69
क्षे० का० के माध्यम से	98.35	-	2.75	-	7.25	-	-	108.35	0.33	108.68	-	108.68	-	108.68
2. कन्नूर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षे० का० के माध्यम से	9.55	-	2.79	-	3.75	-	-	16.09	0.06	16.15	-	16.15	-	16.15
3. केरल	-	23.35	7.60	-	0.50	-	-	31.45	8.31	39.76	17.99	57.75	-	57.75
क्षे० का० के माध्यम से	102.25	-	8.67	-	18.50	-	-	129.42	0.31	129.73	-	129.73	-	129.73
4. महात्मा गांधी	-	32.11	4.91	-	15.00	-	-	52.02	17.51	69.53	32.25	101.78	-	101.78
क्षे० का० के माध्यम से	150.79	-	6.25	-	17.94	-	-	174.98	0.55	175.53	-	175.53	-	175.53
जोड़ मुख्यालय	-	80.85	15.28	-	24.73	-	-	120.86	25.82	146.68	73.54	220.22	-	220.22
जोड़ क्षे० का०	360.94	-	20.46	-	47.44	-	-	428.84	1.25	430.09	-	430.09	-	430.09
जोड़	360.94	80.85	35.74	-	72.17	-	-	549.70	27.07	576.77	73.54	650.31	-	650.31
मध्य प्रदेश														
1. अवधेश प्रताप सिंह	-	-	0.39	-	-	-	-	0.39	2.80	3.19	2.28	5.47	-	5.47
क्षे० का० के माध्यम से	76.13	-	7.32	-	11.25	-	-	94.70	1.19	95.89	-	95.89	-	95.89
2. बरकतुल्ला	-	30.00	3.31	-	3.00	-	-	36.31	1.94	38.25	15.90	54.15	-	54.15
क्षे० का० के माध्यम से	126.71	-	30.54	-	-	-	-	157.25	3.05	160.30	-	160.30	-	160.30
3. देवी अहिल्या	-	12.05	4.77	-	-	-	-	16.82	1.40	18.22	6.82	25.04	-	25.04
क्षे० का० के माध्यम से	120.03	-	6.99	-	-	-	-	127.02	0.80	127.82	-	127.82	-	127.82
4. डॉ०एच०एस० गौड़	-	14.00	2.47	-	-	-	-	16.47	2.05	18.52	6.60	25.12	-	25.12
क्षे० का० के माध्यम से	64.45	-	3.23	-	-	-	-	67.68	0.93	68.61	-	68.61	-	68.61
5. गुरु घासीदास	-	2.66	-	-	12.00	-	-	14.66	-	14.66	6.61	21.27	8.00	29.27
क्षे० का० के माध्यम से	97.94	-	6.37	-	4.25	-	-	108.56	1.37	109.93	-	109.93	-	109.93
6. इंदिरा कला संगीत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षे० का० के माध्यम से	35.59	-	-	-	-	-	-	35.59	-	35.59	-	35.59	-	35.59
7. जीवाजी	-	-	4.32	-	-	-	-	4.32	0.71	5.03	1.20	6.23	-	6.23
क्षे० का० के माध्यम से	86.43	-	4.91	-	-	-	-	91.34	1.90	93.24	-	93.24	-	93.24
8. रानी दुर्गावती	-	33.00	1.41	-	3.00	-	-	37.41	2.07	39.48	2.20	41.68	-	41.68
क्षे० का० के माध्यम से	137.92	-	11.28	-	0.12	-	-	49.32	0.45	149.77	-	149.77	-	149.77

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9. पंडित रविशंकर शुक्ल	-	12.29	0.99	-	-	-	-	13.28	-	13.28	4.40	17.68	-	17.68
क्षे० का० के माध्यम से	149.01	-	8.06	-	3.81	-	-	160.88	0.35	161.23	-	161.23	-	161.23
10. विक्रम	-	2.20	-	-	6.00	-	-	8.20	2.32	10.52	6.77	17.29	-	17.29
क्षे० का० के माध्यम से	80.78	-	4.33	-	6.37	-	-	91.48	0.63	92.11	-	92.11	-	92.11
जोड़ मुख्यालय	-	106.20	17.66	-	24.00	-	-	147.86	13.29	161.15	52.78	213.93	8.00	221.93
जोड़ क्षे० का०	974.99	-	83.03	-	25.80	-	-	1083.82	10.67	1094.49	-	1094.49	-	1094.49
जोड़	974.99	106.20	100.69	-	49.80	-	-	1231.68	23.96	1255.64	52.78	1308.42	8.00	1316.42
महाराष्ट्र														
1. अमरावती	-	40.77	-	-	10.00	-	-	50.77	7.00	57.77	11.00	68.77	-	68.77
क्षे० का० के माध्यम से	86.84	-	17.55	-	4.80	-	-	109.19	2.23	111.42	-	111.42	-	111.42
2. मुंबई	-	16.36	20.52	-	1.00	-	-	37.88	4.20	42.08	34.56	76.64	-	76.64
क्षे० का० के माध्यम से	215.75	-	38.41	-	2.53	-	-	256.69	5.02	261.71	-	261.71	-	261.71
3. डॉ० बी० आर० अम्बेडकर, मराठवाड़ा	-	2.11	2.76	-	-	-	-	4.87	15.41	20.28	13.00	33.28	2.00	35.28
क्षे० का० के माध्यम से	70.54	-	21.28	-	17.58	-	-	109.40	5.56	114.96	-	114.96	-	114.96
4. नागपुर	-	17.90	0.78	-	23.41	-	-	42.09	1.40	43.49	11.35	54.84	7.00	61.84
क्षे० का० के माध्यम से	155.68	-	12.41	-	14.28	-	-	182.37	4.17	186.54	-	186.54	-	186.54
5. नार्थ महाराष्ट्र	-	3.98	2.04	-	7.95	-	-	13.97	2.80	16.77	2.20	18.97	19.00	37.97
क्षे० का० के माध्यम से	82.85	-	16.58	-	36.33	-	-	135.76	4.35	140.11	-	140.11	-	140.11
6. पूना	-	31.16	7.27	-	3.72	-	-	42.15	10.98	53.13	10.98	64.11	7.00	71.11
क्षे० का० के माध्यम से	196.91	-	66.54	-	34.73	-	-	298.18	9.44	307.62	-	307.62	-	307.92
7. एस०एन०डी०टी० वीमेन्स	0.25	5.97	0.60	-	3.00	-	-	9.82	1.40	11.22	0.10	11.32	-	11.32
क्षे० का० के माध्यम से	18.90	-	5.58	-	-	-	-	24.48	0.48	24.96	-	24.96	-	24.96
8. शिवाजी	-	11.94	3.33	-	4.94	-	-	20.21	8.40	28.61	14.89	43.50	-	43.50
क्षे० का० के माध्यम से	141.05	-	36.29	-	26.51	-	-	203.85	3.04	206.89	-	206.89	-	206.89
9. स्वामी आर०टी० मराठवाड़ा	-	37.45	1.85	-	14.00	-	-	53.30	10.52	63.82	10.10	73.92	-	73.92
क्षे० का० के माध्यम से	90.84	-	29.19	-	24.00	-	-	144.03	2.44	146.47	-	146.47	-	146.47
जोड़ मुख्यालय	0.25	167.64	39.15	-	68.02	-	-	275.06	62.11	337.17	108.18	445.35	35.00	480.35
जोड़ क्षे० का०	1059.36	-	243.83	-	160.76	-	-	1463.95	36.73	1500.68	-	1500.68	-	1500.68
जोड़	1059.61	167.64	282.98	-	228.78	-	-	1739.01	98.84	1837.85	108.18	1946.03	35.00	1981.03

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मणिपुर														
1. मणिपुर	-	18.00	11.88	-	3.00	-	-	32.88	1.40	34.28	1.20	35.48	-	35.48
क्षे० का० के माध्यम से	60.16	-	4.01	-	6.42	-	-	70.59	2.90	73.49	-	73.49	-	73.49
जोड़ मुख्यालय	-	18.00	11.88	-	3.00	-	-	32.88	1.40	34.28	1.20	35.48	-	35.48
जोड़ क्षे० का०	60.16	-	4.01	-	6.42	-	-	70.59	2.90	73.49	-	73.49	-	73.49
जोड़	60.16	18.00	15.89	-	9.42	-	-	103.47	4.30	107.77	1.20	108.97	-	108.97
नागालैंड														
1. नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षे० का० के माध्यम से	11.57	-	-	-	-	-	-	11.57	0.63	12.20	-	12.20	-	12.20
जोड़ मुख्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ क्षे० का०	11.57	-	-	-	-	-	-	11.57	0.63	12.20	-	12.20	-	12.20
जोड़	11.57	-	-	-	-	-	-	11.57	0.63	12.20	-	12.20	-	12.20
उड़ीसा														
1. बरहामपुर	30.00	12.00	1.06	-	-	-	-	43.06	1.40	44.46	8.80	53.26	-	53.26
क्षे० का० के माध्यम से	54.55	-	21.46	-	1.60	-	-	77.61	2.00	79.61	-	79.61	-	79.61
2. सम्बलपुर	-	9.29	8.35	-	20.58	-	-	38.22	1.40	39.62	5.48	45.10	-	45.10
क्षे० का० के माध्यम से	98.14	-	12.13	-	9.83	-	-	120.10	2.24	122.34	-	122.34	-	122.34
3. उत्कल	114.00	20.29	20.57	-	9.90	-	-	164.76	5.60	170.36	7.64	178.00	-	178.00
क्षे० का० के माध्यम से	293.73	-	76.90	-	37.21	-	-	407.84	8.27	416.11	-	416.11	-	416.11
जोड़ मुख्यालय	144.00	41.58	29.98	-	30.48	-	-	246.04	8.40	254.44	21.92	276.36	-	276.36
जोड़ क्षे० का०	446.42	-	110.49	-	48.64	-	-	605.55	12.51	618.06	-	618.06	-	618.06
जोड़	590.42	41.58	140.47	-	79.12	-	-	851.59	20.91	872.50	21.92	894.42	-	894.42
पंजाब														
1. गुरु नानक देव	-	52.02	-	-	30.36	-	-	82.38	7.00	89.38	30.90	120.28	-	120.28
क्षे० का० के माध्यम से	45.27	-	1.30	-	-	-	-	46.57	-	46.57	-	46.57	-	46.57
2. पंजाब	-	21.71	4.11	-	17.25	-	-	43.07	8.40	51.47	17.80	69.27	-	69.27
क्षे० का० के माध्यम से	70.90	-	0.12	-	-	-	-	71.02	-	71.02	-	71.02	-	71.02
3. पंजाबी	-	5.91	0.91	-	14.85	-	-	21.67	-	21.67	9.05	30.72	-	30.72
क्षे० का० के माध्यम से	52.86	-	-	-	-	-	-	52.86	-	52.86	-	52.86	-	52.86
जोड़ मुख्यालय	-	79.64	5.02	-	62.46	-	-	147.12	15.40	162.52	57.75	220.27	-	220.27
जोड़ क्षे० का०	169.03	-	1.42	-	-	-	-	170.45	-	170.45	-	170.45	-	170.45
जोड़	169.03	79.64	6.44	-	62.46	-	-	317.57	15.40	332.97	57.75	390.72	-	390.72

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राजस्थान														
1. जय नारायण व्यास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10	1.10	-	1.10
क्षे० का० के माध्यम से	15.89	-	0.52	-	-	-	-	16.41	-	16.41	-	16.41	-	16.41
2. मोहन लाल सुखाड़िया	-	0.36	0.53	-	-	-	-	0.89	0.73	1.62	2.20	3.82	-	3.82
क्षे० का० के माध्यम से	45.86	-	1.89	-	3.75	-	-	51.50	0.57	52.07	-	52.07	-	52.07
3. एम०डी० सरस्वती	-	4.84	6.40	-	0.99	-	-	12.23	-	12.23	8.90	21.13	-	21.13
क्षे० का० के माध्यम से	229.44	-	26.78	-	2.62	-	-	258.84	5.05	263.89	-	263.89	-	263.89
4. राजस्थान	-	3.45	5.38	-	6.00	-	-	14.83	6.31	21.14	8.95	30.09	-	30.09
क्षे० का० के माध्यम से	216.83	-	17.11	-	19.62	-	-	253.56	7.196	260.75	-	260.75	-	260.75
जोड़ मुख्यालय	-	8.65	12.31	-	6.99	-	-	27.95	7.04	34.99	21.15	56.14	-	56.14
जोड़ क्षे० का०	508.02	-	46.30	-	25.99	-	-	580.31	12.81	593.12	-	593.12	-	593.12
जोड़	508.02	8.65	58.61	-	32.98	-	-	608.26	19.85	628.11	21.15	649.26	-	649.26
तमिलनाडु														
1. अलगप्पा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	0.87	-	-	-	-	0.87	0.55	1.42	-	1.42	-	1.42
2. भरतियार	-	9.00	8.30	-	-	-	-	17.30	9.95	27.25	10.30	37.55	-	37.55
क्षे० का० के माध्यम से	166.01	-	5.45	-	0.18	-	-	171.64	1.64	173.28	-	173.28	-	173.28
3. भारतीदासन	-	14.56	11.71	-	-	-	-	26.27	11.59	37.86	12.58	50.44	-	50.44
क्षे० का० के माध्यम से	189.81	-	14.00	-	0.06	-	-	203.87	1.64	205.51	-	205.51	-	205.51
4. मद्रास	-	14.05	15.38	-	0.25	-	-	29.68	17.18	46.86	26.55	73.41	-	73.41
क्षे० का० के माध्यम से	221.20	-	60.39	-	1.38	-	-	282.97	0.73	283.70	-	283.70	-	283.70
5. मदुरै कामराज	-	19.95	23.58	-	-	-	-	43.53	35.49	79.02	36.59	115.61	1.50	117.11
क्षे० का० के माध्यम से	162.04	-	12.13	-	0.06	-	-	174.23	1.77	176.00	-	176.00	-	176.00
6. मनोनमनियम सुंदरानर	-	1.80	-	-	-	-	-	1.80	-	1.80	-	1.80	-	1.80
क्षे० का० के माध्यम से	78.99	-	65.53	-	0.12	-	-	144.64	0.91	145.55	-	145.55	-	145.55
7. पेरियार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षे० का० के माध्यम से	54.70	-	0.77	-	-	-	-	55.47	0.43	55.90	-	55.90	-	55.90

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8. डॉ० एम०जी०आर० मेडीकल	-	-	0.67	-	-	-	-	0.67	-	0.67	-	0.67	-	0.67
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ मुख्यालय	-	59.36	59.64	-	0.25	-	-	119.25	74.21	193.46	86.02	279.48	1.50	280.98
जोड़ क्षे० का०	872.75	-	159.14	-	1.80	-	-	1033.69	7.67	1041.36	-	1041.36	-	1041.36
जोड़	872.75	59.36	218.78	-	2.05	-	-	1152.94	81.88	1234.82	86.02	1320.84	1.50	1322.34
त्रिपुरा														
1. त्रिपुरा	-	2.50	-	-	-	-	-	2.50	-	2.50	-	2.50	-	2.50
क्षे० का० के माध्यम से	28.43	-	0.10	-	-	-	-	28.53	0.40	28.93	-	28.93	-	28.93
जोड़ मुख्यालय	-	2.50	-	-	-	-	-	2.50	-	2.50	-	2.50	-	2.50
जोड़ क्षे० का०	28.43	-	0.10	-	-	-	-	28.53	0.40	28.93	-	28.93	-	28.93
जोड़	28.43	2.50	0.10	-	-	-	-	31.03	0.40	31.43	-	31.43	-	31.43
उत्तर प्रदेश														
1. आगरा	-	0.55	8.50	-	0.48	-	-	9.53	-	9.53	7.86	17.39	0.30	17.69
क्षे० का० के माध्यम से	28.00	-	2.20	-	-	-	-	30.20	-	30.20	-	30.20	-	30.20
2. इलाहाबाद	-	1.93	0.40	-	4.00	-	-	6.33	-	6.33	-	6.33	-	6.33
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. बुंदेलखंड	-	10.50	0.48	-	3.00	-	-	13.98	-	13.98	0.15	14.13	1.50	15.63
क्षे० का० के माध्यम से	7.00		-	-	-	-	-	7.00	-	7.00	-	7.00	-	7.00
4. चौ० चरण सिंह	-	43.98	12.03	-	7.15	-	-	63.16	2.48	65.64	2.66	68.30	-	68.30
क्षे० का० के माध्यम से	53.88	-	0.12	-	-	-	-	54.00	0.12	54.12	-	54.12	-	54.12
5. डॉ० आर० एम० लोहिया अवध	-	2.71	4.73	-	6.00	-	-	13.44	-	13.44	1.10	14.54	-	14.54
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. गोरखपुर	-	8.65	11.70	-	19.84	-	-	40.19	-	40.19	4.40	44.59	-	44.59
क्षे० का० के माध्यम से	21.00	-	-	-	-	-	-	21.00	0.18	21.18	-	21.18	-	21.18
7. एच०एन० बहुगुणा	-	1.75	9.14	-	-	-	-	10.89	2.51	13.40	2.20	15.60	-	15.60
क्षे० का० के माध्यम से	7.00	-	-	-	-	-	-	7.00	-	7.00	-	7.00	-	7.00
8. कानपुर	-	0.50	4.52	-	3.00	-	-	8.02	14.00	22.02	2.35	24.37	-	24.37
क्षे० का० के माध्यम से	14.98	-	2.22	-	-	-	-	17.20	0.20	17.40	-	17.40	-	17.40

परिशिष्ट XVI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9. कुमाऊं	-	0.65	-	-	-	-	-	0.65	-	0.65	-	0.65	-	0.65
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. लखनऊ	-	12.36	1.09	-	-	-	-	13.45	-	13.45	1.19	14.64	-	14.64
क्षे० का० के माध्यम से	7.00	-	-	-	-	-	-	7.00	-	7.00	-	7.00	-	7.00
11. पूर्वांचल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20	2.20	-	2.20
क्षे० का० के माध्यम से	6.46	-	-	-	1.50	-	-	7.96	0.51	8.47	-	8.47	-	8.47
12. रुहेलखंड	-	4.39	4.69	-	3.96	-	-	13.04	2.81	15.85	0.14	15.99	-	15.99
क्षे० का० के माध्यम से	37.25	-	0.24	-	-	-	-	37.49	-	37.49	-	37.49	-	37.49
13. संपूर्णानंद संस्कृत	-	3.00	-	-	3.00	-	-	6.00	-	6.00	2.35	8.35	-	8.35
क्षे० का० के माध्यम से	35.00	-	-	-	-	-	-	35.00	-	35.00	-	35.00	-	35.00
जोड़ मुख्यालय	-	90.97	57.28	-	50.43	-	-	198.68	21.80	220.48	26.60	247.08	1.80	248.88
जोड़ क्षे० का०	217.57	-	4.78	-	1.50	-	-	223.85	1.01	224.86	-	224.86	-	224.86
जोड़	217.57	90.97	62.06	-	51.93	-	-	422.53	22.81	445.34	26.60	471.94	1.80	473.74
पश्चिम बंगाल														
1. बर्दवान	-	7.66	1.71	-	6.00	-	-	15.37	1.40	16.77	10.22	26.99	-	26.99
क्षे० का० के माध्यम से	222.06	-	13.80	-	21.02	-	-	256.88	4.21	261.09	-	261.09	-	261.09
2. कलकत्ता	-	17.91	14.30	-	7.49	-	-	39.70	18.26	57.96	13.54	71.50	-	71.50
क्षे० का० के माध्यम से	487.38	-	67.49	-	10.00	-	-	564.87	18.23	583.10	-	583.10	-	583.10
3. जादवपुर	-	1.25	-	-	-	-	-	1.25	-	1.25	1.10	2.35	-	2.35
क्षे० का० के माध्यम से	3.30	-	-	-	-	-	-	3.30	-	3.30	-	3.30	-	3.30
4. कल्याणी	-	-	0.31	-	-	-	-	0.31	-	0.31	-	0.31	-	0.31
क्षे० का० के माध्यम से	4.38	-	1.56	-	-	-	-	5.94	-	5.94	-	5.94	-	5.94
5. नार्थ बंगाल	-	0.76	6.35	-	6.00	-	-	13.11	1.23	14.34	-	14.34	-	14.34
क्षे० का० के माध्यम से	125.39	-	29.16	-	3.75	-	-	158.30	2.67	160.97	-	160.97	-	160.97
6. विद्यासागर	-	9.93	-	-	-	-	-	9.93	-	9.93	2.30	12.23	-	12.23
क्षे० का० के माध्यम से	123.00	-	6.23	-	20.00	-	-	149.23	0.84	150.07	-	150.07	-	150.07
जोड़ मुख्यालय	-	37.51	22.67	-	19.49	-	-	79.67	20.89	100.56	28.26	128.82	-	128.82
जोड़ क्षे० का०	965.51	-	118.24	-	54.77	-	-	1138.52	25.95	1164.47	-	1164.47	-	1164.47
जोड़	965.51	37.51	140.91	-	74.26	-	-	1218.19	46.84	1265.03	28.26	1293.29	-	1293.29
जोड़ मुख्यालय	2969.26	1206.27	485.99	-	403.33	-	-	5064.85	371.07	5435.92	755.21	6191.13	62.05	6253.18
जोड़ क्षे० का०	8356.97	-	955.91	-	545.34	-	-	9858.22	156.12	10014.34	-	10014.34	-	10014.34
कुल जोड़	11326.23	1206.27	1441.90	-	948.67	-	-	14923.07	527.19	15450.26	755.21	16205.47	62.05	16267.52

परिशिष्ट XVI

सारांश (योजनागत) 2000-2001

(रु० लाख में)

वि० वि०/कॉलेज	अनु०1 वि०वि० और कॉलेजों का विकास	अनु०2 संगतता का संवर्धन	अनु०3 उत्कृष्टता और गुणवत्ता का संवर्धन	अनु०4 गुणवत्ता संवर्धन के लिए अंत-विश्व-विद्यालय संसाधन	अनु०5 पहुँच और साम्या का संवर्धन	अनु०6 शिक्षा प्रबंध में सुधार	अनु०7 वि० अ० आ० के प्रशासन को सुदृढ़ करना	जोड़	अनु०8 वैज्ञानिक अनु-संधान को सुदृढ़ बनाने का कार्यक्रम	जोड़	अनु०9 इंजी० तथा प्रौद्यो०	जोड़	अनु०3 III	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केंद्रीय विश्वविद्यालय	6120.96	296.18	1398.27	21.22	51.10	25.00	-	7912.73	385.34	8298.07	231.16	8529.23	0.20	8529.43
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	1.74	-	-	-	-	1.74	-	1.74	-	1.74	-	1.74
समविश्वविद्यालय	1302.28	105.86	89.35	47.32	38.30	93.37	-	1676.48	80.49	1756.97	473.56	2230.53	2.22	2232.75
क्षे० का० के माध्यम से	-	-	0.72	-	-	-	-	0.72	-	0.72	-	0.72	-	0.72
राज्य विश्वविद्यालय	7955.24	1778.26	3574.95	485.77	482.21	208.52	-	14484.95	1732.95	16217.90	1342.80	17560.70	-	17560.70
क्षे० का० के माध्यम से	10.98	-	177.03	-	-	-	-	188.01	-	188.01	-	188.01	-	188.01
अंतर्विश्वविद्यालय	-	-	-	2444.17	-	-	-	2444.17	50.00	2494.17	-	2494.17	-	2494.17
विश्वविद्यालयेतर संस्थाएँ	-		30.21	-	-	-	-	30.21	0.71	30.92	-	30.92	-	30.92
जोड़ वि० वि०	15378.48	2180.30	5092.78	2998.48	571.61	326.89	-	26548.54	2249.49	28798.03	2047.52	30845.55	2.42	30847.97
जोड़ क्षे० का०	10.98	-	179.49	-	-	-	-	190.47	-	190.47	-	190.47	-	190.47
जोड़ विश्वविद्यालय	15389.46	2180.30	5272.27	2998.48	571.61	326.89	-	26739.01	2249.49	28988.50	2047.52	31036.02	2.42	31038.44

परिशिष्ट XVI ...जारी
सारांश (योजनागत) 2000-2001

कालेज	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केंद्रीय विश्वविद्यालय	362.32	20.50	62.81	-	8.06	-	-	453.69	64.94	518.63	23.39	542.02	-	542.02
क्षे० का० के माध्यम से	105.41	-	7.28	-	7.67	-	-	120.36	4.10	124.46	-	124.46	-	124.46
राज्य विश्वविद्यालय	2606.94	1185.77	423.18	-	395.27	-	-	4611.16	306.13	4917.29	731.82	5649.11	6.05	5711.16
क्षे० का० के माध्यम से	8251.56	-	948.63	-	537.67	-	-	9737.86	152.02	9889.88	-	9889.88	-	9889.88
धर्मस्व अवार्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.31	1.31
कुल कालेज मुख्यालय	2969.26	1206.27	485.99	-	403.33	-	-	5064.85	371.07	5435.92	755.21	6191.13	6.36	6254.49
कुल कालेज क्षेत्रीय कार्यालय	8356.97	-	955.91	-	545.34	-	-	9858.22	156.12	10014.34	-	10014.34	-	10014.34
जोड़ मुख्यालय तथा क्षे० का०														
कुल जोड़ विश्वविद्यालय और कालेज	11326.23	1206.27	1441.90	-	948.67	-	-	14923.07	527.19	15450.26	755.21	16205.47	6.36	16268.83
स्थापना	-	1.00	178.40	-	8.34	0.03	158.97	346.74	-	346.74	-	346.74	-	346.74
कुल जोड़	26715.69	3387.57	6892.57	2998.48	1528.62	326.92	158.97	42008.82	2776.68	44785.50	2802.73	47588.23	6.78	47654.01